राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या: 18

मंगलवार,

15 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री धर्मनारायण जोशी।

उदयपुर में ई-मित्र प्लस मशीनें

302. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में ई-मित्र प्लस की कुल कितनी मशीनें स्थापित की गई थीं व उक्त पर कितना व्यय हुआ तथा वर्तमान में कितनी मशीनें कार्यशील हैं? क्या प्रत्येक मशीन पर चौबीसों घण्टे इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ई-मित्र प्लस मशीनों पर अब तक कितने नागरिकों ने किन-किन सेवाओं का उपयोग किया? ई-मित्र प्लस की मशीन का स्थानवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ई-मित्र प्लस मशीन संचालक पर उक्त मशीन के अनियमित संचालन पर कोई जुर्माना वसूला जाता है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में किन-किन संचालकों से कितना-कितना जुर्माना वसूल किया गया? स्थानवार, मशीनवार व संचालकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): (1) उदयपुर जिले में ई-मित्र प्लस की कुल 874 मशीनें स्थापित की गयी थीं। ये मशीनें वर्ष 2017 से 2021 तक स्थापित की गयी हैं। सूची अनुलग्नक-अ पर संलग्न है। इन मशीनों पर राशि रुपये 21.08 करोड़ व्यय हुआ। वर्तमान में उदयपुर जिले में 874 ई-मित्र प्लस मशीनों में से एक ई-मित्र प्लस मशीन जलने के कारण से

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा 21 मशीनें तकनीकी कारणों से क्रियाशील नहीं हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य प्रक्रियाधीन है। ई-मित्र प्लस मशीन के खराब होने पर उसकी मरम्मत करायी जाती है एवं यह सतत प्रक्रिया है।

जी हां। उदयपुर जिले में सभी ई-मित्र प्लस मशीनों पर चौबीसों घण्टे इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। उदयपुर जिले की कोटड़ा पंचायत समिति की सामोली ग्राम पंचायत में उपलब्ध इन्टरनेट वर्तमान में OFC (आप्टिकल फाइबर केबल) के कट जाने से कार्य नहीं कर रहा है जिसे BBNL (भारत ब्रोडबेंड नेटवर्क लिमिटेड) के माध्यम से ठीक करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उदयपुर जिले में इन ई-मित्र प्लस मशीनों पर अब तक आम नागरिकों द्वारा 35 सेवाओं का 1.50 लाख से अधिक बार उपयोग किया गया है। सूची अनुलग्नक-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार ई-मित्र प्लस मशीनों पर लगी LED TV के माध्यम से किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा आम नागरिकों से 19 कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण/ जन संवाद भी ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से किया गया है। ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से आमजन द्वारा जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित सूचना/जानकारी प्राप्त की जाती है। वीडियो कांफ्रेंसिंग (VC), समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि हेतु भी ई-मित्र प्लस मशीनें निरंतर उपयोग में आ रही हैं।

उदयपुर जिले में ई-मित्र प्लस मशीन का स्थानवार, सेवावार उपयोग का विवरण अनुलग्नक-स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ई-मित्र प्लस मशीन संचालक पर इस मशीन के अनियमित संचालन पर कोई जुर्माना नहीं वसूला जाता है।

परन्तु ई-मित्र प्लस मशीन चालू तथा कार्यशील हो, को सुनिश्चित करने हेतु मशीन से मैप ई-मित्र कियोस्क आपरेटर की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत ई-मित्र प्लस मशीन से मैप ई-मित्र कियोस्क आपरेटर, जो उसी परिसर में ई-मित्र कियोस्क का संचालन करता है, को माह में 12 दिवस तथा अन्य परिसर में संचालन करने वाले ई-मित्र कियोस्क को माह में 8 दिवस ई-मित्र प्लस मशीन पर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति रहने पर 375 रुपये प्रतिमाह शास्ति वसूल करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार उदयपुर जिले मे ई-मित्र कियोस्क आपरेटर से वसूल की गई शास्ति का विवरण अनुलग्नक-द पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उदयपुर बस स्टैण्ड पर दो मशीनें लगी हुई हैं। मैं सामान्यत: बस से आता हूं। वहां कभी आदमी नहीं मिलता है। बसें बिलकुल औंदी पड़ी हुई हैं बिलकुल खराब पड़ी हैं। उसको चालू करने के लिये, सामान्यत: आठ दिन की ड्यूटी रहती है, उसको बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती है। 22 करोड़ की मशीनें केवल उदयपुर जिले में लग रही हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाकर उसको ठीक करवायें। मेरा दूसरा प्रश्न है कि उनको उनके केन्द्र से जोड़ रखा है, तो वह केन्द्र पर काम करता है और वहां नहीं जाता है। आपने जो आठ दिन के लिये प्रतिबन्धित कर रखा है कि आठ उपस्थिति जरूरी हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि 21 मशीनें तकनीकी कारणों से क्रियाशील नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने कल ही दस मशीनें उनमें से ठीक कर दी हैं। 25 घंटे में लिपि डेटा और ई-कनेक्ट सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड को वास्तविक रखरखाव का काम दिया हुआ है। वे 48 घंटे के अन्दर मशीनों को ठीक कर देते हैं। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है कि बस स्टैण्ड पर दोनों मशीनें खराब हैं, उनके लिये आपको आश्वासन देता हूं कि उनको 72 घंटे के अन्दर ठीक करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

बून्दी में बून्दा मीणा की पैनोरमा

303. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री बून्दा मीणा पैनोरमा बनाये जाने के लिए विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प.27 (1)क.सं./2017 दिनांक 03.08.2018 राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण को लिखा गया था? यदि हां,

(श्री रामनारायण मीना)

तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है एवं शेष कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी? पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर द्वारा श्री बून्दा मीणा पैनोरमा निर्माण के लिए जिला कलेक्टर बूंदी को दिनांक 07.08.2018 को भूमि आबंटन हेतु पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र की पालना में विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है तथा सरकार द्वारा अब कब तक भूमि का आबंटन कर दिया जायेगा? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। श्री बून्दा मीणा पैनोरमा बनाये जाने के लिए कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के पत्र क्रमांकः प.27(1)क.सं./2017 दिनांक 03.08.2018 द्वारा राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था।

श्री बून्दा मीणा पैनोरमा निर्माण के लिए भूमि आबंटन किये जाने हेतु राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर के माध्यम से पत्र क्रमांक 7608 दिनांक 07.08.2018 एवं पुन: स्मरण पत्र 246 दिनांक 10.02.2022 जिला कलेक्टर, बून्दी को प्रेषित किया गया है। भूमि आबंटन होने के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। श्री बून्दा मीणा पैनोरमा निर्माण के लिए भूमि आबंटन किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, बून्दी को राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 7608 दिनांक 07.08.2018 द्वारा लेख किया गया है। जिला कलेक्टर, बून्दी के कार्यालय से भूमि आबंटन हेतु पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 246 दिनांक 10.02.2022 लिखा गया है (पत्र की प्रतियां संलग्न)।

जिला कलेक्टर, बून्दी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त नगर परिषद्, बूंदी को निःशुल्क भूमि आबंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। भूमि आबंटन का प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन/विचाराधीन है।

(कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री)

वर्तमान में नगर परिषद्, बूंदी द्वारा पृथक से नगर परिषद् क्षेत्र में 250 फीट लम्बाई एवं 61-45 फीट चौड़ाई में श्री बून्दा मीणा की प्रतिमा स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी घोषणा 30 अप्रैल, 2018 को की गयी थी। 4 वर्ष पूरे हो गये। उसके बाद यह सरकार है। सरकार इतनी सुस्त क्यों चल रही है कि अधिकारी उसकी बात नहीं मान रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, प्रोम्ट करने की जरूरत नहीं है, वे काम्पीटेंट हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। आप कन्फ्यूज हैं। आप बैठें। चार साल हो गये, क्यों नहीं हुए, लम्बा खींचने से क्या मतलब है? माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया कि 16.08.2018 के पत्र द्वारा लिखा गया और फिर 21.08.2018 को लिखा गया। अभी हाल ही में 28 फरवरी, 2022 को कलेक्टर, बूंदी ने निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को 3 एकड़ भूमि रकबा 8.14 बीघा गैर मुमकिन आबादी नि:शुल्क आबंटित करने के लिये लिखा है। जैसे ही भूमि आबंटित होगी, आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): चार साल में जिस अधिकारी ने सरकार की बात नहीं मानी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? कब तक पैनोरमा का निर्माण करवा दिया जायेगा? चाहे सिवाय चक जमीन हो या कोई भी हो, जरूरी नहीं कि नगरपालिका हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कला, संस्कृति विभाग वह जमीन मांग सकता है, जमीन अलाट करने का काम स्वायत्त शासन विभाग का है। मैं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी से..

श्री अध्यक्ष: दोनों मंत्री जी साथ-साथ बैठ रहे हैं। जाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है, चार साल की इस समस्या का तत्काल निराकरण करके कुछ फैसला करें। अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

पंचायत समिति मुख्यालय पर विधिक सेवा क्लिनिक

304. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किये गए हैं? यदि हां, तो जिला उदयपुर में कौन-कौनसी पंचायत समिति मुख्यालयों पर उक्त सुविधा उपलब्ध करायी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, जयसमंद, सेमारी व झल्लारा पंचायत समिति मुख्यालय पर उक्त विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री धारीवाल जी।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किये गये हैं।

उदयपुर जिले के 17 पंचायत समिति मुख्यालयों पर विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी, झल्लारा पंचायत समिति मुख्यालय पर विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित हैं।

वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय जयसमंद में विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना का मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर में विचाराधीन है।

उदयपुर जिले में नवगठित पंचायत समिति, जयसमंद में विधिक सेवा क्लिनिक खोलने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा लगभग छह माह में प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। तत्पश्चात् राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उक्त पंचायत में विधिक सेवा क्लिनिक खोलने का आदेश दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विधिक सेवा क्लिनिक के तहत अब तक कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बी रेलेवेंट। कोई अलग प्रश्न पूछते। प्रश्न पूछ रहे हैं, होगी या नहीं होगी। आपको खोलने के लिए बोल दिया, उसमें अगर नम्बर में जाएंगे तो क्या होगा? अगला प्रश्न। श्री सुरेश सिंह रावत।

पुष्कर शहर में बॉयोलोजिकल पार्क

305. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुष्कर शहर में बॉयोलोजिकल पार्क कब स्वीकृत हुआ व उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? उक्त की वित्तीय स्वीकृति कब जारी हुई एवं कार्यादेश कब जारी हुआ तथा उक्त का शिलान्यास किसने किया? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त के निर्माण को रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पार्क को अब समय पर पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2019-20 से अब तक निर्माण एजेन्सी को नियमानुसार दी जाने वाली राशि नहीं दिये जाने के कारण उक्त का काम लम्बित है? यदि हां, तो भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) पुष्कर शहर में बॉयोलोजिकल पार्क बनाने का प्रस्ताव राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II की उच्चाधिकार समिति द्वारा दिनांक 01.03.2017 को हुई बैठक में स्वीकृत किया गया। फेज-II में बॉयोलोजिकल पार्क के लिए रु. 5.00 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 05.03.2018 को 62.50 लाख अग्रिम के रूप में कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. को कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेश जारी किया गया। (संलग्न परिशिष्ट-1)

पार्क का शिलान्यास किसी के द्वारा नहीं किया गया।

(2) जी हां। वर्तमान में कार्य रुका हुआ है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II के समाप्त हो जाने के कारण काम रुका हुआ है।

नवीन प्रस्तावित परियोजना राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना (आर.ए.बी.सी.पी.) में इस बॉयोलोजिकल पार्क के निर्माण

(वन मंत्री)

हेतु राशि 25.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

(3) राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II के समाप्त हो जाने के कारण कार्यकारी एजेन्सी को केवल रु. 62.50 लाख का ही भुगतान हो पाया। नवीन प्रस्तावित परियोजना राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना (आर.ए.बी.सी.पी.) की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एवं भुगतान कर दिया जाएगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, सिर्फ 62 लाख रुपये आपने खर्च किये। वर्ष 2019 से लेकर अब तक कार्य रुका हुआ है, ये कब तक प्रारम्भ करेंगे? दूसरा, सैकण्ड फेज का 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, उसका कार्य भी कब तक प्रारम्भ करेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि ये फेज सैकण्ड प्रोग्राम का कार्य समाप्त हो गया था, समयावधि समाप्त हो गयी, इस कारण से कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अब नवीन प्रस्तावित जो परियोजना है, उसमें इसको सम्मिलित कर लिया गया है। इसके तहत 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जो एक्सटरनली एडेड प्रोजेक्ट हैं, उसमें इसको शामिल कर लिया है। जल्दी हमें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी और जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, ये कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय मंत्री महोदय, कब तक करेंगे? पौने चार साल से काम बिलकुल बन्द है। वहां की जो चारदीवारी है, वह ऐसे ही पड़ी है। कोई तारीख तो बताएं आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोल दिया है उन्होंने कि फेज का पैसा आएगा, कर देंगे। क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

धुंवाकला (देवली-उनियारा) में नवीन उप तहसील

306. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उप तहसील खोलने के क्या मापदंड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के धुंवाकला कस्बे में नवीन उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) प्रदेश में नवीन तहसील/उप तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। बजट सत्र 2022-23 के दौरान दिनांक 03/03/2022 को सामान्य वाद-विवाद पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के धुंवाकला कस्बे को नवीन उप तहसील बनाये जाने की घोषणा की है। उक्त घोषणा की अनुपालना में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामप्रसाद।

गलियाकोट को ऐतिहासिक व पर्यटक सूची में सम्मिलित करने की योजना

307. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किसी भी स्थल को ऐतिहासिक एवं पर्यटक सूची में सम्मिलित करने के क्या मानदंड निर्धारित हैं?

(2) क्या यह सही है कि गलियाकोट में सभी धर्मों के लोग प्रतिवर्ष देश विदेश से यात्रा करने आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार गलियाकोट को ऐतिहासिक एवं पर्यटक सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) विभाग में स्थल विशेष को ऐतिहासिक एवं पर्यटक सूची में सम्मिलित करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(2) जी हां। गलियाकोट में प्रतिवर्ष देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

यहां स्थित दाउदी बोहरा समाज की दरगाह एवं शीतला माता मंदिर पहले से ही प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय यह बताएं कि मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में गलियाकोट को सम्मिलित किया है या नहीं किया है? दूसरा, गलियाकोट ऐतिहासिक आठवीं सदी का किला है, उसके रख-रखाव के लिए कोई कार्ययोजना है या नहीं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, गलियाकोट डामोर किला है। पिछले वित्त वर्ष में 2020-21 में बी.एफ.सी. में 200 लाख रुपये स्वीकृत हैं। आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, ये स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कार्य...

श्री अध्यक्ष: रामस्वरूप जी को बुला लिया।

पीसांगन व श्रीनगर के किसानों को मुआवजा

308. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में प्रदेश में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित जिलों के किसानों का सर्वे, गिरदावरी करवाकर उनको उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की पंचायत समिति पीसांगन एवं श्रीनगर के कई गांवों में ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) रबी फसल वर्ष 2020-21 (सम्वत 2077) में ओलावृष्टि से एवं खरीफ फसल वर्ष 2021 (सम्वत 2078) में बाढ़ एवं ओलावृष्टि से फसल खराबा हुआ है।

फसल खराबे से प्रभावित किसानों को राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान किया जाता है।

रबी फसल वर्ष 2020-21 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 1278.73 लाख रुपये का कृषि आदान अनुदान का भुगतान कर दिया गया है।

खरीफ फसल वर्ष 2021 में बाढ़ से प्रभावित किसानों को 13148.55 लाख रुपये का कृषि आदान अनुदान का भुगतान कर दिया गया है।

खरीफ फसल वर्ष 2021 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की पंचायत समिति पीसांगन एवं श्रीनगर में वर्ष 2021 में ओलावृष्टि से फसल खराबा नहीं हुआ है।

रबी फसल वर्ष 2022 की गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है। गिरदावरी रिपोर्ट में ओलावृष्टि से खराबा प्राप्त होने पर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): खरीफ फसल वर्ष 2021 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन आपने बतायी है। प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी? क्या इसके लिए गिरदावरी करवा ली गयी है?

दूसरा, फसल खराबे में जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने एन.डी.आर.एफ. में 33 परसेंट तक मुआवजे के लिए दिया है, क्या राज्य सरकार भी एस.डी.आर.एफ. में शिथिलता देकर किसानों को खराबे का मुआवजा देगी? खण्ड (2) में पीसांगन एवं श्रीनगर में रबी 2022 की गिरदावरी आपने प्रक्रियाधीन बतायी तो यह गिरदावरी कब तक पूर्ण कर ली जायेगी और गिरदावरी में किन-किन अधिकारियों को शामिल किया गया है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष जी, रबी फसल (सम्वत 2078) 2021-22 में पाला, शीतलहर, ओलावृष्टि से हुए खराबे के सम्बन्ध में विशेष गिरदावरी करवाए जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा 28 दिसम्बर, 2021, 10 जनवरी, 2022 एवं 19 मार्च, 2022 को जिला कलेक्टर

(श्री गोविंद राम)

को निर्देश जारी किये गये हैं। विशेष गिरदावरी करने के आदेश दे दिये गये हैं। गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि कितना आदान अनुदान बनता है और आने के बाद बजट आबंटित किया जायेगा।

अजमेर जिले में वर्ष 2021 में ओलावृष्टि से कोई खराबा नहीं हुआ। 2022 में रबी फसल की गिरदावरी प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोराराम कुमावत। जवाब वही है जो दिया है। माननीय मंत्री जी।

सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी की डीएल.सी. दरें

309. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सुमेरपुर व्यापार संघ कृषि उपज मण्डी की डीएलसी दरें घटाने की बार-बार मांग कर रहा है? क्या सरकार उक्त दरें घटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): जी हां। डी.एल.सी. दरों का निर्धारण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर के मुख्य मण्डी प्रांगण की डी.एल.सी. दर रुपये 3,938/- प्रति वर्ग फीट को कम कराने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 01.09.2021 पारित कर, जिला कलेक्टर, पाली को प्रेषित किया गया। जिला कलेक्टर, पाली द्वारा सुमेरपुर के मुख्य मण्डी प्रांगण की डी.एल.सी. दरें कम करने हेतु प्रस्ताव महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर को प्रेषित किया जा चुका है, जो सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रेट बताई है, उसमें फर्क आ रहा है। पांचवें सत्र में, मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 277 के जवाब में सुमेरपुर कृषि मण्डी की डी.एल.सी. दरें 4,375/- रुपये बताई थी। छठे सत्र में, मेरे ही तारांकित प्रश्न संख्या 3168 के जवाब में सुमेरपुर कृषि मण्डी की डी.एल.सी. दरें 4,375/- बताई थी। इस सत्र में मैंने जब यह प्रश्न पूछा तो इन्होंने 3,938/- बताई है। अधिकारी इस तरह से गलत जवाब देकर, गुमराह कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कार्यवाही करवायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अधिकार है, गलत सूचना के बारे में लेकर आयें, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि मण्डी निर्माण के बाद आज तक कितनी दुकानों का क्रय-विक्रय हो गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न क्या है, सप्लीमेंट्री क्या पूछ रहे हो। नहीं गलत बात, प्लीज। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न बहुत सीधा था। जो डी.एल.सी. रेट सुमेरपुर की है, उस डी.एल.सी. रेट के आधार पर है। इनको तीन बार के जवाब में, डी.एल.सी. रेट तीन तरह की आ गयी। इनमें से कौनसी सही है? इनको देने के पीछे अधिकारी का, अलग-अलग समय में अलग-अलग जवाब देने का आधार क्या था?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी जो डी.एल.सी. दर प्राप्त हुई है, यह निर्देशित है। आप द्वारा जानकारी दी गयी, अलग डी.एल.सी. दर हुई, उनकी मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा कि वह अलग-अलग कैसे थी। मेरे पास अभी जो जानकारी थी वह यही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही में खेल स्टेडियम का निर्माण

310. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सिरोही खेल स्टेडियम निर्माण के लिए बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी? उक्त के निर्माण पर अब तक कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जी हां। बजट 2021-22 की घोषणा के अनुक्रम में सिरोही जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु इस विभाग के स्वीकृति क्रमांक 24/2021-22 दिनांक 11.11.2021 द्वारा राशि रु. 898.00 लाख की प्रशासनिक एवं राशि रु. तीन करोड़ की वित्तीय स्वीकृति एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. के पक्ष में जारी की गई है। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। स्टेडियम के मूल नक्शे का अवलोकन करने के बाद, क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को मैंने सुझाव दिया था कि सिरोही आदिवासी बहुल जिला है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सुझाव की जरूरत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, बोलने तो दें। तीरंदाजी अकादमी, स्विमिंग पूल और दो खेल छात्रावास, 50-50 खिलाड़ियों के, इसमें इंक्लूड कर लें। क्या तखमीने में इसको शामिल किया गया है? दूसरा, इसका कार्यादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, 21 फरवरी, 2022 को यह मीटिंग कॉल की गयी। 08 मार्च को सिरोही के अधिकारियों के साथ क्रीड़ा परिषद् के अधिकारियों की मीटिंग हो गयी और यह तय कर लिया गया कि तीरंदाजी रेंज निर्माण, अन्तरराष्ट्रीय स्तर के दो तरणताल, 50-50 बैड के दो छात्रावास आरक्षित किये जाएंगे। इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट 31 मार्च से पहले सब्मिट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कटारिया जी।

उदयपुर में चम्पाबाग की भूमि का अधिग्रहण

311. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कैम्पस विस्तार हेतु लम्बे समय से चम्पाबाग की भूमि को अधिग्रहण कर विश्वविद्यालय को देने की मांग चल रही है? यदि हां, तो उक्त की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या चम्पाबाग की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय या नगर विकास प्रन्यास ने उदयपुर में कोई प्रयत्न किया है? यदि हां, तो अब तक इसके सकारात्मक परिणाम नहीं आने के क्या कारण रहे?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन के अधिग्रहण हेतु व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था सरकार या विश्वविद्यालय ने कर रखी है? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्ना। श्री बलजीत यादव।

अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में बॉयलर की अनुमति

312. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान में किन-किन उद्योगों ने कितने-कितने बॉयलर की अनुमति कब-कब ली एवं कहां-कहां पर कितने बॉयलर चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षो में उक्त उद्योगों में बॉयलर की चैकिंग कब-कब किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई व किस-किस उद्योग में कितने-कितने बॉयलर बिना अनुमति के चलते हुए पाये गये? रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उद्योगों में बिना अनुमति के चल रहे बॉयलर की रोकथाम के लिए नियुक्त जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण (श्री सुखराम विश्नोई): (1) अलवर ज़िले के औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान में उद्योगों में चल रहे बॉयलरों की अनुमति की सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

औद्योगिक क्षेत्रवार बॉयलरों की संख्या की सूची परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(2) उक्त उद्योगों में विगत तीन वर्षों में किन-किन अधिकारियों द्वारा बॉयलर की कब-कब चैकिंग की गई, से संबंधित रिपोर्ट परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

उक्त उद्योगों में कोई बॉयलर बिना अनुमति के चलता नहीं पाया गया।

(राज्य मंत्री, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण)

अलवर ज़िले में 4 अन्य उद्योगों में बॉयलर बिना अनुमति के चलते हुए पाये गये, उनकी रिपोर्ट परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

(3) बिना अनुमति के चल रहे बॉयलर के लिए परिशिष्ट-'घ' में वर्णित उक्त उद्योगों में इनकी रोकथाम के लिए नियुक्त जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उक्त बॉयलर मालिकों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में बिना अनुमति के चल रहे बॉयलर बंद कर दिये गये, जिसकी रिपोर्ट परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है। अनुपालना हो जाने से उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(सूचियां एवं रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, आपने बॉयलर को चैक करवाया और उनकी रिपोर्ट दी। धुआं, गैसेज की, जो भी इनकी क्वालिटी है, जो आपने पैरामीटर तय कर रखे हैं, उसकी रिपोर्ट दी कि वह बिलकुल सही पाये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट दी है, वह गलत रिपोर्ट दी है। सिर्फ जाकर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): यह जानना चाहता हूं कि जो गलत रिपोर्ट दी है, जैसे ग्लोबस बीयर फैक्ट्री सहित बहरोड़ नीमराना में अनेकों फैक्ट्रियां हैं, रिपोर्ट दी है, इसके अलावा किसी और अधिकारी से इनको पुन: चैक करवाया जा सकता है? वहां रखी जा रही है, गैसेज भी ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये। आप एक्सप्लेन नहीं करें। माननीय मंत्री जी।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जो रिपोर्ट दी गयी है, गलत दी गयी है। इसको पुन: दूसरे अधिकारी से चैक करवा सकते हैं कि यह सही है या गलत है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): कोई रिपोर्ट गलत नहीं दी। आपको बाकायदा लिस्ट दे दी गयी है। यह परिशिष्ट-ग की, कौनसी तारीख को चैक किया। सिर्फ 4 बॉयलर अनुमति के थे, उनको बन्द करवा दिया है। जहां तक दुबारा जांच का सवाल है, हर साल ही तो चेंज होता है। हर साल जैसे ही रिन्युअल होगा, उसकी चैकिंग होगी। फिर भी कोई शिकायत है, आप लिखकर दो, मैं जांच करवा दूंगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): गलत रिपोर्ट बनी हुई पाई गयी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी?

श्री अध्यक्ष: जनरल नहीं, आप लिखकर दें, जांच करायें। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो यह जानना चाह रहा था, सारा प्रश्न परिशिष्ट क, ख, ग, घ पर निर्भर है। मेरे इसमें तो कहीं भी यह परिशिष्ट नहीं है, आपके पास है क्या परिशिष्ट क, ख, ग, घ? पता नहीं, या तो सब में नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष: I will take care of it. अगला प्रश्न। श्री नरपत सिंह राजवी।

संवाद एजेंसी को आर.टी.आई. के दायरे में लाने की कार्यवाही

313. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) संवाद एजेंसी को विज्ञापन का कितना प्रतिशत दिया जाता है? विगत पांच वर्षों में संवाद एजेंसी में कितनी आय हुई व कितनी धनराशि किस मद में कब-कब व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त एजेंसी आरटीआई के दायरे में है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त को आरटीआई के दायरे में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क (श्री अशोक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

(1) संवाद एजेंसी को सजावटी, वर्गीकृत एवं इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन जारी करने के फलस्वरूप, निर्धारित सेवा शुल्क के रूप में 15 प्रतिशत (जी.एस.टी. अतिरिक्त) एवं आउटडोर मीडिया विज्ञापन कार्य के लिए 3 प्रतिशत का भुगतान विज्ञापनदाता विभाग/उपक्रम/संस्थान द्वारा किया जाता है। विगत 5 वर्षों में संवाद एजेंसी को प्राप्त हुई आयव्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। धन राशि के मदवार एवं वर्षवार व्यय की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त बिन्दु एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17511/2015 राजस्थान संवाद बनाम चन्द्रमोहन मारोठिया एवं एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 24357/2017 चन्द्रमोहन मारोठिया बनाम राजस्थान संवाद माननीय

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क)

उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय से निर्णय होने पर निर्णयानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण एवं सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान संवाद की स्थापना से लेकर आज तक सालाना ऑडिट कराई है? यदि हां, तो कब-कब? यदि नहीं, तो..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please be relevant to the question. पांच वर्ष का पूछा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ऑडिट का।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, प्लीज। आप सीनियर आदमी हैं। प्रश्न देख लें। You may ask anything relevant to the question.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: Please. I will not allow it.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): Will you not listen to me?

श्री अध्यक्ष: No. I will.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): Will you not listen to me?

श्री अध्यक्ष: I will only allow the relevant question. That's all.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): What I am suggesting is....

श्री अध्यक्ष: You may suggest anything, but ask the relevant question.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, +++ That's objectionable.

श्री अध्यक्ष: +++

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): +++ वह तो आप.....

श्री अध्यक्ष: No. Please come to my Chamber. Don't raise this question. आप सेक्रेटेरिएट पर आरोप लगा रहे हैं। Please I am ex-

(श्री अध्यक्ष)

tremely sorry. You are a senior member and you are raising this question on the authority of the Secretariat. This is very unfortunate. ...(Interruptions) Please. I am saying, this is very unfortunate.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): I will give the paper, Sir.

श्री अध्यक्ष: Please. You come to my Chamber and deal it. You are aware about this that how to deal these things.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसकी राशि किस-किस अधिकारियों को दी जाती है? डीआईपीआर के अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल वेतन का कितना प्रतिशत अधिक दिया जाता है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल है कि ऑडिट कब तक की हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। रिलेवेंट क्वेश्चन जो पूछा है, उसका जवाब दें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): 2020-21 तक ऑडिट कम्पलीट है और आपने संवाद के जो हैड पूछे हैं सैलरी के, वह सैलरी के हैड इसमें संलग्न हैं। सभी हैड आपको इसके अन्दर दिये हुए हैं। यदि किसी विशेष हैड का आप जो प्रतिशत पूछ रहे हैं, वह मैं जानकारी भी आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्टाफ लिया उसका नहीं कह रहा हूं। डीआई.पी.आर. के जितने भी कर्मचारी/अधिकारी हैं, मूल वेतन का दस प्रतिशत उनको दिया जाता है इसलिए मेरा क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: Narpat Ji, what is your question? एक मिनट।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या सरकार इस बंदरबांट को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष: कौनसी बंदरबांट?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह राशि नहीं दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप प्रश्न पूछो न।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यही तो कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: Please ask the question, then he will reply your question. आप तो डाइरेक्ट क्वेश्चन और उत्तर खुद ही दे रहे हो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या संवाद द्वारा डी.आई.पी.आर. अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त दस प्रतिशत मानदेय की राशि दी जा रही है? यह प्रश्न पूछा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है। माननीय मंत्री जी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): वह कार्य अनुसार होता है। यदि काम ज्यादा होता है तो उस हिसाब से वह बनता होगा, वह मैं पूछ लूंगा। अब दस प्रतिशत अतिरिक्त क्यों दिया जाता है, मैं इस सवाल का उत्तर आपको जरूर बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। माननीय मंत्री जी, बैठें। This is a relevant question, कि दस परसेंट क्यों देते हैं? You have to justify it. आप अपने क्वेश्चन की तैयारी करके आयें। I am postponing this question.

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री छगनसिंह।

आहोर में नवीन संस्कृत विद्यालय

314. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में कुल कितने संस्कृत विद्यालय हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गोपाल बाड़ी बरवा (घाणा-ग्राम पंचायत) में संस्कृत विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत-हरजी एवं ग्राम पंचायत-आहोर में संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में संस्कृत शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन कुल दो राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं-

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

1. राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, ओडवाडा
2. राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गोपाल बाड़ी

(2) जी नहीं। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बरवा (घाणा-ग्राम पंचायत) को क्रमोन्नत करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विद्यालय क्रमोन्नति हेतु मानदण्ड निर्धारित है। विद्यालय क्रमोन्नति हेतु विभाग में प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर, वित्तीय उपलब्धता होने व निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में नवीन विद्यालय खोलने हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।

विद्यालय खोलने हेतु मानदण्ड निर्धारित है। विद्यालय खोलने हेतु विभाग में प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर, वित्तीय उपलब्धता होने व निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, ओडवाडा, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गोपाल बाड़ी में उक्त दोनों विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं? क्या यह सही है कि उक्त ओडवाडा में पूर्व में 600 छात्रों की संख्या हुआ करती थी और अब मात्र 125 संख्या है? इसी प्रकार इसी विद्यालय में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज माननीय सदस्य, आप प्रश्न क्या पूछते हैं और सप्लीमेंट्री क्या पूछते हैं? क्या करें? This is very unfortunate. आपने प्रश्न क्या पूछा, आप पढ़ लीजिए वापस। (व्यवधान)

श्री छगनसिंह (आहोर): यह जो विद्यालय है, उसमें अध्यापकों के रिक्त पद हैं तो रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे और जो गोपाल बाड़ी छितरायी ढाणी में बना हुआ विद्यालय है, उसको कब क्रमोन्नत किया जायेगा? वह छितरायी ढाणी में है। इन दोनों में अध्यापक है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: लिख दिया न आपको, जी नहीं। जी नहीं। अब क्या पूछ रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गोपाल बाड़ी स्कूल के बारे में पूछा है। इसमें स्वीकृत पद पांच हैं और विद्यार्थियों की संख्या मात्र 35 है। हम 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक देते हैं। 35 में दो देते हैं तो एक आदमी काम कर रहा है और एक अभी जैसे ही यह रिक्तियां भरी जायेंगी, एक अध्यापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री छगनसिंह (आहोर): ओडवाडा जो राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय है, 12वीं तक का विद्यालय है, इसमें कितने पद रिक्त हैं जहां पर 600 छात्र हुआ करते थे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कौनसी स्कूल में?

श्री छगनसिंह (आहोर): ओडवाडा।

श्री अध्यक्ष: ओडवाडा, पहला नम्बर जो लिख रखा है आपने उत्तर में।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ओडवाडा में भी निर्धारित मानदण्ड के अनुसार विद्यार्थी जितने भर्ती होने चाहिए वे नहीं हुए हैं और चूंकि आप यह जानते हैं कि वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत का यह जो स्कूल है, उसको आप क्रमोन्नत करना चाहते हैं तो उसमें...(व्यवधान)

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी से जवाब नहीं सुनना है? फिर भी खड़े होकर पूछ सकते हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): देखिये, हमारे यहां पर आठवीं से दसवीं कक्षा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वे यह पूछ रहे हैं कि कितने पद हैं और कितने खाली है ओडवाडा स्कूल के?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ओडवाडा में एक्चुअली में विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापकों की संख्या के बारे में इन्होंने नहीं पूछा है। इन्होंने केवल यह पूछा है कि इसमें जो स्कूल आपके ओडवाडा और गोपाल बाड़ी में उच्च प्राथमिक हैं, इनको क्रमोन्नत करेंगे या नहीं करेंगे। वह मानदण्ड पूरे नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें। सप्लीमेंट्री उन्होंने यह पूछा है, आप प्लीज, बैठें। जैसा आपने बताया है कि गोपाल बाड़ी में 35 है और 30 पर एक रखते हैं, यह आपने बोल दिया तो यह ओडवाडा के लिए पूछ रहे हैं कि कितने

(श्री अध्यक्ष)

पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं? जानकारी हो तो बता दें और जानकारी नहीं है तो मना कर दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हां, ओडवाडा के पदों के बारे में इन्होंने पूछा नहीं था इसलिए मैं इनको बता दूंगा, भेज दूंगा कि कितने वहां पर अध्यापकों के पद रिक्त हैं लेकिन मानदण्ड पूरा नहीं करते हैं, इसके कारण से हम इनको क्रमोन्नत नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

श्री छगनसिंह (आहोर): सर, 12वीं तक क्रमोन्नत करने के बारे में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। प्लीज, आप बैठें। श्री सुभाष पूनिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य रामलालजी, बाहर जाने की जगह है।

जयपुर में बी.आर.टी.एस. कोरिडोर

315. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जयपुर के सीकर रोड, अजमेर रोड व मानसरोवर रोड स्थित बी.आर.टी.एस. कोरिडोर को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के निर्माण में कितनी लागत आयी थी?

(2) क्या उक्त कोरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त कोरिडोर को सुचारु रूप से संचालित नहीं कर पाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कोरिडोर बनाने से सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है? यदि हां, तो जाम से मुक्ति के क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। बी.आर.टी.एस. कोरिडोर को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बी.आर.टी.एस. कोरिडोर की निर्माण लागत निम्नानुसार है:-

1. सीकर रोड बी.आर.टी.एस. रुपये 71.49 करोड़
2. अजमेर रोड-न्यू सांगानेर रोड रुपये 86.51 करोड़

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

उपरोक्त के अतिरिक्त बी.आर.टी.एस. परियोजना में निम्न कार्य भी कराये गये:-

3. अजमेर रोड एलीवेटेड रोड लगभग रुपये 260.00 करोड़

4. दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड लगभग रुपये 90.00 करोड़

इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा जयपुर बी.आर.टी.एस. परियोजना पर अब तक कुल रुपये 508.74 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(2) बी.आर.टी.एस. कोरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एवं आशा के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में बी.आर.टी.एस. कोरिडोर के माध्यम से जे.सी.टी.एस.एल. की बसों के साथ-साथ अन्य लोक वाहन भी गुजरते हैं। बी.आर.टी.एस. कोरिडोर द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने के विस्तृत कारण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सड़क पर जाम की स्थिति के लिए बी.आर.टी.एस. कोरिडोर कारण नहीं है। बी.आर.टी.एस. कोरिडोर के जंक्शनों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक लाइट्स के माध्यम से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है जहां कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जब कोरिडोर के माध्यम से जे.सी.टी.एस.एल. की बसों का संचालन किया जाना था तो उक्त योजनानुसार बसों का क्रय क्यों नहीं किया गया? कितनी बसों को खरीदने का प्रावधान था और यह बसें कब तक खरीद लेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब मैं दे चुका हूं परिशिष्ट 'अ' पर। आप चाहो तो पढ़कर बता दूं?

श्री अध्यक्ष: ठीक है। माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जब भी जिसने बनायी होगी उसने कोई न कोई आधार जरूर रखे होंगे जिन आधार पर यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनायी। यह बी.आर.टी.एस. में आपने 500 करोड़ रुपये खर्च करना बताया और परिशिष्ट- 'अ' में जो आपने दो कारण लिखे हैं, बी.आर.टी.एस. रूट के साथ मिनी बसों एवं लोक वाहनों के रूट का आपसी सामंजस्य एवं बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, इनके फीडर रूट्स अन्य एवं निजी लोक वाहन (आटो रिक्शा आदि) के बीच में सामंजस्य का अभाव है, एक।

बी.आर.टी.एस. कोरिडोर का रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं एयरपोर्ट आदि से सीधा जुड़ाव नहीं होना, तो यह योजना बनाते समय इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया और उसके कारण से 508 करोड़ रुपया आपने वेस्ट किया और उसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्या यह सच है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2007 में रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता के कारण नेटपेक, राइड्स, सी.आर.आर.आई. संस्थाओं के अध्ययन के अनुसार एम.आर.टी.एस. की आवश्यकता बतायी गयी थी। एम.आर.टी.एस. की आवश्यकता बतायी गयी इन संस्थाओं के द्वारा, उसके बाद में फिर यह काम तत्कालीन सरकार के द्वारा पीडीकोर को दे दिया गया। उन्होंने यह बताया कि 2007 में इसको उपयुक्त माना, बी.आर.टी.एस. को बनाना उपयुक्त माना जिसके अन्तर्गत 138 किलोमीटर की लम्बाई में mass traffic transport system का मास्टर प्लान तैयार किया गया। 46 किलोमीटर की लम्बाई में बस पर आधारित यातायात व्यवस्था का प्रस्ताव जे.एन.एन.यू.आर.एम., जो कि तत्कालीन योजना थी, उसके तहत में भारत सरकार को भेजा गया और भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत पैसा, राज्य सरकार के द्वारा 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत जेडीए के द्वारा इस पर खर्च किया गया। सवाल यह आता है, आपने कहा कि ये सब योजनाएं, मेट्रो, वगैरह-वगैरह जो हैं, ये होनी थीं। उस वक्त तक तो मेट्रो नहीं थी, मेट्रो तो बाद में आयी है। मेट्रो तो 2011 में आयी है। बीआरटीएस के बाबत निश्चित तौर पर हमने भी माना है कि जिस कारण से यह बनायी गयी थी, जिस आधार को लेकर यह बनायी गयी थी, वह आधार पूरा नहीं हुआ। लोगों की आशा के अनुसार बीआरटीएस का फायदा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। बीआरटीएस की डी.पी.आर. जो 2008 में बनी थी, उसमें हमने चैंजेज किये थे और उनके जो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

चार पैकेज थे, उनमें से दो पैकेज पर तो हमने काम किया, लेकिन दो पैकेज हटा कर अजमेर रोड और दुर्गापुरा रोड पर एलिवेटेड रोड की पुलिया बनायी। उसकी यूटिलिटी है। सवाल यह आता है और कई बार यह बात उठती है कि बीआरटीएस को हटाओ। केन्द्र सरकार के कई अधिकारियों के साथ हमारी दो-दो बैठकें हुईं। उन्होंने दोनों बैठकों में यह और जिद की कि अभी तो आपका बाकी है। अभी तो आपने दो पैकेज सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड वाले पूरे किये हैं, अभी दो पैकेज और बाकी हैं। हमने उनसे साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे इसको। हम किसी भी हालत में बीआरटीएस को आगे नहीं ले जाना चाहते और इसको हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए जब हमने कहा तो उन्होंने यह कहा कि आपको मय ब्याज पैसा चुकाना पड़ेगा हमारा, केन्द्र सरकार का। यही नहीं, इसके आगे वाली जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं जो होती हैं, उनमें भी आपको दिक्कत आयेगी। इस वजह से यह बीआरटीएस नहीं हटायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब नहीं। स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न। संदीप कुमार।

तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में दूषित जल

316. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तिजारा के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी (साहडोद, सांथलका), चौपानकी, गाडपुर एवं खुशखेड़ा में कंपनियों द्वारा छोड़े जा रहे गंदे पानी के कारण दूषित जल भराव का निस्तारण कर संबंधित कंपनियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? अब तक उक्त के लिए करवाए गए कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): जी हां। सरकार विधान सभा क्षेत्र तिजारा के अधीन औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी (साहडोद, सांथलका), चौपानकी, गाडपुर एवं खुशखेड़ा में कम्पनियों द्वारा छोड़े जा रहे गंदे पानी के कारण दूषित जल भराव का निस्तारण कर सम्बन्धित कम्पनियों पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या 3 पर लिखा हुआ है कि 146 करोड़ की राशि आबंटित कर दी गयी है और उसके आदेश जारी हो गये हैं। यह राशि करीब ढाई साल पहले जारी हो गयी थी और उसके बाद टेंडर भी हो गया, लेकिन इसमें अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा? 18 महीने का इसमें समय दिया है। राशि को जारी हुए करीब ढाई साल हो गये। दूसरा प्रश्न मेरा यह है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया। एक प्रश्न का उत्तर आने दें। माननीय मंत्री जी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि संलग्न सूची के क्रम संख्या 3 पर बताया है कि 146 करोड़ रुपये की राशि रीको को ट्रांसफर कर दी गयी है और काम रीको को करवाना है। 20.10.2021 को कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है और 18 माह में कार्य पूरा करने की इसमें शर्त है। तो 18 माह में कार्य पूरा हो जायेगा। 20.10.2021 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 4 में है, कहरानी, चौपानकी, पथरेड़ी से निकलने वाले ओद्योगिक उपचार हेतु साहडोद में संयंत्र प्रस्तावित है। यह गम्भीर विषय है, किसानों की जमीन पानी से भरी हुई है लगातार। सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पिछली बार भी सदन में मुझे यही जवाब मिला था कि जल्दी कार्यवाही हो जायेगी। साहडोद में भी किसानों की काफी जमीनें पानी से भरी हुई हैं गांव में भी फैक्ट्रियों का पानी भरा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कब तक स्टार्ट हो जायेगा? पिछली बार भी मुझे यही जवाब मिला था कि जल्दी हो जायेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में उच्छिष्ठ उपचार के लिए संयंत्र प्रस्तावित है। मैसर्स कहरानी ग्रीन ट्रीटर्स के नाम से एसपीवी बनाई जा चुकी है और रीको द्वारा जमीन का आबंटन भी किया जा चुका है। उक्त संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु एसपीवी द्वारा सलाहकार का चयन भी कर लिया गया है एवं डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही की जा रही है तो जल्दी ही डी.पी.आर. बनाकर इसको जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न संख्या 317

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रताप लाल भील।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री खुशवीरसिंह।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की इकाइयां

318. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कितनी इकाइयां हैं तथा उक्त में से कितनी संचालित व कितनी बंद हैं? बंद इकाइयों के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाइयों में से कौन-कौनसी इकाइयां लाभ व हानि में चल रही हैं? इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त इकाइयों को सुचारु रूप से संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रदेश में कुल 74 इकाइयां हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

उक्त में से 34 संचालित एवं 40 इकाइयां बंद हैं। संचालित इकाइयों का विवरण परिशिष्ट-ब एवं बंद इकाइयों का विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

निजी क्षेत्र की होटलों की संख्या में वृद्धि एवं निगम की इकाइयों का समय की मांग अनुसार अपग्रेडेशन नहीं होने से इकाइयां हानि में रहने के कारण बंद की गईं।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की इकाइयों का लाभ-हानि सम्बन्धी इकाईवार विवरण परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की बंद पड़ी इकाइयों को सुचारु रूप से संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार करने के लिए पीडीकोर लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया है।

रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, पीडीकोर लिमिटेड की समय सीमा क्या है, कब तक रिपोर्ट आ जायेगी और इस पर कितनी राशि व्यय होगी?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, निगम बहुत घाटे में चल रहा था इसलिए पीडीकोर को हमने कहा कि इसमें सलाह उपलब्ध करायें। इनको तीन माह का हमने टाइम दिया है। तीन माह के बाद जब रिपोर्ट आ जायेगी, उस पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

अकालग्रस्त क्षेत्रों हेतु केन्द्र से प्राप्त धनराशि

319. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किस-किस जिले में अकाल रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को विशेष दर्जा देने एवं विशेष आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि की मांग की एवं केन्द्र सरकार द्वारा किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार से अकाल के लिए प्राप्त धनराशि पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अकाल की गम्भीर स्थिति से निपटने के क्या-क्या प्रावधान किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) वर्ष 2021 में खरीफ फसल में निम्नलिखित जिलों में सूखे से फसल खराबा हुआ है। जिलेवार फसल खराबे का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	फसल खराबे का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत या इससे अधिक (हैक्टेयर में)
1.	बाड़मेर	1120323
2.	बीकानेर	196428

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**फसल खराबे का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत या इससे अधिक (हैक्टेयर में)**
3.	चूरू	25970
4.	डूंगरपुर	20939
5.	जालौर	505396
6.	जैसलमेर	491459
7.	जोधपुर	400701
8.	पाली	284668
9.	सिरोही	63171
10.	नागौर	12359
	योग	**3121414**

(2) राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान करने एवं अन्य राहत गतिविधियों यथा पशु शिविर, चारा डिपो, पेयजल परिवहन के संचालन हेतु अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार को ज्ञापन भिजवाया गया है। ज्ञापन में मांग की गयी राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

भारत सरकार से अब तक ज्ञापन के विरुद्ध कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(3) केन्द्र सरकार को प्रेषित सूखे के ज्ञापन वर्ष 2021 के विरुद्ध कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। राज्य आपदा मोचन निधि की उपलब्ध राशि में से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर एवं चारा डिपो संचालन के लिए विभाग द्वारा दिनांक 10.01.2022 को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। पेयजल परिवहन के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने चारा डिपो और पशु शिविर चालू हो गये हैं? यदि नहीं हुए हैं तो कब तक हो जायेंगे? दूसरा, किसानों का कृषि आदान अनुदान भुगतान जो बाकी है, वह कब तक किया जा सकेगा? तीसरा, पेयजल का परिवहन अकाल भयंकर है, पीने का पानी नहीं है, इसको कब तक चालू आप कर लेंगे? यदि कर दिया है तो अभी कितने टैंकर चल रहे हैं?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 जिलों में 6,122 गांवों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। प्रभावित कृषकों में से 1 लाख 84 हजार 682 कृषकों हेतु 175 करोड़ रुपये का कृषि अनुदान भुगतान वितरण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी है। वर्तमान में 70.58 लाख किसानों को भुगतान किया जाना शेष है, जिसके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बाड़मेर जिले में सूखे से कुल 16 तहसीलों में से खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिले में 2 हजार 759 गांवों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है तथा 5.40 लाख कृषक प्रभावित हुए हैं। बाड़मेर में 2 लाख 81 हजार 459 किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु 283.53 करोड़ रुपये का आबंटन कर दिया गया है और जो चारा डिपो की और पशु संचालन की बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य को मैं इसकी जानकारी लेकर इनको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

320. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उपखण्ड, थानागाजी में कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति अलवर के अधीन उपखण्ड थानागाजी के क्षेत्र से गत 3 वर्षों में प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**वार्षिक आय (रुपये में)**
2018-19	23,550
2019-20	10,754
2020-21	3,427

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

राज्य सरकार द्वारा नवीन मण्डी गठन हेतु आदेश दिनांक 20.03.2012 द्वारा 40 लाख रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। आदेश दिनांक 20.03.2012 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त मानदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उपखण्ड थानागाजी में कृषि उपज मण्डी खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीराराम।

बिलाड़ा में मुख्यमंत्री सम्बल योजना के लाभार्थी

321. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता प्राप्ति हेतु कुल कितने आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना की शर्तों के अनुसार 01 जनवरी, 2021 से भत्ता लेने वाले युवाओं को सरकारी आफिस या आरएसएलडीसी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो परिवर्तित शर्तों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कितने पात्र बेरोजगारों को उक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2021 से जनवरी, 2022 तक कुल कितने बेरोजगारों को उक्त योजना में बेरोजगारी भत्ता दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक जांच के उपरान्त सही पाये गये कुल 1,091 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं तथा जांच हेतु कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(2) जी नहीं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2021 से भत्ता लेने हेतु पात्र युवाओं को सरकारी आफिस या आर.एस.एल.डी.सी. के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करना

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

अनिवार्य नहीं किया गया, अपितु संशोधित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अनुसार 01 जनवरी, 2022 से योजना के पात्र बेरोजगार युवाओं को आर.एस.एल.डी.सी. के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं से न्यूनतम तीन माह का कौशल प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेटधारी बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त दोनों परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन चार घंटे की सेवाएं प्रदान कर इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। योजनान्तर्गत बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जनवरी, 2021 से जनवरी, 2022 तक कुल 1,364 पात्र बेरोजगारों को मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में बेरोजगारी भत्ता दिया गया है।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि 191 आवेदन, जो लम्बित हैं, यह आवेदन कब तक स्वीकृत हो जाएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, 191 आवेदन जो बिलाड़ा के लम्बित हैं, यह एक प्रोसेस है कि जैसे-जैसे आवेदकों का नाम या तो किसी का दो साल पूरा हो जाता है या किसी का रोजगार लग जाता है या कोई ओवर-एज हो जाता है। जैसे-जैसे उनका नाम हटता रहता है और कड़ी में जो अगले आवेदन लगे हुए हैं, वह अपने आप अप-लोड होते रहते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह होता रहेगा। जब उनका नम्बर आएगा, इस प्रायोरिटी के तहत वह अपने आप अप-लोड हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

पावटा (विराटनगर) में महाविद्यालय की स्थापना

322. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में प्रदेश में कहां-कहां पर नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के पावटा में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) विगत तीन वर्षों में प्रदेश में खोले गये राजकीय महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। बजट वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के पावटा (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गयी है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: आपका अब क्या प्रश्न बचा है?

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न हो गया। जवाब आ गया, अब क्या बचा है?

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि महाविद्यालय कब तक संचालित हो जाएंगे और इसमें कौन-कौनसी फैकल्टी चालू की जाएगी?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): इसी सत्र में इसको शुरू कर दिया जाएगा और फैकल्टी, जो आप कहोगे, वैसी खोल देंगे। और बताओ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जवाब चेयर की तरफ देखकर दें, यह गलत परम्परा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि चेयर को एड्रेस करें। आप माननीय सदस्य को एड्रेस कर रहे हैं तो फिर यह सैंक्टिटी खतम हो जाएगी। प्लीज, सभी माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप कभी जवाब देते हैं तो Please address to the Chair, not to the member. धन्यवाद। बैठें, अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता

323. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत सिलिकोसिस पीड़ितों के कल्याण हेतु सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर, 2018 से अब तक कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर, 2018 से अब तक कुल कितने सिलिकोसिस रोग से ग्रसित रोगियों एवं उनके आश्रितों को लाभान्वित किया गया? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना वर्ष 2015 में अधिसूचित की गई थी। राज्य सरकार की वर्ष 2019 में सिलिकोसिस नीति के प्रभाव में आने के उपरान्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है एवं राज्य के समस्त सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता राशि का भुगतान एकीकृत पोर्टल से केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अनुसार निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सम्बन्ध में निदेशालय, विशेष योग्यजन के कार्यालय से प्राप्त पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) निदेशालय विशेष योग्यजन के कार्यालय से प्राप्त पंचायत समितिवार सूचना में सिलिकोसिस से ग्रसित एवं उनके आश्रितों को दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): अब तक कितने आवेदन आपके पास आये हैं? यह बताने की कृपा करें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे शेरगढ़ में बालेश्वर में 52, शेरगढ़ में 44, शेखाना में 18, इनके विधान सभा क्षेत्र में 114 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 50 का निस्तारण कर दिया और 6 की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को सहायता दी गयी और 21 नोडल अधिकारी के पास लम्बित थे, वे प्रक्रियाधीन हैं और 6 आर्डर जनरेट हो गये, 9 निरस्त कर दिये गये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 114 प्रकरण आपको प्राप्त हुए और प्रकरण में पीड़ितों को सहायता दी गयी, वह 50 है। यह आपका उत्तर है। जब

(श्री अध्यक्ष)

50 को आपने स्वीकृत की, तो बाकी जो प्रकरण हैं, उनको रिजेक्ट करने के क्या कारण हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): रिजेक्ट नहीं हैं साहब, 6 प्रकरण में तो, जिनमें मृत्यु ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 114 प्रकरण, कुल आपके 114 प्रकरण हैं, ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): 6 मिलाकर 56 हो गये और पीछे 21 नोडल अधिकारी के पास लम्बित हैं, 28 में आर्डर जनरेटेड हैं और 6 नव निरस्त किये हैं।

श्री अध्यक्ष: इस प्रक्रिया में एप्लीकेशन और डिस्बर्समेंट में कितना समय लगता है? सिलिकोसिस का कोई बीमार आपको एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन को प्रोसेस करके उसको वित्तीय सहायता कितने दिन में मिली?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): यह 2015 को लागू की गयी थी, 2019 तक तो हमारे श्रम विभाग के पास था। अब इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। विशेष योग्यजन है, वह उनका नोडल अधिकारी है। हमारे पास तो अभी इतनी ही जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैंने यह नहीं पूछा। मैंने पूछा है कि कोई जो पीड़ित है, जो आपको एप्लीकेशन देता है, फिर आप उसकी वित्तीय स्वीकृति करते हैं, उसको वह वित्तीय स्वीकृति डिस्बर्स कब हो जाती है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): हिताधिकारी द्वारा पूर्ति होने पर कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या प्रोसेस है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सिलिकोसिस लेबर डिपार्टमेंट में और खनन विभाग में, दो अलग-अलग डिपार्टमेंटों में था, लेकिन पहली बार सिलिकोसिस की नीति माननीय मुख्य मंत्री जी लेकर आये हैं और इसके बाद इसका नोडल विभाग समाज कल्याण को बना दिया गया है। इसके अन्दर सीधा एप्लाई आप ई-मित्र पर कर सकते हैं और उसके बाद डाक्टर की जो टीम है, हर हास्पिटल के अन्दर इसका पैनल बना हुआ है, वहां पर सिलिकोसिस की जांच होती है, उसमें पोजिटिव आने पर उसके अकाउंट में सीधे ही तीन लाख रुपये हम डाल

(श्री टीकाराम जूली)

देते हैं और उसको पालनहार, पेंशन और जितनी भी स्कीमें हैं, उन सबका लाभ भी आटोमैटिक देते हैं। अगर किसी की डैथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपये और देते हैं और अगर सिलिकोसिस की पहचान हो चुकी थी और उसने एप्लाई नहीं किया और बाद में एप्लाई करता है तो फिर 5 लाख रुपये का भुगतान उसको हम करते हैं।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न में 114 एप्लीकेंट थे, 50 को मिली है, बाकी जो एप्लीकेंट हैं, उनके बारे में क्या स्थिति है? कुछ बता पाएंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मात्र 6 जो लोग हैं उनके निरस्त हुए हैं, बाकी सब लोगों को पैसे मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष: कितने दिन में? मेरा प्रश्न पहले उनसे भी था। एप्लीकेशन और डिस्बर्समेंट के बीच में कितना गैप है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कोई गैप नहीं है। अब गैप नहीं लगता है। कोई भी गैप नहीं है। आप एप्लाई करेंगे तो एप्लाई करते ही आटोमैटिक पैसा उसके अन्दर चला जाता है। कोई गैप नहीं है। मात्र मैं समझता हूं इसकी जो प्रक्रिया है, वह मैक्सिमम 15 दिन की होगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

प्रश्न काल में अधिक प्रश्न लेने के उद्देश्य से, (i) प्रश्न के उत्तर सुसंगत हों, (ii) विवरण सदन पटल पर रखे जायें एवं (iii) पूरक प्रश्न, प्रश्न के अनुरूप हों।

मुझे माननीय सदस्यों और मंत्रियों को दो बात निवेदन करनी हैं। मुझे कुछ कठिन बात कहनी पड़ती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न जो पूछें उसी के रिलेवेंट सप्लीमेंट्री पूछें। अदरवाइज आपको दूसरा प्रश्न, लिखित देने का अधिकार है, लेकिन हम प्रश्न के स्कोप से बाहर जाकर करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो ज्यादा प्रश्न आने हैं, वह प्रश्न नहीं आते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आयें और लोकतंत्र में जितने ज्यादा क्वेश्चन आयेंगे, उतना ही सरकारी अधिकारी को जनता के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसलिए मुझे कोई कठिन निर्णय करना पड़े तो आप सबसे सहयोग चाहिये। आप कम से कम रिलेवेंट क्वेश्चन पूछें।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मैं क्वेश्चन का जो आंसर देख रहा हूं, वह आप बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं दे रहे हैं। आप जो विवरण दे रहे हैं तो वह सदन के पटल पर रख दें। उसको बोलने में चाहे समय निकलता है तो वह भी समय हम बचा सकते हैं, ज्यादा प्रश्नों को लेने के लिये।

मेरी आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आयें जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता को रिलीफ मिले। मंत्री महोदय भी पिन-पाइंट जवाब दें जिससे जनता को रिलीफ मिल सके क्योंकि प्रश्न काल में नीतिगत प्रश्न नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सबके सहयोग से हम ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सकें। उसमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नियम और कानून के अन्तर्गत करें तो मुझे अनप्लेजेंट ड्यूटी करने से जितना रोकेंगे, उतना अच्छा रहेगा। यह मेरी आप सबसे प्रार्थना है।

घोषणा

सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने दिनांक 11 मार्च, 2022 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से 15वीं राजस्थान विधान सभा की अवधि में निम्नांकित विधायकों को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है:-

(1) श्री बाबुलाल (झाड़ोल)

(2) श्रीमती मंजु देवी

इस बार हमने 2 को दिया है। मैं सदन की तरफ से दोनों माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इन माननीय सदस्यों की जो विशेषता है, उसको आप नोटिस करेंगे और उस तरह का व्यवहार करने की

(श्री अध्यक्ष)

कोशिश करेंगे। दोनों माननीय सदस्यों की सदन में उपस्थिति, डिसीप्लीन क्वेश्चन पूछने के बारे में और इनकी वरिष्ठता, इसको ध्यान में रखकर हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है।

मैं आशा करूंगा कि इस बार 2 दिये हैं तो अगली बार 3 या 4 आदमी इसके लिए क्वालिफाई कर सकें तो सदन की ज्यादा गरिमा बढ़ेगी। ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं एक बार पुन: आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से दोनों विधायकों को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में बेमौसम भारी बारिश, अतिवृष्टि एवं तेज आंधी से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग द्वारा वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों को लेकर किये जा रहे धरना-प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा पात्रता नहीं होते हुए एनीमल हस्बेन्ड्री डिप्लोमा कोर्स करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करतारपुरा स्थित महेश नगर थाना इलाके से 3 फरवरी, 2022 को दो सगी नाबालिग बहनों के लापता हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से महाविद्यालयों में यू.जी.सी. के नियमानुसार 'विद्या संबल' योजना के तहत नियुक्त सहायक आचार्यों को संविदा नियुक्ति नियमावली में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में बीकानेर-रतनगढ़ रेलमार्ग के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले मार्गों पर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्रीमती अनिता भदेल, श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्यों की ओर से कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों/नीतियों की पालना न करते हुए एससी/एसटी कार्मिकों को पदोन्नति से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू पर्वत पर वन्य जीव अभयारण्य आबू के वन्य जीवों तथा वन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में 'मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना' में चयनित छात्राओं को सहायता राशि/छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में ज्वैलरी कार्य करने वाले व्यापारियों की दुकानों पर हो रहे हमले व लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से RSRDC के द्वारा 15 वर्ष पूर्व बनायी गयी 90 किलोमीटर सड़क व डिवाइडर टूटे होने के बावजूद सिंहपुर टोल नाके के पास एक और अवैध टोल बूथ लगाकर वसूली किये जाने से स्थानीय निवासियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के आंगनबाड़ी केन्द्रों को भवन सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ तथा 29 अन्य सदस्यों की ओर से मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2022-23 के पैरा संख्या 72.0 के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ के स्वीकृत किये गये सड़कों के कार्य के सम्बन्ध में बनायी गयी कमेटी में विधायकों को सदस्य नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रत्येक राजकीय पशु चिकित्सा इकाई में चिकित्सकों एवं पशु चिकित्सा सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में बहने वाली बनास नदी के क्षतिग्रस्त एनिकट व एनिकट कम काजवे की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर निगम कोटा दक्षिण में निर्माणाधीन सड़क, नाली, पटान सम्बन्धी कार्यों को अचानक बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश के पशुपालकों को अन्य प्रदेशों में पशु चराई हेतु जाने पर उनको सुरक्षा व संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले दम्पत्ति को भारत रत्न प्रदान किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाने सहित 10 सूत्री मांगों की क्रियान्विति किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल (बांसवाड़ा) में शिक्षाकर्मियों/विद्यालय के रसोई कार्मिकों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से ग्राम शहनावदा (इटावा) जिला कोटा एवं उसके आसपास की वन भूमि के अंकन को जनहित में रिकार्ड में दुरुस्त किया जाकर आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में फसल खराबे के कारण किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर, जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क के अन्तर्गत बाड़मेर की तहसील गडरा रोड के ग्राम सुंधरा के पास डेजर्ट नेशनल पार्क में भारत माला सड़क का काम रुकवा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा एक ही स्थान पर लम्बे समय से रहने के कारण पद का दुरुपयोग व अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से बिजली विभाग में फर्जी बिल बनाकर भुगतान उठाये जाने के प्रकरण की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सूरसागर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सूरसागर से आती हूं, वहां प्राय: सभी आंगनबाड़ी केन्द्र भूमि एवं भवन रहित हैं। बहुत ही दुर्दशा की हालत में बस नाममात्र के हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों का लाभ आज के जमाने में कौन लेता है? वहीं लेंगे जो दरिद्र श्रेणी के लोग होंगे। ऐसे दरिद्र नारायण

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

परिवारों की माताओं और बच्चों को पोषण के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं लेकिन यह केन्द्र बिना जमीन, बिना भवन के किराये की झौपड़ियों में, कोठरियों में चल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, मैं जहां कहीं भी देखने गयी हूं तो क्या बता रहे हैं कि 4 बच्चे हैं और वह भी बाहर ही खेल रहे हैं। वह जो महिला थी वह आटा गूंथती-गूंथती आयी। लोहे का एक बाक्स खोलकर के रजिस्टर से मुझे बताया कि इसके अन्दर यह-यह नाम हैं। इस तरह के आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। जब सरकार इन पर लाखों रुपये खर्च करती है, इतना बजट देती है, फिर भी इन आंगनबाड़ी की यह हालत है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में करीब-करीब 125 से अधिक कच्ची बस्तियां हैं। अनुसूचित जाति की, भील बस्तियां, अनुसूचित जनजाति की अनेक बस्तियां हैं। कमजोर एवं वंचित वर्ग के अनेक परिवार यहां निवास करते हैं। इन परिवारों की माताओं और बच्चों के लिए सही नहीं मिल पा रहा है। यह सिर्फ नाममात्र के ही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के जो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उनके लिए भूमि जरूर होनी चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जगह होनी चाहिए। उनके लिए कोई भी जगह नहीं है, ऐसे ही आंगनबाड़ी चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भूमि, भवन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर अविलम्ब विचार किये जाने का निवेदन करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत अच्छा लगा, सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में 'नन्दघर' बनाने की घोषणा की है। नन्दघर बनायेंगे लेकिन जमीन होगी तब ही तो बनायेंगे, कहां बनायेंगे और कब बनायेंगे, इसकी भी बात करें ताकि ये मध्यम श्रेणी के बच्चे इस तरीके से परेशान न हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता कोई घोषणा करते हैं तो उसकी पालना चाहे इधर वाले हों या उधर वाले हों, सब करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सदन के नेता ने अपने बजट में यह घोषणा की कि पुलिस चौकियां बननी चाहिए और पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके स्थगन प्रस्ताव में नहीं है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कभी बोलती नहीं हूं। मैं मेरी बात यह थोड़ी-सी इसके साथ ही कह दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता की कोई बुराई नहीं कर रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है मगर वो जैसे ही कहते हैं हम उसकी पालना करते हैं, हमारे कोई द्वेषभाव नहीं है। हम एक ही बात को मानते हैं कि जब अच्छी बात होती है, हमारे बड़े-बड़े नेता यह बात कहते हैं कि कोई अच्छी बात करता है तो आपको कहना चाहिए। उन्होंने जब नन्दघर बनाने की बात की है तो जमीन होगी तभी तो बनायेंगे, कहां बनायेंगे, कैसे बनायेंगे, इसकी भी हमें वो सारी जानकारी दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी के लिए आप लाखों रुपये खर्च करते हैं, उसका मैं सही बता रही हूं कि कोई यूज नहीं होता है। मैं हर जगह जाती रहती हूं।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात मान ली, धन्यवाद। आपकी बात हो गयी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई काम नहीं है, यही काम है कि पब्लिक में जाना और देखना। मैं चाहती हूं कि आंगनबाड़ी को सुधारने की आप जरूर व्यवस्था करें। मैं आपसे इतना ही चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सदन के नेता की कोई अच्छी बात, अच्छी घोषणा होगी तो हमारी पार्टी में ऐसा कोई विचार ही नहीं है, अच्छी घोषणा होती है तो उसका जरूर स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

बजट घोषणानुसार सड़क कार्य सम्बन्धी समिति में विधायकों को सदस्य नहीं बनाया जाना

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं सोचता हूं कि या तो मेरे समझने में अन्तर है या आपके काम करने में अन्तर है, दोनों में कहीं न कहीं अन्तर लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका 2021-22 का बजट है। इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 135वें पैरे पर कहा है, माननीय सदस्यों के माध्यम से सड़कों के रिपेयर, स्ट्रेंथनिंग, अपग्रेडेशन एवं निर्माण से सम्बन्धित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अत इनको ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में एक हजार करोड़ रुपये की राशि से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये लागत के नॉन पेचेबल या मिसिंग लिंक, ये दोनों हमको दी थी और इसमें हम लोगों ने अपने-अपने प्रस्ताव देकर विभाग को अवगत कराया और विभाग ने उस पर आगे की कार्यवाही की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो 2022-23 का बजट है उसकी भाषा मैं पढ़ रहा हूं। 'प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आगामी वर्ष में इस राशि को बढ़ाते हुए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ रुपये नॉन-पेचेबल/क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए तथा 3 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाये जायेंगे।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई करते समय उन्होंने इन दोनों को मिलाकर, दोनों कामों के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये लेकिन हमने अभी एक आदेश पढ़ा है, वो आदेश है 10 तारीख का, प्रमुख शासन सचिव द्वारा एक आदेश निकाला गया है, जिसमें बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार नॉन-पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कों के चयन हेतु कमेटी गठित की गयी है। इसमें इन्होने लिखा है कि ''बजट घोषणा 2022-23 के पैरा संख्या 720 के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में राशि रुपये 10 करोड़ की नॉन-पेचेबल और मिसिंग लिंक कार्यों को स्वीकृत किया जाना है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार सड़कों के चयन हेतु नियमानुसार कमेटी का गठन किया गया है।'' सम्बन्धित जिला कलेक्टर, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जिला कलेक्टर कितने समय के लिए होता है, वो तो गांवों के नाम भी नहीं जानता है तो पेचेबल सड़क कौनसी बनेगी और कौनसी नहीं बनेगी, वो कोई भगवान का अवतार तो है नहीं कि उसके कारण से उसको अधिकार दे रहे हो। हम जो जन-प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुनकर आते हैं और रोज अपने क्षेत्र में घूमते हैं, हमारा प्रस्ताव तो क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि हैं इसलिए इन राजकीय नौकरों से हमारी जो रीडिंग है या निर्णय है वो शायद ठीक नहीं होगा, पक्षपातपूर्ण होगा या अपने फायदे के लिए होगा। हम केवल प्रोसेस करते हैं कि हमारी ये सड़कें बनायी जायें, बाकी सारा काम तो विभाग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ही करता है। उसका एस्टीमेट भी वही बनाता है, उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी वही देता है, काम भी वही कराता है, हमारा उसमें कोई लेना-देना नहीं है। उसमें आपने तीन लोगों की कमेटी बना दी, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता और कलेक्टर, इन तीन लोगों की कमेटी बना दी। अब आपने ये जो दस करोड़ रुपया दिया उस पर ये लोग निर्णय करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि सभी एमएलए चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आपके इस आदेश से वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते हैं कि हम जन-प्रतिनिधि इतने गये-बीते हो गये हैं, हमारे प्रस्ताव तो बायस्ड प्रस्ताव होंगे और ये राजा हरिश्चन्द्र की सन्तान होने के कारण से हण्डरेड परसेंट सही होंगे और हम जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, इसका मतलब हमारा थर्मामीटर ठीक तरह से नहीं नपा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आसन ही हमारी सुरक्षा करेगा और आसन ही इसके बारे में हमारी मदद करेगा जिससे हम जन-प्रतिनिधियों का सम्मान कायम रहे और इन अधिकारियों के हाथों हमारा अपमान न हो, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता की भावना को आगे बढ़ाते हुए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब माननीय मंत्री जी इस बार बजट रख रहे थे और पैरा 72 पढ़ रहे थे जिसका जिक्र करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गत वर्ष में जो 5 करोड़ रुपये की सड़कें थीं उनको बढ़ाकर मैं 10 करोड़ रुपये कर रहा हूं। मेरी तरफ मुख्य मंत्री जी ने देखा और देखकर बोले कि बजाओ ताली। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सबकी तरफ देख रहा था तो एकाएक मैंने देखा कि पूरा सदन तालियों से गूंज उठा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्ल्यू बुक जारी हुई है, प्रोटोकॉल में हम चीफ सेक्रेटरी से ऊपर हैं चुने हुए विधायक पर आज इस निर्णय को जब देखते हैं, नौकरशाह का निर्णय, नौकरशाह ने निर्णय करके यह जो पत्र जारी किया, राजेश यादवजी ने, 9 तारीख को दस्तखत करते हैं, 10 तारीख को पत्र डिस्पेच करते हैं, मैं समझता हूं कि आईए.एस. एक बार कोई परीक्षा देता है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और हम पांच साल में एक बार परीक्षा देते हैं और हमारी परीक्षा लेने वाले कम से कम ढ़ाई लाख लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अपमान है। इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जी-19 के सब लोग भी शामिल हैं। इसमें सत्तारूढ़ दल के जी-19 के सब लोग भी शामिल हैं, वो लोग भी कह रहे थे कि हमारा भी अपमान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब यह जो कमेटी बनी है उसमें जन-प्रतिनिधि शामिल न किये जायेंगे। पिछली बार जन-प्रतिनिधि से पूछा गया था, तब भी बहुतों से नहीं पूछा गया था इसलिए आपसे बड़ा डेमोक्रेट इस हिन्दुस्तान में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आपके आसन पर विराजे हुए, जो उस जनतंत्र को बनाता है, उस जनतंत्र को जिसे जन बनाता है, वो जन तो बेकार हो गया और ये तंत्र बनाने वाले आई.ए.एस. लोग बड़े हो गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा करें, हम आपसे संरक्षण मांगने के लिए सब लोग आये हैं। आप देखें, आज सबके चेहरे किस प्रकार हैं? आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, आप सरकार को निर्देश दें कि उसमें तुरन्त एम.एल.ए. को शामिल करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपने जिस बिन्दु को उठाया है, मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य हैं उन माननीय सदस्यों की रिकमंडेशन लेकर, आपके वो कमेटी अलग टेक्निकल चीजों को देख रही है, रिकमंडेशन के लिए आप जो सब सीटिंग एम.एल.ए. हैं, जो अपोजिशिन के एम.एल.ए. भी हैं, इन सभी 200 एम.एल.ए. की रिकमंडेशन लेकर इन सड़कों के काम को सम्पादित करने का काम करें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

श्री जगसी राम।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रेवदर में पशु चिकित्सकों एवं पशु चिकित्सा सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

श्री जगसी राम (रेवदर): महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि रेवदर विधान सभा के ग्रामीण एवं कस्बाई लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं पशुपालन है। प्रत्येक गांवढाणी में दुधारू एवं गैर दुधारू पशुओं की बड़ी संख्या है।

(श्री जगसी राम)

पशुओं के इलाज-उपचार हेतु सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 32 पशु चिकित्सा इकाइयां खोली हुई हैं लेकिन इन 32 इकाइयों में से अधिकांश राजकीय पशु चिकित्सा इकाइयों में ताला लगा हुआ है। राजकीय चिकित्सालय दांतराई, निम्बज, रायपुर, सिरोड़ी व जिला चल पशु चिकित्सा इकाई में तथा गुलाबगंज, उड़वारिया, नागाणी, लूणोल, दौलपुरा, मकावल, मारौल, भैरूगढ़ बड़ेची, वरमाण, सोनेला, गुन्दवाडा, सुलीवा, पीथापुरा एवं धाण स्थित पशु चिकित्सा सब-सेंटर्स में स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं के अभाव में पिछले कई महीनों से पशुओं का इलाज-उपचार नहीं हो रहा है।

इसके साथ ही मण्डार, रेवदर, अनादरा की सरकारी पशु चिकित्सा इकाइयों में विभिन्न पद रिक्त होने से चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। सरकार से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये आग्रह है कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र की उक्त प्रत्येक राजकीय पशु चिकित्सा इकाई में चिकित्सकों, पशु चिकित्सा सहायकों के स्वीकृतशुदा रिक्त पदों को भरने, आवश्यक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हुए चिकित्सा इकाइयों का सुचारु संचालन करवाकर क्षेत्र के हजारों पशुपालकों को राहत प्रदान कराएं।

(समय: 12.20 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जीरो आवर चल रहा है। लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। आप जरा आफिसर्स गैलेरी को देखें। कम से कम जीरो आवर में तो इन्हें रहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सड़कें मांग रहे थे, 2014 वाला आपकी सरकार का आर्डर पढ़ लें थोड़ा-सा। आपने कहते हुए थोड़ा-बहुत भी दिमाग नहीं लगाया कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं। आप 2014 का आर्डर पढ़ें। आपने हमारे साथ क्या किया था? आपको शर्म भी नहीं आती है यह कहते हुए, इस तरह की डिमांड करते हुए? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने 2014 में क्या किया था हमारे साथ? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक हैंडपम्प नहीं दिया था हमें। सड़क छोड़ दीजिये, एक हैंडपम्प नहीं दिया था आप लोगों ने। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं? किस बात की डिमांड कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये प्लीज। बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो जो हमने किया, वही करेंगे आप? फिर आ जाना इधर, फिर आ जाना इधर, फिर इधर आ जाना। इधर आने की तैयारी है न। इधर आ जाओ फिर। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी तरह हम मिनी बस की सवारी नहीं थे। हम 22 नहीं हैं, 73 नौजवान बैठे हैं। (व्यवधान) एक मिनट में नाकों चने चबवा देंगे, 73 लोग बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): घमण्ड तो रावण का भी नहीं चला। आपका घमण्ड भी नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): हमें घमण्ड नहीं है, घमण्ड तो आपको है। आप सत्ता में चूर हैं, ठीक है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्ति बनाये रखें। माननीय सदस्य, बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मदहोशी में मत रहो। (व्यवधान) इतना घमण्ड करना ठीक नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप जो कुछ बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री सभापति: जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा। कृपया बैठें। माननीय मंत्री महोदय, बैठिये। बैठिये, बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय, प्लीज बैठिये। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। बैठिये आप। 295 के बारे में सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो कुछ उन्होंने 295 में लिखकर दिया है, वही पढ़ना है। कल माननीय सदस्य आक्या जी ने जो कुछ लिखकर दिया था, उससे कुछ ज्यादा बोल गये थे। माननीय अध्यक्षीय व्यवस्था के अनुसार जो आपने लिखा हुआ पढ़ा, वहां तक तो अंकित हो रहा है, बाकी अंकित नहीं होगा। यह माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया है, इसलिये आप सभी से निवेदन है, 295 में वही बोलिये, जो आपने लिखकर दिया है।

(श्री सभापति)

श्री नारायण सिंह देवल।

कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 1986 के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, निवेदन है कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए इस वित्तीय वर्ष से अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन कृषि और किसान कल्याण के लिए चलित राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर अमलीजामा पहनाने वाले कृषि विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी कृषि पर्यवेक्षकों की लम्बित मांगों पर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, देखिये यह क्या हो रहा है।

श्री सभापति: कृपया सभी अपनी-अपनी जगहों पर बैठें। शान्ति बनाये रखें, प्लीज।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): जबकि ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार पटवारी फील्ड वर्क का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृषि पर्यवेक्षक भी फील्ड वर्क का कार्य करते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। सभी से निवेदन है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। प्लीज, व्यवस्था बनाये रखें। व्यवस्था बनाये रखें और माननीय सदस्य जो पढ़ रहे हैं 295, उन्हें ध्यान से सुनें। पढ़िये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): पटवारियों को इसके लिए विशेष भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, स्टेशनरी भत्ता सहित कई प्रकार के भत्ते देय हैं, लेकिन कृषि पर्यवेक्षकों को ये भत्ते देय नहीं हैं। वेतन विसंगति दूर करने एवं विशेष भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, किसान केन्द्र किराया भत्ता आदि मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों ने आन्दोलन भी किया था, जिसे राज्य सरकार के आश्वासन पर समाप्त किया गया था, परन्तु बजट में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किये जाने से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने एवं विशेष भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, किसान केन्द्र

(श्री नारायण सिंह देवल)

किराया भत्ता आदि जायज मांगों पर विचार करते हुए इन्हें पूर्ण करने की घोषणा करें ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं को कृषि पर्यवेक्षक पूर्ण मनोयोग से सम्पादित कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

कपासन में बनास नदी के क्षतिग्रस्त एनिकट व एनिकट-कम-कॉजवे की मरम्मत

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषय में राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में बहने वाली बनास नदी में बने एनिकट एवं एनिकट कम कॉजवे के रख-रखाव की ओर जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा।

1. विधान सभा क्षेत्र कपासन की बनास नदी लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में साल-भर बहने वाली नदी थी, लेकिन लगभग 45 वर्षों पूर्व बनास नदी पर मातृकुण्डिया में बांध बनाया गया। बांध बनने से 30 किलोमीटर में बहने वाली नदी सूखी पड़ी रहती है।

2. उक्त क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी पर मातृकुण्डिया से नेवरिया तक पिछली सरकारों द्वारा 30 वर्षों में 14 एनिकट एवं एनिकट कम कॉजवे बनाये गये हैं।

3. उक्त नदी पर 30 किलोमीटर क्षेत्र में 14 एनिकट एवं एनिकट कम कॉजवे पिछली सरकारों में बनाये गये थे। बनास नदी में वर्षा ऋतु में पानी आता है और सभी एनिकटों में पानी भर जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में अंडर ग्राउंड वाटर बढ़ता है।

4. उक्त नदी पर-

i. मातृकुण्डिया एनिकट कम कॉजवे

ii. देवपुरा एनिकट कम कॉजवे

iii. गेगपुरा एनिकट कम कॉजवे

iv. बगतावरपुरा एनिकट कम कॉजवे

v. उपरेडा एनिकट कम कॉजवे

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

vi. मरमी एनिकट कम कॉजवे

vii. पहुंना एनिकट कम कॉजवे

viii. ऊंचा एनिकट कम कॉजवे

ix. सांखली एनिकट कम कॉजवे

x. मोरपगा एनिकट कम कॉजवे

xi. सोलिया एनिकट कम कॉजवे

xii. देवपुरी एनिकट कम कॉजवे

xiii. गेगपुरा एनिकट कम कॉजवे

xiv. सोमी एनिकट कम कॉजवे

ये सभी एनिकट एवं एनिकट कम कॉजवे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उक्त सभी एनिकट एवं एनिकट कम कॉजवे को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रत्येक एनिकट की पिछली दीवार पर बकेट बनाने की आवश्यकता है। अतः आवश्यक बजट उपलब्ध कराने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

कोटा दक्षिण नगर निगम में निर्माणाधीन सड़क, नाली, पटान सम्बन्धी अचानक बन्द कार्य

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर निगम, कोटा दक्षिण के वार्ड संख्या 6, 7, 8, 29, 31, 32, 52 एवं 53 में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा सड़क, नाली, पटान इत्यादि के निर्माणाधीन कार्यों को अचानक बन्द करवा दिया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास कोटा से बन्द करवाये गये कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया। उन्होंने यह कहा कि हम इन कार्यों का रिव्यू करेंगे, उसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ करवा पायेंगे, जबकि पास के अन्य सभी वार्डों में विकास के कार्य यथावत चल रहे है। सरकार व सरकार में बैठे लोग विकास कार्यों में भी भेदभाव बरत रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राजनैतिक कारणों से स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों को जान-बूझकर बन्द करवाया गया है। सरकार उक्त 8 वार्डों में निवास कर रहे लोगों के साथ लगातार भेदभाव करती आ रही है।

(श्री मदन दिलावर)

नगर विकास न्यास द्वारा ही कार्य स्वीकृत कर उनके कार्यादेश जारी किये गये हैं और उसके बाद ही कार्य प्रारम्भ करवाये गये। उक्त वार्डों में 10 से 50 प्रतिशत कार्य भी हो गया है, लेकिन 4 दिन पहले अचानक से काम बन्द करवाकर वहां काम कर रहे ठेकेदार ने अपनी सारी लेबर हटा ली। अब कहीं सड़क आधी खुदी पड़ी है, तो कहीं नालियां अधूरी पड़ी हुई हैं, जिसके कारण से लोगों को आवागमन में भी तकलीफ हो रही है। यह सब राजनैतिक दबाव का परिणाम है, क्योंकि रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र से भाजपा का विधायक है और यही कारण है कि वहां सरकार मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाना चाहती है। यह काफी लोक महत्त्व का मामला है, इसलिये विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्रवाई हेतु निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम जी।

पशुपालकों को अन्य प्रदेशों में चराई हेतु सुरक्षा व संरक्षण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में पाली, जालौर और सिरोही जिलों में पशुपालकों की संख्या ज्यादा है। ये पशुपालक भेड़, बकरियां, ऊंट, गाय आदि पालकर उससे होने वाली आय से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। वर्तमान में इस भौतिक युग में धीरे-धीरे सभी वर्गों के लोग जो इस धन्धे से जुड़े थे, पशुपालन को छोड़ रहे हैं। पाली, जालौर, सिरोही जिलों में बरसात कम होने से कई बार अकाल की स्थिति होती है और चारे पानी की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में मारवाड़ के देवासी, रायका, गुर्जर समाज के पशुपालक अपनी भेड़, बकरियों और ऊंटों को लेकर मध्य प्रदेश के मालवा प्रान्त में चराने हेतु जाते हैं। ये पशुपालक अपने पशुधन व परिवार सहित मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम व अन्य जिलों में जाकर खेतों या चरागाह क्षेत्रों में डेरा डालकर अपने पशुओं को चराते हैं। वहां पशुपालक अपने परिवार, बाल-बच्चों और महिलाओं सहित अकेले जंगल में रहते हैं। इन जंगलों में चोरी, डकैती के लिए कई बार लुटेरों द्वारा इनके ऊपर हमला भी किया जाता है। ये हथियारबंद लुटेरे भेड़-बकरियों के साथ धन-माल भी लूटकर ले जाते हैं और कई बार पशुपालकों पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। हिंसक जंगली जानवरों और हथियारबंद लुटेरों वाले

(श्री जोराराम कुमावत)

जंगल में आत्मरक्षा के लिए पशुपालकों के पास सिर्फ लाठी होती है जिससे यह आत्मरक्षा में घायल होते हैं और कई बार मृत्यु तक भी हो जाती है। ऐसे समय में पुलिस भी मौके पर समय पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को आत्मरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता रहती है। अगर इनके पास अनुमतिशुदा हथियार हो तो इन्हें स्वयं और परिवार की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में पशुधन पालन बहुत महंगा हो गया है जिसके कारण कोई इसे करना नहीं चाहता है। ऐसे में पशुधन को बचाना बहुत जरूरी है अन्यथा इसका देश और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राजस्थान से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पशुधन चराने को जाने वाले पशुपालकों को हल्की बन्दूक या हथियार के लाइसेंस जारी करावें और इन राज्यों की सरकारों से बातचीत कर वहां इनकी और पशुधन की सुरक्षा करवाने की व्यवस्था करावें।

सभापति महोदय, ये पशुपालक पहले कोटा जिले के मुकुंदरा वन्य अभयारण्य में होकर मध्यप्रदेश जाते थे पर अब इस वन्य अभयारण्य में से निकलने वाले रास्ते को बन्द कर दिया गया है जिससे पशुपालकों को इसके किनारे गांवों के आबादी क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है। ग्रामवासी इन्हें आबादी क्षेत्र से निकलने नहीं देते हैं जिससे कई बार टकराव की स्थिति हो जाती है। भेड़, बकरियों से अभयारण्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है अत: पूर्व की भांति मुकुंदरा वन्य अभयारण्य के रास्ते से निकलने की अनुमति दिलाने का श्रम करावें।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, सदन की सबसे बड़ी समस्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट हैं। सदन में उत्तेजना फैलाकर कब ये राम और श्याम की तरह साथ हो जाते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता सभापति महोदय।

महात्मा ज्योतिबा फूले दम्पत्ति को भारत रत्न की अनुशंसा व सैनी-माली समाज की अन्य मांगें

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राजस्थान के सैनी-माली (कुशवाहा) समाज की तरफ से मांग करते हुए सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त समाज अपने हक व अधिकार की मांगों को लेकर आन्दोलन की राह पर निकला हुआ है। 25 फरवरी, 2022 को उक्त समाज अपनी मांगों को लेकर समस्त राजस्थान सैनी-माली समाज, जयपुर के साथ बाईस गोदाम पर एकत्रित हुआ था जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों द्वारा जयपुर पहुंच कर अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखायी थी। उक्त समाज अपनी मांगों को लेकर बेहद ही संवेदनशील है और शान्ति और सद्भाव से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख उन्हें पूरा करवाने के लिए प्रयासरत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में भी सैनी-माली (कुशवाहा) समाज तीसरा बड़ा समुदाय है।

महोदय, आपके माध्यम से सैनी-माली (कुशवाहा) समाज की निम्नलिखित मांगों को सरकार के समक्ष रखता हूं:-

1. महात्मा ज्योतिबा फूले दम्पत्ति को भारत रत्न प्रदान किया जाये, जिसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाये।

2. महात्मा ज्योतिबा फूले फाउंडेशन का निर्माण किया जाये।

3. महात्मा फूले कल्याण बोर्ड का गठन किया जाये।

4. सैनी-माली (कुशवाहा) समाज को जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण दिया जाये।

5. सब्जी के ठेले लगाने वालों, फुटपाथ वालों का स्थायीकरण किया जाये।

6. भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजे।

7. सैनी-माली (कुशवाहा) समाज के इतिहास और सम्पूर्ण जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण किया जाये।

8. महात्मा ज्योतिबा फूले दम्पत्ति की जयंती दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाये।

9. सैनी-माली समाज के लिए एक एक्ट का निर्माण किया जाये जिससे अत्याचार करने वालों पर तत्काल कार्यवाही हो।

10. विश्वविद्यालयों में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं माता सावित्री बाई फूले के नाम से शोधपीठ की स्थापना की जाये।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

अत: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि सैनी-माली (कुशवाहा) समाज की उक्त मांगों को पूर्ण करने के लिए कोई सार्थक कदम उठाये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

घाटोल (बांसवाड़ा) में शिक्षाकर्मियों/रसोईकर्मियों का स्थायीकरण

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल (बांसवाड़ा) के लिए सरकार से बेरोजगारों को रोजगार देने, शिक्षाकर्मियों को स्थायी करने, विद्यालयों में रसोईकर्मी को स्थायी करने की मांग करता हूं। विद्युत विभाग में लम्बे समय से ठेकेदारों द्वारा कार्मिकों को मात्र 5000 से 6000 रुपये मासिक दिया जाता है जबकि उक्त सभी कार्मिक अपने परिवार को चलाने के लिए खतरा मोल लेकर बिजली का कार्य करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विद्युत विभाग में लम्बे समय से कार्यरत ठेकेदारों के कार्मिकों को विभाग में समायोजन करते हुए इनका स्थायीकरण किया जाये। साथ ही अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों के अनुसार सम्पूर्ण सुविधा लागू करने की भी मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पिछले 10 दिनों में घंटाली पंचायत के अनतर्गत एक लाइनमैन की कार्य करते हुए ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई, फिर भी ठेकेदार की कम्पनी ने उस परिवार को पूरी सुविधाएं नहीं दीं। इसी तरह राजस्थान के अलग-अलग जिलों में आये दिन लाइनमैन की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए इन्हें विद्युत विभाग में स्थायी करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

शहनावदा (इटावा) में वन भूमि अंकन का दुरुस्तीकरण

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, ग्राम शहनावदा (इटावा) जिला कोटा की आबादी विस्तार, सरकारी भवनों की मरम्मत, निर्माण एवं विकास कार्य बाधित रहने से वन भूमि के अंकन को जन हित में दुरुस्त कर आबादी भूमि में अंकित करने की कार्यवाही करवाने के लिये नियम-295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

मान्यवर, जिला कोटा में अवस्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय शहनावदा, तहसील पीपल्दा में पूर्व से ही स्कूल भवन, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, कच्चे-पक्के

(श्री रामनारायण मीना)

रास्ते, पंचायत भवन आदि कार्यालय बने हुए हैं। सरकारी भवन एवं निर्माण कार्य पुराने हो जाने से उनके नवीनीकरण, मरम्मत एवं वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक उनकी आबादी विस्तार की आवश्यकता है, किन्तु उक्त ग्राम के समीप की समस्त वन भूमि का विभागीय अनदेखी के कारण त्रुटिपूर्ण अंकन हो जाने से समस्त विकास कार्य बाधित है। ग्रामवासी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का लाभ ग्राम के गरीब व्यक्तियों को इसी कारण से नहीं मिल रहा है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से भी कार्य करवाये जाना सम्भव नहीं होने से सरकारी सम्पत्तियों को भी नुकसान पहुंच रहा है।

निर्मित भवनों की होती जा रही जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहने के कारण इस ग्राम का जनजीवन समस्याग्रस्त तथा अभावपूर्ण है, जबकि नियमों में मरम्मत आदि कार्य किये जाने में कोई रोक नहीं होने के बावजूद भी विभाग जानबूझकर ग्रामवासियों को परेशान करता रहता है। श्मशान आदि जनोपयोगी कार्यों के लिये भी 10 बीघा भूमि के आबंटन की तुरन्त आवश्यकता है।

ग्राम शहनावदा (इटावा), जिला कोटा करीब 700 वर्ष से भी पूर्व से आबाद होने पर भी ग्राम के सरकारी भवनों सहित आमजन के अधिकार एवं आबादी के काम आने वाली करीब 500 बीघा भूमि राजस्व एवं वन विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों की त्रुटि एवं अनदेखी के कारण गलत नाम पर अंकित हुई है। वन अधिनियम के प्रभाव में आने से सैकड़ों वर्ष पूर्व रियासतकाल से भी पूर्व से यह ग्राम आबाद है।

इस स्थिति में ग्राम शहनावदा एवं उसके आसपास की वन भूमि को रिकार्ड में दुरुस्त किया जाकर आबादी भूमि में तब्दील किया जाना जन हित में अति आवश्यक है। सदियों पुराना आबाद ग्राम होने से इस वन भूमि के बदले राज्य सरकार अन्य राजकीय भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा सकती है। आमजन के हितों की दृष्टि से यह अत्यन्त ज्वलन्त एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है।

विनम्र अनुरोध है कि ग्राम शहनावदा (इटावा), जिला कोटा के आसपास की वन विभाग के नाम पर त्रुटि से दर्ज भूमि को आबादी भूमि में अंकित किया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत में फसल खराबे के कारण किसानों को मुआवजा

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय जी, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी क्षेत्र में फसल खराबे के बावजूद राजौला, धुरासनी, शिवपुरा, झूपेलाव, चाडवास, चौपडा, रूपावास, रेपडवास, धाकडी, धीनावास, सुरायता, गागुडा बीलावास ग्राम पंचायतों के किसानों को क्लेम नहीं मिल पा रहा है, जबकि बीमा कम्पनियों के द्वारा किसानों से बीमा राशि वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

महोदय, जब खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो किसान रोता है, उसके आंसू धरती पर गिरते हैं, लेकिन इन बीमा कम्पनियों के आगे सब बेबस है। इन कम्पनियों ने अपने अलग-अलग नियम-कायदे बना रखे हैं। मैं कई बार इस मुद्दे को सरकार व प्रशासन के सामने ला चुकी हूं लेकिन समस्या जस की तस है। मैं इस विधान सभा के मंच से कहती हूं कि अभी भी समय है।

माननीय मंत्री जी, सम्बन्धित अधिकारी व जिला कलेक्टर को निर्देशित करें, जिससे अन्याय रूपी गर्त में धकेले किसानों को यथोचित क्लेम मिले। उनके घरों की रोशनी को मत छीनिये। आज के समय में भी यदि किसी किसान के साथ अत्याचार होता है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां जी।

गडरा रोड (बाड़मेर) में डेजर्ट नेशनल पार्क में रुका भारत माला सड़क निर्माण कार्य

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत जिला बाड़मेर, जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क भारत माला को गलत रोके जाने बाबत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय, निवेदन है कि जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड एवं जैसलमेर जिला के करीब 64 गांव डेजर्ट नेशनल पार्क में आये हुए हैं। जैसलमेर जिले के तनोट से बाड़मेर जिले के सुनरदरा, मुनाबाव, घागरिया, देबूसर और गुजरात के रणकच्छ तक भारत माला रोड का राष्ट्रीय सुरक्षा के

(श्री अमीन खां)

हित में काम चल रहा है। इस काम में बाड़मेर जिले की तहसील गडरा रोड के ग्राम सुंधरा के पास डेजर्ट नेशनल पार्क में भारत माला सड़क का काम रुकवा दिया है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क की दादागीरी है, क्योंकि भारत माला रोड पुरानी डिफेन्स रोड मयाजलार से मुलाबा जाने वाली रोड डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा से एक किलामीटर बाहर है। डेजर्ट नेशनल पार्क वालों से मैंने निवेदन किया तो वे बताते हैं कि पड़ोस में नजदीक भारत माला रोड का काम चलना हम उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि यह एक सैंसेटिव एरिया है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा में यह काम नहीं चल रहा है और भारत की सुरक्षा की महत्ता के लिये यह भारत माला सड़क पंजाब तक बनायी जा रही है। अत: डेजर्ट नेशनल पार्क की इस बात को नहीं मानी जाये, इससे बाहर भारत माला सड़क का कार्य चालू रखा जाये, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है।

(समय: 12.45 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

जिला चिकित्सा अधिकारियों के लम्बे पदस्थापन के चलते पद का दुरुपयोग एवं अनियमितताएं

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि प्रदेश में पिछले 5-7 वर्षों से सरकारी कार्मिक लम्बे समय तक एक ही स्थान पर रहने के कारण सरकार द्वारा स्थानान्तरण आदेश किये जाते हैं। उन कार्मिकों के विरुद्ध में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग व अन्य गम्भीर आरोप/शिकायतों के बावजूद भी सरकार के स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध सम्बन्धित न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर वे कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, जो सरकारी सेवा नियमों के विरुद्ध है। पिछले 3 वर्षों में चिकित्सा विभाग के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा आदेश, निलम्बन आदेश एवं स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश लाकर, उसी स्थान पर पुन: पदस्थापित होकर निरंकुशता के साथ में शिकायतकर्ता को बदले की भावना से प्रताड़ित करते रहे हैं।

(श्री खुशवीरसिंह)

इसी क्रम में पिछले 3 वर्षों में जिला चिकित्सा अधिकारी जैसलमेर, डूंगरपुर, पाली, बीकानेर, भरतपुर एवं नागौर सरकारी आदेशों के विरुद्ध न्यायालय से सरकारी आदेशों में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी नहीं होने की या अन्य कमी बताकर स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण कर सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं, जबकि सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता उनके विरुद्ध कोई पैरवी नहीं करते हैं व इनके अधिवक्ताओं के साथ मिलीभगत कर सरकारी आदेशों पर स्थगन प्रस्ताव होने पर मौन ही रहते हैं। ऐसे अधिकारियों व अधिवक्ताओं के विरुद्ध सरकार को नियमों में संशोधन कर सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

बिजली विभाग में फर्जी बिल भुगतान के प्रकरण की जांच

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि करोड़ों के भ्रष्टाचार में लिप्त बिजली कम्पनियों के अधिकारी/कर्मचारियों की वजह से बिजली कम्पनियां घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। अनेक बार मंत्री स्तर के आदेशों के बावजूद कम्पनियों द्वारा स्वतंत्र ऑडिट न कराना यह दर्शाता है कि बिजली कम्पनियों में भ्रष्टाचार का ऐसा दीमक लगा है, जिसमें जनता पिसती चली जा रही है।

वर्ष 2015-16 में 33 केवी जी.एस.एस. भगवानपुरा ए.ईएन. सर्किल पुष्कर में सी आई आर सी दर पर जी.एस.एस. निर्माण कार्य में 33 केवी का 18 किमी लाइन का कन्डक्टर डीग टावर 45 फुट व अन्य सामान जे.ईएन., कडैल द्वारा संवदेक को फर्जी गेट पास, फर्जी बिल बनाकर भगवानपुरा के बिल प्रमाणित कर फर्जी भुगतान उठा लिया एवं 33/11 केवी कानस जी.एस.एस. की 12 किमी देवनगर लाइन का फर्जी कन्डक्टर एवं फर्जी मैटेरियल का बिल पास कर दिया। उक्त दोनों कार्यों में करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपये का गबन अधिकारियों व संवेदकों की मिलीभगत से किया गया।

उक्त अधिकारी को कार्य में लापरवाही व अन्य कारणों से अनेक बार ए पी ओ एवं स्थानान्तरण भी किये गये। विभागीय जांच में फर्जी बिल प्रमाणित कर भुगतान उठाया जाना प्रमाणित करते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद न तो अधिकारियों से उक्त गबन की 1 करोड़ 32 लाख

(श्रीमती अनिता भदेल)

की राशि वसूली गयी और न ही पुलिस विभाग द्वारा जांच पूरी कर अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री संयम लोढा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सिरोही जिले के बरलूट थानान्तर्गत निर्दोष नागरिक के त्रुटिपूर्ण आलिप्ती के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई व मुआवजा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में यह विषय रखने का अवसर देने की कृपा की। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सिरोही जिले के बरलूट थानान्तर्गत झाड़ोली वीर के निर्दोष लिखमाराम देवासी को हत्या के झूठे प्रकरण में फंसाने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं पीड़ित को चार वर्ष निर्दोष होने के बावजूद जेल में रखने के मामले में मुआवजा देने के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 131 डाइरेक्ट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है, मेरा उस बाबत यह निवेदन है कि 26.06.2018 को नाथाराम रेबारी, निवासी झाड़ोली वीर, थाना बरलूट, जिला सिरोही में नामजद रिपोर्ट धारा 459, 460, 397, 302 और 34 आई पी सी के विरुद्ध उसके गांव के ही लिखमाराम व एक अज्ञात व्यक्ति की दी कि उसकी मां जो घर पर अकेली थी हत्या कर घर में दो लाख पचास हजार रुपये नकदी व सोने-चांदी के आभूषण तथा घर में रखे कुछ कागजात को लेकर के वो चले गये। रिपोर्ट पर प्रकरण का अनुसंधान किया गया। अभियुक्त लिखमाराम पुत्र हरिराम जाति रेबारी, झाड़ोली वीर, थाना बरलूट को गिरफ्तार किया जाकर के 06.06.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों लोगों के विरुद्ध धारा 459, 459, 460,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

302, 34, 397, 109, 113 आई पी सी के तहत आरोप पत्र 23.08.2018 को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् महानिदेशक, ए.टी.एस. और एस.ओ.जी., जयपुर के पत्र दिनांक 03.05.2019 के माध्यम से प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया गया। दोनों एजेंसीज के द्वारा अनुसंधान किया गया। उपलब्ध साक्ष्य व अनुसंधान कर अन्य मुलजिमों को धारा 459, 460, 302, 34, 397, 109, 113 आई पी सी में गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शेष अभियुक्त हंसाराम के विरुद्ध धारा 173(8) सीआर पी सी के तहत अनुसंधान जारी है। पूर्व में गिरफ्तारशुदा लिखमाराम पुत्र हमीजाराम का प्रकरण की वारदात में शामिल होना नहीं पाये जाने पर उसको धारा 169 सीआर पी सी के तहत माननीय न्यायालय से रिहाई दिलवाने हेतु कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस व एसओजी राजस्थान, जयपुर के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही को निर्देशित किया गया। बरलूट थानाधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा ट्रायल कोर्ट माननीय सेशन न्यायालय सिरोही में 09.12.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी सुनवाई 19.12.2020 को हुई जिसमें माननीय न्यायालय सिरोही द्वारा उक्त रिहाई का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त लिखमाराम रेबारी की माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद सुनवाई अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश होने पर दिनांक 17.01.2022 को जिला कारागृह सिरोही से जमानत पर है। अभी हाल यह है कि लिखमाराम को गिरफ्तार क्यों किया गया, किन कारणों से गिरफ्तार किया गया और कौन लोग थे वो जो गिरफ्तारी में इन्वोल्व थे, उसके बाबत लिखमाराम को गिरफ्तार करने और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्राथमिक जांच करवायी जा रही है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि घटनास्थल पर घटना के दिन ही मौके पर एस.पी. आ गये थे। एस.पी. के निर्देशन में गिरफ्तारी हुई, चालान हुआ, फिर एडिशनल एस.पी. लेवल का अधिकारी अपने एस.पी. के खिलाफ जांच करेगा क्या और दूसरा जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया, जिस अधिकारी ने चालान किया, उसकी सरकार को सब जानकारी है। आपकी पुलिस

(श्री संयम लोढ़ा)

ने पट्टों से ठोक-ठोक कर, जूतों से ठोक-ठोक कर, लाठियों से ठोक-ठोक कर टट्टी थाने में करवाकर हत्या के मुकदमे में निर्दोष आदमी से दस्तख्त करवा दिये और अब आप मुआवजा देने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। एक नौजवान के चार साल आपकी सरकार ने खराब कर दिये। यह तो मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत को कि जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर एस.ओ.जी. से जांच करवायी और दूध का दूध और पानी का पानी हो सका। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप मुआवजे की घोषणा करें, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कौन अधिकारी दोषी है, यह बगैर जांच के कैसे तय किया जा सकता है। आपने कहा कि मौके पर एसपी भी पहुंच गया। मौके पर तो पता नहीं कितने आदमी पहुंचे होंगे पुलिस के। एस.पी. ही क्या, और भी कई पहुंचे होंगे तो क्या सबके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी? सवाल यह है कि अनुसंधान किसने किया। अनुसंधान में अगर मान लीजिये अनुसंधान के बाद में भी दोषी पाया गया और फिर एस.ओ.जी. ने जो अनुसंधान किया, उसमें उसको निर्दोष पाया गया तो सवाल उस पर उठता है कि आखिर यह हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए यह जांच बैठायी गयी है। यह जांच कोई एस.पी. के खिलाफ नहीं बैठायी गयी है, यह जांच उस थानाधिकारी के खिलाफ और अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ जांच बैठायी गयी है।

मैं आपसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा, इरादा किसी भी निर्दोष को किसी प्रकार की सज़ा दिलाने का नहीं है। अगर इरादा होता तो क्यों हम अदालत में यह पेश करते कि इसको तो रिहा कर दिया जाये, इसका केस विथड्रा कर दिया जाता है। विथड्रा नहीं हुआ किसी टेक्निकल कारण से। विथड्रा नहीं हुआ क्योंकि गवाहों के बयान चालू हो गये थे। गवाहों के बयान चालू होने पर न्यायाधीश ने कहा कि इस वक्त इसका यह विथड्रा नहीं हो सकता लेकिन सरकार की मंशा तो यह थी कि उसको वाकई उसकी जांच आपके कहने पर, आपने तो सी.बी.आई. की जांच मांगी थी, मुख्य मंत्री जी ने एस.ओ.जी. की जांच दी, ए.टी.एस. की जांच दी उससे आप सेटिस्फाई हो गये और उसके बाद जांच हुई और जांच में भी उसको निर्दोष पाया

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गया। यह भी बात सही है। यहां पर भी आप सेटिस्फाई हो गये कि हां, यह निर्दोष पाया गया। अब सवाल यह आता है कि किस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया गया, इंटेंशन था या नहीं था गिरफ्तार करने वाले का? मैन बात वह है कि क्या यह मेलाफाइड तो नहीं है? अब इस बात की जांच तो होनी चाहिए न कि मेलाफाइड है या नहीं है, उसका गलत इंटेंशन था या नहीं था। इस बात की जांच के लिए मैं आपको कहता हूं कि सात दिन के अन्दर-अन्दर उसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाहते मंत्री जी को, मैं अलाउ नहीं करूंगा। Please understand, आप सीनियर हो। He is on his legs, फिर आप खड़े हो रहे हो। If you don't want to listen, बंद करता हूं मैं। यह गलत तरीका है बिलकुल। प्रश्न भी पूछें और जवाब नहीं सुनना चाहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आखिर आपने इस इश्यू को उठाया है और एक निर्दोष की मदद करने के लिए उठाया है मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने एक अच्छा इश्यू आपके एरिया का उठाया है। सवाल यह है कि जब तक जांच नहीं होती कि उसका इंटेंशन क्या था, हो सकता है कि गलती से भी हो जाता है, कई बार इन्नोसेंटली हो जाता है कोई भी काम। नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है, भूल-चूक में हो जाता है तो इन बातों की जांच तो होगी न। जांच मैं सात दिन के अन्दर-अन्दर करवाने की घोषणा करता हूं और यह भी कहता हूं कि अगर जांच में वो पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी अगर उसका मेलाफाइड इंटेंशन पाया गया तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, 2018 में कांग्रेस पार्टी की ओर से तब बरलूट थाने का हमने घेराव किया था और पूरे समाज को, सबको पता था कि वह निर्दोष है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं प्लीज। नहीं-नहीं, हिस्ट्री से क्या सम्बन्ध है? सात दिन में जांच हो जायेगी और कार्यवाही हो जायेगी। नहीं, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, गुंडागर्दी पुलिस की ...(व्यवधान)

सदस्य का निष्कासन

संयम लोढ़ा, श्री, सदस्य का निष्कासन

श्री अध्यक्ष: नहीं। चर्चा समाप्त हुई।

(माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा का सदन कूप में आगमन व नारे।)

माननीय कटारिया जी। चर्चा समाप्त हुई। श्री कटारिया जी। माननीय सदस्य, I will expel you. I will name you. You have no right to do this.

माननीय सदस्य, I will throw you out....(interruptions) घर का राज नहीं है। माननीय सदस्य, आपके मन से नहीं चलेगा हाउस। आपके मन से नहीं चलेगा। मार्शल, throw him out. I will not allow it. I will not allow it. माननीय पूनिया जी, आप बैठें प्लीज। आप बैठिये। गलत तरीका है। हाउस को मजाक समझ रखा है आपने। यह गलत तरीका है बिलकुल ही। मतलब you want to impose everything on the House. आपको मौका दिया सुनने का, तरीका ठीक नहीं है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मैं, आपको राइट है अपनी बात कहने का, सरकार को बात कहने का अधिकार है लेकिन आप कार्यवाही को सदन में नहीं थोप सकते। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अनप्लीजेंट काम नहीं करने दें। माननीय कटारिया जी।

(समय: 13.00 बजे)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

खाद्य पदार्थों व दवाइयों में मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित किया जाना तथा दोषियों को शीघ्र सजा

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खाद्य पदार्थों व दवाइयों में मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित करने एवं दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सज़ा दिलवाये जाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मैं सोचता हूं दूसरा भी साथ पढ़ लें और दोनों का उत्तर एक ही व्यक्ति को देना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी।

औषधियों के नमूनों की जांच के लिए अपर्याप्त प्रयोगशालाओं के चलते अमानक व नकली दवाइयों पर नियंत्रण का अभाव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नकली दवाइयों के चलन और नकली दवाइयों की जांच में विलम्ब के कारण से लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिये मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। दोनों ध्यानाकर्षण का दे दें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दोनों का जवाब तो अलग अलग है।

श्री अध्यक्ष: हां, अलग-अलग बोल लें। एक के बाद एक बोल लें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये समय-समय पर विशेष अभियान यथा होली, दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि पर संचालित किया जा रहा है। शासकीय आदेश संख्या प.1/चिस्वा/2/2020/ दिनांक 20.10.2020 यथा आदेश दिनांक 26.10.2020 द्वारा दिनांक 18.11.2020 से शुद्ध के लिये युद्ध अभियान निरन्तर चालू है तथा शासकीय आदेश संख्या प.1/चिस्वा/2/2020/353/दिनांक 17.12.2021 के द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.03.2022 तक आयोजित किया जा रहा है। खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम, 2006 और विनियमन 2011 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों की जांच एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा मिलावटियों को दंडित करने हेतु कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम, 2006 और विनियम 2011 की धारा 51 के अंतर्गत अमानक (सब स्टैंडर्ड) पाये गये प्रकरणों में अधिकतम 5 लाख रुपये तक, धारा 52 के अंतर्गत मिश्रित (मिक्स्ड) पाये गये प्रकरणों में अधिकतम 3 लाख रुपये तक, धारा 53 के अंतर्गत भ्रामक (मिसलीडिंग) पाये गये प्रकरणों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक एवं धारा 59 के अंतर्गत असुरक्षित (अनसेफ) पाये गये प्रकरणों में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा एवं 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिलावटियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को संबंधित माननीय सी.जे.एम., ए.सी.जे.एम. न्यायालय तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय

(श्री परसादी लाल)

में विधि अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु पेश किये जाते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

भारत सरकार के अधिनियम खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम और विनियम 2011 के अंतर्गत असुरक्षित पाये गये खाद्य पदार्थों के प्रकरणों में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा एवं 10 लाख रुपये तक जुर्माने के प्रावधान अनुसार पूर्व से ही कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक 22,763 नमूने लिये गये, जिनमें से कुल 4,631 नमूने मिलावटी पाये गये। उक्त मिलावटी प्रकरणों में से 2,733 प्रकरणों का माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में से 935 प्रकरणों को निर्णीत कर 1,82,91,995 रुपये से दंडित किया गया। दिनांक 01.01.2022 से 10.03.2022 तक 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान के अंतर्गत राज्य में कुल 4,982 खाद्य पदार्थों के जांच नमूने लिये गये, जिनमें से 4,935 नमूने जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजे गये हैं। इन नमूनों में से 3,766 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच किये गये नमूनों में से 1,088 नमूने अमानक पाये गये। राज्य में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस हेतु कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं। 01 जनवरी, 2022 से 10 मार्च, 2022 तक राज्य में कुल 96 कैम्प आयोजित किये जा चुके हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही हेतु पृथक से फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में औषधि नियंत्रण संगठन आमजन को गुणवत्तायुक्त औषधियों की उपलब्धता कराने हेतु प्रतिबद्ध है। संगठन के अधिकारियों द्वारा शिकायत, संदेह, गोपनीय सूचना एवं नियमित जांच के तहत विभिन्न प्रकार की औषधियों के नमूने जांच विश्लेषण हेतु उठाये जाते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सृजित नियमावली 1945 के प्रावधानों में मिलावटी औषधियों को अधिनियम की धारा 17 (ए) में परिभाषित किया गया है तथा मिलावटी औषधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा 27 में दंडनीय प्रावधान हैं। राज्य के समस्त जिला एवं सेशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से संबंधित दंडनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिये विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में औषधि

(श्री परसादी लाल)

नियंत्रण संगठन मुख्यालय पर नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया हुआ है। संगठन के नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 09.05.2019 को फर्म मैसर्स धनवंतरी हर्बोटेक c/o आयुषराज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, दहमीकलां, बगरू के द्वारा मेटफोर्मिन एलोपैथी मेडिसिन को आयुर्वेद दवाओं में मिलावट करने के क्रम में कार्यवाही की गई एवं पुलिस थाना बगरू में एफआईआर नंबर 290/2019 दर्ज करवाई गई।

अब मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब भी एक साथ ही पढ़ दूं।

प्रदेश में औषधि नियंत्रण संगठन आमजन को गुणवत्तायुक्त औषधियों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। संगठन के अधिकारियों द्वारा शिकायत, संदेह, गोपनीय सूचना एवं नियमित जांच के तहत विभिन्न प्रकार की औषधियों के नमूने जांच विश्लेषण हेतु उठाये जाते हैं। प्रत्येक औषधि नियंत्रण अधिकारी को औषधियों के 6 नमूने प्रतिमाह एवं 2-2 नमूने होम्योपैथिक औषधियों एवं कास्मेटिक प्रसाधन सामग्री के उठाने के लक्ष्य प्रदान किये गये हैं। प्रत्येक अधिकारी द्वारा लक्ष्यानुरूप औषधियां एवं कास्मेटिक के नमूने जांच हेतु उठाये जा रहे हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सृजित नियमावली 1945 के प्रावधानों में अमानक व नकली औषधियों को परिभाषित किया गया है। जांच एवं विश्लेषण में औषधियां मानक, अमानक कोटि की घोषित होती हैं। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सी डी एस सी ओ, नई दिल्ली के द्वारा अधिनियम के तहत जारी गाइडलाइन के अनुसार तीन श्रेणी में अमानक कोटि की घोषित औषधि को श्रेणीबद्ध किया गया है। जांच एवं विश्लेषण हेतु उठाये गये नमूनों में से प्रत्येक नमूना अमानक नकली श्रेणी का नहीं होता है। कुछ औषधियों के नमूने ही अमानक घोषित होते हैं एवं इन अमानक कोटि में दवा के शून्य घटक वाली औषधियां अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित परिभाषा के अनुसार ही नकली श्रेणी में मानी जाती हैं।

प्रदेश में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत वर्तमान में 50,101 दवा विक्रेताओं को औषधि अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं, जिसमें रिटेल व थोक औषधि विक्रेता इत्यादि शामिल हैं। प्रदेश में तीन वर्षों यथा 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22,

(श्री परसादी लाल)

जनवरी, 2022 तक उठाये गये नमूनों में से कुल 15,122 नमूने जांच किये, जिनमें से 436 नमूने तय मानकों से भिन्न पाये गये। अत: अमानक घोषित नमूनों का प्रतिशत 2.8 है। औषधियों के निर्माण एवं लाइसेंस संबंधित निर्माता को उस राजकीय औषधि नियंत्रक, औषधि महानियंत्रक, भारत द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत औषधि के निर्माण एवं उसके विश्लेषण जांच की सभी सुविधाओं की उपलब्धता के बाद ही जारी किये जाते हैं। बाजार में औषधियां बिक्री हेतु उपलब्ध होने से पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच औषधि निर्माता द्वारा स्वयं की प्रयोगशाला अथवा औषधि नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवाई जाती है एवं उक्त जांच में मानक कोटि की होने पर ही इन औषधियों का नियमानुसार विक्रय किया जाता है।

औषधि नियन्त्रण संगठन द्वारा जांच हेतु औषधियों के नमूने लिया जाना, औषधियों की गुणवत्ता का क्रोस काउन्टर चैक की एक प्रक्रिया है। औषधियों के अमानक कोटि की घोषित होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित औषधि के बेस की बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी जाकर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में विभाग द्वारा उठाये गये नमूनों की जांच हेतु प्रदेश में एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में संचालित है। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा उसमें उपलब्ध मानव संसाधन उपकरणों की क्षमता अनुसार औषधियों के नमूनों की जांच की जा रही है। औषधि नियन्त्रण संगठन द्वारा उठाये गये नमूनों की पूर्ण क्षमता अनुसार जांच विश्लेषण करते हुए प्रतिवर्ष लगभग 6 हजार नमूनों की जांच का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। औषधि नियन्त्रण अधिकारी के द्वारा उठाये गये नमूनों में से औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5,288 नमूने जांच हेतु प्राप्त हुए एवं 6,409 नमूने जांच किये गये और वर्ष 2021-22 में जनवरी, 2022 तक 4,688 नमूने जांच हेतु प्राप्त हुए। 4,971 नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गयी। 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में 6,050 नमूनों की जांच औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर के स्तर पर लम्बित है। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में लम्बित नमूनों की जांच, विश्लेषण को त्वरित गति से करने हेतु 10 अनुभवी फार्मासिस्टों को राजकीय विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 20 फार्मासिस्टों को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में राजकीय विश्लेषक के सहयोग हेतु लगाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। औषधि परीक्षण

(श्री परसादी लाल)

प्रयोगशाला के उप निदेशक के द्वारा प्रयोगशाला को शनिवार एवं रविवार को भी खुला रखकर नमूनों की जांच किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। तीन औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं क्रमश: जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में बनकर तैयार हो गयी हैं एवं मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन प्रयोगशालाओं में 11 सहायक औषधि विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 10.02.2022 को हो चुकी है एवं परिणाम जारी करने और नियमित भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही 22 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जरिये राजस्थान राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तकनीकी व्यक्तियों, सहायक औषधि विश्लेषक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की नियुक्ति उपरान्त राज्य की चारों औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर में सुचारु रूप से संचालित हो जायेंगी एवं समय सीमा में औषधियों के नमूनों की जांच/विश्लेषण की कार्यवाही सम्पादित हो जायेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वक्तव्य दिया है, उसमें सब प्रकार की कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन इस समस्या पर नियन्त्रण नहीं आ रहा है। यह समस्या गम्भीर से गम्भीरतम स्थिति में जा रही है। मेरा इस विषय को उठाने के पीछे यह भावना थी कि हमारे पास वे सब तौर-तरीके, वे सब कानून-कायदे होते हुए भी इस समस्या पर हम नियन्त्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिये हमें क्या करना चाहिये। इसके बारे में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर मिलावट के कारण से लोगों के शरीर के साथ और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसको सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिये। मैं सोचता हूं कि हम इसको किस तरह से प्रभावी बना सकें। आप और मैं जो अनुभव करते हैं, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी इन वर्षों में इतनी तेजी से फैली है कि गांवों में हर दस घर के बाद कोई न कोई कैंसर पेशेंट आपको मिल जाता है। सिन्थेटिक दूध मिलता है, सब जानते हैं। आज आप अगर आर्डर दें कि मुझे शादी में 1 हजार लीटर चाहिये तो आपको 1 हजार लीटर मिल जायेगा। उसको कल अगर डेढ़ हजार कर दो तो भी मिल जाता है। मैं सोचता हूं कि ऐसी उपलब्धता तो नहीं है फिर यह कहां से आता है? कैसे आता है? यह विचारणीय विषय है। चाहे मावे में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिलावट हो, सब्जियों में पेस्टिसाइड हो रहा है, मसाले में हो रहा है। मुझे दु:ख इस बात का है कि कुछ समय पहले जयपुर में एक जगह 200 टन मिलावटी घी मिला। उसकी जांच हुई, वह कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। उसका परिणाम क्या निकला? अगर अवैध रूप से 200 टन घी बनाता हुआ व्यक्ति पकड़ा गया और उसके सारे सामान पकड़े गये, उसके बाद भी परिणाम नहीं आता है तो इसका कोई मतलब नहीं है।

शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, 'शुद्ध के लिये युद्ध' लेकिन शुद्ध के लिये युद्ध करने के बाद भी अगर यह शुद्ध नहीं हो पाता है तो कहीं न कहीं व्यवस्था में गड़बड़ है, जिस पर मंत्री महोदय, विचार करना आवश्यक लगता है। मेरे पास वे सारे आंकड़े भी हैं, लेकिन उन आंकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। जितनी बात 2014 से लेकर, एक क्वेश्चन के जवाब में आया कि हमने 34,061 नमूने लिये। इनमें से 8,361 नमूने अमानक पाये गये। 877 नमूने असुरक्षित श्रेणी के हैं। इसमें से केवल 7,397 नमूनों का चालान आपने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन दु:ख इस बात का है कि 2019 तक शून्य प्रकरण में सज़ा हुई।

इसमें आपने प्रश्न के उत्तर में जो उस दिन बताया, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था कि जनवरी, 2019 से लेकर जनवरी, 2022 तक कितने लोगों, आपने बताया कि 22 हजार केस हुए और उसमें से इतने हुए, इतने हुए। उसमें से कोर्ट से एक करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपये के जुर्माने जरूर हो रहे हैं। लेकिन सच यह है कि इन प्रकरण में सज़ा नहीं के बराबर है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं मिली है। इसलिये इस विषय में मैं आपसे बहुत-बहुत, बार-बार आग्रह कर रहा हूं। वह इस कारण से कर रहा हूं कि अब तक केवल दो प्रकरणों में सज़ा हुई है। ये जो सारे केसेज हैं, इनमें अगर सबकी जोड़ लगायी जाये, मैं तो केवल खाद्य पदार्थों की लगा रहा हूं तो उसमें भी हमने लगभग 50 हजार से अधिक के नमूने लिये हैं जिनमें 15 हजार से अधिक के नमूने इस प्रकार की कमियों में पाये गये, लेकिन दो प्रकरणों में सज़ा हुई। मैं सोचता हूं कि हमको इस पर विचार करना चाहिये। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में हमने यहां पर अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट इस इच्छा से किया था कि पहले जो कॉग्नीजेबल आफेंस था, उसको हमने नॉन कॉग्नीजेबल बनाया। सेशन कोर्ट से इसकी ट्रायल होगी। वैसे कानून में, जो कि अभी आपने पढ़ा है, केन्द्र के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कानून में ये सब प्रावधान हैं। उसमें तो इससे भी सख्त प्रावधान है कि असुरक्षित नमूना मिलता है तो छह माह से लेकर आजीवन कारावास तक का है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना है। पुराना कानून कमजोर नहीं था, लेकिन अपन ने इस बात को जनता के मन बैठाने के लिये कि हम शुद्ध के लिये युद्ध में कमिटेड हैं और उस कारण से आपने उसको लागू करने के लिये अपने कानून में प्रावधान किया।

मुख्य मंत्री जी के 2020-21 के भाषण में बिन्दु संख्या 31 में है कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 'डायरेक्ट्रेट आफ फूड सेफ्टी' की घोषणा करता हूं। यह डायरेक्ट्रेट आफ फूड सेफ्टी कहां बना है? किस जगह है? मतलब विधान सभा के फ्लोर पर घोषणा करते हैं और उसकी जगह आपने क्या किया है, आपने घोषणा की थी कि निदेशालय अलग खोला जायेगा, लेकिन एक प्राधिकरण बना दिया, गठन किया। संतोष कर दिया। उसमें अभी तक कोई बजटीय प्रावधान रखा है? जो कुछ आपने बनाया है, उसमें कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। हो तो आप बता देना। न ही सम्भाग, जिला और ब्लाक स्तर पर कोई अलग अधिकारी या स्टाफ उसमें लगाया गया है और न इस प्राधिकरण की अब तक कोई बैठक हुई। मैं इसलिये कह रहा हूं कि हम सिस्टम को सही ढंग से आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना चाहिये कि आखिर हम कोई घोषणा इस सदन में करते हैं और सदन में करने के बाद भी एक बैठक नहीं हुई, न खाद्य कारोबारियों के संगठन, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों से कोई मनोनयन हुआ है। आपने फास्ट ट्रैक की घोषणा की, आपने कहा कि अभी प्रोसेस में है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): फास्ट ट्रैक के पीछे यही मंशा थी कि हम इसके अन्दर तुरन्त किसी को सज़ा दिला सकें। मेरी आसन से विनम्र प्रार्थना है कि इसमें हमारी मंशा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, लेकिन इस कानून की कमजोरी के कारण या हमारे डिपार्टमेंट की ठीक प्रकार से पैरवी नहीं करने के कारण इस प्रकार के लोग, जब हम अख़बार में पढ़ते हैं तो वह छाया रहता है और अंततोगत्वा उसमें किसी को सज़ा नहीं मिलती है। इस केस में जब तक सज़ा नहीं मिलेगी। जुर्माना तो वह दे देगा, वह इतनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बेईमानी करता है। बड़े-बड़े लोग करते हैं। एक बार मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के केसेज में छोटे-छोटे दुकानदारों के यहां से आप सैम्पल उठाते हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप उसके माध्यम से उस सीमा तक पहुंचें जहां से ये चीज चलती है और उस तक पहुंचती है। अब आप गांव में किसी के पास एक टिन ही कुल तेल का रखा है और उसका सैम्पल उठाकर ले आओ। वह सैम्पल एक तरह से उसको चूसने के लिए होता है। उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वह तेल कहां से निकला? किस जगह बनकर निकला? उस लिंक तक पहुंचकर जो बदमाश लोग हैं, जिन्होंने इसे धंधा बनाकर कमाने का एक सोर्स बना लिया है, वहां तक पहुंचकर अगर सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे तब तो इस पर कंट्रोल होगा। यही मेरी मंशा है।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब। मंत्री जी, ब्रीफ में। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डिबेट का नहीं है। Be brief and be relevant. जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया, इसके पीछे भी एक कारण रहा। पिछले शुक्रवार को मैं शिकार हुआ फूड पाइजनिंग का। डाक्टर्स को बुलाया। डाक्टर्स ने इलाज प्रारम्भ किया और आर.एल. इलेक्ट्रोलाइट्स मुझे लगाया। उसके बाद चूंकि विधान सभा मेरा पहला प्रेम है। मुझे विधान सभा में आने की जल्दी थी इसलिए मैंने वह लगवाया। थोड़ी देर बाद मुझे रिगर्स इतनी जोर से आए कि मैं और मेरा परिवार घबराया। जब मैंने पूछा, तहकीकात की तो मुझे बताया कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट लगाया उसमें फंगस था। मैंने आपसे प्रार्थना की। मंत्री महोदय, मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं अपने आपको कामयाब स्वास्थ्य मंत्री इसलिए नहीं मानता कि मेरे समय में भी आपने जो आज कहा कि तीन लेबोरेट्री 2012 में घोषित हुई टेस्टिंग के लिए, वह मैं भी चालू नहीं कर पाया और आप भी चालू नहीं कर पाये। मेरे समय में भी ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट, 1940 था, लेकिन यह बात इतनी गम्भीर है कि राजस्थान में 20 हजार करोड़ की दवाइयां राजस्थान के साढ़े सात करोड़ लोग खाते हैं। जो आंकडा मैं लेकर आया हूं, अमानक दवाइयों का, यह मेरा नहीं है, मैंने आपके कागजों से निकाला है।

अध्यक्ष महोदय, ये जो अमानक दवाइयां हैं 2018-19 में 3,964 में से 206 अमानक पायी गयीं और 2019-20 में 3,742 में से 193, 5.15

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परसेंट, एक हजार करोड़ की दवाइयां राजस्थान का अनजान गरीब आदमी, मरीज आदमी यह सोचकर खाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कोई आरोप लगाने के लिए बात नहीं कर रहा। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो आपने पेंडेंसी बतायी, कोई साल मुझे बता दें जब आपकी पेंडेंसी दवाइयों की, जांच की, सिर्फ 6 सैम्पल लेता है एक इंस्पेक्टर, 108 इंस्पेक्टर हैं, आपकी पेंडेंसी 6 हजार से कम रही होगी।

अध्यक्ष महोदय, ये तो इन्होंने सही कहा कि ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट के अन्दर प्रावधान है कि दवा निर्माता, दवाई बाजार में आए उससे पहले अपनी खुद की लैब से या ड्रग कंट्रोलर जो बताए उसकी लैब से करे। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये सब टेस्ट करने के बाद भी दवाई अमानक पायी गयी। उसके बाद भी कार्यवाही नहीं। मैं समझता हूं इसके बारे में आपको विचार करना चाहिये। आप जब अमानक घोषित करते हो, 6 से 8 महीने में, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं दो लिस्ट तो बता ही दूं कि आपके ये आर.एम.एस.सी.एल. में आपकी लेवोंस्टिन और मोंटेलुकास्ट, तीन साल 2023 तक इनकी एक्सपायरी डेट मानी। आपकी खुद की लैब ने जांच किया, 2021 में माना तब तक ये मेरे सब-सेंटर तक पहुंच गयी थी। एक या दो नहीं हजारों लोगों ने यह सोचकर दवाई को खाया कि मैं जिस बीमारी से पीड़ित हूं ठीक हो जाऊंगा, तब तक तो खप गयी थी। इस सिस्टम को तोड़ना चाहिये। अभी आपने कहा कि आपके जो कंट्रोलर बना हुआ है, अलग से जो आपका एक प्रकोष्ठ बना हुआ है, इस प्रकोष्ठ ने, आपने उदाहरण दिया, वह तो ठीक है, 2018-19, 2019-20, 2020-21, एक पूरा आर्गेनाइजेशन बना हुआ है। स्वयंभू उन्होंने सिर्फ 19 जगह पर, 19 कार्यवाही की है। वहां भी कोई कार्यवाही इनकी नहीं हुई।

मैं आपसे निवेदन करूं, चूंकि अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है आप कहेंगे, ये जो हो रहा है मतलब 352 दवाइयों के सैम्पल फेल हो गये, अनसेफ पायी गयीं। आपने रोक दिया उनको। एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया, जिसकी गाइडलाइन की इन्होंने बात की, 2008 की गाइडलाइन, आप चाहें लिख लें, उसमें कहा कि किसी भी दवाई के साल्ट में एक्टिव कांस्टीटयूएंट्स का अगर 90 परसेंट से कम आता है तो उसको श्यू करो, कोर्ट में उसके खिलाफ आप कार्यवाही करो। आपके यहां इसी 26/06/2020 को आपके खुद के ड्रग कंट्रोलर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान ने एक कमेटी बनायी। 29/06/2020 को रिपोर्ट लेता है और कहता है एक्टिव इंग्रिडियेंट्स और कांस्टीटयूएंट्स अगर 50 परसेंट से भी कम हो तो भी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। थर्मोलिवाइन जो गर्मियों में कम टेम्प्रेचर पर रखा जाता है, इसमें टोटल कंटेन्ट अगर 40 परसेंट से कम है तो भी जाने की जरूरत नहीं है, न्यायालय में नहीं जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं बीमार हूं, कितनी करुणा की बात कह रहा हूं, निश्चित तौर पर आपने जो किया, मैं नहीं कर पाया। आप मुझे नाकामयाब कह सकते हैं। आप यही कहेंगे कि साढ़े आठ साल आप भी रहे। मैं डेपुटेशन खतम नहीं कर पाया। मेरी कमजोरी है। मैं स्वीकार करता हूं इस सदन में परंतु आप मजबूत आदमी हो। 'कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो' कहीं से तो चालू कीजिए आप। इस पूरे मामले के अन्दर और इसके साथ ये नशीली दवाइयां, जो ये सारी बिक रही हैं। मैं ये बात कहना नहीं चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यापार को बन्द करने के लिए आपको अपने हाथ-पांव मजबूत करने पड़ेंगे। इनके भरोसे नहीं। मैं बिलकुल सनसनी फैलाना नहीं चाहता, किस प्रकार एक ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ी गई और उसने क्या कहा। आप उस प्रसादी को लेने वाले नहीं हो, परंतु कम से कम इसको कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, नशीली दवाइयों में 'उड़ता राजस्थान'। मेरी खुद की जमीन है हनुमानगढ़ में, हालात बहुत बदतर हैं, गन्दे हैं, मतलब पूरा रेकैट बन गया पंजाब तक का। आपके यहां भिवाड़ी के अन्दर एक जो कारखाना है, दवाई बनाने वाली एक यूनिट है, 6 साल तक नकली दवाई बना रही है, 6 साल तक। दिल्ली की पुलिस आकर मुकदमा कायम करती है। उसके बाद में हम होश में आते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन है। भगवान के लिए, मैं आपको बहुत मजबूत आदमी मानता हूं। हम कोई स्कोर करना नहीं चाहते परंतु 20 हजार करोड़ की दवाइयां राजस्थान के अन्दर आदमी गटकता है। उसमें एक हजार करोड़ की नकली दवाइयां खाता है। हजारों जीवन खतम होते हैं। इन हत्यारों को फांसी देनी चाहिए, जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, please be brief, ज्यादा लम्बा नहीं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो चिन्ता जाहिर की, मैं उसको स्वीकार करता हूं। हमारी सरकार आने के बाद हमने जो प्रयास किये, आपने कहा निदेशालय कहां बना? हमने निदेशालय का गठन कर दिया, अधिकारी लगा दिये। आई.ए.एस. आफिसर ने उसमें काम को संभाल लिया। निश्चित रूप से यह सही बात है कि पिछली बार भी हमारी सरकार के समय 'शुद्ध के लिए युद्ध' चला। अभी एक जनवरी से वापस हमने शुरू किया। आपको बताऊं इसमें इतने आए, अमानक पाए, इसमें जो अनसेफ होते हैं, उसी में सज़ा होती है, बाकी में जुर्माना है। सारी चीज बताई। निश्चित रूप से इस अभियान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने किया, उसके बाद हमने इसको मजबूत करने का भी काम किया।

अध्यक्ष महोदय, 2019 में इनके 59 खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2021 के बजट में 50 पद बढ़ाए। इस बार फिर वापस उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए 200 पद और बढ़ाए। 298 पद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बनाए। इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रयोगशालाओं की संख्या 2018 के बाद हमने बढ़ाई। हर जिले में प्रयोगशालाएं बनाने का माननीय मुख्य मंत्री जी का जो एलान है, हम उसको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये खाद्य पदार्थ, जो आपने कहा कि छोटे दुकानदारों पर नहीं, जहां बनता है, वहां पर होना चाहिए। मैं विभाग को निर्देश दूंगा और हमारे कमिश्नर को कहूंगा कि जहां पर प्रोडक्शन होता है, वहीं पर इसकी कार्यवाही होनी चाहिये। जो बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ इसमें कार्यवाही करने के लिए विभागीय पूरा कार्यक्रम बनाकर इनको देंगे। जहां भी प्रोडक्शन, चाहे मसाला हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो या दूसरी चीजें हों, जहां पर प्रोडक्शन होता है, वहां पर निश्चित रूप से कार्यवाही कराएंगे।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने, उप नेता महोदय ने कहा, यह सही बात है कि दवाइयां आपके समय भी, हमारे समय भी अमानक पाई गई हैं। 2017-18 में 10.48 परसेंट अमानक दवाइयां थीं। हमारे समय घटकर 2020-21 में 2.41 और 2021-22 में 1.77 परसेंट, इसलिए कार्यवाही हुई है। ये अमानक दवाइयां हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए घातक हैं। आप तो काफी समय तक इस विभाग के प्रभारी रहे हैं। राजस्थान में मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा कोई इस विभाग को जानता नहीं होगा। आपके सुझाव जो होंगे, निश्चित रूप से आपको भरोसा देता हूं हाउस में कि हमारी तरफ से कोई कोर

(श्री परसादी लाल)

कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने जो लैबोरेट्री नई उदयपुर, जोधपुर, वहां भी चारों लैबोरेट्री, हमारी अभी एक लैबोरेट्री थी, इसलिए 6 हजार तक हमारी पेंडेंसी थी। अभी इन चारों को हम बहुत जल्दी से जल्दी, हमारे पास स्टाफ मिल गया, सारी चीजें हो गयीं, सारी चीजें हमने संचालित कर दीं। बहुत जल्दी ही कोशिश करके हमारी चारों लैबोरेट्री शुरू हो जाएंगी। इन नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ भी कार्यवाही होगी और उन पर भी दबाव बढ़ेगा कि चार प्रयोगशालाएं हैं। पहले एक प्रयोगशाला थी।

यह सही बात है कि पिछले प्रकरण में भी, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भी कहीं लापरवाही हो सकती है, मैं नहीं कहता। इसमें बहुत बड़ा रैकेट भी था, हमने उसको ठीक किया है। अभी वह घटना हुई, उसके बाद हमने कह दिया कि, इसके एरिया को बदलो, सब अच्छे लोगों को लगाओ।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, हम सुझाव ले लेंगे, आप काफी अनुभवी हैं। आप जो सुझाव देंगे, नेता प्रतिपक्ष और आप सब, जो भी माननीय सदस्य, हम मिलकर इसको कर सकते हैं। आप जो सुझाव देंगे, निश्चित रूप से हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। आय-व्ययक पर, अनुदान की मांग पर विचार। माननीय मंत्री जी, रमेश चन्द जी मीना।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 99, 09,97,78,000/- (निन्यानवे अरब नौ करोड़ सतानवे लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 41 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 01 देखें।)

श्री अध्यक्ष: दोनों मांग रख दी?

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

(श्री रमेश चन्द मीना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,39,04,76,000/- (अठारह अरब उनतालीस करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 28 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 02 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

मांग संख्या 41 व 28 पर विचार

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 41 व 28, ग्रामीण विकास विभाग व सामुदायिक विकास की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र 2018 का यह सरकारी दस्तावेज मेरे हाथ में है और इसमें मैंने ग्रामीण विकास के बारे में ढूंढा, तो 2-3 पाइंट मुझे मिले। कोई ज्यादा पाइंट नहीं मिले, मगर फिर भी 2-3 पाइंट मिले जो मैं हमारे सभी साथियों को बताना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की, प्रत्येक गांव की, सड़क की मरम्मत करना, जहां सड़क नहीं है वहां रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंकरीट की नई सड़क बनाना तथा जल निकास हेतु समुचित ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना।

(समय: 13.32 बजे)

(श्री जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

मैं सारे माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा, आपके यहां ड्रेनेज सिस्टम बन गया क्या? कोई से भी गांव में बन गया हो तो कृपया जरूर बतायें। माननीय मंत्री महोदय भी अपने जवाब में जरूर बतायें।

इसके एक बिन्दु में लिखा है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद् को अधिक अधिकार देना। चार साल में कितने अधिकार दिये? वह भी आप जरूर बताना, जब आप जवाब दें। प्रत्येक ग्राम पंचायत को सम्पूर्ण विश्व से जोड़ने के लिये इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना। वाकई, बहुत अच्छा काम सरकार करने जा रही है।

(श्री निर्मल कुमावत)

ई-लाइब्रेरी से राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को जोड़ना। कितनों को जोड़ा? आप यह भी बतायें। मनरेगा प्रभावी ढंग से लागू करना और परिणामस्वरूप टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना। कितनी टिकाऊ परिसम्पत्तियां बनाईं? यह भी आप जरूर बतायें। गांवों का शहरों की तर्ज पर विकास करते हुए, आधारभूत ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना अच्छी बात है।

सभापति महोदय, इसमें सबसे बड़ा पाइंट, 11 नम्बर पर इन्होंने लिखा है पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाया जाना। आपकी सरकार ने यह जरूर किया, बहुत अच्छा काम किया। सभापति महोदय, इसका परिणाम क्या आया, मैं आपके प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से बताऊंगा। पेज संख्या 122 में आया है, दिनांक 31.12.2021 तक गबन प्रकरणों की स्थिति विवरण निम्नानुसार है। लगभग 7 हजार गबन के प्रकरण आपके विभाग में, जिनकी लगभग 22 करोड़ के ऊपर की राशि होती है, जिसमें से 50 हजार के ऊपर के लगभग 450 गबन के प्रकरण हैं। लगभग साढ़े छह हजार के ऊपर 50 हजार तक के गबन के प्रकरण हैं। अच्छी बात है, आपके प्रतिवेदन में आया कि गबन हो रहे हैं। कहीं न कही साक्षरता हटने का हमें अच्छा परिणाम मिल ही रहा है। गबन तो हुआ, मगर इससे वसूली कितनी हुई, अभी तक इसमें यह नहीं आया। गबन करके केवल आंकड़ों में दिखाने का भी है या वापस वसूली करने का भी काम है सरकार का? मैं समझता हूं कि आपको यह भी बताना पड़ेगा।

इसी के साथ आपका मूल बजट है, मूल बजट में, पिछले बजट में, इस बजट में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना लम्बा-चौड़ा भाषण दिया, इसमें कहीं भी ग्रामीण विकास का नामोनिशान ही नहीं है। माननीय उप नेता प्रतिपक्ष, आपने भी बजट को पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। मूल बजट में कहीं भी ग्रामीण विकास या पंचायती राज का कोई नामोनिशान नहीं है।

नरेगा की बड़ी-बडी बातें की गयी हैं। मुख्य मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि 25 दिन का अतिरिक्त हम नरेगा का काम देंगे। मैं आपके आंकड़ों पर थोड़ा गौर फरमाना चाहूंगा। 2018-19 में मानव दिवस पूरे राजस्थान में बने, वह 2 हजार 942 बने, 2019-20 में 3 हजार 286 बने, यह संख्या लाखों में हैं। 2020-21 में 4 हजार 605 बने, 2021-22 में 2 हजार 962 बने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यह तो बहुत ऊपर जा रहा है, आपका आंकड़ा।

(श्री निर्मल कुमावत)

प्रति परिवार, रोजगार के औसत दिवस देखे जायें, तो इस चालू वित्त वर्ष में केवल 47 होते हैं। केवल 47, अगर प्रति परिवार का हम इसमें जोड़ेंगे, टोटल ही 47 हो रहे है, साहब। 47 दिन है रोजगार औसत दिवस, प्रति परिवार, राजस्थान का ही है, यह आप ही का कागज है, इसी में से बोल रहा हूं, मैं कोई अलग से नहीं बोल रहा। इसको तीन महीने में 125 तक ले जाने का आपके सामने लक्ष्य है तो आप ले जाइये। कैसे ले जाते हैं? तीन महीने में आप ले जाएंगे? जरूर ले जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हम ग्रामीण विकास की बातें करते हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं। पूरे बजट में कहीं नाम नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे प्रधान मंत्री जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन से पूरे गांव को जोड़ने की चेष्टा की और वह काम आज हमारे बीच होता दिख रहा है।

सबसे बड़ी तकलीफ, हमारे तमाम जन प्रतिनिधियों के सामने आ रही है, वह जनता जल योजना है। दो साल के बजट में कहीं भी जनता जल योजना का नाम नहीं है। आपके प्रगति प्रतिवेदन में भी, आपने दो लाइनों में इसकी इतिश्री कर दी। कुल 6 हजार 523 जनता जल योजनाएं संचालित हैं। प्रति व्यक्ति आप उसको मानदेय दे रहे हैं 252 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। 6 हजार 552 मासिक भुगतान आप प्रति आदमी को दे रहे हैं। आपको काम करने वाले आदमी कहां से मिलेंगे? आपने सारे जन प्रतिनिधियों को उलझा कर रख दिया।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की बात करूं। आपने दो साल तक चुनाव नहीं कराये। आपके पुराने जन प्रतिनिधियों ने एक रुपया नहीं उठाया। एक-एक करोड़ रुपये, एक-एक पंचायत में बिजली का बिल बाकी है। माननीय सभापति महोदय, पंचायतें कैसे चलेंगी? विकास तो दूर की बात है। 31 मार्च आते ही बिजली के बिल की सबके टेंशन होने लग जाती है। सभी माननीय सदस्यों के पास समाचार आ रहे होंगे कि बिजली कटने वाली है। हो सकता है सरकार वालों को विशेष छूट हो, हमको तो ऐसी कोई छूट नहीं है। आपने पूरे बजट में कहीं भी जनता जल योजना के लिये, कोई भी अनुदान देने के लिये, किसी भी पंचायत को एक रुपये की घोषणा नहीं की। मेरी आपसे मांग है, इसके तहत चाहे जिला परिषद् मद से, चाहे पंचायत समिति मद से, जिन-जिन पंचायतों में तकलीफ है, आप उनको तुरन्त अलग से पैसा दिलायें।

(श्री निर्मल कुमावत)

केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन के तहत हमारे यहां भी चल रही है। सौभाग्य से मेरे विधान सभा में भी, जयपुर में नरैना में चल रही है। अब आप इसकी, विभाग की प्रगति देखिये। इसमें सेंट्रल व स्टेट का, दोनों का पैसा मिलाकर लगभग 124 करोड़ रुपये काम के उपलब्ध थे। वर्तमान में केवल 86 करोड़ रुपये खर्चा किया। हमारा पैसा पड़ा है, इसको खर्च करने में क्या दिक्कत आ रही है? केवल कानून-क़ायदों में, कागजों में उलझा कर रखेंगे। जब इतना पैसा पड़ा है, कम से कम 50 करोड़ रुपये पड़े हैं, इसको खर्च करने में कहां दिक्कत थी? अब यह खर्च करेंगे, यूसी लेंगे तो दुबारा आपको नया पैसा और मिलता। पर पता नहीं आप क्या करेंगे, इसको साथ लेकर जाएंगे, क्या करके जाएंगे, भगवान जाने।

दूसरा, सामाजिक अंकेक्षण। इसके बारे में भी एक बात बताना चाहूंगा, अंकेक्षण का कैलेण्डर जारी हुआ है, उसमें से लगभग 75 परसेंट काम भी पूरा नहीं हुआ। एक बड़ी बात देखिये। नेता प्रतिपक्ष, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 142 लाख का इन्होंने आक्षेप लगाया है कागजों में। उसमें कमेटी ने डिवीजन किया 97 लाख की रिकवरी के लिये। आज तक रिकवरी 7 लाख की हुई है। अपन यह कैलेण्डर किसके लिये जारी करते हैं? जब हमको कुछ लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है, तो क्यों हम यह ढकोसला करते हैं कि आएंगे, जांच करेंगे, नरेगा की या कोई भी पंचायत की, करनी ही नहीं है, रिकवरी लेनी ही नहीं है तो काहे के लिये हम इसको बार-बार करना चाहते हैं?

2021-22 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण की। बहुत अच्छी घोषणा थी, बढ़िया थी। 60:40 का रेशो है, इसमें केन्द्र की योजना भी है, राजस्थान का भाग भी है। इसमें अभी मैंने आपका यह पढ़ा, इसमें आया कि लगभग 93 हजार ही 31 दिसम्बर तक पूरे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि इसकी आवश्यकता ही इतनी आई, प्रस्ताव ही इतने आये। अभी, वर्तमान बजट में मुख्य मंत्री जी ने फिर 2 लाख की घोषणा की है। कापी पेस्ट सेम किया है। पिछले बजट में भी 2 लाख की घोषणा की, अभी तक 93 हजार बने। इस बजट में फिर 2 लाख की घोषणा की है तो तीन महीने में एक-सवा लाख कर देंगे, एक लाख सात हजार? अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, बढ़िया बात है। करिये।

(श्री निर्मल कुमावत)

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में सरकार ने पंचायत समिति और पंचायतों का पुनर्गठन किया, बहुत वाहवाही लूटी और चुनाव की दृष्टि से फायदा भी आपको मिला होगा। मेरे यहां पर भी आपने काफी पुनर्गठन की प्रक्रिया की, पर माननीय सभापति महोदय, जो अधिकारी वहां पर बैठे थे पुनर्गठन करने वाले वे इतने काबिल थे कि जैसे श्रीलंका तो भारत से कहीं न कहीं राम सेतु से जुड़ता है पर मेरे यहां पर किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति में, हमारे झोटवाड़ा से आने वाले माननीय मंत्री महोदय जो अभी नहीं हैं उनकी एक पंचायत को जोड़ा गया है। आप सबको, पूरे सदन को यह ताज्जुब होगा कि शायद पूरे राजस्थान में एक पंचायत होगी जो दो पंचायत समिति को क्रॉस करके तीसरी पंचायत समिति में जोड़ी है। कहीं भी ज्योग्राफिकली उसका कोई बोर्डर मिलता नहीं है। मेरी पंचायत समिति के बीच में पहले जोबनेर पंचायत समिति आ गयी, फिर सांभर आ गयी और फिर रेनवाल की एक पंचायत, जैसे कोई अलग से टापू कोई हमको दे दिया, वह दे दिया। क्या सोचकर काम होता है? मतलब, लोगों को राहत देने के लिए काम करने का काम करते हैं। ढीण्ढा पंचायत को जोड़ा गया है जो पंचायत समिति मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और बगल में 15 किलोमीटर पर दो-दो पंचायत समिति हैं। यह बहुत अच्छा काम उसमें किया गया है?

पंचायतों का पुनर्गठन भी मेरे यहां पर हुआ है। साढ़े नौ-नौ हजार की दो पंचायतें हैं उनको तोड़ने में दिक्कत नहीं आयी, ढाई-ढाई हजार की दो पंचायतों को तोड़कर तीसरी पंचायत बनाने की नौबत आ गयी। राजनीतिक लाभ लेना है, कर सकते हैं। पंचायत समिति के वार्ड, एक वार्ड में सात हजार मतदाता हैं और एक में ढाई हजार मतदाता हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, किस प्रकार से बराबर करने का काम कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, और तो और, जो इतनी बड़ी बातें हम करते हैं ग्रामीण जनता की, गांव की, पंचायती राज की, ग्रामीण विकास की तो मैं हमारे नेता, प्रतिपक्ष महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर चार साल में नौ बार बी.डी.ओ. का ट्रांसफर हुआ है। आप ही लाते हैं और आप ही हटाते हैं। नौ बी.डी.ओ. बदल चुके हैं और आपके मंत्री बनने के बाद अब यह सौभाग्य नहीं हुआ, वह भी जल्दी ही मिल जायेगा, यह मुझे पता है। वह भी मिल जायेगा, कोई दिक्कत नहीं है।

(श्री निर्मल कुमावत)

इसी के साथ, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे धारीवाल जी अभी विराजमान थे, वे चले गये। इसी सदन में माननीय धारीवाल जी ने यह घोषणा की थी कि शहरी विकास अभियान में यह जो पट्टे दे रहे थे, अभियान में पट्टे देने की प्रक्रिया तय की है। अगर चेयरमैन ने 15 दिन में पट्टे पर साइन नहीं किये तो 15 दिन बाद शहरी निकाय के ई.ओ. के दस्तखत से पट्टा जारी मान्य होगा, चेयरमैन के दस्तखत की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सरकार गांव की सरकार को अलग मानती है और शहर की सरकार को अलग मानती है? शहर वाला चेयरमैन अगर आपसे भेदभाव करेगा तो आपने कानून लाकर कह दिया कि ई.ओ. साइन करेगा और गांव में सरपंच साइन नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? वह आदमी आगे-पीछे घूमता ही रहेगा तो ऐसे गांवों के लिए क्यों नहीं आप अधिकार देते हो कि अगर जो सैक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी उसको मान्य करता है। वह पट्टों को साल-साल भर लेकर बैठा रहता है और केवल राजनीतिक द्वेष से साइन नहीं करता तो उनको भी अधिकार आपको देने चाहिए। देने नहीं चाहिए क्या? बताइये आप।

इसी के साथ-साथ, जो हमारे सरपंच संघ हैं, सारे माननीय सदस्यों को सभी सरपंच संघों ने यह ज्ञापन दिये होंगे, मेरे यहां पर भी सांभर सरपंच संघ ने भी यह ज्ञापन दिया है कि जो 15वें वित्त आयोग की आपकी योजनाएं हैं, उनका हिस्सा अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ। मानदेय, और जो है इन कर्मचारियों का, वह भुगतान की राशि कटौती नहीं की जाये। जल जीवन मिशन में जो बजट है, उसमें जलदाय विभाग को, इनके लिए भी अलग से बजट दिया जाये। इनके मानदेय बढ़ाये जायें, सरपंचों के हों या दूसरे हों। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की बजट में कि जन-प्रतिनिधि और पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं, 20 परसेंट की बढ़ोतरी करेंगे। भत्तों में तो शहर में नगरपालिका के पार्षद हैं वे तो काम करते हैं और गांव वाले भगवान भरोसे है। वार्ड पंच को कितना हम भत्ता देते हैं? पंचायत समिति, जिला परिषद् वालों को कितना भत्ता देते हैं? तो क्या वे राम भरोसे हैं? गांव वाला तो उठकर आ जायेगा अपने आप और काम करके चला जायेगा और शहर वाले को बहुत ज्यादा जरूरत है? तो आप लोग इसके लिए कुछ सोचिये और कहीं से भी योजना में मद लाइये, कुछ भी करिये, इनके लिए भी कुछ न कुछ करने की मैं समझता हूं कि सरकार को आवश्यकता है।

(श्री निर्मल कुमावत)

आपके प्रधानमंत्री आवास योजना में जो त्रुटि है, 9 लाख नामों के लिए यह मांग कर रहे हैं सरपंच संघ कि उनको क्यों नहीं जोड़ा जाता है। छोटी-छोटी बातों के लिए इनको परेशान किया जाता है, इनके काम नहीं किये जाते। दूसरा, मेरा एक निवेदन है कि जो नरेगा है, आप सब लोग उसके लिए बार-बार बात करते हैं कि साहब, अच्छा काम करेंगे और मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि पैसा बढ़ायेंगे, वह करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय अभी निकल गये मैं बताना चाहूंगा कि मैंने दक्षिण भारत का अध्ययन किया, कुछ एक-दो राज्यों का। किसानों को राहत देने के लिए अगर यह सरकार कुछ करना चाहती है वर्तमान गहलोत सरकार तो मेरी यह मांग है आपके माध्यम से कि जब फसल कटाई का समय हो तो कम से कम, आप वैसे भी 47 दिन ही रोजगार दे रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा देने वाले नहीं हैं, आंकड़ों में इतना ही तो आपका एवरेज आ रहा है तो कम से कम फसल कटाई जब साल में दो बार आती है तो उस समय नरेगा का पखवाड़ा अगर आगे-पीछे कर दें तो हो सकता है कि किसानों को कम लागत में लेबर मिल जाये, कम से कम वे अपना काम कर लें। दक्षिण भारत में चाहे तेलंगाना है, चाहे आंध्र प्रदेश है, वे लोग फसल कटाई के समय बिलकुल नरेगा का काम नहीं लेते। मैंने खुद ने पढ़ा है और स्टोरी भी देखी, डाक्यूमेंट्री देखी है तो राजस्थान के लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता?

माननीय सभापति महोदय, आज तमाम माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, इसको या तो कृषि से जोड़ दो या नहीं तो कम से कम उस पखवाड़े को आप आगे-पीछे कर दें। कहां दिक्कत है? कोई मनाही थोड़े ही है काम करने के लिए? आज हमको 400 रुपये में भी लेबर नहीं मिलती है और नरेगा में आप 100 रुपये नहीं देते उनको मगर बैठे-बैठे लोग-बाग काम नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते हैं आप?

जो बड़ी-बड़ी बातें, यह घोषणाएं इस सरकार ने कीं, चाहे जन घोषणा पत्र में, चाहे आपके बजट में, चाहे मीडिया में, मेरा तो इतना ही कहना है कि जो गांवों की सम्पर्क सड़कें हैं उनको जोड़ने का जो वादा किया वह आप कब तक पूरा करेंगे? यह बताइये। गांवों के साथ जो नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम का आपने वादा किया है, एक भी पंचायत में कहीं पर किया हो तो वह बताइये कि कब तक ड्रेनेज का सिस्टम करेंगे? जो पैसा खर्च हो रहा है वह पैसा प्लानिंग से खर्च करेंगे, इसके

(श्री निर्मल कुमावत)

लिए आपकी क्या कार्ययोजना है? यह भी बताइये। पंचायतों में आपके पास सरकारी भूमि नहीं मिलती है, एक दूसरे के कोई भी आफिस आता है तो कई बार पैसा लैप्स होकर चला जाता है, उसके लिए क्या मैनेजमेंट रहेगा? हम केवल दानदाताओं के पीछे ही भागते रहेंगे या सरकार कोई पालिसी लाकर कोई भूमि एक्वायर करेगी या नहीं करेगी? क्या उसके लिए काम करेंगे?

आवास योजना के लिए आपके स्वीकृत हो जाते हैं, एक किश्त आ जाती है पर दूसरी किश्त रुक जाती है क्योंकि साहब, भूमि का काम सही नहीं है, वह नहीं है, हजार तरह की त्रुटियां हैं। जो पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ, ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से बीस-पच्चीस किलोमीटर दूर किसी को डाल दिया तो क्या वापस उनको ठीक करेंगे क्या? यह भी बताइये। गांवों में श्मशान के लिए भूमि नहीं है, अतिक्रमण हो रखे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करेंगे, यह भी आपको बताना चाहिए। जो कच्चे रास्ते हैं उनको ग्रेवल बनाने के लिए क्या कार्य-योजना है और जो ग्रेवल हैं उनको डामरीकरण करने के लिए क्या योजना है? सभी गांवों में रोड लाइट और पंचायत मुख्यालयों को आधुनिक करने का जो आपने वादा किया था, उसके लिए आपने क्या किया?

माननीय सभापति महोदय, एक दिलचस्प बात आपकी और है जो मैंने इसमें पढ़ी है। आपने जो यह घोषणा की थी कि यह स्मार्ट गांव, स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज योजना में आपने यह घोषणा कर रखी है कि 3,275 स्मार्ट विलेज को चयनित करके जल निकासी प्रबन्धन, प्रत्येक स्मार्ट विलेज को दो लाख की आबादी के सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान, ओपन जिम, चरागाह विकास हेतु खाई, मिट्टी खोदना, ग्रामीण गौरव पथ, प्रकाश हेतु लाइट, एल.ई.डी., सोलर लाइट, गांवों में नियमित स्वच्छता, सफाईकर्मी एवं कचरा प्रबंधन, दो मुख्य मार्गों को स्वराज मार्ग के नाम से विकसित करना, ई-पुस्तकालय, वाई-फाई, यह आपने इतने जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल, प्राथमिक, यह तो हो गया। पशु चिकित्सा हो गया।

श्री सभापति: कृपया पांच मिनट में कंक्लूड करें। पांच मिनट में।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, बैठ ही रहा हूं। यह इतनी बढ़िया-बढ़िया घोषणा करके इस किताब में आपने इतनी सुन्दर-सुन्दर बातें लिखीं और जब अन्त में इसके कार्य की

(श्री निर्मल कुमावत)

प्रगति, योजना की प्रगति शब्द जब आता है तो उसमें मैंने यह पढ़ा कि राज्य स्तर पर जिला परिषद् के माध्यम से चयनित स्मार्ट विलेज में चयनित गतिविधि सुविधाओं की आवश्यकता उपलब्धता के सम्बन्ध में बेसलाइन सर्वे करवाया जा चुका है। सर्वे के अनुसार चयनित गतिविधियों के कार्य चिह्नित किये गये हैं। वाह, आप सपने दिखाते हो स्मार्ट विलेज के और आप कह रहे हो कि अभी तो हमने चयनित किया है। कौनसा चयनित करेगा, कौनसी एजेंसी क्या काम करेगी, यह तो बताइये आप इसमें।

मेरा तो इतना ही कहना है कि यह जनता को आप सपने दिखाना बन्द करिये और जो वाकई में ग्रामीण विकास का उद्देश्य है, अधिकारियों से मॉनिटरिंग करवाइये, इस विभाग को काम में लेने के लिए आपको ताकत पूरी लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण जनता को राहत मिले।

पुन: मेरी माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, उनको भी नगरपालिकाओं के बराबर जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे भत्ते हो या चाहे पंचायत समिति मैम्बर या चाहे जिला परिषद् मैम्बर या चाहे वार्ड पंच हो, उन सबको आप भत्ता देने की कोशिश करें। इसी मांग से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास एवं मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और एक तरह से भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह हम आगे से सुनते आये हैं। 2011 की अगर जनगणना, सैंसस को देखें तो 2011 के सैंसस में तकरीबन 70 प्रतिशत तो देश की और राजस्थान की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। पूरे देश में तकरीबन 84 करोड़ लोग और राजस्थान में तकरीबन सवा पांच करोड़ लोग गांवों में निवास करते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस बजट में कई ऐतिहासिक घोषणाएं ग्रामीण विकास के लिए कीं।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

सबसे ज्यादा मनरेगा को लेकर जो 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस करने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने इच्छा जताई है, उसके लिए हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि ग्रामीण विकास के लिए जो बजट इस बार है वह 28 हजार करोड़ रुपये किया है जो कि पूरे बजट का 10.3 प्रतिशत हिस्सा है।

सभापति महोदय, दूसरी तरफ जो केन्द्र की सरकार है उसके पास रूरल डवलपमेंट का काफी बड़ा बजट होता है, उस बजट के अन्दर इस बार, पिछली बार के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हैं, उनके मुकाबले में करीब 11 प्रतिशत की कमी आयी है। 1.38 लाख करोड़ रुपये का इस बार प्रोविजन रखा है और यह जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन के पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। सभापति महोदय, रूरल डवलपमेंट में दो सेक्टर हैं। एक तो रूरल डवलपमेंट का पार्ट है और एक लैण्ड रिसोर्स का पार्ट है। रूरल डवलपमेंट पर 1 लाख 35 हजार करोड़ और लैण्ड डवलपमेंट पर 2,259 करोड़। इस पूरे आंकड़े को अगर हम निकालते हैं तो 11 प्रतिशत की कमी हुई है। पार्लियामेंट में जो स्टैण्डिंग कमेटी बनी हुई है रूरल डवलपमेंट की, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह जो फण्ड की कमी है, पैसे की है इससे ग्रामीण इलाके की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और आने वाले समय में सीधे तौर पर रूरल इलाकों पर असर पड़ेगा। जब मैंने देखा, पूरा अध्ययन किया इस चीज का, कि किस चीज में ग्रामीण विकास में फण्ड कम हुआ है, तो ग्रामीण विकास का जो 11 प्रतिशत का डाउन फाल है, इसका मेजर खामियाजा मनरेगा के लोगों को भुगतना पड़ेगा। तकरीबन 26 प्रतिशत फण्ड की इसमें कमी की गई है।

इसके अलावा दो कम्पोनेंट्स में और भी कमी की गई है। पीएम आवास में भी 2 प्रतिशत की कमी है रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजटरी एस्टिमेट के बीच में। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बारम्बार केन्द्र की सरकार ने इस मनरेगा के बजट को कम करने की कोशिश की। जब हम 2016-17 से देखते हैं तो जो भी बजट एस्टीमेट था, उससे वह एक्चुअल एस्टीमेट्स ज्यादा गये। उसका कारण क्या था, यह समझने की जरूरत है। मनरेगा इस देश की आवश्यकता है। जैसे कि 2016-17 में हमारा 38 हजार 500 बजट एड था, एक्चुअल हुआ 48 हजार। इसको सारे सालों में देखते जा रहे हैं तो 2020-21 में 61 हजार हमने बजट एड किया पर एक्चुअल हुआ 1

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

लाख 11 हजार। यह फिगर्स खुद अपने आप में एक कहानी बता रहे हैं कि क्या केन्द्र सरकार को करना चाहिए। किस तरह से नरेगा ग्रामीण विकास का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जहां तक पी एम जी एस वाई की बात करते हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इन फिगर्स में यह भी दिखाई देता है कि पी एम जी एस वाई जैसी योजना में जो भी बजट एक्सपेंडिचर था, उससे एक्चुअल काफी कम हुआ है। 2020-21 में 30 प्रतिशत कम हुआ। 2019-20 में 26 प्रतिशत कम हुआ और यह स्वयं दिखाता है कि रूरल डवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं, उसमें कितना मनरेगा इम्पोर्टेंट है और अदर पैरामीटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है।

माननीय सभापति महोदय, रूरल डवलपमेंट में फण्ड क्यों कम हुआ, यह सोचने की जरूरत है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट रूरल डवलपमेंट को अपनी लास्ट प्रायोरिटी का आइटम मान रही है और दिल्ली की सरकार, केन्द्र सरकार का पूरा एजेंडा अमीरों के लिए बजट बनाने का रह गया है और यह बजट एक तरह से अमीरों के द्वारा, अमीरों का एवं अमीरों के लिए बनाया गया है। बजट उन 01 प्रतिशत हिन्दुस्तानियों के लिए बनाया गया जिनका राष्ट्रीय सम्पदा पर 73 प्रतिशत कब्जा है। दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में पिछले चार सालों की जो हमारी बजट एक्सपेंडिचर स्टोरी है, उसमें जो नेशनल एवरेज है, उससे हमारा बजट हमेशा ज्यादा रहा है रूरल डवलपमेंट का। जहां 2019-20 में 6.1 था नेशनल एवरेज, हम 6.8 थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसा केन्द्र सरकार कर रही है वैसे ही बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी कर रहे हैं। चाहे हरियाणा की ले लें और चाहे गुजरात की ले लें, जहां नेशनल एवरेज 6.1 था 2019-20 में, राजस्थान 6.8 था, गुजरात 3.4 था और हरियाणा 4.9 था। वैसा का वैसा 2020-21 में हुआ। नेशनल एवरेज 6.2 परसेंट था, राजस्थान 6.8 रहा, गुजरात का 3.6 और हरियाणा 5.3 रहा। नेशनल एवरेज से सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट कम हैं। उसी कड़ी में 2022-23 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो नेशनल एवरेज है 5.7, अभी तक जो बजट आये हैं उसके हिसाब से, उसके सामने 10.3 परसेंट रखा है और बाकी सारे स्टेट्स के मुकाबले में हमारा रूरल डवलपमेंट पर जो स्टेट का फोकस है, वह सबसे ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम रूरल डवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत आती है मनरेगा के बारे में क्योंकि 50-60 परसेंट रूरल डवलपमेंट के फण्ड का हिस्सा मनरेगा में यूज होता है। यह कांग्रेस की

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

वह फ्लैगशिप स्कीम है, जो 2008 में हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के इनिशिएटिव से हमारे प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इसको लागू करवाया था और आज एक तरह से भारत में रूरल डवलपमेंट का पर्यायवाची बन चुकी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार की जरूरत है तो मनरेगा के अलावा आज की तारीख में कोई सोर्स नहीं है। इस मनरेगा के कारण ही हम लोग सौ दिन तक लोगों को रोजगार देने में कामयाब होते हैं। 2005 से लेकर 2012, विशेष तौर पर 2008 से 2012 तक एक बहुत अन्तरराष्ट्रीय मन्दी आयी थी। उस मन्दी में दो ही देश सर्वाइव करने में कामयाब रहे, एक चाइना और एक इण्डिया। पापुलेशन ओरियेंटेड ज्यादा थे और सर्वाइव करना इस मन्दी में बहुत मुश्किल था। अगर उस समय यह मनरेगा नहीं होता तो मेरे ख्याल में इन दोनों कन्ट्रीज का सर्वाइव करना मुश्किल होता। खास तौर पर भारत के लिए सर्वाइवल बहुत इम्पोसिबल होता।

दूसरी ओर जहां हम देख रहे हैं, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे प्रधान मंत्री जी ने मनरेगा को लेकर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया। वह स्टेटमेंट सारी जगह सबने सुना भी होगा। मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 'मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बन्द मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ रहा है और मैं गाजे-बाजे के साथ स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे जो खोद रहे हैं, वह 60 साल के पापों का नतीजा है।' यह एक प्रधान मंत्री का वक्तव्य है और उन प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य है जो इन पूरे आठ सालों में रूरल डवलपमेंट की कोई स्कीम लेकर नहीं आये। इस पूरे भाषण में मोदी जी ने अपनी मानसिकता बतायी कि रूरल डवलपमेंट में हम क्या करना चाहते हैं। क्या आप कहना चाहते हो कि मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, वे सारे लोग गलत हैं, वे सारे लोग चोर हैं? मनरेगा में भारत की ग्रामीण व्यवस्था के लोग अपने खून पसीने और मेहनत करके एक आधारभूत संरचना गांव के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो केन्द्र सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नीति दी थी, उससे अपना जीवन यापन हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों के जीवन यापन के लिए इससे बड़ी कोई स्कीम आपके पास थी तो आप आठ साल में मनरेगा को रिप्लेस कर देते। कोई रिप्लेसमेंट नहीं, सिर्फ

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

मनरेगा को कोसना है। पिछले कई सालों के फिगर्स बता रहे हैं कि आप हमेशा बजटरी एस्टीमेट कम रखते हो, परन्तु अल्टीमेटली, फोर्सफुली आपको मनरेगा पर मैनडेज के परसेंट के हिसाब से खर्च करना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि देश ने दो-दो बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दिल्ली में सरकार बनायी। कोई न कोई ऐसी स्कीम लाते जो कि मनरेगा के टक्कर की होती या मनरेगा से बैटर होती तो निश्चित तौर पर हम लोग और आप लोग इसकी प्रशंसा करते। राजनीति में हम लोग आते हैं जीतने के बाद लोगों की सेवा करने के लिए, न कि जो पुरानी स्कीम्स हैं, उनकी आलोचना और उनको बन्द करने के लिए। इस बार मनरेगा के लिए जो बजट कम हुआ है, सभापति महोदय, वह बहुत ही चर्चा का विषय है। तकरीबन 25-26 प्रतिशत फण्ड कम हुआ है। 98 हजार करोड़ रुपये से घटा कर 73 हजार करोड़ रुपये किया और उस 73 हजार करोड़ रुपये में भी, जो परम्परा रही है तकरीबन 20 प्रतिशत पैसा पिछली देनदारियों का जाता है जो कि अभी 12 से 15 हजार करोड़ के करीब है। यह कुल मिलाकर यूज करने के लिए सिर्फ 60 हजार करोड़ रुपया तकरीबन हमको मिलेगा और उससे 9 करोड़ मानव दिवस में कमी आयेगी। 9 करोड़ मानव दिवस किसको कहते हैं? गरीब का एक दिन का रोजगार अगर खतम हो जाता है वह परेशान हो जाता है इसलिए मैं चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इन मानव दिवसों को बढ़ाये। वैसे तो आपको फोर्सफुली बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जिस गरीब और जिस गांव के व्यक्ति को एक दिन या 9 करोड़ रोजगार कम कर रहे हो, उसकी हाय लगेगी और 2024 में आपको उसकी हाय विपक्ष में बैठा देगी। मैं आपको कह रहा हूं और आप लोगों को इस बात को भी देखना चाहिए कि मनरेगा में राजस्थान की स्टोरी क्या रही। मनरेगा में राजस्थान ने हमेशा बहुत शानदार काम किया है। अभी हमारे उप नेता प्रतिपक्ष चले गये, उनके कार्यकाल में 2016-17 और 2017-18 में राजस्थान सैकण्ड आया ऑल ओवर इण्डिया प्रोफाइल के अन्दर, मैनडेज में, परसेंटेज के अन्दर। उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनी और दिसम्बर, 2018 के बाद मनरेगा पूरा फोकस्ड काम हो गया और उसके बाद में हमको इस बात की खुशी है कि राजस्थान उसके बाद से अब तक अव्वल है मैनडेज के अन्दर। राजस्थान के अन्दर मनरेगा का फोकस क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि गांव के उस गरीब व्यक्ति के लिए यह स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

है। आज अगर आप कम्पेरेटिव फिगर्स देखेंगे कि कितने परसन डेज जनरेट हुए थे बीजेपी रूल्ड टाइम्स में, तो मैं कन्क्लूड करके बता देता हूं, टोटल करके ही, 79 लाख वर्क डेज परसन डेज जनरेट हुए थे जबकि कांग्रेस कार्यकाल में पिछले तीन सालों में 120 लाख परसन डेज जनरेट हुए हैं। दूसरी तरफ जहां 100

(समय: 14.00 बजे)

दिन की बात आ रही है कि 100 दिन का रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है, तो पिछली सरकार कितनी गम्भीर थी, यह आपके सामने है कि 12 लाख 43 हजार लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, जबकि इस तीन साल के शासनकाल में करीबन-करीबन 34 लाख लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है।

माननीय सभापति महोदय, जो एक्सपेंडिचर मनरेगा पर हुआ है, वह मनरेगा का एक्सपेंडिचर 16 हजार करोड़ पिछले तीन सालों में भाजपा सरकार में हुआ। कांग्रेस की इस तीन साल की सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 25 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा मनरेगा के अन्दर खर्च हुआ है। कुल मिलाकर मनरेगा के बारे में आप सब लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह से इस स्कीम में हमने लोगों के लिए नीतिगत तौर पर रूरल एरियाज में बहुत मदद की है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि पिछले बजटों में और हमारे बजट में, अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हम लोगों ने कई सारी योजनाएं लागू कीं, उनके बारे में भी कहूंगा। पिछली सरकार के पांच बजट उठायें। 2013 से लेकर 2018 तक के, उसमें सबसे पहले मैंने देखा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मगरा क्षेत्र और इस इलाके में, मेवात क्षेत्र, डांग क्षेत्र के लिए भी, इन सब चीजों के लिए 300 करोड़ रुपये की घोषणा हुई। वह घोषणा पूरी हुई क्या? आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए। जनजाति क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपये की उस बजट में घोषणा हुई। क्या वह घोषणा पूरी हुई?

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं, उसमें मगरा विकास के नाम पर 300 करोड़ रुपये कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। 2014-15 की घोषणा है। घोषणाएं हम सब कर लेते हैं। यह हम पर भी लागू होती है। राजनीति में जो भी हम घोषणा करें इस पवित्र सदन के अन्दर, उसको एक

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

तरह से भगवान मानकर, उस घोषणा को एक तरह से हमारे जनादेश के ऊपर एक आदेश मानकर हमको उसकी पालना करनी चाहिए। 2015-16 में मैंने पढ़ा था घोषणा हुई, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना और दूसरा 50 करोड़ रुपया आपने मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए दिया। यह अच्छी घोषणा थी। निश्चित तौर पर मैटेरियल कम्पोनेंट्स के लिए अलग से पैसा सरकार को देना चाहिए ताकि मनरेगा में हम सम्पत्ति का निर्माण कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, 2016-17 की घोषणा मैंने देखी, मुख्य मंत्री खेल मैदान विकास योजना। इसमें लिखा है 2 हजार खेल मैदान बनेंगे। वे खेल मैदान कहां बने? कोई विधान सभा क्षेत्र का व्यक्ति बता दे, प्रतिनिधि बता दे, उसकी बजाय इस सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में 35 स्टेडियमों के निर्माण के लिए अभी स्वीकृति जारी हो चुकी है, उसमें काम चालू है।

माननीय सभापति महोदय, मुक्ति धाम विकास योजना, एक हजार श्मशाम बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे, 100 करोड़ रुपये, पर क्या कोई बना? अगर बनाएं हैं तो आप अपने सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट, दूसरे कोई भी माननीय सदस्य बोलें तो निश्चित तौर पर बताएं। 15 हजार की आबादी पर हम अग्निशमन वाहन दे देंगे और फायर फाइटर दे देंगे पर मेरे भीम, जिसकी आबादी 25 हजार से ऊपर है, नेता, प्रतिपक्ष जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें कोई अग्निशमन वाहन आया है क्या? कोई अग्निशमन वाहन नहीं आया। जब हम लोग ये घोषणाएं करते हैं, हम सरकार में होते हैं और उसके बाद में जब हम विपक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसके बारे में बोलने लग जाते हैं कि यह घोषणा पूरी नहीं हुई, यह घोषणा पूरी नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले कई वर्षों में, जैसे अभी स्मार्ट विलेज की बात आयी, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि स्मार्ट विलेज की घोषणा हुई। स्मार्ट विलेज की घोषणा कब हुई? माननीय नेता, प्रतिपक्ष जानते हैं 2017-18 में घोषणा हुई थी और स्मार्ट विलेज का क्या हश्र हुआ? जैसा स्मार्ट सिटी का हश्र हो रहा है वैसा ही हश्र स्मार्ट विलेज का हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने राजेन्द्र राठौड़ साहब की स्पीच देखी थी एज ए पंचायती राज और रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर, इसमें उन्होंने बोला

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

था कि हम तीन हजार की आबादी तक के 3,171 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में राजस्थान में तैयार करेंगे। उसमें क्या-क्या होगा? पशु चिकित्सा होगी, दुग्ध उत्पादन समिति होगी, चरागाह समिति होगी, वाई-फाई होगा। यह तमाम चीजें हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। राजनीति में घोषणा करने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना है। यह आप पर और हमारे सब पर यह बात लागू होती है। इस चीज को हमको गम्भीरता से देखना चाहिए। उसी बजट में यह कहा गया कि डांग, मगरा और मेवात की 300 ग्राम पंचायतों को भी हम स्मार्ट विलेज में घोषित करेंगे, वह भी नहीं हुई। 3 हजार की ऊपर की आबादी के मेरे यहां तो चार-पांच विलेज मुझे याद हैं। बरजाल हुआ, बरार हुआ, बीवेर हुआ, ये तमाम गांव हमारे उसमें किसी भी सूरत में शामिल ही नहीं हुए। कोई गांव इसमें शामिल नहीं हुआ। 2018-19 में भी कई तरह की घोषणाएं हुईं। घोषणाएं करना बहुत आसान है, पर उनको पूरा करने पर हमारा फोकस रहना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एम.एल.ए. लैड, जो कि रूरल डवलपमेंट का एक हिस्सा है, एम.एल.ए. लैड को लेकर आप तमाम सदस्यों ने और हम सब लोगों ने मिलकर माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग की थी और एक विधायक को एक सांसद के बराबर पांच करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं दिल की गहराई से और फ्लोर आफ द हाउस पर उसकी घोषणा की। माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ जो एम.पीज. हैं, उनकी स्थिति आप देख लीजिए। आपके एम.पीज. को भी वहां जाकर दिल्ली में मांग करनी चाहिए कि हमारा पांच करोड़ से बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़, 15 करोड़ करें। कुछ न कुछ तो बढ़े, पर कोई बोलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एम.पीज. के गांव गोद लेने की घोषणा हुई। जैसे स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी, वैसे ही गांव गोद लेने की हुई। क्या हुआ उन गांव गोद लेने वालों का? मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो किसी तरह का कोई भी गांव ऐसा दिखाई नहीं देता, जो किसी एम.पी. ने गोद लिया हो।

माननीय सभापति महोदय, दिशा के लिए क्या हो रहा है? दिशा की एक अच्छी स्कीम थी। प्रधान मंत्री जी का यह प्रयास अच्छा था कि एम.पी. अपने इलाके में जाएं, अपने वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को रिव्यू करें। कितने एम.पीज. ने कितना रिव्यू

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

किया और रिव्यू करने के बाद में उसका क्या परिणाम निकला, यह भी ग्रामीण विकास का एक पार्ट है, इसमें कुछ नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा का जब बजट कम हुआ, तो हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई न कोई एम.पी. तो बोलेगा पर शायद बोलने के लिए अलाउड नहीं है, पार्टी विद द डिफरेंस में बोलना मना है और इसीलिए शायद 25 में से कोई एम.पी. नहीं बोला और आज हालात यह हैं कि इसका सीधा असर हमारे आने वाले दिनों में हमारी रूरल इकोनॉमी पर होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ सजेशंस देना चाहूंगा जिससे कि हम लोग अभी सत्ता में हैं और आने वाले समय में भी लोग हमारे से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या-क्या हम लोग सुधार करेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक तो मैं यह चाहूंगा कि हमारे रेवेन्यू विलेजवाइज नरेगा का स्प्रेड हो, इसको गम्भीरता से फोलो-अप किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर आप इस बात को अच्छी तरीके से सुनेंगे तो लागू हो पाएगी। मंत्री महोदय, आप हमारी बात सुन लोगे तो कुछ इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि जिस कुर्सी पर आप बैठो हो, उस पर बहुत से सीनियर लोग बैठे हैं। आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, राजस्थान के लोग भी और हम सब लोग भी। रेवेन्यू विलेजवाइज नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और जो मिनिमम वेज है नरेगा के अन्दर, वह भी 225 रुपये किया जाए। इसके ऊपर भी हम लोग काम करें। वेज स्लिप जो साइन होती है, वह मजमे आम हो। इसके अलावा, मेट्स के रोटेशन का तो है ही हमारे, लॉ कास्ट स्टेडियम, एक बांसवाड़ा है डूंगरपुर जिले में, लॉ कास्ट में एक स्टेडियम बना। यह युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा। अगर हम नरेगा से कुछ स्टेडियम के बारे में टार्गेट करके कर पाएं। हमारे जितने भी श्मशान घाट और स्कूल्स हैं, वे ज्यादातर बाउण्ड्री रहित हैं। उनमें बाउण्ड्रीज नहीं हैं। इसमें कहीं न कहीं कन्वर्जन से लें या कोई भी तरीके से, हम ग्रामीण विकास के अन्दर यह काम कर पाएंगे कि जो अन्तिम यात्रा के लिए शव यात्रा पहुंचती है श्मशान घाट में, तो उसमें जाने का रास्ता, एक तो सी.सी. ब्लाक से हो और उस श्मशान घाट की दशा ऐसी तो हो कि वहां हमको शर्मिन्दगी तो महसूस नहीं करनी पड़े। चाहे कितनी भी बार सरकार इधर की रही हो या उधर की रही हो, उसको सुधारने का काम हमको निश्चित तौर पर करना चाहिए। एक एम्बुलेंसेज के आपरेशन को लेकर हम सब माननीय सदस्यों ने कहीं-न-कहीं

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

कोरोना में या उसके आगे-पीछे अपनी तरफ से एम.एल.ए. फण्ड से एम्बुलेंस को दिया होगा। इस एम्बुलेंस के आपरेशन के लिए भी अगर एम.एल.ए. लैड से पैसा हम आर.एम.आर.एस. को, जो मेडिकल रिलीफ सोसायटी है, उसको देने का कुछ प्रावधान करें तो निश्चित तौर पर उस एम्बुलेंस से कुछ नि:शुल्क सेवा हमारे इलाके के लोगों के लिए कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मनरेगा को, जैसा हम सब लोग कह रहे हैं, एग्रीकल्चर से भी जोड़ने की जरूरत है और जो कोटेज इंडस्ट्रीज हैं या छोटी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से भी अगर हम आने वाले भविष्य में इसको जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मनरेगा के अन्दर काम भी मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पांच मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): जैसा कि हम सब सोचते हैं कि गड्ढे खोदने वाली योजना है, तो इसकी बजाय कुछ रोजगार देने वाली योजना में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नरेगा में जो डिसएबल्ड लोग होते हैं, अक्षम लोग होते हैं, उनके लिए भी किसी न किसी तरह का फण्ड बनाकर, कुछ प्रतिशत तय करके, कुछ स्कीम बनाकर उनको भी जोड़ा जाए। मनरेगा एक तरह से टास्क बेस स्कीम है। इसको टाइम बेस नहीं बनाकर टास्क बेस बनाया जाए। जो इस इलाके में काम कर रहा है, हमारे दो-तीन जिलों में, राजसमन्द में, भीलवाड़ा और पाली में, अजमेर में, उन्होंने कई सारे काम टास्क बेस पर किये हैं, जिससे कि जो लोग अपना टास्क कम्पलीट करें, उसके बाद में वह अपना काम कम्पलीट कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मैटेरियल कम्पोनेंट को लेकर कहना चाहूंगा। पूर्व में कांग्रेस की सरकार में भी हुआ कि 200 करोड़ रुपये के करीब दिया गया, क्योंकि 40 प्रतिशत इसमें फिक्स है और परिसम्पत्तियां नहीं बनेंगी तो निश्चित तौर पर हम जब बाद में रिव्यू करेंगे कि नरेगा में इतने हजार, इतने लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, इतने लोगों को रोजगार भी मिला, परन्तु परिसम्पत्तियां नहीं बनीं। इसके लिए कुछ न कुछ फण्ड के लिए सरकार, मंत्री महोदय, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें कुछ न कुछ प्रोविजन करें। सबसे महत्वपूर्ण, जो कि मगरा विकास में, मैं मगरा विकास क्षेत्र से ही आता हूं, मगरा विकास के लिए 300 करोड़ रुपये की परिकल्पना की थी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने, परन्तु वह न तो तब

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

फुलफिल हो पायी और अभी भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये किया। इसको बढ़ाने की जरूरत है। पांच करोड़ तो आज एक विधायक का, एम.एल.ए. लैड हो गया है। जब विधायक का एम.एल.ए. लैड पांच करोड़ है और जिसके अन्दर करीबन 15 विधान सभा क्षेत्र आ रहे हैं तो उसका तो फण्ड कम से कम 50 करोड़ रुपये तो होना चाहिए। यह मैं चाहूंगा कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरी तरफ से अनुरोध करें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा कि जितना भी अपने यहां पर इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे नरेगा में डेज को लेकर हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि 47 ही है तो निश्चित रूप से इसको बढ़ाने की जरूरत है। हम इसको आगे बढ़ायें, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि आल इंडिया एवरेज भी 45 परसेंट पर-पर्सन ही है। इसको बढ़ाने की हमें जरूरत है। आप ग्रामीण विकास पर पूरा फोकस करें और अच्छे तरीके से इस विभाग को चलायें ताकि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र की जनता का भला हो सके और हम राजस्थान में कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महात्मा गांधी कहते थे कि भारत गांवों में बसता है। जब तक ग्रामीण परिवेश के लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे और गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक भारत का कल्याण हो नहीं पायेगा। हमें गर्व है कि नेहरू जी ने पंचायती राज की स्थापना नागौर से की। इस पंचायती राज में सरपंच, प्रधान, प्रमुखों ने अपनी आवाज यहां तक पहुंचायी है। गांवों में जो समस्या है उसकी सदन में बात हो और गांवों को उसका फायदा मिले।

आज मैं भी यहां हूं तो 1999 से 2002 तक मैं प्रधान था। सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद, आम जनता का विश्वास जीतने के बाद मैं लगातार पांचवीं बार विधायक बना हूं। मैं इस ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ हूं। आज भी मुझे गांवों में काम करने में मजा आता है कि आम जनता को, जो गरीब व्यक्ति है, इसको मैं कैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाऊं। तब जाकर के मुझे तसल्ली मिलती है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, आज हालत यह है कि 1998 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी और अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वास सदन में पैदा किया कि हम पंचायती राज को बहुत मजबूत बनायें। विभिन्न कार्यक्रमों से ग्रामीण विकास में बहुत बड़ा काम करें। लगभग 13 विभागों को इन्होंने पंचायती राज से जोड़ा। इसमें सिंचाई विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, पीएचईडी हो, इन सब विभागों को ऐसा जोड़ा कि ऐसा लगने लगा कि वास्तव में गांव के सरपंच के पास अधिकार आयेंगे, पंचायत समिति प्रधान और मेम्बर के बहुत अधिकार बढ़ेंगे। जिला परिषद् के अधिकार बहुत बढ़ेगे। कलेक्टर ही उसका प्रशासक रहता था। कलेक्टर ही डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष रहता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भैरोंसिंह जी शेखावत को, जिन्होंने जिला प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जिस दिन पंचायती राज की स्थापना हुई और गांवों में विकास शुरू हुआ और आज आप इसकी तुलना करें तो पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख और पंचायती राज को आपने बहुत कमजोर कर दिया। एक टाइम था जब प्रधान और प्रमुख के द्वारा शिक्षकों की भर्ती होती थी। एक टाइम था जब जिले में प्राइमरी शिक्षा का पूरा कंट्रोल पंचायती राज के पास रहता था, प्रधान और प्रमुख के पास रहता था। थर्ड ग्रेड टीचर्स की ट्रांसफर्स, पोस्टिंग सब उनके हाथ में थी। आज धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि हमने उनको सीज कर दिया। अगर कहीं अधिशेष टीचर्स हैं और कहीं टीचर्स बिलकुल नहीं हैं, अगर उसका ट्रांसफर करना है तो सरकार से ही ट्रांसफर होगा। प्रधान के पास तो वह पावर भी नहीं है कि उसका डेपुटेशन भी कर सके।

आपकी वहां जो स्टैंडिंग कमेटी है, वह नाम मात्र की रह गयी है। आजकल तो 3-3 महीने में एक बार स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है। जो कि पंचायती राज के ऊपर एक अलग से जुडिशियरी थी, जिसमें प्रधान पंचायतों के ऊपर अपील स्टैंडिंग कमेटी में करता था और जिला परिषद् प्रधान के ऊपर करती थी। आज 3-3, 4-4 महीने में एक मीटिंग होने लगी है। मैं समझता हूं कि पंचायत ने जो निर्णय ले लिया वह फाइनल है। लोगों ने उसके ऊपर अपील करने का प्रावधान, उन्होंने विश्वास ही खतम कर दिया।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आज पंचायती राज की हालत ऐसी हो गयी है कि जो मिनी डैम्स हैं, आपने सभी मिनी इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स पंचायती राज को दे दिये। आज आपने आंगनबाड़ियां पंचायती राज के अधीन दे दीं। आज भी कई आंगनबाड़ियां ऐसी हैं जो घरों में चल रही हैं। आज ऐसे कई डैम्स हैं, जो पहले इर्रिगेशन विभाग के पास थे। आज पंचायती राज को देने के बाद में उनकी क्या दुर्दशा है? जिसके पास लाठी है वही पानी पिलाता है। आज आम आदमी, गरीब आदमी को पानी तो मिलता नहीं है। जनता जल योजना में पी.एच.ई.डी. उसका बिल भरती थी। आज वह पंचायतों को भरना पड़ता है। आज फंड आ नहीं रहा। 2-2, 3-3 किश्तें आपकी ड्यू हो गयीं। गांवों की बिजली, सफाई और पीने के पानी की किश्तें चढ़ गयीं। गांव में लाइट के कनेक्शन कट गये, पीने के पानी के कनेक्शन कट गये। सफाई कर्मचारियों को भुगतान हो नहीं रहा है। गांव आज ऐसी हालत में पहुंच गये कि पंचायतें जो आत्म-निर्भर बननी चाहिंए थीं, वे आज फूटी कौड़ी के लिए तरस गयीं। वह देख रही हैं कि कहीं से पैसा मिल जाये ताकि मैं अपने कर्मचारियों को पैसे दे सकूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने घोषणा-पत्र में कहा कि हम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मियों को परमानेंट कर देंगे। आज आधे तो पंचायत सहायक सीनियर सैकण्डरी स्कूल में बैठे हैं, आधे पंचायत सहायक पंचायतों में बैठे हैं। कोई न कोई फैसला कीजिये। या तो इनको पंचायतों में बैठायें, पंचायतों में आज कई काम ऐसे आ गये कि एक ग्राम विकास अधिकारी 3-3 पंचायतों को सम्भाल रहा है। पंचायत सहायक वहां बैठकर के उसका मजबूती से काम करा सकता है। कोई स्कूल में बैठा है, कोई पंचायतों में बैठा है।

महानरेगा की बात करें तो आप जो यह कह रहे हैं कि इतना बजट हमने पिछले 2 सालों में महानरेगा में खर्च किया है, इसका एकमात्र कारण कोरोना है। कोरोना के टाइम लोगों के पास काम नहीं था। जो भी प्रवासी थे, वे अपने छोटे-मोटे काम बन्द करके गांव में आ गये। यह उनकी मजबूरी थी अपने बच्चों को पालने के लिये। तब जाकर के वे नरेगा में गये। आपने ऐसे बात को बताया कि जैसे नरेगा हमने ही खोली है। आने वाले सालों में आपको पता लगेगा कि 2020-21 में जो आपके पैरामीटर्स थे, नरेगा में पैसा खर्च हुआ है, 2021-22 में उससे कम हुआ है। आज लगभग 4 विभाग इस महानरेगा से जुड़े हुए हैं पंचायती राज, इर्रिगेशन, वन विभाग और सिंचाई विभाग।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मंत्री महोदय, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि अगर पंचायती राज नरेगा का काम करना छोड़ दे तो ये दूसरे जो 3 विभाग हैं, ये बिलकुल ही नगण्य काम कर रहे हैं। पी.डब्ल्यू.डी. काम नहीं कर रही है, जंगलात काम नहीं कर रहा है। उसके साथ-साथ आपका सिंचाई विभाग भी कोई काम नहीं कर रहा है। जो भी डवलपमेंट हो रहा है वह पंचायती राज के थ्रू ही काम हो रहा है।

अगर जंगलात में कोई गांव बसा हुआ है और वह ग्रेवल सड़क बनाना चाहता है तो वन विभाग वाले कभी भी उनके प्रस्ताव को मंजूर नहीं करते। वहां कोई काम नहीं होते। मेरे ऐसे गांव हैं रोनवाड़ा और पीपला, जो कि आदिवासी गांव हैं जहां गरासिया, भील रहते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि कम से कम 2-2 हजार जॉब कार्ड उस पंचायत में हैं। उनको मात्र 15 दिन पूरे साल में काम मिला है। जंगलात या किसी ने उनको काम नहीं दिया। हमने खूब कोशिश की कि उनके प्रस्ताव लायें, उनके काम करायें लेकिन पूरे साल में उनको फरवरी लास्ट में जाकर काम मिला। आपके दूसरे महकमे काम करना ही नहीं चाहते।

आज सरपंच के जितने भी रिश्तेदार हैं, वे परमानेंट मेट हैं। एक रोस्टर प्रणाली चालू करो कि इस पंचायत में कितने मेट हैं, इस गांव में कितने मेट हैं। यह दादागीरी इतनी हो गई है कि आज भी फर्जी मस्टररोल भरे जा रहे हैं। सरपंच के परिवार के लोग ही मेट बन रहे हैं। आज हालत यह है कि गांवों में जिस तरीके से विकास होना था, परमानेंट स्ट्रक्चर से जो काम करने थे, वे नहीं हो रहे हैं। जो गांवों में विकास होना था, वह इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से आपको सामग्री का मद नहीं मिल रहा है। जो मेट का पैसा है, लगभग दस-दस महीने से उसका भुगतान हो रहा है। जो मिस्त्री है उसका एक-एक साल से भुगतान हो रहा है। श्रमिक रोजगार के लिए काम पर जा रहा है उसको 120-125-130-140 रुपये मिल रहे हैं। ये इसलिए मिल रहे है उसको कि 200 आदमी मस्टररोल पर हैं तो वहां पर मात्र 100 लेडीज काम करती हैं, इसमें आदमी जो हैं वे काम पर आते भी नहीं हैं, मात्र साइन करके चले जाते हैं। वे काम पर आते नहीं हैं इसलिए जो काम कम होता है उससे वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं जैसे 200 तो वहां 100 के पैसे मिलते हैं, तब जाकर 126 या 120 रुपये उसका भुगतान हो रहा है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेट को कंट्रोल करो। पारिवारिक सरपंच जो बने हैं वे अपने परिवार के लोगों को ही मेट बनाते हैं, इसकी रोस्टर प्रणाली आप स्टार्ट करें तभी जाकर आपके मनरेगा में सही तरीके से काम होगा और लोगों को इसका फायदा मिलेगा, गांव का विकास होगा और आम आदमी इससे सुखी रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज मनरेगा के तहत हमारी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से एससी, एसटी, बीपीएल परिवार को, लघु सीमान्त काश्तकार को जितने उनके पर्सनल, व्यक्तिगत काम होते थे, आज की तारीख में व्यक्तिगत काम के नाम से मतलब जीरो है। हमारे टाइम में पशु शैड बनते थे, बकरी शैड बनते थे, भूमि समतलीकरण होते थे, छोटी-मोटी चैनल्स बनती थी जिससे कम्युनिटी इर्रिगेशन होती थी। आज की तारीख में व्यक्तिगत लाभ की योजना मतलब निल है। 40 परसेंट और 60 परसेंट का रेश्यो इनका मेंटेन नहीं हो रहा है। लेबर 90 परसेंट और 10 परसेंट मैटेरियल कंपोनेंट में पैसा उठ रहा है। इससे विकास गांवों में सम्भव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पंचायत को 60:40 के रेश्यो में इसको कर देंगे तो मैं आपको आज विश्वास के साथ कहता हूं कि एक पंचायत दो काम कच्चे ले ले और एक बड़ा काम पक्का लेले तो आपको निर्माण और विकास नजर आयेगा। परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट काम आपको नजर आयेंगे, जिससे गांव में प्रगति होगी और गांव में जिसकी मांग है वह मांग पूरी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत काम की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें, इसमें 60:40 का रेश्यो पंचायत मेंटेन करे ताकि 40 परसेंट मैटेरियल कंपोनेंट का काम हो, जिसमें पंचायत के विकास के काम को आगे बढ़ा सकें।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गरीब की चिन्ता की। पहले एक टाइम था जब इन्दिरा आवास योजना चलती थी, उसकी किस्त थी 20 हजार रुपये उसके बाद में मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत आये, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना स्टार्ट की। 50 हजार रुपये में एक आवास गरीब का बनता कहां है, सच्चाई में आदमी कर्जदार हो जाता है। उसको आवास के पैसे मिलते थे टुकड़ों में, पर उसके ऊपर लाख-दो लाख रुपये का कर्जा हो जाता था

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

और वह गरीब आदमी इस तरह से अपना मकान बनाता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के प्रधान मंत्री जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को, 2011 के सर्वे में जिनके भी कच्चे मकान थे उन सभी को लाभान्वित मानते हुए डेढ़ लाख रुपये की राशि, मनरेगा के साथ उसको डवटेल करके गरीब आदमी का आज डेढ़ लाख रुपये में मकान बन रहा है। आज लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो रहे हैं। एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. को प्रायोरिटी है। उसके तहत गरीब को पहले से ज्यादा सुविधा हो रही है, पर आज यह हालत है कि आपके सैकण्ड किस्त नहीं आ रही है, आपके थर्ड किस्त नहीं आ रही है। आज आम आदमी, गरीब आदमी 15 हजार रुपये प्लिंथ लेवल तक तो बना लेता है, सैकण्ड किस्त की आशा रखता है आपसे, केन्द्र सरकार से आपके पास पैसा आ गया पर आपने उसको दूसरे मद में डाल दिया, दूसरे हैड में डालकर आप उस पैसे को काम में ले रहे हैं और वह गरीब आदमी आंखें टप-टपाकर आपको देख रहा है कि कब मेरी किस्त आये और कब मैं मकान चालू करूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब की झोपड़ी को उजाला दिया है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक उनका विश्वास है कि मैं हर घर को नल से जल पहुंचा दूंगा। उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, ये छोटी-छोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज 5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल योजना स्टार्ट की है। ये चार-पांच चीजें होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी के लिए महत्व रखती हैं। इन पांच चीजों पर हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तरक्की आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज एस.एफ.सी. की बात की है, 15वें वित्त आयोग की बात करें, केन्द्र सरकार से लगातार हमारी किस्तें बढ़ रही हैं लेकिन आपकी एस.एफ.सी. की तीन किस्तें लैप्स हो गयीं। तीन किस्तें लैप्स होने के कारण मैंने आपको बताया कि गांवों में सफाई कर्मचारी जो हैं, उनके पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, पंचायतों में जो पंचायत सहायक हैं उनके पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जनता जल योजना में कनेक्शन कट रहे हैं, बिजली विभाग वाले पीछे पड़े हैं कि आप पहले पैसे भरो, नहीं तो हम आपका कनेक्शन काटेंगे। कई गांवों में तो हमारे यहां कनेक्शन काट भी दिये हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे पश्चिमी राजस्थान में गांवों में अकाल की स्थिति है। वहां पर लाइट के कनेक्शन काट रहे हैं। वैसे ही पानी की कमी है और कनेक्शन काट रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि एस.एफ.सी. के बजट की आपके तीन किस्तें ड्यू हैं, इन किस्तों को आप जल्दी दें, ताकि गांवों में विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, हमने गौरव पथ दिया, प्रत्येक पंचायत को एक किलोमीटर की सी.सी. रोड दी। आपने पहले बजट में अनाउंसमेंट किया कि हम विकास पथ देंगे, 5.5 मीटर चौड़ा सीसी ब्लाक, 1.5 किलोमीटर लम्बा। हमारी दो पंचायत समिति हैं, मात्र 1 पंचायत न्हाणा में आपका विकास पथ बना है अन्यथा सब जगह वेट कर रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में कब विकास पथ आयेगा तब जाकर हमारे सफाई होगी, नालियां बनेंगी और गांव में गन्दगी साफ होगी। आपकी उसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु गोलवलकर योजना, यह योजना इसलिए चालू की थी कि गांव के लोगों की भागीदारी होगी, उसमें श्मशान, रोड, स्कूल में कमरे, सभा भवन, कोई भी निर्माण कार्य कर सकें, 10 परसेंट राशि गांव वाले इकट्ठा करते थे तो इस योजना में काम होते थे, आज यह गुरु गोलवलकर योजना बन्द कर दी और महात्मा गांधी योजना स्टार्ट की है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाली जिले में कितनी स्वीकृतियां निकली हैं, इस महात्मा गांधी योजना, जो आपने स्टार्ट की है, एक भी स्वीकृति आज दिन तक जारी नहीं की है। मैं तो मेरे जिले की कहता हूं, पूरे राजस्थान की नहीं कह सकता, हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय, आप पूरा बजट अपने जिले में ले गये हों और इस योजना का पूरा बजट आपने अपने यहां खर्च किया हो।

माननीय सभापति महोदय, गुरु गोलवलकर योजना में आम आदमी अपनी सहभागिता से काम कराता था, श्मशान का काम कराता था, कब्रिस्तान का काम कराता था, रोड का काम कराता था, स्कूल में कमरे का काम कराता था या कोई भी विकास का काम कराता था तो आपने वह योजना बन्द कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपका एक प्रतिवेदन देखा है। मुख्य मंत्री नवाचार योजना, जो कलेक्टर के माध्यम से राशि खर्च की जाती है,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उसमें आपने 17 करोड़ रुपये 2021-22 के बजट में प्रावधान रखा। माननीय सभापति महोदय, जब मैंने इसका देखा कि कितना व्यय हुआ तो देखा कि 17 करोड़ रुपये नवाचार योजना के तहत कलेक्टर्स को दिये थे कि कहीं पर भी कोई आपातकालीन स्थिति में वो खर्च कर सकते थे, लेकिन 2 लाख 85 हजार रुपये ही खर्च हुए हैं। जहां 17 करोड़ का बजट था वहां मात्र 2 लाख 85 हजार रुपये ही खर्च हुए हैं। मुझे लगता है कि आजकल कलेक्टर अपने एरिया में घूमते भी नहीं हैं, कहीं जाते भी नहीं हैं। यदि यह पैसा, 1 करोड़ कलेक्टर के पास आता है, वे कलेक्टर 33 जिलों में भी खर्च न कर सकें तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति है गांवों में, जहां पर आवश्यकता है, वहां पर वह पैसा बजट का कलेक्टर दे-दे तो गांव का काम हो जाये, पानी में हो जाये, सीवरेज में हो जाये, किसी में भी हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास को वापस आप मजबूती से खड़ा करें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप जैसे मजबूत व्यक्ति, जो खरे कहते हैं, खरे बोलते हैं और खरे ही विचार के आदमी हैं और वास्तव में गरीब के प्रति आपकी चिन्ता रहती है। मुझे विश्वास है कि जिस दिन से ये डिपार्टमेंट आपके पास आया है, इस ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को वास्तव में आप आगे लायेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे तत्कालीन पंचायती राज मंत्री जी राजेन्द्र राठौड़ साहब को, उन्होंने जब कैम्प लगाये थे तो रिकार्ड पट्टे दिये थे राजस्थान में। 9 लाख पट्टे एक कैम्प में हमने राजस्थान में वितरित किये। प्रशासन गांवों के संग में आपके टाइम में, मैं आपको नहीं कहना चाहूंगा, उस प्रशासन गांवों के संग अभियान में सरपंच साहब ने एस डी ओ साहब को माला पहना दी, शाल ओढ़ा दी, साफा पहना दिया। एक सरपंच ने कहा कि मैं 500 पट्टे दूंगा, हाथ से वितरित हुए 10 पट्टे, 490 पट्टे अभी बाकी हैं। गांव वाले पूछ रहे हैं कि वे 490 पट्टे हमको कब मिलेंगे? अब बैकडोर एंट्री से वे पैसे लेते हैं और पैसे लेकर पट्टे दे रहे हैं। यह हर पंचायत में हुआ कैम्प में। मैं खुद उपस्थित था, साफा पहनाया, माला पहनायी सरपंच ने कि हमने 200 पट्टे दिये, हमने 250 पट्टे दिये, हमने 300 पट्टे दिये, पर हकीकत में मात्र 10 पट्टे, 12 पट्टे, 15 पट्टे, 20 पट्टे दिये। दूसरे सब पट्टे ऐसे के ऐसे रख दिये, पता नहीं किसके लिये रखे हैं? आज प्रशासन चाहता तो उस कैम्प में पूरे 500 पट्टे वितरित होते तो उस कैम्प का उद्देश्य सरकार का पूरा होता। हमारे कार्यकाल

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

में पंचायत में जितनी भी सराउंडिंग जमीन थी, जो गोचर में लोग बैठे हुए थे, उसे आपने गोचर से, उन्होंने मतलब दूसरी जमीन, उन्होंने गोचर दी और उसको सिवायचक करके आबादी करके, उन लोगों को, जो कई सालों से वहां थे, उनको सबको जो ग्रामीण क्षेत्र में आस-पास पड़ोस की आबादी क्षेत्र के लोग बसे हुए थे, उन सबको पट्टे देने का कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में...

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मंत्री जी, एक मेरा आपसे निवेदन है कि ग्राम विकास अधिकारी से उसका प्रमोशन पी.ओ. पर हो जाता है। पी.ओ. से वह एडिशनल बी.डी.ओ. हो जाता है, फिर बी.डी.ओ. हो जाता है और आगे जाकर जिला परिषद् तक पहुंच जाता है पर आज पंचायती राज के एल डी सी, यू डी सी का क्या हाल है? वह जिस दिन एल डी सी बनता है, वह यू डी सी से रिटायर होता है, उसके लिये भी आप कुछ चिन्ता करें। दूसरा, मेरा कहना है कि एक-एक पंचायत समिति में 9-9 पीओ, आपके पास ग्राम सेवक तो हैं ही नहीं। ग्राम सेवकों की तो आपके पास कमी है। तीन-चार पंचायतों पर एक ग्राम विकास अधिकारी है और पी.ओ. बैठे हैं 10-10, कोई काम नहीं है। मतलब एक-एक पंचायत समिति में 9-9 पी.ओ. बैठे हैं, फंसता अधिकारी है। पंचायतों की मीटिंग अटेंड करे, सरकार की योजनाओं को पंचायतों में जाकर बताये ताकि आम गरीब जनता को पता लगे, वहां के पंचायत समिति मेम्बर या वहां की पंचायत के वार्ड पंच को पता लगे कि सरकार की ये-ये योजनाएं चालू हैं। इनका कोई काम ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सज़ा दे दी प्रमोशन करके। ग्रामीण विकास अधिकारी था, तब तक कोई कार्यभार...

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उसके बारे में आप थोड़ी चिन्ता करें। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरीश जी मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, धन्यवाद, जो आपने मुझे मांग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मांग संख्या 28-पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है। इन संस्थाओं

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

की शुरुआत सौभाग्य से राजस्थान में हुई थी। 1959 में नेहरू जी ने नागौर से इसकी शुरुआत की थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस महान कार्य की शुरुआत राजस्थान से हुई। इसी को राजीव गांधी जी के समय में आगे बढ़ाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण हुआ और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ। ये दोनों श्रेय नेहरू जी और राजीव गांधी जी को जाते हैं।

सर, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही इसे और आगे बढ़ाने के लिये पंचायतों का पुनर्गठन किया। नयी ग्राम पंचायतें बनीं, पंचायत समितियां बनीं। उद्देश्य यह था कि गांवों का विकास हो और ग्रामीणों को ज्यादा सत्ता मिले। उसी को आगे बढ़ाते हुए अशोक गहलोत साहब ने कृषि बजट की घोषणाओं में, जो नरेगा का काम सौ दिन का था, उसे सवा सौ दिन का किया। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, इन सब चीजों का उद्देश्य यह है कि पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण हो, मतलब इनके पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार आएं। ग्रामीणों के पास और ग्रामीण संस्थाओं के पास। सत्ता का जो केन्द्रीकरण हो रहा था, जिला स्तर और उप-खण्ड स्तर पर उसका विकेन्द्रीकरण हो। ग्राम पंचायत स्तर पर जाये, पंचायत समिति स्तर पर जाये और जिला परिषद् स्तर पर जाये।

एक जमाना था साहब, जब हमारे प्रदेश में या पूरे देश में पंचायती राज मजबूत था। प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों का रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर जिला प्रमुख और प्रधान करते थे। यही नहीं, न्यायिक व्यवस्था में भी गांवों में न्याय पंचायत होती थी। छोटे-मोटे झगड़ों का भी हमारी ग्राम पंचायतें फैसला करती थीं। इतना मजबूत हमारा सिस्टम था, इतना हमारे लोगों का विश्वास था। धीरे-धीरे न जाने क्या कारण रहे, यह कमजोर पड़ता गया और विकेन्द्रीकरण की जगह सत्ता का फिर से केन्द्रीकरण होने लग गया।

इसका मैं उदाहरण बताता हूं, सर। राजस्थान सरकार द्वारा 2015 में एक आदेश जारी किया गया ग्रामीण विकास विभाग से। 16 जुलाई, 2015 में एक आदेश निकला ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से कि पंचायत स्तर पर पांच लाख रुपये तक का आपको नरेगा का काम करने का अधिकार है। पंचायत समिति स्तर पर दस लाख रुपये तक का कार्य करने का अधिकार है और पचास लाख रुपये तक जिला परिषद् को अधिकार है। यह आदेश आज

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

की तारीख में भी लागू है। मैंने विभाग में चेक किया, इसको निरस्त नहीं किया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि टोंक जिले में पिछले तीन साल में एक भी कार्य पंचायत समिति ने जारी नहीं किया। यह मैं नहीं कहता कि सरकार की कमी है, सरकारी अधिकारियों की है, जिनका कार्य यह था कि जनता और जन प्रतिनिधियों को उनका अधिकार मिले। गवर्नमेंट के लेवल पर सुपरविजन में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो भी आदेश हैं, आपने मजबूत करने की बजाय इन्हें और शक्तिहीन कर दिया। पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों का जो अधिकार है, वह पुन: उन्हें दें।

यही नहीं, सर, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसकी बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। एक आंकड़ा है मेरे पास। मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा, बाकी कन्हैयालाल जी बता देंगे। उनियारा पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास के पात्र व्यक्ति थे 2472 और सिस्टम ने रिजेक्ट किया 2472, यानी 100 परसेंट को रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या दिये? सर, रीजंस भी हैं मेरे पास में। मैं कभी कोई चीज कागज के बिना नहीं बोलता। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा पात्र घोषित किये जाने के बावजूद भी इस योजना में चयनित लगभग 7000 आवेदकों को बिना किसी वैध कारण के अपात्र घोषित किया गया।

उदाहरण के तौर पर उनियारा पंचायत समिति के रानीपुरा ग्राम पंचायत के देवपुराकलां में 173 परिवारों एवं फुलेता ग्राम पंचायत के 324 ग्राम परिवारों को और देवली पंचायत समिति के टोडा का गोठला ग्राम पंचायत के 130 परिवारों को घर में लैंडलाइन टेलीफोन होना बताकर अपात्र घोषित कर दिया गया। उन गांवों में टेलीफोन लाइन ही नहीं है, सर। अब यह किसका काम है? सरकारी योजना है हमें लाभ देने के लिये और सरकार ही नहीं दे रही। यह किस अधिकारी की लापरवाही है, मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, या तो आप यहां से चेक करवा लें कि उन गांवों में टेलीफोन की लैंडलाइन है या नहीं। जब लैंडलाइन ही नहीं है तो फिर घर में कनेक्शन कहां से आ गये? यह एक गम्भीर विषय है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ हमारे ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है। अगर ऐसा ही चलेगा तो ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ही रह जायेंगी और जनता को उनका लाभ नहीं मिलेगा।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, इसी तरह से आपने नयी पंचायतें बना दीं, पंचायतों को अधिकार दिये। अधिकारों का कैसे प्रयोग करेंगे? एक तो सरपंच होता है, उसका स्टाफ होता है। स्टाफ की पोजीशन देखी है आपने कभी? मंत्री जी, पंचायत समिति देवली में कुल स्वीकृत पद 183 कार्मिकों के हैं, जिनमें से सिर्फ 88 कार्यरत हैं। जब अधिकारी ही नहीं है उस अधिकार का प्रयोग करने के लिये तो फिर अधिकार आप लागू कैसे करेंगे? लोगों को अधिकार देंगे कैसे? मेरे यहां दो पंचायत समितियां हैं देवली और उनियारा। 40 ग्राम पंचायतों में से 22 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं। जब ग्राम विकास अधिकारी ही नहीं है तो गांव का विकास होगा कैसे? अगर हम अधिकार देते हैं तो उनका प्रयोग करने के लिये हमें व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसी तरह से उनियारा पंचायत समिति में कनिष्ठ सहायकों के 92 स्वीकृत पदों में से 47 रिक्त हैं। देवली पंचायत समिति में 66 स्वीकृत पदों में से 46 पद रिक्त हैं। यह बड़ी गम्भीर समस्या है, जिसके कारण हमारा ग्रामीण विकास अधूरा रह जाता है।

जैसे मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने की शक्तियां कलेक्टर के पास हैं, जबकि आपके विभाग का आदेश कह रहा है कि पंचायत दे सकती है 5 लाख तक का, पंचायत समिति दे सकती है 10 लाख तक का। फिर इनकी पावर का कौन इस्तेमाल करेगा? ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं वह भी कलेक्टर करेगा, पंचायत समिति का जो अधिकार है वह भी वह करेगा तो फिर सरपंच और प्रधान का निर्वाचित होने का क्या फायदा है? क्या ये रबर स्टाम्प बन जायेंगे? उनको जनता ने निर्वाचित किया है। इनका नियम है, इनका प्रावधान है और सरकार के आदेश हैं तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको देखे और जो हमारे प्रधानों के, सरपंचों के अधिकार हैं उनको पुन: बहाल करे।

जैसा पाली के माननीय सदस्य ने कहा था कि हर ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण विकास पथ का प्रावधान है। आप यह देख लीजिये कि कितनी पंचायत समितियों में या कितने विधान सभा क्षेत्रों में कितने ग्रामीण विकास पथ बने हैं। मैं तो मेरा बता सकता हूं कि 76 मेरे ग्राम पंचायतें हैं और उनमें एक बना है। इसकी आवश्यकता है और इससे जनता को लाभ होगा, गरीबों को लाभ होगा, गांवों का विकास होगा, यह मेरी प्रार्थना है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

देवली, मेरी जो पंचायत समिति है, उसका भवन 55 साल पुराना है और पी डब्ल्यू डी द्वारा कह दिया गया कि इस्तेमाल के लिए असुरक्षित है। पंचायत समिति का भवन, जहां प्रधान बैठते हैं, जहां मीटिंग लेते हैं वह असुरक्षित है, 55 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसको देखें कि फिर ये मीटिंग कहां होगी? बहुत सारी मेरी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें भवन ही नहीं हैं। ग्राम पंचायत है, पर ग्राम पंचायत का भवन ही नहीं है। ग्राम पंचायत पाटोली, हैदरीपुरा, फुलेता, देवली, रानीपुरा, सूंथला, खातोली, बोसरिया, नेवारिया, देवड़ावास, दूनी, गुराईं, घाड़, चाड़मेर, धुआंकलां, जूनिया, सीतापुरा, चांदली, राजमहल, गांवड़ी, कनवाड़ा, रामसागर, बालूंदा, नासरदा, ख्वासपुरा के भवन क्षीण हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं जिनको नये बनाने की आवश्यकता है।

पुनर्गठन में जो नई ग्राम पंचायतें बनी हैं उनके पंचायत भवन नहीं बने इसलिए उन पर ध्यान दें और अतिशीघ्र उनको बनवाने की आप व्यवस्था करेंगे। आप युवा, ऊर्जावान मंत्री हैं, काम करने की लगन है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करेंगे।

साथ ही, हमारे पंचायत समिति सदस्य जिनको सी.आर. बोलते हैं, जिला परिषद् सदस्य जिनको डी.आर. बोलते हैं, ये भी हमारे निर्वाचित जन-प्रतिनिधि हैं इसलिए इनका भी मानदेय, भत्ता कुछ बढ़ायें, क्योंकि इनका भी लम्बा-चौड़ा क्षेत्र होता है, इनको भी इलाके में जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, जनता की सुनवाई करनी पड़ती है तो इनको भी कुछ अधिकार दें आप। जैसे पंचायत को है, प्रधान को है, उसी प्रकार इनके लिए भी कुछ बजट का प्रावधान करें।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर एक एम्बुलेंस होनी बहुत आवश्यक है। बाहर गांव में कोई बीमार पड़ता है तो लोग सरपंच को फोन करते हैं कि सरपंच साहब इसको कैसे हास्पिटल पहुंचायें। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक एम्बुलेंस का प्रावधान हो।

अभी एक सरपंच संघ 22 तारीख को इस विधान सभा के सामने घेराव या धरना देने की सोच रहा है। वे हमारे पास भी आये थे। उनकी कुछ मांगें हैं जिन पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर निर्णय लेना चाहिए। यह बड़ी विचित्र बात है कि हमारे जन-प्रतिनिधि सरपंच हमारी रीढ़ की

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

हड्डी हैं और वे भी आन्दोलन करने के लिए मजबूत हो गये। अगर वे ही आन्दोलन करेंगे तो फिर गांव का विकास कौन करेगा? मेरा खुद का यह मानना है कि जो भी उनका संगठन है उसको सरकार बुलाये, बात करे और मिल-बैठकर जो भी उसका नतीजा निकले, वह निकाले। कुछ मांगें उनकी जायज हैं जो मैं समझता हूं।

सर, पहले से पांचवें वित्त आयोग तक हर वित्त आयोग में अनुदान राशि बढ़ती थी। पर पहली बार तीस वर्षों में छठे राज्य वित्त आयोग ने पांचवें राज्य वित्त आयोग के सकल राजस्व का 7.18 प्रतिशत अनुदान की तुलना में घटाकर 6.75 प्रतिशत कर दिया। अनुदान तो बढ़ना चाहिए था पर यह कम हो गया तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास में पैसा लगता है और इसको कम करने से विकास नहीं हो पायेगा।

इसी तरह ग्राम पंचायतों के विकास की राशि में से मानदेयकर्मी जैसे पंचायत सहायक, कोविड स्वास्थ्य सहायक, सुरक्षा गार्ड एवं पम्प चालक के मानदेय को राज्य वित्त आयोग से भुगतान के प्रावधानों को निरस्त कर इनके मानदेय का भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाये और राज्य वित्त की राशि है उसमें कटौती नहीं की जाये क्योंकि पंचायतों के खुद के पास ही पैसा नहीं है।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, जल जीवन मिशन योजना का संचालन एवं संधारण बिना संसाधन एवं बजट के प्रावधानों के ग्राम पंचायतों पर थोपा जा रहा है। इसके लिए जलदाय विभाग को अधिकृत किया जाये, क्योंकि पंचायतों के पास पैसा नहीं है।

अन्त में, मेरी एक डिमांड और है। आज ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी कार्य होता है, जो भी उनको प्रफोर्मा भरना पड़ता है वह सबका ऑनलाइन का प्रावधान है कि ऑनलाइन यह सूचना भेजो। इसलिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक ऐसा कार्मिक हो, जो कम्प्यूटर का ज्ञान रखता हो और वह ग्राम पंचायतों में सरपंचों के साथ मिलकर ग्राम के विकास का काम कर सके। सर, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल जी मीणा।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और सामुदायिक विकास की मांग संख्या 28 और 41 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, हमारे उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि पंचायती राज की नींव राजस्थान से रखी थी और उस समय एक अच्छी कल्पना थी कि गांव का विकास गांव के लोग ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस समय उसकी नींव रखी और उसकी शुरुआत की गयी। ग्रामीण विकास में तीन प्रकार की, थ्री टियर व्यवस्था की गयी जो सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की थी। ग्राम पंचायत के चुनाव, पंचायत समिति के चुनाव और जिला परिषद् के चुनाव करके अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में चिन्ता करके उसका निस्तारण उसका उद्देश्य था। पंचायती राज की अन्तिम इकाई के रूप में ग्राम पंचायत को मानकर वहां से विकास शुरू किया। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी कुछ विषय पर हमारे बहुत से वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी। अभी उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और उस अन्तिम कड़ी का जो व्यक्ति है, वह जनता के द्वारा चुना हुआ है और वह हड़ताल कर रहा है तो उनकी मांगें तो वास्तव में जायज हैं, पर सरकार उनकी बातों को सुनती नहीं है।

अभी आपने कोविड सहायक का जिक्र किया, क्या स्थिति कर दी? उस समय जब जनता कोरोना के कारण संकट में थी, उनकी मदद के लिए जिन्होंने नर्सिंग की हुई थी उन व्यक्तियों को कहा कि उनकी मदद करिये, उनकी सेवा करिये, उनकी रक्षा करिये और इसके लिए उनका चयन हुआ था, पर अब उनकी स्थिति क्या कर दी? उनका भुगतान कहां से होगा? राज्य सरकार या विभाग जिम्मेदारी नहीं लेगा, ग्राम पंचायत अपनी आय में से कुछ हिस्सा देगी और कुछ मानदेय जिला परिषद् अपने हिस्से से देगी। अब उनकी क्या हालत कर दी कि आज तक उनका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और सरपंचों ने यह कह दिया कि हमारे पास में जो हमारा आता था उसमें कटौती कर दी। पूरे राजस्थान में पांचवें और छठे राज्य वित्त आयोग में जो कटौती की, उसमें 200 करोड़ रुपये जो स्थानीय इकाइयों को पैसा मिलना था उसमें राज्य सरकार ने यह कटौती की है और यह बहुत बड़ी कटौती है। अगर यह पैसा होता तो स्थानीय स्तर पर परिसम्पत्तियों का निर्माण होता, जो नहीं होकर बाधित हो रहा है। अब वे कह रहे हैं कि हम भुगतान कहां से

(श्री बाबुलाल)

करें। सरपंच ने मुझसे कहा कि, एमएलए साहब, हम तो भुगतान नहीं करेंगे। मैंने कहा कि इन लोगों ने तो संकट में सेवा की है, इनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे? इसी प्रकार से आपके जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? अभी काफी समय से उनका भुगतान नहीं हुआ, पंचायतें भुगतान नहीं कर पा रही हैं तो यह बहुत बड़ी समस्या है और सरकार सुनकर उनका कोई न कोई रास्ता निकाले, ताकि उनका भुगतान तो होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है।

अपनी कुछ बातें और आपसे कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर नरेगा, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि यह हमारी जीवनदायिनी योजना है और गांव के व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मदद करने की योजना है। हमने भी उस समय मेजें थपथपायी थीं, लेकिन आज स्थिति क्या है? अभी हमने नरेगा में ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी लेना शुरू कर दिया है।

सभापति महोदय जी, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वह ग्रामीण क्षेत्र है और वहां नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, मजदूर तो वहां पर हैं, लेकिन उनकी हाजिरी ऑनलाइन नहीं होती है, नहीं होती है तो वह श्रमिक कहां जायेगा? उस हाजिरी को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप ऑफलाइन को नहीं मानते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद अब क्या स्थिति है? आपने 60:40 का रेशो कर रखा है। आपने श्रम भाग में 60 परसेंट किया है। आपने मैटेरियल में 40 परसेंट कर रखा है। उसकी दुर्दशा क्या है? दो-दो साल तक मैटेरियल भाग का भुगतान नहीं हो रहा है। ट्रैक्टर वाले, मेट, कारीगर और जो सामान देने वाला है, उनके पीछे-पीछे घूमते हैं कि भाई मेरे सीमेन्ट का भुगतान करो। वह कर नहीं पाता है तो उनके प्रति अविश्वास पैदा होता है।

सभापति महोदय जी, जिला परिषद् में जितनी भी स्वीकृतियां पहले जारी होती थीं, उस समय जब प्रस्ताव आता तो आने के बाद में उनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती थी। आज क्या स्थिति है? सरकार ने अगर कोई दिशा-निर्देश दिये हैं, कोई कानून बनाकर के कहा है कि इसको रोकिये। यह कहा कि आप जमीन के दस्तावेज पहले लाओगे, तभी हम प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। हम एमएलए लैड से स्वीकृति के लिये कागज भेजते हैं, अनुशंसा भेजते हैं और वह महीनों तक उनके पास इसलिए पड़ी रहती है कि

(श्री बाबुलाल)

जमीन के दस्तावेज नहीं हैं। मेरा आपके मार्फत सरकार से कहना है कि सरकार प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दे, टी.एस. चली जाये और वित्तीय स्वीकृति आप तब जारी करें। यह नियम में है कि आप जमीन के दस्तावेज लायेंगे तब, अगर उस समय नहीं लाता है तो साल के अन्त में आप उस काम को निरस्त करिये, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस प्रकार से काम रोकेंगे तो उस ग्रामीण क्षेत्र में कैसे काम हो पायेंगे?

(समय: 14.52 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

इसी के आगे कुछ बातें और थीं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एनिकट हैं, बांध हैं। उनकी तीन-चार श्रेणियां बना रखी हैं। एक जो सबसे छोटा बांध है, उसका मालिकाना हक ग्राम पंचायत को दे रखा है। एक बांध जो उससे बड़ा है, उसका मालिकाना हक पंचायत समिति को दे रखा है। एक बांध उससे ज्यादा बढ़ा है, उसको जिला परिषद् को दे रखा है और इससे बड़े बांध राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके बांध हैं। अगर आप उन लोगों को रोजगार देना चाहते हो तो मत्स्य पालन का एक बहुत बड़ा वहां पर उद्योग चल सकता है। वहां पर मछलियों का बीज दें, उनको ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग देने के बाद उनको नावें दें, जाले दें और उनको मार्केट उपलब्ध करायेंगे तो वे अपने पैरों पर खड़ा होंगे, अपने बाल-बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इस प्रकार मेरा यह एक सुझाव राज्य सरकार को है कि यह करना चाहिये।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत को आपने मिनी सचिवालय तो माना है, आपने काफी विभाग भी हस्तान्तरित किये थे, लेकिन उनकी दुर्दशा क्या है? क्या हो रहा है? मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार एक घोषणा की थी कि हम लोग आने वाले समय में ग्राम पंचायत मुख्यालय को डामर की सड़क से जोड़ेंगे। हमारे बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर जिक्र किया था। मैं भी ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं, गांव से आता हूं। वहां पर फोरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया में कई ग्राम पंचायतें हैं, जो आज भी डामर से तो क्या, वहां मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की बात तो दूर है। अब आपने घोषणा की तो उसका कुछ

(श्री बाबुलाल)

रास्ता तो निकलना चाहिये। उन ग्राम पंचायतों को हम डामर से जोडेंगे तो उसी के साथ वहां पर बिजली भी जायेगी और पानी की सुविधा होगी। हमें इस प्रकार का कोई रास्ता तो निकालना चाहिये। फोरेस्ट वाले वहां से सूखी लकड़ी तक नहीं लेने देते हैं तो आप डामर की सड़क कैसे बनायेंगे?

इसी के साथ, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहां श्रमिक कार्ड की बात है, आपने कहा कि 100 दिन का रोजगार, जिसने पूरा किया है, उसको श्रमिक कार्ड देंगे और उसी के साथ कई सारी सरकारी योजनाओं से उस परिवार को हम लाभान्वित करेंगे। अभी शिविर लगे थे, शिविरों में मेरा जाना भी हुआ। मैंने पूछा कि आपने श्रमिक कार्ड कितने बनाये हैं तो कहीं 5 आते हैं, कहीं 10 आते हैं। जब मैंने गहराई तक जानकारी चाही तो वहां पर जो कार्मिक लगा है, वह नहीं चाहता है कि कोई भी एक व्यक्ति 100 दिन पूरा करे। अगर वह 100 दिन पूरे आता है तो बीच में रोककर के उसके परिवार में किसी दूसरे का नाम लिखते हैं, ताकि श्रमिक कार्ड हमको नहीं बनाना पड़े। आप उनको पाबन्द क्यों नहीं करते हो कि परिवार के एक व्यक्ति पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाओ, जिसके कारण से उस गरीब आदमी को सरकारी योजनाओं से कई लाभ मिलेंगे। उसमें कई प्रकार की सुविधाएं हैं। उस परिवार के व्यक्ति की डैथ होती है तो सरकार उसके लिये मुआवजा तक देती है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये करते क्यों नहीं हैं?

अभी हमारे यहां गुरु गोलवलकर का जिक्र पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने किया था। एक योजना अभी पिछले साल ही लान्च की थी और बहुत अच्छी स्कीम थी कि गुरु गोलवलकर योजना के अन्तर्गत गांव का आदमी अगर वह मदद करना चाहता है और अपना पैसा इकट्ठा करके कोई काम करना चाहता है तो अपनी परिसम्पत्तियां बना सकता था, कोई संस्था यदि उसमें अंशदान देकर परिसम्पत्तियां निर्माण करना चाहती है तो वह कर सकती थी। उसके बाद एम.एल.ए., एम.पी. और कोई भी व्यक्ति उसमें अंशदान करके अपना काम करा सकते थे और आसानी से होता था। इसमें जनता की भी सहभागीदारी होती थी और काम आसानी से होते थे।

अभी जनजाति विभाग ने एक योजना लान्च की कि 30 परसेंट तो जन सहभागीदारी से, उसमें जनता इकट्ठा कर सकती है, कोई संस्था भी कर सकती है, कोई दानदाता भी कर सकता है। उसमें एम.एल.ए., एम.पी. भी

(श्री बाबुलाल)

अपना हिस्सा देकर और उसके बाद में 70 परसेंट जनजाति विभाग देगा। मैंने भी सोचा, मेरे एरिये में ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगा। मैंने कहा, मैं एम.एल.ए. लैड से 30 परसेंट दूंगा और 70 परसेंट वहां से आयेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम करा पाऊंगा। इस प्रकार से हमने प्रस्ताव बनाकर भेजे और बाद में पता लगा कि उस योजना में पैसा ही नहीं है तो इस प्रकार की योजना का लाभ क्या होगा? केवल वह योजना कागजों में ही रहेगी, क्या होगा? हमको पता ही नहीं है वह पैसा कहां है? कहां गया तो मंत्री जी से मैंने बात की। मैंने उनको कहा कि यह क्या हुआ? तो कहा भाईसाहब पैसा ही नहीं है, तो फिर योजना का मतलब क्या था?

इस प्रकार काफी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब उसमें काफी बातें हैं। मैं उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इन्दिरा आवास बनते थे लोगों के पास आधे पैसे जाते थे, आधे लोग खा जाते थे, मकान भी नहीं बनता था और पैसे भी खतम हो जाते थे, व्यक्ति वहीं का वहीं रहता था। प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना थी कि उनका मकान बनना चाहिए, पूरा का पूरा पैसा उसकी जेब में जाये। ये कल्पना करके उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान होगा और उसी ढिकरी पर जाकर, जहां आप मकान बनाना चाहते हो, वहीं से आपको फोटो खींचकर ऑनलाइन करना पड़ेगा। दूसरी बार अगर दायें, बायें जाकर फोटो खिचवाया तो आपका ऑनलाइन नहीं होगा। यह प्रमाणिकता के साथ में उस....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): उस विषय में, मैं कहना चाहता हूं कि 1 लाख 50 हजार का मकान है। उसमें एक किश्त नरेगा से उनको मस्टर-रोल भरकर देनी है। उसमें सचिव क्या करते थे, मस्टर-रोल भरते नहीं हैं और नहीं भरने के कारण उस व्यक्ति को जो अन्तिम किश्त में भुगतान होता है, ऐसे एक नहीं अनेक व्यक्तियों के खाते बन्द हो गये और वह भुगतान नहीं होने के कारण वह व्यक्ति अपनी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चक्कर लगाता है। मेरा इतना भुगतान नहीं हुआ है तो इसको भी सरकार को देखकर के कुछ रास्ता निकालना चाहिये।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): सभापति महोदय जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

(समय: 15.00 बजे)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास और मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में हम सब बातें करते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो, सामाजिक विकास हो। गांव का विकास देश का विकास है और भारत देश गांवों का देश है, यह बात सभी करते हैं लेकिन चिन्ता का विषय है कि गांवों से पलायन क्यों हो रहा है, शहर क्यों बढ़ रहे हैं, गांवों की आबादी क्यों घट रही है? यह बहुत बड़ी चिन्ताजनक बात है। जब तक गांवों से शहरों में जाना नहीं रुकेगा, आज अपन सभी जानते हैं कि शहरों में लोग क्यों जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं आज चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पानी हो, सड़क हो इन तमाम बातों की कमी के कारण मजदूर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी शहर में घर हो, सुविधा मिले। समस्त भारत की बात पूरे देश में चल रही है लेकिन गांवों में बजट नहीं है। सीवरेज की तो छोड़ो, आम रेगुलर सफाई के लिए भी बजट नहीं है। छोटे गांवों की बात अलग है पर जहां बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, वहां बजट नहीं होने की वजह से स्थिति बहुत नाजुक है। मेरा विशेष निवेदन है कि आज सफाई के लिए और सीवरेज के लिए विशेष बजट का प्रावधान करें।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि अपन बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, गांवों में बाथरूम बन रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। अपन गहराई से मंथन करें कि मात्र 12 हजार रुपये में क्या बाथरूम बन सकता है? क्या 12 हजार रुपये में स्वच्छ भारत बन जायेगा? यह एक कल्पना ही रह जायेगी और वास्तव में अपन स्वच्छ भारत और लोगों को सुविधा देने चाहते हैं तो 12 हजार से बढ़ाकर इस राशि में बढ़ोतरी की जाये। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि गांवों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेगा का बजट भी कम कर रहे हैं। नरेगा का पहले विरोध भी किया और लोगों के डर से बंद तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आत्मा की आवाज बाहर आ गयी कि आज जो केन्द्र की सरकार है वह नरेगा विरोधी है, मजदूर विरोधी है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, बिना सुविधा, बिना रोजगार, बिना विकास पलायन नहीं रुक सकता, यह सम्भव नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, ग्राम पंचायतों का पांच साल पहले गठन हुआ और रेगुलर उसी पांच साल के बाद में यह आजादी के बाद में पहली बार है जब दूसरी बार ग्राम पंचायतों का गठन करके, जहां छोटी ग्राम पंचायतें बनती हैं वहां गांव का विकास आसानी से होता है। चाहे जे.टी.ए. में काम चल रहे हैं, सड़कों का हो रहा है, सब-सेन्टर हो रहे हैं और प्रशासन गांवों के संग अभियान में चाहे लोगों के पट्टे हो, जमीन सम्बन्धित कामकाज हो, माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन तमाम क्रांतिकारी कदमों के कारण, इन कामों के कारण गांवों का विकास होगा, गांव मजबूत होगा तो शहरों की ओर लोग जाना बंद करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि सब सदस्यों ने जो भावना प्रकट की कि ये विकास पथ बने, इनके लिए विशेष माननीय मंत्री जी भी विराजमान हैं, विकास पथ के लिए विशेष बजट देकर जो कम से कम बड़े गांव हैं, बड़ी ग्राम पंचायतें हैं वहां बहुत बड़ी लोगों को सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं निवेदन करता हूं कि बड़ी ग्राम पंचायतें मेरे क्षेत्र में हैं उनको अलग से बजट दिया जाये क्योंकि आय कम है, उनके पास सफाई के लिए भी पैसा नहीं है तो सीवरेज बनाना मुश्किल है। चाहे हमारे तहसील हैडक्वार्टर ग्राम पंचायत पचपदरा हो, चाहे कनाना हो, चाहे जसोल हो, चाहे असाडा हो, चाहे कल्याणपुर हो, मैं मांग करता हूं कि इन तमाम पंचायतों में अलग से बजट का प्रावधान किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, गरीबों के आवास के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही और बदमाशी या क्या कहूं मैं, उनकी लापरवाही के कारण गलत तथ्य और आंकड़े पेश किये गये, उन गलत तथ्य और आंकड़ों की वजह से आज वो वंचित रह गये। मैं मांग करता हूं कि वो गरीब लोग हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, वो पात्र हैं तो पुन: उनकी जांच और सर्वे करवाकर उन जायज और गरीब जायज लोगों को हक दिलायें और उनके आवास के लिए प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत की स्थापना से लेकर

(श्री मदन प्रजापत)

मजबूत करने का अगर काम किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकारों ने किया है। हमें खुशी होती है हिन्दुस्तान में पंचायतों, ग्राम पंचायत गठन की शुरुआत जहां से हुई, वह नागौर और राजस्थान की धरती से हुई। आज लोग याद करते हैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी को और राजीव गांधी जी को। तमाम ग्राम पंचायत की मजबूती के लिए किसी ने काम किया है तो कांग्रेस सरकारों ने किया है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज कई सदस्यों की यह भावना है कि आज एम.एल.ए. कोटा के कार्य समय पर जो नहीं होते हैं उनका क्या कारण है, उनकी लायबिलिटी और जवाबदारी तय की जाये कि उन कर्मचारियों की ढिलाई और बदमाशी या लापरवाही के कारण समय पर उनके बजट का उपयोग नहीं होता है। उनकी जवाबदारी तय हो और लापरवाही करने और जवाबदारी नहीं रखने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो ताकि उनको महसूस हो कि एम.एल.ए. ने अभिशंसा की है और एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर उन कामों की स्वीकृति होगी और काम शुरू होगा तब लोगों में एक मैसेज जाता है कि विधायक साहब आये, हमें काम दिया, लेकिन रोते-रोते दो साल भी वह काम शुरू नहीं होता है तो पैसा भी जाता है और मैसेज भी सही नहीं जाता है।

माननीय सभापति महोदय, लोगों में हो या समाज में हो, सरपंच के प्रति एक गलत धारणा पैदा की जाती है, बदनाम होते हैं कि यह भ्रष्ट हैं, यह बदमाशी करते हैं। क्या वास्तविकता अपन सभी नहीं जानते हैं कि आज जिला परिषद् में स्वीकृति से लेकर जब उसका बिल बनता है, कुछ तो एम.बी. और मैनेजमेंट में रेट्स में अन्तर है, कुछ स्वीकृति से लेकर बिल बनने तक बदमाश अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सरकार भले ही आपकी रही है, चाहे कांग्रेस की रही है यह वास्तविकता है कि अकेले सरपंच को समाज में और लोगों में बदनाम करना यह गलत बात है और उसमें कौन-कौन भागीदार हैं, तो अकेले सरपंच को बदनाम क्यों किया जाता है? उनकी मजबूरी है कि आज मैजरमेंट बुक में बी.एस.आर. में अन्तर होने की वजह से वह चाहते हुए भी सही नहीं कर सकता क्योंकि कानूनी रूप से रेट्स का बहुत बड़ा अन्तर है। कहीं दूरियां हैं, उनकी वजह से वह हाथाजोड़ी करता है साहब, काम सैंक्शन कर दो। नरेगा में किसी को ज्यादा मिलता है किसी को कम मिलता है, इन चीजों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस मामले में मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। तीन साल पहले आप थे, आपके समय में भी, वही बात थी

(श्री मदन प्रजापत)

कोई नयी बात नहीं है। इस मामले में गहराई से मंथन करके ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए और सरपंच का मान-सम्मान कायम रखने के लिए इस पर मंथन करना अति जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, आज अकेले को बदनाम किया जाता है, यह जायज नहीं है।

उनके अलावा आप जानते हैं कि कहीं भी आज सामाजिक सामुदायिक विकास की जो बात है, मैं मांग करता हूं, माननीय सभापति महोदय, आगे माननीय मुख्य मंत्री जी ने छप्पर फाड़ कर दिया है, बालोतरा की जनता के लिए जो हमने मांगा वह दिया है कोई कमी नहीं है। बालोतरा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नाम से टाउन हाल बना हुआ है, यह बहुत पुराना है, आज जर्जर अवस्था में है। मैं मांग करता हूं कि विशेष बजट देकर बाबा साहब टाउन हाल को रिपेयर करके सही हालत में किया जाये।

रिफाइनरी के कारण कई बाहर से अधिकारी वगैरह आते हैं और बाड़मेर दूर पड़ता है और हमारा डाक बंगला बहुत पुराना है, इसलिए कम से कम बालोतरा डाक बंगले की रिपेयरिंग के लिए भी बजट दें तो कम से कम कोई भी अधिकारी, मंत्री या बाहर से मेहमान आये तो एक सन्देश जाता है। रिफाइनरी के कारण बहुत बड़ा दबाव पड़ा है। आज पचास हजार लोग पचपदरा हो या बालोतरा हो, आसपास के गांवों में किराये पर रहते हैं। वहां पानी कम पड़ रहा है, बिजली कम पड़ रही है वह तो छोड़ो पर सबसे बड़ी कोई प्रोब्लम आ रही है वह गन्दगी फैल रही है, सीवरेज की व्यवस्था गांवों में नहीं है। सफाई के लिए बजट नहीं है तो कम से कम रिफाइनरी के सीएसआर फंड में कोई कमी है तो इर्द-गिर्द जो गांव लगते हैं और पचपदरा-बालोतरा के लिए सफाई के लिए तो तुरन्त विशेष अभियान चलाकर यह बजट दिया जाये ताकि लोगों को सुविधा मिले। लोगों को क्या मिल रहा है, अभी तक तो गन्दगी लोग सहन कर रहे हैं। इनके अलावा पर्यावरण के लिए भी कड़ा कदम उठाना जरूरी होगा और एडवांस तैयारी करें और पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, पेड़-पौधे ज्यादा से ज्यादा लगे। आज एक भी पेड़-पौधा कहीं भी रिफाइनरी के आसपास लगाने की उनकी तैयारी नहीं है। मेरा निवेदन है कि विशेष अभियान चलाकर अपन एडवांस तैयारी करें क्योंकि बाद में भी करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये, उनको संबल प्रदान करने के लिये, चाहे मिट्टी के बर्तन का उद्योग हो, चाहे चमड़े की जूती

(श्री मदन प्रजापत)

बनाने का काम हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे लोहे का हो, यह तमाम जो घरों में कुटीर उद्योग चलाते हैं, बालोतरा में विशेषकर बंधेज का काम है, साफे, बैडशीट का काम, गरीब से गरीब आदमी घरों में बंधेज रंगाई का काम करता है। उनको भी प्रदूषण की श्रेणी में माना जाता है। मेरा निवेदन है कि गांवों में जगह कम है, उनको बाहर कहीं जगह देकर शिफ्ट किया जाता है तो इन छोटे कुटीर उद्योगों को और गरीब आदमी को राहत मिलेगी। ये समाज के अभिन्न अंग हैं। एक समय था इनके बिना समाज में व्यवस्था और काम नहीं चलता था। आज मशीनरी युग के कारण यह अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। इन पुराने छोटे कुटीर उद्योगों को जिंदा रखना अपने सभी समाज का दायित्व है।

माननीय सभापति महोदय, आज रेगिस्तान जो हमारे मालाणी और सिवानसी के नाम से विख्यात है, वह धार्मिक नगरी भी है। चाहे हिन्दुस्तान का बड़ा जैन तीर्थ नाकोड़ा हो, चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर ब्रह्मधाम हो, चाहे नागणा धाम हो, रानी भटियाणी मंदिर हो, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि गोड़वाड़ सर्किट के तहत असोतरा को बजट दिया, खेड़ को दिया है, नागाणा को दिया है। मैं मांग करता हूं कि हमारे सामरा आसापुरा माता जी और मेघनाथ जी, लूमनाथ जी धूणा में भी सामुदायिक भवन या विश्राम घर बनाये जाते हैं तो इसका समाज में बहुत अच्छा मैसेज जायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे रेगिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र में तालाब हैं उनको मॉडल तालाब के रूप में, चाहे रेवाडा मंडली गंगावास हो, वहां सालभर पानी रुक सकता है और पानी की रेगिस्तान में बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा हमारे लोक देवता मलीनाथ जी हो, चाहे रानी रूपादेवी हो, चाहे कर्म भूमि वीर दुर्गादास जी का मेला कनोना हो, चिलवाड़ा में विश्राम घर, क्योंकि अभी होली के बाद मेला शुरू होगा और उस मेले में हिन्दुस्तान के विख्यात घोड़े और तमाम लोग आयेंगे, वहां लोगों की सुविधा के लिये और महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिये आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं बालोतरा में भी पाली की तरह कपड़ा उद्योग है और पेटीकोट उद्योग अगर घर-घर में महिलाओं का समूह बनाकर शुरू किया जाय तो समाज में महिलाओं की मजबूती होगी, उनको रोजगार मिलेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, पूरा समाज मजबूत होगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

सूचना

मेडिकल कम्प्यूटर आपरेटर्स का आमरण अनशन व बिगड़ता स्वास्थ्य

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, 28 तारीख से लगातार मेडिकल विभाग में काम करने वाले कम्प्यूटर आपरेटर धरने पर हैं, आमरण अनशन पर हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं सरकार से चाहूंगा कि उनके एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनसे वार्ता करें। उनकी जो मांगें हैं, उन पर गंभीरता से आप विचार करें और जो आपने वादा 2018 में किया था कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे। मेरी सरकार से मांग है कि पांच हजार कम्प्यूटर आपरेटर धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत खराब है। तत्काल उनका एक डेलिगेशन बुलाकर सरकार उनसे वार्ता करे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात सरकार की जानकारी में आ गई। श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 व 28 पर विचार

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 28 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आज संकट मोचन का दिन है, हो सकता है हमारे गांववासियों का संकट भी आज हर लिया जाय, ऐसी मैं सोच रखती हूं।

माननीय सभापति महोदय, गांव का विकास तभी हो सकता है जब हम गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा सकें। गांव में रोजगार दो तरह से दिया जा सकता है। पहला तो पशुओं के लिये बैंक से आसान तरीके से लोन उपलब्ध कराना। सभापति महोदय, गांव के हर परिवार को पशु पालने का अनुभव होता है लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वह उस काम को भी नहीं कर पाता है। इसलिए गांव के हर परिवार को अधिकतम दो लाख रुपये का

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

लोन पशुपालन के लिये दिया जाय। लोन की प्रक्रिया इतनी आसान हो कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी सीधे बैंक जाय और लोन प्राप्त करे। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने आम लोगों के लिये लोन की बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन आम व्यक्ति उनकी जटिलताओं के कारण लोन नहीं ले पाता है। बैंक अपना कोटा पूरा करने के लिये अपने दलालों से काम करवाती है, जिसमें जो सक्षम और समझदार होते हैं वही लोग बैंक के लोन का फायदा उठा पाते हैं और आम और गरीब व्यक्ति को लोन नहीं मिल पाता है। उस वजह से वह कोई काम धंधा शुरू नहीं कर पाता है और वह और गरीब होता चला जाता है। इसलिए सभापति महोदय, लोन के लिये साधारण नियम बनाये जाएं। किसानों को कोई गारंटी नहीं देनी पड़े क्योंकि हर परिवार के पास जमीन जायदाद नहीं होती है गारंटी देने के लिये, न ही सभी के पास इतना पैसा होता है कि कोई भी सी.ए. कर सके। सभापति महोदय, इसलिए हर परिवार को कम से कम एक बार लोन बिना गारंटी के दिया जाय। उसके लिये कागज के नाम पर केवल उसके आधार कार्ड और बैंक खाता ही लिया जाय। इससे हर कोई व्यक्ति आसानी से लोन प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके।

दूसरा तरीका है कि जो गांव के लोग अपने ही गांव में रहकर गांव से संबंधित अच्छा प्रोडक्ट बनाकर दें, जिसकी क्वालिटी, पैरामीटर सरकार तय करे, लेकिन इस प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी सरकार ले। इसके लिये सरकार एक डिपार्टमेंट बनाये। उन प्रोडक्टों की देश और विदेश में सेल हो। सभापति महोदय, गांव में हमारी महिलाएं बहुत अच्छा अचार बना सकती हैं, बहुत अच्छा घी बना सकती हैं, बहुत अच्छे से सब्जियों की सफाई करके उनकी पैकिंग करा सकती हैं। इस तरह हमारे ग्रामवासी अनेक काम कर सकते हैं और गांव में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट तैयार किये जा सकते हैं।

सभापति महोदय, आज का जमाना मार्केटिंग का है। हमारे गांव के किसान भाई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन मार्केटिंग की समझ न होने की वजह से उनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनको मजबूरन बहुत सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। इस वजह से उनका पूरा लाभ रिलायंस जैसी कंपनियां उठा लेती हैं। सभापति महोदय, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि अगर सच में वह गांव का विकास चाहती है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखे।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

मैं एक विशेष बात और कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार गांव में चौपाल होती है, मैं चाहती हूं कि सरकार महिलाओं के लिये भी चौपाल बनाये जिससे शाम को बैठकर वह अपनी बातचीत कर सकें और सास बहू की लड़ाई को आपस में निपटा सके।

मेरी एक मांग और है कि जिस तरह से गांव में सड़कें और खरंजे बनते हैं, अगर सरकार द्वारा सड़क और खरंजे के साथ नाली भी साथ में बनाई जाय तो सड़कें सही रहेंगी, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुडला (अनुपस्थित), श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): थैंक यू, सभापति महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये, सामुदायिक विकास के लिये बहुत कुछ दिया है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय की किसानों के प्रति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति, गांव में रहने वाले लोगों के प्रति बहुत सकारात्मक सोच है और उनका अपना विजन है कि ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये और इन लोगों का विकास होना चाहिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो आज का विषय है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आपस में बात नहीं करेंगे। माननीय सदस्य, आप आपस में बात नहीं करेंगे।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): यह जो आज पंचायती राज विभाग का विषय है। इसमें जब पांच विभाग दिये थे, पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर किये गये थे, उस समय मैं इस डिपार्टमेंट का कमिश्नर था। मैं पंचायती राज विभाग का सेक्रेटरी था। मैं उसमें सहभागी था तो सारा सीन मुझे याद है। बहुत उम्मीद और बहुत उत्साह के साथ गवर्नमेंट ने पंचायती राज विभाग को ये डिपार्टमेंट सौंपे थे। आज जो देखने को मिल रहा है, मेरे विचार से इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी का आर्डर है कि किस प्रकार से इन लोगों का काम करना है पंचायती राज विभाग को। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, उस समय मैथ्यू साहब चीफ सेक्रेटरी थे। उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जितना सोचा गया था, उतना नहीं हुआ है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

एलीमेंट्री एजुकेशन का एक छोटा-सा एग्जाम्पल देता हूं। एलीमेंट्री एजुकेशन पंचायती राज विभाग को सौंपी गयी थी, लेकिन एंलीमेंट्री एजुकेशन की अभी जो स्थिति है वह बहुत खराब है, वे न इधर के हैं, न उन उधर के हैं, ऐसी बात है। मैं राजस्थान का सवा तीन साल एजुकेशन कमिश्नर रहा हूं। एलीमेंट्री एजुकेशन को मैंने भी देखा है, कमिश्नर के रूप में लेकिन आज टीचर्स ये सोचते हैं कि हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग का मंत्री यह सोचता है कि एलीमेंट्री टीचर्स मेरे पास हैं, थर्ड ग्रेड टीचर्स मेरे पास हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जो मंत्री महोदय देख रहे हैं या डिपार्टमेंट देख रहा है या हैड आफ द डिपार्टमेंट या डायरेक्टर देख रहा है, अभी तक इनके बारे में सारी कार्यवाही डायरेक्टर एलीमेंट्री एजुकेशन के यहां हो रही है। यह जो होच-पोच वाला सिस्टम है, वह बन्द होना चाहिये और इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। सेमिनार होने चाहिये, सिम्पोजियम होने चाहिये, इसमें लोगों का दृष्टिकोण लेना चाहिये। क्लियर-कट रोड मैप होना चाहिये कि किसको क्या काम करना है? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को, परसों मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में था। सभी माननीय सदस्यों, चाहे उधर के हों या इधर के हों, सभी बता रहे हैं कि सरपंचों ने मांग पत्र दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सरपंचों ने भी 13 तारीख को मांग-पत्र मुझे भी दिया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरपंच हमारी बहुत ही मजबूत कड़ी है, लोकतन्त्र का आधार है। यदि ग्रामीण व्यवस्था को ठीक से संचालित करना है, राज्य को ठीक से संचालित करना है तो हमें सरपंचों पर, उनकी स्थिति पर, उनकी परिस्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने जो मांग-पत्र में बातें कही हैं, उन पर बहुत जल्दी राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। ऐसी कोई अव्यावहारिक मांगें भी नहीं हैं। वाजिब मांगें हैं, उन पर विचार करके जल्दी से जल्दी एक सकारात्मक सोच के साथ, हमारे जो पंचायती राज के मंत्री महोदय हैं, उनको सरपंचों के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा निर्णय लेना चाहिये ताकि उनको सन्तुष्टि हो। हमारे सरपंचगण की संतुष्टि, हमारी ग्रामीण व्यवस्था की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास की गति को बढ़ायेगी। मेरे विचार से उनका असन्तोष निश्चित रूप से घातक होगा। यह मेरा मानना है, यह मेरा पर्सनल विजन भी है।

उनियारा-देवली से आने वाले विधायक महोदय, हमारे साथी ने ग्रामीण

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

विकास और पंचायती राज विभाग की चिट्ठी या गाइडलाइन्स 16 जुलाई, 2015 पर डिस्कस किया। जिला कलेक्टर नरेगा का जिला कार्यक्रम समन्वयक भी होता है, उसके नाम से यह गाइडलाइन जारी की हुई है। यह गाइडलाइन्स नहीं हैं, ये डायरेक्शन हैं। गवर्नमेंट ने अगर जिला कलेक्टर को लिख दिया तो जिला कलेक्टर के लिये डायरेक्शन है और जिला कलेक्टर का यह दायित्व है कि उसे जो राज्य सरकार ने निर्देश दे दिये, उसकी वह अनुपालना सुनिश्चित करे। इसमें कन्वर्जन के लिये जो फाइनेंशियल अधिकार दे रखे थे वे ग्राम पंचायत को पांच लाख रुपये तक का, पंचायत समिति को 10 लाख रुपये तक का और फिर जिला कलेक्टर का 50 लाख रुपये तक का था। मेरे विचार से कुछ जिलों की जो रिपोर्ट आ रही हैं, उनके अनुसार कुछ कलेक्टर्स को वहम हो गया कि बहुत अच्छा काम करने वाला मैं ही हूं। सरपंच ठीक से काम नहीं कर सकता, पंचायत समिति ठीक से काम नहीं कर सकती। इस बात को गम्भीरता से लें। मेरे बायीं तरफ राजकीय दीर्घा में सम्बन्धित अधिकारी भी बैठे हैं। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर यह सर्कुलर, यह गाइडलाइन्स, ये चिट्ठी रिपील हो गयी हो तो वह बताइये। हाउस को बताइये, यहां पर सब्मिट करवा दीजिये, सम्बन्धित मंत्री के माध्यम से मेम्बर्स को बता दीजिये, एम.एल.एज. को बता दीजिये ताकि वे भ्रम में नहीं रहें। जहां तक मुझे जानकारी है यह अभी रिपील नहीं हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है तो जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शन दीजिये कि सरकार ने जो पंचायत को अधिकार दे रखे हैं, पांच लाख तक कन्वर्जन के, नरेगा के काम करने के, उनके अधिकारों को छीनकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कलेक्टर्स यह सोचते हैं कि पंचायत राज के जो जन-प्रतिनिधि हैं, वे काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? ये भ्रम दूर होना चाहिये। जो अधिकार सरकार ने ग्राम पंचायत को और पंचायत समिति को दिये हैं, उन अधिकारों का उपयोग करने की उनको स्वतन्त्रता होनी चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

चूंकि समय की पाबन्दी है, इसलिये मैं शीघ्रातिशीघ्र मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की 40 रोड का एक प्लान राज्य सरकार को भेजा था। उसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सम्बन्धित अधिकारियों ने 6 रोड तो मंजूर कर दी। 34 रोड ऐसी हैं, जो कि बहुत खराब हालत में हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर गति देनी है तो ट्रांसपोर्टेशन के साधन ठीक होने चाहिये। उसके बिना

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ेगी। आवागमन में भी दिक्कत आती है। ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं, उनमें भी दिक्कत आती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और हाउस के माध्यम से राज्य सरकार का पुन: ध्यान दिलाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, चीफ इंजीनियर को, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, ग्रामीण व्यवस्था की जो रोड हैं, उनकी जो मांग भेजी है, उन 34 छोटी-छोटी रोड को ठीक करने के लिये, मैंने पी.डब्ल्यू.डी. से आकलन करवा लिया कि इस पर कितना खर्च होगा? मात्र 29 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और पूरी कांस्टीट्यूएंसी ठीक होती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया राज्य सरकार को डायरेक्शन दें, ताकि मेरी कांस्टीट्यूएंसी की सड़कें, जो कि ग्रामीण सड़कें, मैं शहरी सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रामीण सड़कों की बात कर रहा हूं, आज वही सब्जैक्ट है, वह ठीक हो जाये।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिलानी में एक कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना की गयी थी, उसको दो साल हो गये। न तो उसको जमीन मिली है, न भवन मिला है। सभापति महोदय, जिला कलेक्टर को डायरेक्शन दिया जाये, मैं भी परश्यू कर लूंगा, बात कर लूंगा, कोई नकारात्मक बात वहां पर भी नहीं है He is very cooperative लेकिन फिर भी यहां से डायरेक्शन दिया जाये कि कृषि उपज मण्डी की स्थापना के लिये आवश्यक एरिया में वे जमीन ढूंढें और जमीन ढूंढकर उसके भवन का निर्माण करवाये।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो बहुत अच्छी-अच्छी सी.एच.सीज. भी आ गयीं। मेरा अपने क्षेत्र में उप जिला हास्पिटल भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, मैंने उस दिन, जिस दिन चिकित्सा विभाग की मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे गये थे, उस दिन निवेदन किया था। ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसको मैं वापस इंसिस्ट करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाम्बा ने गोठड़ा पंचायत को पीएचसी बनाने के लिये, डुलानिया को पीएचसी बनाने के लिये मैंने नियम 295 और 131 के अन्तर्गत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये थे और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं भवन नहीं मांग रहा हूं। लाम्बा में बिल्डिंग है और हम बिल्डिंग बनवा देंगे। मैं चिड़ावा में कालेज ले गया था। मैंने वहां के लोगों से 25 करोड़ रुपये की

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

भूमि भवन दान लेकर कालेज चालू कर दी। वह कालेज चालू है। अभी भी पांच सौ लड़कियां पढ़ रही हैं और सरकार से दस पैसा नहीं लिया। मैं यहां भी कमिट करता हूं कि लाम्बा में पीएचसी बना दीजिये, भवन मैं बनवा दूंगा। आप लाम्बा गोटड़ा में पी.एच.सी. बना दीजिये, भवन आलरेडी बन चुका है, लाम्बा में भी बन चुका है। आपको वहां पर स्टाफ लगाना है, वहां पर दवाइयां देनी हैं, वहां डाक्टर और नर्सेज बैठानी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई दस-बीस गांव ऐसे हैं जहां पर चिकित्सा की कोई उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं। इसलिये ये तीनों पी.एच.सी. ग्रामीण क्षेत्र की बनें, चिकित्सा भी डवलपमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। पहला सुख निरोगी काया। ग्रामीण लोगों को अगर आप स्वस्थ रखेंगे, तभी तो वे विकास की गति में भाग ले सकेंगे। इसलिये तीनों पी.एच.सी. बनें।

मैं एग्रीकल्चर कालेज ग्रामीण किसानों के बच्चों के लिये लेकर गया हूं। इसी बजट में लेकर गया हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिला कलेक्टर को डायरेक्शन दिया जाये कि जल्दी से जल्दी इस एग्रीकल्चर कालेज के लिये जमीन को आइडेंटिफाई करे और अलाटमेंट कराये, ताकि वहां पर अगले सेशन से यह कालेज चालू हो जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you very much.

श्री सभापति: आप जल्दी बताइए।

सूचना

छबड़ा में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, छबड़ा में 11/04/2021 को साम्प्रदायिक दंगा हुआ। वर्तमान में फिर वही स्थिति बन रही है। वहां टेकरी पर एक शिव मन्दिर बना हुआ है। उसके पीछे की तरफ दो पिल्लर गाड़ कर..

श्री सभापति: आप सरकार को सीधी सूचना दें। विषय पूरा मत बताइए। एक मिनट में सूचना दे दें आप।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सूचना दे रहा हूं, साहब। वहां पर फोरेस्ट की जमीन है, उसके पीछे दो पिल्लर गाड़ कर किन्हीं लोगों ने जमीन को समतल कर जे.सी.बी. लगवाकर वहां पर उर्स भरवाने की कोशिश की जा रही है जबकि

(श्री प्रताप सिंह)

वर्षों से उर्स दूसरी जगह, वहां से 200 मीटर दूर भरते आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि जहां पर उर्स भरते आ रहे हैं, वहां पर ही उर्स भरवाएं। इस मन्दिर की जमीन को नहीं छेड़े ताकि साम्प्रदायिक तनाव छबड़ा में पैदा नहीं हो।

श्री सभापति: आप बैठिए। आपकी बात सरकार की जानकारी में आ गयी है। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 व 28 पर विचार

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 एवं मांग संख्या 41 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम एवं सामुदायिक विकास पर चर्चा हो रही है। आज हम सबको पता है हमारा देश गांवों का देश है। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारा राजस्थान भी कृषि प्रधान ग्रामीण प्रदेश है। यहां की अधिकांश आबादी गांवों में बसती हैं। गांवों का विकास होने से शहरों के प्रति लोगों का पलायन कम होगा। निरन्तर जो शहरों का दबाव है, प्रदूषण है, इस समस्या से भी हमें निजात मिलेगी।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास में नरेगा योजना में बहुत सारा विकास हुआ। हम सबको पता है कि सम्पूर्ण बजट यदि सही तरीके से नरेगा योजना में काम आता तो इसका ग्रामीण विकास में बहुत अधिक महत्व होता। नरेगा में जो भ्रष्टाचार है, नरेगा में जो समस्याएं व्याप्त हैं, उस वजह से विकास कार्यों में जो समस्याएं आ रही हैं, उससे हम सब प्रभावित हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने आते ही ग्रामीण क्षेत्र में जो गौरव पथ प्रत्येक पंचायत में पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, उनको बदलकर विकास पथ के नाम से चालू करने की कार्यवाही की। प्रथम वर्ष में सिर्फ एक विकास पथ को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गयी। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विकास पथ को हम गति देंगे, जिससे हमारे सभी गांवों में गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें, बरसात में भी ये सड़कें काम में आएं तो इनसे गांवों के विकास में हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

नव ग्राम पंचायतों का गठन तो कर दिया, परंतु अधिकांश पंचायतें अभी भी भवन विहीन हैं, वहां पर भवन की व्यवस्था हो। वहां पर जो स्टाफ की कमी है, उसको भी दूर किया जाए जिससे नई ग्रामीण पंचायतों को भी सम्बल मिले।

माननीय सभापति महोदय, नवीन पंचायतों का राजनीतिक आधार पर इन्होंने बिना कुछ देखे, बिना किसी रिपोर्ट का पालन किये जिस प्रकार से गठन किया है, कई पंचायतों में ऐसी समस्याएं आ गई हैं कि आज तक भी उन गांवों ने जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उनका बहिष्कार कर रखा है। चुनाव का बहिष्कार किया है। पीसांगन पंचायत समिति जो नसीराबाद में आती है, उसमें भी ऐसी पंचायतें बनी हैं। वहां पर मेवाड़िया केसरपुरा के नाम से जो पंचायत बनाई है, उसमें शिवपुरा को मिलाया है, वह आज भी भौगोलिक दृष्टि से इससे लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सभी ग्रामीणों ने समस्त योजनाओं का लगभग दो वर्ष तक बहिष्कार किया। चुनाव में भी भाग नहीं लिया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी की बात है, जिससे आज ग्रामीण लोग हमसे टूट रहे हैं। मात्र राजनीतिक भेदभाव के आधार पर उनको एक-दूसरे से तोड़ने का काम किया गया है, जबकि जो पुरानी पंचायत है, उससे उनकी दूरी मात्र दो किलोमीटर के लगभग है।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में ग्रामीण विकास से जुड़े हुए कुछ बिन्दुओं को मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। कई गांवों में रिकार्डेड रास्ते नहीं होने की वजह से वहां पर विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो पुराने गांवों के रास्ते हैं, उनको रिकार्डेड किया जाए जिससे वहां पर विकास कार्य हो सके। प्रदेश की सभी पंचायतों में राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये के विकास कार्य कराये जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पंचायत में कर्मचारी के रूप में एकमात्र ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक ही होते हैं। उनके पास भी एक से अधिक पंचायतों का चार्ज होता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जाए। वहां पर चाहे पटवारी हों, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हों, चाहे पी.एच.सी. हों, अधिकांश पद खाली होते हैं। वहां पर स्टाफ की बहुत अधिक कमी रहती है जिससे कामकाज नहीं हो पाता है।

इसके अलावा कुछ ग्राम पंचायतें अत्यधिक बड़ी होने के कारण उनमें

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

विकास कार्य अधिक करवाने की आवश्यकता होती है। वहां पर कई जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वे नहीं करवा पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो बड़ी पंचायतें हैं, उनमें विशेष रूप से अलग फंड किसी और माध्यम से भी दिया जाए जिससे वहां पर विकास कार्य हो सके। जिस तरह नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन कर लोगों को पट्टा देने का अधिकार नगर निकाय और नगरपालिकाओं को दे रखा है, उसी तर्ज पर हमारी ग्राम पंचायतों को भी आवासीय में परिवर्तन कर पट्टे देने का अधिकार दिया जाये जिससे आम लोगों को और ग्रामवासियों को लाभ मिल सके। मनरेगा योजना में कई पक्के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जावे जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और मनरेगा योजना की राशि का सदुपयोग भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, नवीन ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित किया जावे। कई सिंगल फेज ट्यूबवैल, स्ट्रीट ट्यूबलाइटें आदि के रख-रखाव की जिम्मेदारी पंचायतों की होती है। कई बार सरपंच बजट के अभाव में उन चीजों को, कार्यवाहियों को नहीं करवा पाते हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके लिए एक कमेटी का गठन हो या ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी को ही ये कार्य सम्पादित करने दिया जावे जिससे अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं हो। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है, उनमें भी नियमित रूप से पानी की सप्लाई हो।

ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल योजनाएं चल रही हैं, कई बार यह देखा गया है कि वहां पर नियमित रूप से सप्लाई नहीं होती है। नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में दो पंप हाउस आते हैं। एक बीसलपुर योजना का है और एक रामसर में ग्रामीण पेयजल योजना का है। इन पर अत्यधिक दबाव होने के कारण अधिकारी भी समय पर नहीं करवा पाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग की जावे और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए जो निर्धारित समय है, उस समय के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जावे।

पंचायत समिति स्तर पर अग्निशमन के वाहन भी दिये जाने चाहिये। कई बार यह देखा गया है कि जो ग्राम बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, शहरी क्षेत्रों में तो अग्निशमन वाहन होते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते हैं। दूरी होने की वजह से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, पशुधन का भी नुकसान हो जाता है, आमजन का भी नुकसान होता है। कई

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

बार मकान भी जल जाते हैं। इस दुर्घटना से बचाया जा सके। प्रशासन गांवों के संग जो शिविर हुए हैं, उसमें भी 22 विभागों का समन्वय करके जो कामकाज होने चाहिए, वह नहीं हो पाए हैं। हमने देखा कि पीसांगन पंचायत समिति में जो कमेटी बनी, उनके पास जितने आवेदन आए, उतनी मात्रा में उन्होंने कामकाज नहीं किया है। कई जगह आज भी वे आवेदन पैंडिंग हैं। कई जगह पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं। पट्टे स्वीकृत हो गये हैं परंतु आज भी वे पट्टे ग्रामीणों को नहीं मिल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट 10 करोड़ का दिया है, वह जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाए जिससे वहां सही जगह पर सड़कें बनें। सिंचाई के साधन, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के पास चाहे सिंचाई के तालाब हों, चाहे एनिकट हों, चाहे पक्की मोरियां हों, उनके निर्माण के लिए अलग से बजट आबंटित किया जाए ताकि वहां पर कामकाज हो सके।

सरपंचों ने जो ज्ञापन दिया है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगें पूर्ववर्ती, पिछली बार सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया था, उनको पूरा करें जिससे हमारे विकास कार्यों को और गति मिले। डी.एम.एफ.टी. फंड की जो राशि है, उसके बारे में कई जगह तो मीटिंग हुई, कई जिलों में तो मीटिंग भी नहीं हुई और कई बार मीटिंग होने के बाद प्रपोजल भी ले लिये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे स्कूलों में हो, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे अन्य योजनाओं में जो कामकाज उन्होंने स्वीकृत किये हैं, उसके लिए अभी तक भी स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं। आपके माध्यम से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये काम हों।

जल जीवन मिशन, जो अभी पंचायतों को हैंडओवर करने की बात राज्य सरकार द्वारा की जा रही है परंतु पंचायतों में न तो कोई टैक्निकल स्टाफ है और न उनके पास कोई संसाधन है जिससे वह इनको संचालित कर सके। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको जलदाय विभाग के पास ही रखा जाये।

ट्रांसपोर्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है। कई दूरदराज के क्षेत्र हैं, वहां पर जिला मुख्यालय से आने-जाने के लिए, चाहे स्कूल हों, चाहे हास्पिटल हों, कोई साधन नहीं है। अभी कोविड में राज्य सरकार ने जो साधन

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

बन्द कर दिये हैं, उन साधनों को पुन: चालू किया जावे। पीसांगन पंचायत समिति में गोविन्दगढ़ हो, चाहे पीसांगन हो, चाहे जेठाना हो, कई दूर-दराज के इलाके हैं, उनमें बसों का आवागमन नहीं हो पाता है। ये भी जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए।

कोविड सहायकों को भी पंचायती राज से भुगतान बन्द करके, इनको चिकित्सा विभाग में लिया जाये जिससे पंचायतों की आय अन्य विकास कार्यों में काम आ सके।

गोशालाओं, नंदीशालाओं की घोषणा सरकार ने की है। शीघ्र ही हर पंचायत पर ये काम चालू होने चाहिये। नरेगा में मेटों द्वारा जिस प्रकार से मनमानी की जा रही है, उसको रोकने के लिये सरकार द्वारा रोस्टर प्रणाली के माध्यम से, ट्रेनिंग शुदा मेट हैं, उनको काम करने का अवसर मिले। सभी को अवसर मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कई बार यह देखा गया है कि एक ही मेट लग रहा है और लेबर में किसी का नाम आ रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, यह भी बहुत बड़ी समस्या है।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के नरेगा के माध्यम से श्रम कार्ड बने हुए हैं। कई श्रम योजनाओं में, कई योजनाओं में उनके आवेदन हो रखे हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनमें भी उनको भुगतान नहीं मिल रहा है इसलिए यह व्यवस्था भी सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के उपभोक्ता हैं, उनके लिये सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी भी उनके प्रति उदासीन हैं। जो कनेक्शन होते हैं, डिमांड जमा होने के बाद भी महीनों तक कनेक्शन नहीं किये जा रहे हैं, तो यह भी जल्दी से जल्दी हो।

रबी सीजन में किसानों से आवेदन लिये गये। सेल्फ फाइनेंस द्वारा ड्रिप इर्रिगेशन के माध्यम से कनेक्शन शुरू करवाने के लिये जो योजना सरकार लेकर आई, सबने समयबद्ध तरीके से पैसे भी जमा कराये पर रबी सीजन पूरा हाने के उपरान्त भी, आज तक कनेक्शन जारी करने के लिये उनके लिये किसी भी अभियन्ता ने जोर नहीं लगाया है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सी.एस.आर. फण्ड, जो कम्पनियों के द्वारा विकास कार्यों या सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी खर्च किया जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत ढांचा मजबूत हो।

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, स्मार्ट विलेज की घोषणा सरकार ने की है। उसको भी पंचायत समिति में कितने विलेज हैं, यह उसमें लेंगे, कितने लोगों को इसका फायदा मिले, उसमें कितनी योजनाएं लागू होंगी। चाहे सड़कें हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइटें हों, और भी कई योजनाएं हैं, वह इस माध्यम से लागू हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

पंचायत समिति लेवल पर हमारे अधिकारी हैं, उनके पास कई बार यह शिकायत आती है कि सरपंच द्वारा प्रपोजल नहीं भेजे जाते हैं तो श्रम कार्ड और नरेगा के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं, उन गांवों में नहीं चल पाती हैं और हमारे लेबर हैं, चाहे ग्रामवासी हैं, उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये कि सरपंच हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति लेवल पर भी यदि कोई प्रस्ताव मंजूर हो, नहीं हो, कई बार लेट कर देते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कोई ऐसा पोर्टल बनाया जाये जिस पर उनका रजिस्ट्रेशन हो। अगर श्रमिकों को इस तरह परेशानी आ रही है तो उसको दूर किया जाये।

विधायक निधि से ग्रामीण विकास क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये। कई बार इनको बहुत लम्बा खींचा जाता है और समय पर काम नहीं होते हैं। आपके माध्यम से निवेदन है कि जो-जो भी कार्य हों, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ग्राम पंचायत में ई-मित्र संचालित हैं, उनके अलावा भी ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक हैं, इनको भी कम्प्यूटर सेट, लैपटॉप उपलब्ध कराया जाये जिससे इनका कामकाज सुधरे और व्यवस्था में सुधार हो।

हमने कई बार देखा कि गांव में पटवारियों के पद भी खाली रहते हैं। कई बार उनकी वजह से कृषि कनेक्शन नहीं होते हैं। कई बार पटवारियों से रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है। एग्रीकल्चर के कुएं के लिये, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वह भी समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाते हैं। पटवारियों के पद पर नियुक्ति हो, पटवारियों को जो चार्ज मिलता है, उसका समय निश्चित किया जाये कि आज सोमवार है तो आज इस पंचायत में जाएंगे, कल इस पंचायत में, ताकि आदमी परेशान नहीं हो।

पीसांगन पंचायत समिति, जो डार्क जोन में आती है, वहां किसानों को

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

लाभ देने के लिये सर्वे कराया जाये। उनमें कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, वहां किसानों को कनेक्शन उपलब्ध हो, ताकि किसान अपने कामकाज को सुचारु रूप से कर सकें।

एस.एफ.सी. व टी.एफ.सी. का पैसा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की किश्त है, वह भी समय पर पंचायतों को नहीं मिली है। आपके माध्यम से हम सबका यह निवेदन है कि सरपंचों को यह उपलब्ध करवाई जाये जिससे विकास के कार्य हो सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): धन्यवाद, साहब।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास और मांग संख्या 28-पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, भारत महात्मा गांधी जी का देश है। भारत में महात्मा गांधी जी ने सोच रखी थी कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव का विकास होगा, ढाणी का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। गांव का विकास करने के लिये ग्राम पंचायतों को, पंचायत समिति को, जिला परिषद् को मजबूत करना पड़ेगा। आज ग्राम पंचायतों की क्या हालत है? जितनी भी योजनाएं हैं ग्राम पंचायत के मार्फत गांव में, ढाणी में, क़स्बे में प्रचलित होती हैं परन्तु ग्राम पंचायतों के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं हैं, जिनसे उस योजना को सही रूप से संचालित कर सके। राज्य सरकार द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. का फण्ड मिल रहा है, उसी के आधार पर वह ग्राम के विकास का काम करने की कोशिश करते हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो भी एस एफ सी व टी एफ सी का फण्ड आ रहा है, ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत सहायक हो, कोविड सहायक हो, ऐसी कई नई योजना राज्य सरकार व केन्द्र सरकार ने लागू की और उनका भार ग्राम पंचायतों के ऊपर डाल दिया पर ग्राम पंचायतों की स्थिति यह नहीं है।

जनता जल योजना एक ऐसी योजना है, आम आदमी को पानी के

(श्री पदमाराम)

लिये बहुत जरूरी है, बिना पानी कोई नहीं चल सकता। जितनी भी स्कीमें हैं, पूरी जनता जल के अन्दर दे दी। आज पी एच ई डी के पास नहीं है। पंचायती राज के पास, ग्राम पंचायतों के पास इतना कितना फण्ड है जो कर्मचारियों को वेतन दे? जो स्कीम संचालित हो रही है, उसके अन्दर अगर मोटर खराब हो जाये या वायर खराब हो जाये तो उसको ठीक करने के लिये उनके पास फण्ड नहीं है। उसके उपरान्त ग्राम पंचायत के पास, सिर्फ एक ग्राम विकास अधिकारी और एक कनिष्ठ लिपिक है। उन दोनों के सिवाय, उनके पास कोई टेक्निकल कर्मचारी नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, अगर इसको संचालित करना है तो जनता जल योजना के अन्दर राज्य सरकार द्वारा अलग से फण्ड जारी किया जाये जिसके ग्राम पंचायत के सरपंच उनको सही ढंग से संचालित कर सके। उनके ऊपर यह बहुत बड़ा भार है। कई ग्राम पंचायतों के अन्दर 5-5, 7-7, 8-8 जनता जल की स्कीमें हैं और एक साल के अन्दर 10-10 लाख रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, कर्मचारियों का वेतन आ रहा है। उनका भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में सोचे, मंथन करे। इसको संचालन करने के लिये हमारी तो यही मांग है कि इनको पी एच ई डी को दिया जाये। अगर पी एच ई डी को आप नहीं देते हो तो इसका संचालन करने के लिये राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से फण्ड जारी करे, जिससे इसको सुचारु रूप से चलाया जाये, नहीं तो ग्रामीण विकास के लिये, गांव में कोई सड़क बनानी है, सफाई करनी है, नया शौचालय बनाना है, किसी जगह नये तालाब का निर्माण करना है, उसके लिये जो धन आ रहा है, वह सीधा का सीधा रोजगार सहायक, कोविड सहायक, जनता जल के कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है। विद्युत का बिल भरना बाकी रह जाता है। कभी-कभार इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो जाती है, तो 10-10 दिन तक स्कीम बन्द रहती है और लोगों को पानी पिलाना मुश्किल हो जाता है।

दूसरा निवेदन है कि जनता जल के अन्दर कर्मचारी लगे हुए हैं पर कई सालों से पीएचईडी के हेल्पर की भर्ती नहीं हुई है। जनता जल के कर्मचारी को वेतन तो 5 हजार मिलता है, उनके पास 5-5, 7-7 स्कीमें हैं तो वह स्कीमें वह कैसे संचालित करेगा? उसके पास दूसरी कोई जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन है कि उनके संचालन के लिये, उनका कुछ वेतन बढ़ाया जाये तभी ग्राम का विकास होगा। पंचायत मजबूत नहीं होगी तो ग्राम का विकास नहीं हो

(श्री पदमाराम)

सकता, ग्राम का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत के अन्दर राज्य सरकार की कोई भी स्कीम हो, उसका जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर अपन निर्भर रहते हैं और ग्राम पंचायत के अन्दर सिर्फ टी.एफ.सी., एस.एफ.सी. के सिवाय और कोई इनकम नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा योजना एक संजीवनी साबित हुई है। ग्रामीण इलाकों में लोग गुजरात के अन्दर, महाराष्ट्र के अन्दर पलायन करके मजदूरी करने के लिए जाते थे तो राजस्थान की, सेंट्रल गवर्नमेंट की यू.पी.ए. सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने यह जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की जिसने ग्रामीणों के अन्दर पलायन को रोकने का काम किया। यह बहुत शानदार और मजबूत योजना है और इस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित की जाये। इसके अन्दर योजना लागू होगी तो ग्राम पंचायत उनका प्लान बनाती है परन्तु इनकी स्वीकृति का पूरा का पूरा अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद् के पास है। ग्राम पंचायत के सरपंच के पास नरेगा के अन्दर एक रुपया भी सेंक्शन करने का प्रावधान नहीं है, यह बिलकुल गलत है। यह प्रावधान है कि पांच लाख रुपये तक का कोई भी काम बिना ठेका प्रक्रिया ग्राम पंचायत का सरपंच कर सकता है, परन्तु गाइडलाइन में यह कर दिया कि नरेगा का कोई भी काम होगा तो टेंडर के आधार पर होगा। टेंडर प्रक्रिया एक टाइप का, आज पंचायती राज के अन्दर चुनाव होते हैं तो चार-पांच पार्टियां आमने-सामने खड़ी होती हैं और चुनाव के अन्दर जो हार जाते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो जीता हुआ सरपंच है, उसकी पंचायत का काम नहीं हो, उसके साथ सौतेला व्यवहार हो, उनके काम कैसे रोके जाएं, उनकी असत्य शिकायतें की जाती हैं और शिकायतों के अन्दर वह 24 घंटे उन शिकायतों के पीछे पड़ा रहता है जिससे ग्राम पंचायत का विकास नहीं होता है तो मेरा यह निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, इसके अन्दर एक नयी गाइडलाइन जारी करें। जो भी काम हो, पांच लाख रुपये तक कोई भी टाइप का काम हो, वह बिना निविदा ग्राम पंचायत कर सकती है, यह डायरेक्शन जारी करें तो पंचायतों को मजबूती मिलेगी, गांव की पंचायत मजबूत होगी, हर गांव, हर ढाणी का काम अच्छी तरह से होगा।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में, इस महात्मा गांधी

(श्री पदमाराम)

नरेगा के अन्दर ग्रेवल का काम हो रहा है, अच्छा काम हुआ। हर गांव, ढाणी में जाने वाले रास्ते के अन्दर बहुत मजबूती हुई है। मेरा यह निवेदन है कि नरेगा के अन्दर डब्ल्यू.बी.एम. लें तो आज हर विधायक महोदय, जन-प्रतिनिधि जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के निर्माण कार्य की मांग कर रहे हैं, यदि ग्राम पंचायत से हो जायेगा तो आज राज्य सरकार ने दस करोड़ रुपये दिये हैं, उससे कई किलोमीटर सड़कें बन सकती हैं। आज अपन जो इस आधार पर पन्द्रह से बीस किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते हैं और बीस से तीस किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण होता है यदि डब्ल्यू.बी.एम. नरेगा के तहत हो तो कई किलोमीटर नयी-नयी सड़कें हो जायेंगी। सड़क होगी तो गांव का विकास होगा, आने-जाने के साधन की सुविधा होगी, हर आदमी मजबूती से अपना यह काम कर सकेगा।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत शानदार योजना है। आम आदमी, गरीब आदमी सबकी योजना लागू की है। यह इन्दिरा आवास योजना है उसको अपग्रेड करके प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम चेंज किया है। इन्दिरा आवास योजना पहले चालू थी और बी.पी.एल. चयनित परिवारों को मिलता था। 2011 के अन्दर सर्वे हुआ और उस सर्वे के आधार पर कुछ लोग ऐसे लोग थे जो मजदूरी के लिए बाहर चले गये और उनका सर्वे नहीं हुआ। सर्वे नहीं करने के कारण वे लोग आवास से वंचित रह गये और अभी आवास योजना के अन्दर जो नये फार्म लिये गये और उसके अन्दर किसी कर्मचारी ने यदि जानबूझकर लिख दिया लैंड लाइन नम्बर, लैंड लाइन फोन तो सिटीज के अन्दर भी खतम हो गये, अब कहां है? गांवों के अन्दर लैंड लाइन फोन नाम की चीज ही नहीं है, उसके कारण लाखों लोगों के आवास कट गये हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मेरा यह निवेदन है कि आप जुझारू हो, मजबूत हो, आपके दिल के अन्दर हमेशा सच्चाई है, हम आपका आदर करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे डेढ़ लाख से दो लाख लोग हैं जो आवास से वंचित हो गये हैं एक जो जियो-टैगिंग के कारण और दूसरे लैंड लाइन फोन नम्बर के कारण, तो आप मेहरबानी करके, यह पोर्टल ऊपर से बन्द हो गया है, जब तक आप ऊपर से इसको स्वीकृत नहीं करवाएंगे तब तक यह नहीं हो सकता है। मेरा यह निवेदन है कि अपने 25 सांसद हैं, उनसे भी मेरा यह निवेदन है कि यह मांग बहुत ही गम्भीर मांग है और यदि माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है और उनकी भावना है कि हर गरीब को छत मिले तो

(श्री पदमाराम)

डेढ़ लाख ये लोग और जो 2011 के अन्दर सर्वे हुआ था, सर्वे के अन्दर लोग जो मजदूरी करने के लिए बाहर चले गये, मजदूरी कौन करता है? गरीब लोग हैं। जिनके बच्चों का भरण-पोषण नहीं हो रहा है, वे मजदूरी के लिए जाते हैं। उन गरीबों के आवास की योजना है, तो उनको सम्बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको लागू किया जाये।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्दर पक्के काम किये जायें। उसके साथ-साथ किसानों को मजबूती देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत शानदार बजट किसानों के लिए पेश किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ किसानों को, कृषि कार्य को नरेगा के अन्दर जोड़ा जाये। कृषि कार्य, मेड़ बनानी हो, तारबंदी करनी हो, इसके साथ-साथ खेत के अन्दर जो काम कर रहे हो, फसल की कटाई करनी हो तो उसको भी नरेगा से जोड़ा जाये तो एक हिसाब से किसान को मजबूती मिलेगी। किसानों को मजबूत करने के लिए यह बहुत सुनहरा और शानदार काम है, मेरा यह निवेदन है कि इसको जोड़ा जाये।

मेरा यह निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्दर जो ठेकेदारी प्रथा है इसको खतम की जाये और ग्राम पंचायत को स्वतंत्र छोड़ दिया जाये कि जो भी आम सभा के अन्दर काम स्वीकृत होता है वह पांच लाख रुपये तक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत हो, दस लाख रुपये तक पंचायत समिति के अन्दर हो और पचास लाख रुपये से अधिक हो तो जिला परिषद् यह काम करे। यह काम करने का दायित्व, ग्राम पंचायत अपने स्तर पर टेंडर करे और टेंडर करके उस काम को कराये। आज समय चेंज हो गया है, हर आदमी यह चाहता है कि बीस परसेंट डाउन, पच्चीस परसेंट डाउन तो वह टेंडर डाल देता है, उसका काम हो जाता है और वह एक साल भर तक एक टके का काम नहीं करता है और ग्राम पंचायत के सभी लोग उस सरपंच के खिलाफ हो जाते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अब आप समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): दो मिनट। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि ग्राम पंचायत मजबूत नहीं होगी तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री पदमाराम (चौहटन): अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने नयी ग्राम पंचायतों के लिए बहुत शानदार किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्दर दो लाख पट्टे दिये हैं। मेरा यह निवेदन है कि कुछ लोग ग्राम पंचायतों में, मंत्री महोदय, यह मेरा निवेदन है कि कुछ लोग ग्रामों के अन्दर, ग्राम पंचायतों के अन्दर गोचर में बैठे हैं और राज्य सरकार ने यह अभी आदेश जारी किया है कि जो लोग 30 साल से वहां पर बैठे हैं उनकी जमीन आबादी की जाये परन्तु 30 साल से कम समय से भी जो लोग बैठे हैं, अपना घर बसा कर बैठे हैं, वहां पर उनका बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है तो उस जमीन को आबादी में करके उनको पट्टे जारी करें। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो 125 दिन ग्रामीण इलाके में और 100 दिन शहरी इलाकों में घोषणा की है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आपने टाइम दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद आपको, माननीय सदस्य, आप बैठें। श्री रूपा राम मुरवरलिया।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मैं रूपा राम मुरावतिया हूं, साहब।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 व 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सच को सच कहूंगा, दूजी बात नहीं, दिन को दिन कहूंगा, अंधेरी रात नहीं। नीतियां नहीं हो तो क्या नीयत तो पुरानी है, नीतियां नहीं हो तो क्या नीयत तो पुरानी है, नीयत न सुधरे, सुधरने का दावा या विकास का दावा बेमानी है। माननीय मंत्री जी, कुछ ऐसा कर गुजरो वरना कुर्सी तो आनी और जानी है। कुर्सी नहीं, यह जिंदगी भी बुलबुला पानी है।

हमारे सदन के सभी विद्वान माननीय सदस्य, सारी समस्या और विकास की बात और इनका सबसे बड़ा मैं यह देखता रहता हूं कि बोलने का तरीका अलग-अलग है सबका। मैं कहता हूं कि अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा गाना तब तक कोई सार्थक नहीं जब तक इंसान खुद अच्छा नहीं है, वह जन-प्रतिनिधि खुद अच्छा नहीं है। कौन बोलता है कि मैं गलत हूं या मैं खा गया, मैं भाग गया, यह कौन बोलता है? फिर भी अलग-अलग तरह के हैं यहां बोलने वाले। देश की आजादी के लिए मर मिटेंगे, इतना जोरदार बोलते हैं कि पसीने से भीग जाते हैं और बोलते वही बात है जो कि साधारण है तो इसलिए there are many kinds of speakers.

(श्री रूपा राम)

(समय: 16.00 बजे)

जहां ज्यादातर लोगों के जीवन में समस्याओं का अम्बार है, वहां विकास पर चर्चा करना कितना असरदार है। माननीय सभापति महोदय, राज्य में विकास हो रहा है, घर-घर में पार्लियामेंट हो रहा है, प्रजातंत्र में अचीवमेंट हो रहा है, आयाराम, गयाराम, दल-बदल कर पेटेंट हो रहा है। दफ्तर ही रेस्टोरेंट हो रहा है। ज्यादातर जन-प्रतिनिधियों का विकास जनता से ज्यादा हो रहा है। साहब और बाबुओं का भुगतान तनख्वाहों से ज्यादा हो रहा है। अफसर ही नहीं, चपरासी भी इंटेलिजेंट हो रहा है। ईमानदार का कसूर ही नहीं, फिर भी सस्पैण्ड हो रहा है, चमचा अपनी सीट पर परमानेंट हो रहा है। गरीब साइलेंट हो रहा है, बेईमान का काम अर्जेन्ट हो रहा है। नैनों से नैनों में एक्सीडेंट हो रहा है और कोर्ट में दो दिलों का एग्रीमेंट हो रहा है। राज्य में ज्यादातर यही विकास हो रहा है। बेईमानों के खिलाफ बोलते ही खुद का बुरा हाल हो रहा है। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो सबसे बड़ा हमारा ही नुकसान होने वाला है। माफिया, भ्रष्ट अधिकारी व जन प्रतिनिधियों का जहां गठजोड़ हो रहा है माननीय सभापति महोदय, बहुमत महत्वपूर्ण बात है, मुझे चाहे कोई हंसी में ले या कोई खुशी में ले, माफिया, भ्रष्ट अधिकारी व जन प्रतिनिधियों का जहां गठजोड़ हो रहा है, वहां विकास अपनी हालत पर जोर-जोर से रो रहा है। जिनको जनहित में जागना है, वह कुम्भकर्णी नींद सो रहे हैं। अब तो भगवान राम से ज्यादा, रावण के नाम हो रहे हैं। अब तो भगवान राम से ज्यादा रावण के नाम हो रहे हैं। हर दिन दुष्टों का जोर ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, राज्य में यही तो विकास हो रहा है, राज्य में यही तो विकास हो रहा है। इस कविता के साथ में मैं संक्षिप्त में इतना ही बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस कविता के रचयिता कौन हैं? किसने बनायी है कविता?

श्री रूपा राम (मकराना): कुछ मेरी अक्ल है, कुछ लोगों से ली हुई नकल है। ऐ बागबां के माली, माली शब्द बागवान से है, तेरी बाग़ की वफा पर मुझको शक है। कहूंगा क्यों नहीं रहता आपकी गली में हूं, कहने का मुझको हक है। जिन्दगी बख्शने की जिनसे दुआ करते हैं, आज उसी के खौफ से आदमी मरा करते हैं। हम तो नींद में भी सिसकते हैं, आपकी तस्वीर से ही डरते हैं। गुलिस्तां उजड़ेगा ही, जब सुख देने वाले ही सुख हरते हैं। उठ रहा

(श्री रूपा राम)

विश्वास ऐ सरकार, ऐ राज, तेरे दरबार से, अब तो बचने की दुआ सिर्फ ईश्वर से करते हैं, अब तो बचने की दुआ सिर्फ ईश्वर से करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, विकास का जब नाम आता है तो विकास का पर्याय है सच्चाई, पारदर्शिता और ईमानदारी, और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी। मैं समझता हूं सभी माननीय विधायक विकास के नाम पर अपने आपको सत्यनिष्ठ और खरा मानते हैं लेकिन मैंने कई बार कहा है कि आज आये हैं, कल चले जायेंगे।

'आये हैं, सो जायेंगे, राजा रंक फकीर,

एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधा जंजीर।

मेरा आपसे हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहिए और अगर ऐसा नहीं है तो अपने से बहुत ज्यादा उम्र के लोगों को पूछ लीजिए कि आपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। जब आप 68, 70, 75, 80 के हो जायेंगे तब अपने आप मानने लग जायेंगे कि मैंने जीवन में यह गलती की है और यह गलती नहीं की। अभी टाइम पूरा हो जायेगा, दस मिनट ही मिले हैं मुझे।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): नहीं, हमारा टाइम दे दिया आपको।

श्री रूपा राम (मकराना): कोई नहीं देता। मेरे तो कागज लेकर भाग गये थे बोलने से पहले। मैं तो कागजों के बिना क्या बोलता।

अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बातें बता देता हूं जिनका अभाव है या समस्या है। विकास अलग चीज है और समस्या अलग चीज है। ज्यादातर गांवों में बरसात का और गन्दा पानी भर जाता है जहां पंचायत के पास में इतना पैसा और बजट नहीं है कि उस समस्या का समाधान हो, एक।

दूसरा, आपने कहा कि हर गांव में नन्दीशाला खोलेंगे पर नहीं खुल रही है। आप गांव में जाकर किसान से पूछो या गांव में रहने वाले से पूछो। माननीय सभापति महोदय, अभी चार-पांच दिन पहले लगातार बारिश हुई, उस गाय के बछड़े को देखो, उस गाय को देखो, उस जानवर को देखो, उस नीलगाय को देखो, जहां आदमी सिर्फ आधा पौन घंटे में ही बरसात से ठिठुर कर मर जाता है, उन्होंने तीन-तीन, चार-चार दिन निकाले। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो आवारा पशु हैं, जो हमारी गाय है, जो बछड़े हैं, जो नीलगाय है, उनके रख-रखाव के लिए कुछ न कुछ बजट दें ताकि उस बजट से उनका जीवन पालन हो सके और वह सुरक्षित रह सके।

(श्री रूपा राम)

माननीय सभापति महोदय, हम गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग पूरी बरसात में टपकती है। आज सरकारी किसी भी भवन पर आप नजर दौड़ा लीजिए, वह टूटा-फूटा मिलेगा या रिपेयर हो जायेगी। मैंने पूछा कि भाई, यह जो स्कूल की बिल्डिंग है, कितने दिन पुरानी है। वह बोला कि साहब, बहुत पुरानी है, अब तो टूटेगी ही। मैंने पूछा, कितने दिन हो गये। वह बोला कि 30 साल हो गये। राजा महाराजाओं के जो गढ़ बने हैं, पांच-पांच सौ साल से चल रहे हैं, ये आपसे ज्यादा पुराने हैं, इनमें क्या है? कहने का मतलब है कि कीमत ज्यादा, मैटेरियल की कीमत ज्यादा और मैटेरियल सबसे घटिया। वह चाहे सड़क के क्षेत्र में आ जाओ, चाहे बिजली के क्षेत्र में आ जाओ, चाहे ट्यूबवैल के क्षेत्र में आ जाओ और चाहे पानी के क्षेत्र में आ जाओ। इसलिए मैंने जो कहा है कि जहां-जहां पानी की समस्या है गांवों में, वह गांवों के नाम लिखा देता हूं। ये हैं सूंतली, इन्दोगा, गोलडी, भीचावास, रानीगांव, गेलासर, जाखली, मोरेड़, जूसरी, भाटीपुरा, मकराना हास्पीटल के सामने पीपलचौक, झालरा तालाब, गच्छीपुरा, लाड़ोली। ये जो ट्यूबवैल हैं, इनमे माननीय सदस्यों को ज्यादा रुचि नहीं है क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की समस्या है। हां, तभी तो मैं जल्दी-जल्दी बोल गया कि अगला इतना ध्यान क्यों रखेगा।

आपकी सरकार में पहले गौरव पथ चल रहा था। गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ कर दिया। विकास पथ के नाम से मेरे यहां एक सड़क तो बनी है जाखली में। मैं चाहता हूं कि हर पंचायत में विकास पथ के नाम से सड़कें बनायी जायें और गांव में विकास की बातें की जायें। कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा कि गांव में आज जीवन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह नहीं मिल रही हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि गांवों में हर रहने वाले आदमी की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो और वहां उनके लिए सुख सुविधा हो तब जाकर लोगों का पलायन होने से रुकेगा।

सभापति महोदय, पिछली बार हमको आपने 5 करोड़ रुपये दिये। मैं डब्ल्यू.बी.एम. के बारे में दो मिनट बोल देता हूं। डब्ल्यूबी.एम. है या बी.एम.डब्ल्यू. है? हां, डब्ल्यू.बी.एम. है, बी.एम.डब्ल्यू. तो कार होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों और सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जब कोई सरकार पैसा देती है, 5 करोड़ की सड़क बनी साहब और मैंने क्या किया कि सड़कों को ज्यादा से ज्यादा बनाना है, नारायणजी को पता है और महेन्द्रजी को भी पता है, मैंने डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के ऊपर 5 करोड़ रुपये लगा दिये

(श्री रूपा राम)

जिससे सड़क बनी 52 किलोमीटर, 26 सड़कें। आज वह मौजूद हैं, बन रही हैं। लोगों ने कहा कि यह डब्ल्यू.बी.एम. पहले बनी हुई है, इसमें आपका नाम नहीं आयेगा। नाम आये या नहीं आये, पैसों का सदुपयोग होना चाहिए और जब-जब मैंने सड़क की शुरुआत की है, मैंने यह कहा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में जो सड़क दी है तो उस बजट के अनुसार सड़क बन रही है। मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद।

दूसरा, अभी जो 10 करोड़ रुपये दिये, गांवों में हमने लोगों को बधाई बांट दी कि 10 करोड़ में, नारायणजी, हमारे यहां बहुत ज्यादा डब्ल्यूबी.एम. बनी हुई है न, तो मैं और सोचता हूं कि डब्ल्यूबी.एम. के ऊपर 100 किलोमीटर भी सड़क बनायी जा सकती है वहां क्योंकि डब्ल्यू.बी.एम. आलरेडी कलेक्टर साहब या सी.ई.ओ. साहब के कहने से बन जाती है। उसमें पैसे भी सरकार के ही लगते हैं। हमारे 10 लाख और ऊपर लगने से वह सड़क पूरी हो जाती है। (व्यवधान) हां, 10 करोड़। 10 लाख रुपये लगते हैं, एक किलोमीटर डामर रोड बन जाती है। सभापति महोदय, डब्ल्यू.बी.एम. में अगर डामरीकरण नहीं हुआ तो वह पूरी की पूरी कंक्रीट उछलेगी, मिट्टी उछलेगी, धूल उछलेगी और थोड़े दिनों बाद में साधारण आदमी के आने जाने का रास्ता भी बन्द हो जायेगा। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है कि जहां डब्ल्यू.बी.एम. बनी हुई है, वहां डामरीकरण हो ताकि पैसों का सदुपयोग हो और इस बार जो 10 करोड़ रुपये दिये हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि विधायकों के नाम से ही दिया जाये, विधायकों की अनुशंसा ली जाये। अभी तो भ्रष्टाचार पर चर्चा चल रही है। सब जन प्रतिनिधियों पर विश्वास होना चाहिए। मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि यह 10 करोड़ रुपये के कार्य भी विधायकों की अनुशंसा से ही करवाएं जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट की ही बात और है। एक मिनट की है साहब, मैं तो वैसे कहते ही बैठ जाता हूं। इस सत्र में पहली बार बोल रहा हूं। घर में शादी का प्रोग्राम था, इसलिए आज आया और मेरा नम्बर आ गया। अभी तीन दिन पहले सरपंचों ने मुझे ज्ञापन दिया। उन्होंने अपनी समस्या रखी। करीब-करीब सदन के सभी माननीय सदस्यों ने समस्या बता दी। मैं भी यही कहूंगा कि सरपंचों की समस्या पर तुरन्त ध्यान देकर उनकी

(श्री रूपा राम)

समस्या का समाधान करें जिससे हमारे विकास की जो मुख्य कड़ी है, पंचायत राज की जो सरपंचों के द्वारा विकास की मुख्य कड़ी है, उसमें सरपंच आन्दोलित नहीं हों, सरपंच ज्ञापन नहीं देवें और सरपंचों ने तारीख दी है कि हम लगभग 22 तारीख को विधान सभा का घेराव करेंगे तो इससे पहले ही हम लोग सरपंचों की समस्या का समाधान करें। इसी आशा के साथ में, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। मैंने नाम पुकार लिया। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहता हूं कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया और संविधान में बहुत सारे मूल अधिकार दिये और मूल अधिकारों में शहर और गांव में कोई फर्क नहीं किया गया, लेकिन जब शहर की सुविधाओं को देखते हैं और गांवों की सुविधाओं को देखते हैं तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। एक समय था, जब भारत की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती थी और सही मायने की बात करें तो भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है। गांव का आदमी आज भी शहर के आदमी के बजाय ज्यादा मददगार साबित होता है। चाहे आप किसी भी गांव को उठाकर देख लें, राजस्थान की धरती के किसी भी शहर को उठाकर देख लें, फिर किसी भी विभाग की जो सुविधाएं हैं, वह शहर तक ज्यादा पहुंचती हैं, गांव में पहुंचने में उसे समय लग जाता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सदन के मुखिया को सदन के सभी सदस्यों की ओर से, 8 करोड़ जनता की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास की शुरुआत शहर से न होकर गांवों से होगी तो बहुत ज्यादा सुन्दर प्रतीत होगा। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि समाज या सरकार का नेतृत्व, चाहे विद्या बल से प्राप्त हुआ हो, चाहे बाहुबल से प्राप्त हुआ हो, लेकिन शक्ति का आधार तो आखिर जनता ही है। पुराने जमाने में जब राजा-महाराजा हुआ करते थे, बाहुबल के आधार पर राज करने का काम किया था, लेकिन उनके लिए भी सेना में जो लोग उनके सैनिक थे, उन राजाओं के प्रति समर्पित रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस राजा के पास अधिक सेना होती थी,

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

उसको राज करने का अवसर ज्यादा दिनों तक मिलता था। उस समय में भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने बेहतर काम करने का काम किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो सरकारें बनती हैं, वे जनता के बहुमत के आधार पर बनती हैं तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि उस गांव में बसी हुई जनता की हम सबको चिन्ता करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, स्वामी विवेकानन्द जी ने यह भी कहा था कि भारत का यथार्थ गांवों में बसता है, यानी वो जो झोंपड़ी में बसता है, जब तक उसकी प्रगति नहीं होगी, तब तक देश की उन्नति का सपना नहीं देखा जा सकता। इसके साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र में बुद्धि का और विद्या का अधिक प्रसार होगा, उतना ही उस राष्ट्र की उन्नति ज्यादा होगी।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का नारा दिया था और ग्राम स्वराज्य के पीछे उनका मकसद था, गांव के लोगों का गांव में बैठकर, चौपाल पर बैठकर काम हो। उसी का परिणाम था कि यह त्रि-स्तरीय पंचायत राज सिस्टम, जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, यह तीन पायदानों के माध्यम से सरकार ने गांव के विकास की चिन्ता की। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राम स्वराज्य का नारा था, उसको साकार करने के लिए, चाहे सरकारें कोई भी रही हों, उन्होंने प्रयास किये हैं, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शहर में चौबीस घंटे लाइट आती है, तो गांव में क्यों नहीं आती? गांव में लाइट को क्यों काटा जाता है? क्या गांव का किसान बिल नहीं भरता? क्या शहर का व्यापारी या शहर का रहने वाला व्यक्ति ज्यादा बिल भरता है? मैं सभी चीजों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' चलाया। चाहे पट्टे की बात हो, चाहे दबे हुए अतिक्रमण के रास्ते हों, चाहे चरागाहों के रास्ते हों, चाहे सरकारी संस्थाओं की भूमि आबंटन की बात हो। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऊर्जावान मंत्री हैं, आदरणीय रमेश जी, आपने जिस तरह से यह पदभार ग्रहण किया है, जिस प्रगति से, जिस तेजी से आप काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

राजस्थान में जिस तरह से 'प्रशासन गांवों के संग' में कितने पट्टे जारी किये गये, कितने पट्टे अभी पेंडिंग हैं? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सरपंच अपने-अपने पक्ष के लोगों को पट्टा जारी कर देता है और साइन करके प्रगति के लिए दिखा देता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जितना उन्होंने 'प्रशासन गांवों के संग' पट्टों की संख्या भेजी है, अगर मान लो वहां पट्टे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं, तो उनकी जांच कराने की मैं आपसे गुजारिश करता हूं। यह पूरे राजस्थान में ही है, अकेले महवा विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। इसके साथ ही कुछ उपखण्ड अधिकारी, पूरे राजस्थान लेवल पर यह प्रोब्लम है, उन रास्तों को, जिन रास्तों को राजस्व रिकार्ड में काटना चाहिए, वह काट नहीं पा रहे, बहुत लम्बा समय हो गया और रूपा राम जी ने ठीक कहा है कि अगर उस पर ग्रेवल सड़क बना देते हैं, हम इस सीजन में, इस साल 2022-23 में तो जहां 30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर हमारी डामर सड़क बनाने में लगेगा, वह 15 से 16 लाख रुपये में हमारी डामर सड़क तैयार हो जाएगी। यानी डामर सड़क के जो किलोमीटर है, वह डबल बढ़ जाएंगे और नरेगा का पैसा भारत सरकार से जो आता है, उसका सदुपयोग हो जाएगा। अगर कुछ पैसा विधायक कोटे से भी लेने की आवश्यकता होगी, तो वह भी लिया जा सकेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, आपने पंचायती राज का गठन किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की तीन ग्राम पंचायत, सरकार यह कहती है और चाहती भी है कि किसान की झोंपड़ी के पास, किसान के गांव के पास कम-से-कम दूरी में उसको सरकारी कार्यालय मिले। लेकिन, हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र की महवा पंचायत समिति में टुडियाना, गगवाना और बालाहेड़ी, तीन ग्राम पंचायतों को, जो कि महवा से मात्र चार किलोमीटर दूर है, उनको हटाकर दूसरी पंचायत समिति में 25 किलोमीटर दूर जोड़ दिया तो वहां के सभी मतदाताओं ने फैसला लिया है कि पंचायती राज में चाहे जिला परिषद् के चुनाव हों, चाहे सरपंच के चुनाव हों, चाहे पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हों, तीनों चुनावों में तीनों ग्राम पंचायतों ने पुरजोर तरीके से बहिष्कार कर दिया है और आने वाले विधान सभा और लोक सभा चुनावों में भी वह बहिष्कार करेंगे। मैं इस बात के लिये माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह गगवाना, टुडियाना और बालाहेडी, तीनों पंचायतों को हटाकर

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

इनको महवा पंचायत समिति में जोड़ा जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। आपका बहुत अहसान होगा। वहां के लोग परेशान हैं, उनकी बात को सुनने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नए जिले बनाने की बात कही है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां आसपास टोड़ाभीम, वैर, कठूमर, लक्ष्मणगढ़, रैणी, मंडावर और महवा सहित यह सात उपखण्ड कार्यालय हैं, इन उपखण्ड कार्यालयों को मिलाकर के सेंट्रल में महवा पड़ता है, मैं पुरजोर शब्दों में सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि महवा को जिला बनाया जाए ताकि हमारा और विकास हो सके। आपने बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय सर्वसमाज।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल चौधरी।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या-28 तथा 41-ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से लगातार गांवों से लोग पलायन करके शहरों में जा रहे थे, बाकी कोरोना के बाद में लोगों का वापस गांवों की तरफ रूझान बढ़ा है और हर आदमी शहरों के पॉल्यूशन की वजह से, वातावरण की वजह से चाहता है कि मैं वापस गांवों में जाऊं। राजस्थान के कई लोग दक्षिण भारत में काम करने के लिए गये हुए थे पर अब लोगों को यही लग रहा है कि यहीं रहें। जैसे हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किसानों के भले के लिए सोचा कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो, इसके लिए उनको वहीं रोजगार मिले। वह चाहता है कि मैं गांवों में ही रहूं।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के विकास के लिए बहुत कुछ करना है जिससे वह वहां पर रह सकें। उनको जो सुविधा शहरों में मिलती है, वह वहीं पर मिले। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वह खुद इंजीनियर हैं। अगर यह पूरा मास्टर प्लान बनाकर के तरीके से करेंगे तो गांवों का सम्पूर्ण विकास होगा। शहरों जैसी वहां पर सुविधा मिलेगी।

(श्री कन्हैया लाल)

विकास के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वहां उसके कर्मचारी पूरे हों। चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, नरेगा का जे.ईएन. हो, दूसरे जेईएन हों, एल.डी.सी. हों सारे पद भरे हों तो पूरा विकास होगा।

मैंने पिछले समय में हमारी सरकार के समय भी हमारे मुख्य मंत्री जी को निवेदन किया था कि अगर हम इन 5 पदों को भर देंगे तो हमारी 90 प्रतिशत समस्या अपने आप ही खतम हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपका पटवारी, ग्राम सेवक, ए.एन.एम., हैंडपम्प मिस्त्री, नरेगा का जे.ईएन. यह पद भी परमानेंट भरे रहें तो आधी से ज्यादा, क्या 90 परसेंट समस्या तो अपने आप ही खतम हो जाती है। इस बारे में जब यह सरकार आयी थी तो मैं अशोक गहलोत जी से मिला था और मैंने कहा था कि हमारी सरकार में यह दिक्कत थी, आप तो इसको पूरा करना, लेकिन अभी तक साढ़े 3 साल के अन्दर वही स्थिति बनी हुई है। साढ़े 3, 4 साल से न तो हमारे पटवारी भर पा रहे हैं और न ही हमारे यहां ग्राम विकास अधिकारी के पद भरे हैं। कहीं न कहीं किसी योजना के तहत वह अटके पड़े हैं। इससे जो भी योजना आती है वह सम्पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि लगभग 30-40 वर्षों से लोग चरागाह भूमि में बसे हुए हैं कोई कहीं बसे हुए हैं। उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो चुका है लेकिन उनके पट्टे नहीं मिलने की वजह से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये उनको नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि कोई आदमी उसके बराबर में जो खेत है, उसमें मकान बना रहा है पीएम आवास के तहत, तो उसका पट्टा नहीं बन पाता है। वह समझ नहीं पाता है कि वह कहां तहसील में जाये, कहां कन्वर्जन कराये। उसका कन्वर्जन करने का पावर भी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति में दें ताकि उसका पट्टा जारी हो। उनकी एक डैड-लाइन फिक्स कर दें कि इतने साल से जो रह रहा है, उनके बिजली का बिल है या कोई भी आधार लेते हुए उनको पट्टा दिलाने के लिए करें जिससे उस गरीब आदमी की समस्या का समाधान हो।

इसके साथ-साथ आपने प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जिसमें पट्टा तो 275 रुपये में पिछली सरकार के समय से बनता आ रहा है।

(श्री कन्हैया लाल)

वहां पर जब तहसीलदार बैठता है, एस.डी.एम. बैठता है, सब लोग बैठते हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन वहीं पर हो जाता तो उस गरीब आदमी का फायदा होता। अगर 6 महीने में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वह पट्टा बेकार हो जायेगा। वह वापस तहसील में जायेगा तो 2 हजार से लेकर 5 हजार तक वकील उससे लेते हैं, तब जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन वहीं की वहीं हो जाये तो कम से कम उसका बैनेफिट होता।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ग्रेवल रोड की बातें चल रही थीं। कई माननीय सदस्यों ने बोला कि आम-जन आते-जाते रहते हैं लेकिन रिकार्ड में नहीं होने से ग्रेवल रोड सैंक्शन नहीं हो पाती है। उसके लिए कहीं न कहीं कोई आधार बनायें जिससे वह रिकार्ड में दर्ज हो जाये और वह ग्रेवल रोड बना सके।

पंचायतों में पहले जो अनुदान मिलता था, अभी आपके पक्ष के माननीय सदस्यों ने बताया है कि अनुदान की परसेंटेज कम हो गयी, जबकि वह बढ़नी चाहिए थी। अनुदान जो कम हुआ है उसको आपकी तरफ से बढ़ायें, उसको रोकें नहीं जिससे पंचायतों का सम्पूर्ण विकास हो।

इसी तरह से पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए कई ग्राम पंचायतों में कई तरह के खनिज निकलते हैं। डी.एम.एफ.टी. के तहत वह पूरा पैसा जिले में ले जाते हैं। वहां मनमर्जी करते हैं। कलेक्टर ले जाता है। जिस ग्राम पंचायत में खनिज निकलता है उसकी रॉयल्टी का कुछ हिस्सा उस ग्राम पंचायत को मिले तो वह आत्मनिर्भर बनेगी। ग्राम के विकास में उसकी भागीदारी भी बनेगी।

अब कह रहे हैं कि हमने पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया है लेकिन जिस तरह से पिछले 3 साल में प्रधानों के, सरपंचों के और जिला परिषद् के सी.ई.ओ. से लेकर कलेक्टर, विकास अधिकारी सब के अधिकार कम कर दिये हैं उससे वह ग्राम विकास अधिकारी, एल.डी.सी. मनमर्जी करता है। उसको न तो ए.पी.ओ. कर सकते हैं और न उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। वह जब चाहता है तब गरीब आदमी को लूटता है। अभी आपने शिक्षा की अनिवार्यता भी हटा दी तो कई सरपंच अनपढ़ आते हैं, उनको तो चलाता ही वह ग्राम विकास अधिकारी है। उसके खिलाफ आपका बी.डी.ओ. या सी.ई.ओ. कोई कार्यवाही नहीं कर सकता और न ही उसको ए.पी.ओ. कर सकता है। जो मजबूत करने का काम है, उसमें अधिकार वापस दिलाने का

(श्री कन्हैया लाल)

काम करें, तब जाकर इनका सम्पूर्ण विकास हो पायेगा, तब जाकर गरीब की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो पायेगी।

नरेगा की सैंक्शन के बारे में अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद् में जाते हैं, सरपंच समझते नहीं हैं तो 6-6 महीनों तक वह सैंक्शन अटकी रहती है। अगर 10 लाख तक की पंचायत समिति में ही पावर दे दें तो वहीं का वहीं सरपंच चूंकि रोजाना पंचायत समिति जाता है तो वहीं सैंक्शन निकल जाये। डवटेल में जो भी पैसा आये तो 10 लाख रुपये में से 2 लाख, 4 लाख ग्राम पंचायत को देकर वहीं ज्यादा काम करा लें। उसको योगदान भी मिले।

नरेगा की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है कि नरेगा का रोजगार पूरे दिन कैसे हो। अभी बता रहे थे कि औसत दिन 47 आये हैं। चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य पदमाराम जी ने बोला कि नरेगा को कृषि से जोड़ना चाहिए। अगर वास्तव में किसी को रोजगार देना है और किसी का भला करना है तो नरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाये। यह सबसे बड़ा भला होगा। यह होगा तो केन्द्र से, लेकिन आप लोग इसका प्रपोजल बनाकर यहां से कोशिश करें। 100 दिन से 125 दिन करने के बजाय इसको कृषि से जोड़ने का कुछ करेंगे तो इससे जरूर किसानों का भला होगा।

इसके साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जैसे जल जीवन मिशन पूरे देश में हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने चालू किया, घर-घर जब पानी का कनेक्शन हो जायेगा तो रोड पर पानी जायेगा पर वहां न कोई प्रोपर नाली नहीं बनाता है। वहां पर सी.सी. का काम आ जाये या कोई भी ऐसा काम आ जाये तो सरपंच या वहां का विकास अधिकारी, जो भी होता है, वह चाहता है कि कंक्रीट का काम हो। बाहर एक बड़ा नाला बना देंगे, छोटी नालियां कोई नहीं बनायेगा। उस पैसे को खर्च करने की पूरी कोशिश करता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उसका मास्टर प्लान बनाकर सबसे पहले उस गांव का पानी कहां जाता है, सबसे पहले उसका लेवल निकालें। उसके बाद में नाली बनाने के बाद रोड बने। रोड में भी अगर इंटरलाकिंग टाइल्स डवटेल में बनायें, इंटरलाकिंग टाइल्स की 10 साल की तो गारण्टी होती है। वह जहां फैक्ट्री से बनकर आयेगी, उसकी कम से कम स्ट्रेन्थ तो चैक होगी। वह सी.सी. रोड बनाते हैं जो 2 से 3 साल

(श्री कन्हैया लाल)

बाद में बिलकुल खतम हो जाती है। आप राज्य सरकार की तरफ से आदेश करें, आप खुद इंजीनियर हो, इंटरलाकिंग टाइल्स की ही बने। इन 10 साल में जो पैसा बचेगा, 8 साल जो पैसा बचेगा, उस पैसे को जो दूसरे जरूरी काम हैं उनमें लगा सकते हो।

कचरा संग्रहण के लिए वाहन खरीदने के लिए जो 2 हजार से ज्यादा आबादी ऑटो-टीपर जो नगरपालिका में या नगर परिषद् में चलता है, उसी तरह से फिक्स करें। उनको ऑटो-टीपर खरीदने की परमिशन दें जिससे डेली कचरा परिवहन हो जाये, उसकी साफ-सफाई पूरी तरह से व्यवस्थित हो।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि सारा पैसा जो ग्राम पंचायतों में आता है, सब लोग सी.सी. रोड करते हैं। सी.सी. रोड करने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। सीधा 20-30 परसेंट ठेकेदार उनको दे देता है और वह काम करके चला जाता है।

आज से लगभग 20 साल पहले जो 300 हैक्टेयर से कम सिंचाई के तालाब थे वे पहले सिंचाई विभाग में थे, उनको ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर कर दिया। आज 20-25 साल में उन तालाबों और छोटे बांधों में कभी कोई पैसा नहीं दिया। न तो सिंचाई विभाग पैसा देता है और न ही ग्राम पंचायतों की तरफ से पैसा लगता है। आज यह स्थिति है कि अगर कहीं ज्यादा फ्लड आ गया तो वह सब के सब बांध टूटेंगे। जो भी उस बांध के नीचे गांव बसा है, उसमें बहुत जनहानि होगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें। जो बड़ा तालाब है, 300 हैक्टेयर तक उससे सिंचाई होती है, उसके अन्दर भी ग्राम पंचायत से नरेगा के तहत ऐसी कोई योजना लेकर आयें जिससे उन तालाबों का दुबारा जीर्णोद्धार हो सके। कहीं पर उनका पक्का काम कराना है तो वह करें। उनके अन्दर इतने जंगल हो गये कि उसकी वजह से वह जड़ें जाकर, छोटे-मोटे कीड़ों की वजह से होल हो गये हैं, उसकी वजह से कभी भी वह टूट सकते हैं। उन पर भी आप ध्यान दें। यह बहुत जरूरी है। उनसे उन गांवों में सिंचाई भी होती है और उससे वहां वाटर लेवल भी बढ़ा रहता है।

सी.आर., डी.आर., जिला परिषद् के जो भी सदस्य हैं, वो भी कुछ न कुछ जो भी योजना बनाते हैं तो उनका भी फिक्स करें कि अनुमोदन में ये

(श्री कन्हैया लाल)

जरूर भागीदारी निभायें क्योंकि या तो प्रधान बनाने के बाद में वे घर पर बैठ जाते या प्रमुख बनाने के बाद, दो महीने में मीटिंग में जाने के अलावा उनका कोई योगदान नहीं होता है तो जब भी ग्राम पंचायत की कोई बैठक हो उसमें इनकी अनिवार्यता सुनिश्चित करें। विकास की जो भी योजनाएं बनें, उनमें इनकी सहमति जरूर लें तो इनका भी कम से कम सदुपयोग हो और ये जो मेहनत करके आते हैं उनको उसका फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज बहुत महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा चल रही है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधीजी का कहना था कि भारत को जानना है तो गांवों को जानना होगा। भारत देश गांवों का देश है, लगभग 70 फीसदी आबादी गांवों में बसती है। पेशे से कृषि और कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आजीविका प्रदान करता है और रोजगार भी प्रदान करता है। इस विषय में 2019 के जब लोक सभा के चुनाव थे तो उस समय मैं सुनती थी कि 2022 जब आयेगा तो किसानों की आय दुगुनी हो जायेगी। यह भी सुनती थी कि नदियों और नहरों को जोड़ा जायेगा। किसान परिवार से आती हूं तो वह चीज दिमाग में जरूर चलती है। वादा तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं बढ़े और आज हम मूलभूत सुविधाओं के लिए, छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए जिसमें पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें, कृषि, बिजली लघु उद्योग, पशुपालन, ऐसे अनेकों विषय हैं जिन पर आज भी हमको काम करने की जरूरत है। सभी साथियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, अच्छे आइडियाज भी दिये। हम सब सदन में होते हैं तो एक दूसरे की टांग खिंचाई में भी कमी नहीं छोड़ते, पर वास्तविकता में जो योजनाएं हैं चाहे वे केन्द्र सरकार की तरफ से बनती हों, चाहे वे राज्य सरकार की तरफ से बनती हों, उनको हम धरातल पर कितना लेकर आते हैं उसमें हम जन-प्रतिनिधियों का भी एक दायित्व है। गांवों की आज की हालत को देखा जाये जिसमें काफी साथियों ने बोला कि गांवों में वेस्ट पानी की जो समस्या है, वह

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

वास्तव में शहरों से ज्यादा गम्भीर होती जा रही है। गांवों की गलियों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है और बारिश के दिनों में तो यह समस्या और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेती है। यहां माननीय मंत्री महोदय सुन रहे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मनरेगा के जो कार्य हो रहे हैं उनसे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अच्छे तरीके से योजना लागू की जाती है तो गांवों का वेस्ट पानी है उसको भी हम वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। बारिश का पानी भी हम वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। गांवों में ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है तो वहां पीने के पानी की समस्या है। इस तरह किये गये वाटर हार्वेस्टिंग से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, लेकिन उसको योजनाबद्ध तरीके से किये जाने की जरूरत है। पंचायत की जो इकाई है, पंचायत है, पंचायत का मुखिया है, वह ठीक तरीके से इसे बिना भेदभाव के करे तो निश्चित तौर पर हम इसमें सफल हो सकते हैं और कोई ऐसी योजना हमें राज्य स्तर पर भी लागू करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद लोगों का शहरों की तरफ रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए पलायन बढ़ा, शिक्षा के लिए पलायन बढ़ा। कोरोना काल आया तो उस समय हमें गांव का महत्व पता चला। वो भयानक दिन मुझे याद है जब आधी रात को लॉकडाउन लगा और इस देश का मजदूर वर्ग वापस अपने गांव, अपने उस घोंसले में लौटना चाहता है। आज हमें जरूरत है कि गांवों के लघु उद्योगों को हम प्रोत्साहित करें। हमारे राजस्थान में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको विदेश के स्तर पर भी पहुंचाया जा सकता है। मेरी कई बहनों ने और कई साथियों ने यहां पर जिक्र किया, चाहे वो अचार, पापड़, मंगोड़ी की बात रही हो। मैं इसके साथ ही कहना चाहूंगी कि दुग्ध पालन की भी बात की गयी। इसमें हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं। कोरोना ने हमें सिखाया कि हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ही गांव में अपना व्यवसाय ईजाद करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि मनरेगा को कृषि से जोड़ना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करती हूं क्योंकि जो सक्षम किसान है उसे मजदूर चाहिए तो क्यों न हम इसका दोहरा फायदा उठायें, इसलिए मनरेगा को हमें कृषि से जरूर जोड़ना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मनरेगा में आने वाली जो दिक्कतें हैं, जिनमें उदाहरण के

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

तौर पर किसी ग्राम पंचायत से कोई व्यक्ति जॉब कार्ड रखता है, उसकी भूमि या खेत दूसरी ग्राम पंचायत के खसरे में पड़ती है, अगर वह कैटल शैड और कुण्ड बनवाना चाहता है तो वह सम्भव नहीं हो पाता है। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय का उत्तर भी जानना चाहूंगी जब वे अपना उत्तर देंगे कि जॉब कार्ड जिसके पास है उसका खसरा यदि दूसरी पंचायत में आता है तो उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि भूमि चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन जिसके नाम पर स्वीकृति आयी है वहां पर वो अपना कैटल शैड या कुण्ड बनवा सके। इसमें हमें शिथिलता देनी चाहिए, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. परिवारों की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। जैसे कि कृषि भूमि पर कैटल शैड और कुण्ड देने की व्यवस्था है। एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. परिवार जो आते हैं, उनके पास बहुत ही कम भूमि होती है तीन-चार बीघा, दो बीघा होती है। परिवार बड़ा हो जाता है तो वह भूमि और कम हो जाती है। वह व्यक्तिगत भी इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता कि पेयजल की व्यवस्था, कैटल शैड की व्यवस्था अपने निजी रूप से करवा सके तो इसमें भी शिथिलता के लिए माननीय मंत्री महोदय से जरूर कहना चाहूंगी कि इसकी ओर भी जरूर ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन की जब बात थी तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जरूर आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आज शहरों के अन्दर हमें प्योर दूध, घी सब चाहिए, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान राशि दो रुपये से पांच रुपये बढ़ायी है, उसकी मैं सराहना करती हूं। इसके साथ ही 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीकरण की जो घोषणा की, उसमें भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। 5 हजार नवीन डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की और उनमें से 1 हजार महिलाओं या स्वयं सहायता समूहों को आबंटित करने की बात की, आज मैं इस चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज के युग में अगर शिक्षा की बात की जाये तो अंग्रेजी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गांव का बच्चा कहीं न कहीं हेजिटेशन महसूस करता था, अपने आप को कमजोर महसूस करता था या उस

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

भाषा के प्रति उसकी झिझक रहती थी कि मैं यह कर पाऊंगा कि नहीं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं कि 5 हजार तक की आबादी वाले गांवों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का जो काम किया है वह कोई छोटी बात नहीं है। हम आज उनको ऐसे प्लेटफार्म पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर गांवों से आने वाला बच्चा आने वाले आर्थिक और समृद्ध भारत का हिस्सा बन सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ पशुपालन विभाग से जुड़ी मांग मैं जरूर रखना चाहूंगी। ऊंट किसानों के लिए हमेशा बहुत मददगार रहा है। इस प्रदेश का राज्य पशु भी है। बार-बार हमारे माननीय सदस्य अमीनजी इस विषय पर बात भी उठाते रहे हैं। इस विलुप्त होती प्रजाति को हमें बचाये रखने के लिए, हमारे पशुपालकों को, किसानों को हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ऊंट पालन योजना के अन्तर्गत पशुपालकों को प्रजनन के लिए अनुदान राशि 10 हजार रुपये अगर हम देते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें हमारे पशु ऊंट को बचा सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास पर जो चर्चा चल रही है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो राशि आती है और विशेष तौर पर जो ब्लाक स्तर पर आती है। उसके लिये मैं कहना चाहूंगी कि उस राशि का उपयोग समुचित क्षेत्र के लिये समानुपातिक रूप से किये जाने का प्रावधान होना चाहिये, जिससे पूरे क्षेत्र का समुचित रूप से विकास हो सके। कहीं न कहीं विरोधाभास हम जन प्रतिनिधियों की तरफ से भी होता है, जिसका खामियाजा ग्रामवासियों को भुगतना पड़ता है तो इसकी तरफ भी मैं माननीय मंत्री महोदय का जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। साथ-साथ, क्योंकि बजट घोषणा जो हुई, मैं यह नहीं कहती कि मेरे क्षेत्र में कम मिला, अपितु पूरे 200 के 200 विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बात कही थी, ''मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा'', उसी के अनुरूप यह बजट घोषणा रही, पर फिर भी क्षेत्र में जितने काम करवा दिये जाएं, उतना मैं कम समझती हूं। उसी के अनुरूप अगर ग्रामीण विकास की बात आती है, किसान की बात आती है तो मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूं, जहां से दो मेजर रेलवे लाइंस गुजरती हैं- एक सादुलपुर से दिल्ली की तरफ, एक सादुलपुर से हनुमानगढ़-हिसार की तरफ। ये दोनों जो लाइनें हैं, इनका

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

विद्युतीकरण हो चुका है। आज वहां पर अंडरपास न होने के कारण वहां के किसानों को, कही पर 20 किलोमीटर, कहीं पर 45 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है।

यह मेरी विशेष मांग है कि यहां पर सिद्धमुख से धांगड़ा एक गांव है, जिसके बीच में किसानों की कृषि भूमि आती है, बोझाण से हमीरवास जो किसानों की भूमि आती है और इसी तरीके से कीरतान, ये तीन ऐसे गांव हैं, जिनमें हमारे किसान विद्युतीकृत रेलवे लाइन होने के कारण, अगर विद्युतीकृत नहीं भी होती है तो भी रेलवे लाइन को क्रॉस करना एक अपराध माना जाता है और आज यह काफी गम्भीर समस्या है तो इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। दूसरा, इसी से सम्बन्धित, खेती से सम्बन्धित एक और बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): सभापति महोदय, सिर्फ दो बातें और मैं कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): ताम्बाखेड़ी और कालरी, दो ऐसे गांव हैं, जिनमें हमने जी.एस.एस. की मांग रखी है। इस क्षेत्र में बिजली की काफी गम्भीर समस्या रहती है तो इसकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। सभापति महोदय, मैं दो गांवों का और जिक्र करती हूं, नेसल व बेवड़। बेवड़ गांव वह है, जहां से हमने तीन-तीन विधायक दिये हैं और अभी भी हमारे पास पी.एच.सी. नहीं है। दूसरा, एक नेसल गांव, जो काफी बड़ा है, आबादी काफी ज्यादा है तो उसमें मैं पी.एच.सी. की मांग करती हूं।

साथ ही, एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते समय-समय पर काफी बार अपने जन-प्रतिनिधियों की तरफ से हमारे पास, पंचायती राज से जुड़े हैं या नगरपालिका से, नगर परिषद् से जुड़े हुए जो सदस्य हैं खासकर के पंचायती राज से जुड़े हुए जो जन्मप्रतिनिधि हैं, जिन्हें दूर-दराज जाना पड़ता है, वे मानदेय की हमेशा मांग करते रहते हैं, मैं इस ओर भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव, दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धता करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है।

माननीय सभापति महोदय, गांधी जी ने कहा था कि पंचायतें जितनी ज्यादा शक्तिशाली होंगी उतना ही लोगों का भला होगा, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि पंचायती राज की स्थापना के 62 साल से भी अधिक समय बाद हालात सुकून-भरे नहीं हैं। और तो और नागौर की पावन धरा से 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज का वह स्थल भी आज जोर-जोर से अधिकारियों और सत्तासीन लोगों को पुकार रहा है कि नागौर को अब ''ना गौर' मत बनाइये। अब तो उस पावन स्थल को शोध संस्थान के रूप में विकसित कर दीजिये।

(समय: 16.44 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जब इसका जवाब दें तो नागौर के उस पावन स्थल को शोध संस्थान के रूप में विकसित करने के लिये बजट की घोषणा जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ हम पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती की बात करते हैं, दूसरी तरफ मैं सदन का ध्यान 13 मार्च, 2022 को सरपंच संघ द्वारा दिये गये उस ज्ञापन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसका सभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है।

अपनी व्यथा को सरपंचों ने शब्दों के माध्यम से बयां किया कि जनवरी, 2021 से आन्दोलनरत राजस्थान सरपंच संघ के साथ बार-बार लिखित समझौते एवं वार्ताएं की गयीं, लेकिन मांग पत्र की मांगों पर आदेश प्रसारित नहीं करने से सरपंच संघ में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

इस तरह से तो हम पंचायती राज को सम्बल कैसे दे पायेंगे? इस पर कोई ठोस कार्ययोजना बने। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सपना आज भी हर भारतीय के दिल में धड़क रहा है। यह भी सच है कि इस सपने को साकार करने के लिये हमें अपने शहरों ही नहीं, गांवों को भी विकास की राह पर लाना होगा। भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक की आबादी आज भी गांवों के अन्दर रहती है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद से ही भारत की राज्य सरकारें गांवों के विकास के लिये कार्यरत हैं। पिछले कई दशकों से असंख्य ग्रामीण विकास योजनाएं और परियोजनाएं लायी गयीं, मगर दुर्भाग्यवश भारतीय गांव आज भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की यदि महत्वपूर्ण योजनाओं की हम चर्चा करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूंगा, जिन्होंने ऐसी अच्छी योजना का शुभारम्भ किया, जिससे आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश का प्रत्येक गांव डामर सड़क से जुड पाया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि हैबिटेशन के नाम से, हमारा जो मरुस्थलीय इलाका है, नागौर और अन्य जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, वहां अभी भी छोटी-छोटी ढाणियां हैं, वे सड़क से अभी भी वंचित हैं तो हैबिटेशन के नाम पर कोई न कोई ऐसी सरकारी योजना केन्द्र सरकार की आप यहां लाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप यहां से प्रस्ताव बनाकर भेजें। हमारे नागौर के सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने सदन में भी यह मुद्दा उठाया और हमारे जो सभी 25 के 25 माननीय सांसद हैं, कई बार आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन उन 25 सांसदों के दिल में भी कहीं न कहीं एक खुशहाल राजस्थान का सपना है, जिसकी कहीं न कहीं बातें वे सदन में जरूर उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से इस हैबिटेशन की योजना का कोई खाका अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का निवेदन करूंगा।

मनरेगा की यदि हम बात करें, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी स्कीम देश की रही, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीशुदा रोजगार की बात है। जिन्होंने भी यह सपना अपने दिल में देखा, मैं निश्चित रूप से उनकी तारीफ

(श्री नारायण बेनीवाल)

भी करूंगा, लेकिन इसमें कई रद्दोबदल समय के साथ होने चाहिये। एक तो इसे कृषि से जोड़ा जाना चाहिये, जैसा कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने कहा। इसके अलावा सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही कि एक व्यक्ति, जो जॉब कार्डधारी है, उसकी जमीन यदि दूसरे गांव में आ जाती है तो वह उसका लाभ नहीं ले पाता तो ऐसा कोई न कोई इसमें रिव्यू करके नया प्रपोजल आप भेजें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्दर अच्छे एन.जी.ओ. बनाकर गांवों में उनकी सही मॉनिटरिंग करके इस मिशन का ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ दें। इसके अलावा जो क्षेत्रीय विकास द्वारा गरीबी एवं क्षेत्रीय असन्तुलन निस्तारण हेतु कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्रीय विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इनके ऊपर भी ठोस मॉनिटरिंग की मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कुछ आमूलचूल परिवर्तन अब समय के साथ होने जरूरी हैं। माननीय सभापति महोदय, जब हम गांवों में जाते हैं तो सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर यह कहते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल का कमरा है, लेकिन यदि 10-20-30 हजार रुपये भी इसकी मरम्मत हेतु मिल जाएं तो कम से कम 5-10 साल यह और चले, पर मरम्मत के नाम से इसके अन्दर हम एंटाइटल नहीं हैं तो इसका वापस रिव्यू हो। इसके अलावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जो सहकारिता का, अभी जो चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने सहकारिता में कई अच्छे फैसले भी किये हैं, मैं यह मांग करूंगा, के.वी.एस.एस. को भी एमएलए-एमपी अपने फंड से पैसा दे सकें, ऐसी कोई एमएलए-एमपी लैड में आप नियमों में रद्दोबदल कीजिये।

इसके अलावा हम सामुदायिकता की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह जैसे सामुदायिक कार्यक्रम जो हैं, उनके लिये भी एमएलए-एमपी अपने लैड से एक निश्चित पैसा दे पायें तो ऐसी कोई योजना बने। जो एस.जी.एस.वाई. और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि हम बात करें तो अभी कुछ माननीय विधायकों ने अपनी आवाज बहुत प्रखर तरीके से उठायी कि लाखों लोग, कोई न कोई टेक्निकल मिस्टैक के कारण इससे वंचित रह गये तो हमारे माननीय सांसद महोदय से भी हमने आग्रह किया। कल ही उन्होंने देश की लोक सभा में सौभाग्य योजना की जो बात थी, जिसमें 1100 करोड़ रुपये राजस्थान की

(श्री नारायण बेनीवाल)

जो विद्युत कम्पनियां खर्च नहीं कर सकीं समय से, उसके कारण वह पैसा लैप्स हो गया। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे इस मांग को पुरजोर तरीके से देश की लोक सभा में उठाएं। माननीय सभापति महोदय, गांवों के विकास हेतु सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चली आ रही हैं, लेकिन...

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें अब।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, अभी तो चार ही मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: मैं बताऊंगा आपको टाइम का तो। आप कन्क्लूड करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, कम से कम एक मिनट तो दें।

विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं लेकिन क्या आमजन को सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? आज भी गांव का व्यक्ति सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाता रहता है। एक तरफ हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं पर गांवों के अन्दर चले जाइये, ई-मित्र प्लस जो मशीनें हैं वे खराब पड़ी हैं। कभी सर्वर डाउन का बहाना करके उन व्यक्तियों को वहां से टरका दिया जाता है तो आखिर हम कब तक इन सब चीजों पर गौर नहीं करके गांव के विकास का जो रास्ता अवरुद्ध होता जा रहा है उस पर हम खरे उतरेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो बात है, अभी भीम से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं जी राजस्थान न्यूज की खबर का हवाला यहां दूंगा जिन्होंने यह कहा था कि प्रदेशभर के गांवों का विकास करने की इस योजना में सिर्फ नागौर सांसद ही 5 गांवों को गोद लेकर उनका समुचित विकास कर रहे हैं तो अन्य माननीय सांसदों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में कहीं न कहीं राजस्थान सरकार की भी योजना हो कि उनके लिए कोई विशेष बजट अलग से जारी किया जाये तो निश्चित रूप से हम इस पर खरे उतरेंगे।

जो पंचायती राज की बी.एस.आर. है उसको पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. के अनुरूप किया जाये और टेंडरिंग प्रक्रिया पर कोई न कोई ठोस कार्ययोजना बने वरना इससे गांवों का विकास अवरुद्ध हुआ है। पंचायतों के जो

(श्री नारायण बेनीवाल)

काम हैं, डिवीजन आफ वर्क जो है वह पंचायतों का काम पंचायत समितियां करती आयी हैं। अभी मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने सारी बात कही कि पंचायत समिति ने किस तरह सिंगल फेज ट्यूबवैलों के अन्दर 78 लाख रुपये की भारी अनियमितताएं कीं, उस पर तीन अधिकारियों को सस्पैंड किया गया। मैं तो माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि उस प्रकरण की पूरी जांच राज्य स्तर की कोई कमेटी जाकर करे तो निश्चित रूप से गांवों के विकास की जो कल्पना हमारे सबके दिल में है उस कल्पना में हमारा सपना कहीं न कहीं साकार हो।

सामुदायिक विकास की यदि हम बात करें तो माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यहां पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, लेकिन हम सबका एक ही ध्येय है कि राजस्थान का प्रत्येक गांव और गांव में रहने वाले व्यक्ति की दशा और दिशा कैसे तय हो। आज अधिकतर माननीय सदस्यों ने जो विकास पथ की बात कही, मैं भी आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि विकास पथ की कड़ी जो रुक गयी और जिसके कारण स्वच्छता अभियान ठण्डे बस्ते में चले गये, इन सब बातों के ऊपर कोई न कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर हमारा प्रयास रहे कि गांव का व्यक्ति भी जिसका शहरीकरण हो रहा है उसको भी शहर की तरह सुविधा कैसे मिले। उसको कैसे 24 घंटे लाइट मिले, पानी की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, इन सब बातों के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर आप यदि गांवों का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से जनता के अन्दर अच्छा मैसेज जायेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाकर 7.00 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया गया।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि लगभग 30 लोग अभी और बोलने हैं तो इधर से भी, इधर से भी विचार-विमर्श करके यह तय किया गया है कि रिपीटेशन करने के बजाय अपनी मुख्य-मुख्य बातें आप बता दें, आवश्यक जो हों वे बता दें। 6 मिनट का समय होने पर भी 8 बजे माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आ पायेगा इसलिए एक मिनट बचेगी तब मैं आपको कन्क्लूड करने के लिए कह दूंगा ताकि कोई विशेष बात हो तो वह आप कह सकें। मजबूरी है, तीस आदमी अभी और बाकी हैं। थैंक यू। श्री गोपीचन्द जी मीणा (आसपुर) (अनुपस्थित), श्री कैलाश चन्द मीणा। अच्छा, इनकी जगह आपका आ गया। श्री गुरदीप सिंह जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 व 28 पर विचार

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, मांग संख्या 28 और 41 पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के पूरे सरपंच साहिबान हैं उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है। उनसे जो जनवरी, 2021 में बात हुई है उस बात पर गौर करके वह लागू की जाये। बार-बार उनके फोन आ रहे हैं इसलिए मैं उनकी मांग आपके समक्ष उठा रहा हूं।

हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो आबादी भूमि है उसमें जोहड़ पायतन की बहुत ज्यादा जमीन है और वहां पर आबादी बसी हुई है लोगों के 30-30, 40-40 साल से मकान बने हुए हैं। हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अन्दर इस जोहड़ पायतन की जमीन की जरूरत भी नहीं है तो कोई न कोई रास्ता निकालकर लोगों को इसके पट्टे दिये जायें। प्रधानमंत्री आवास के अन्दर लोगों के मकान आये हुए हैं पर उनके पास जगह नहीं है, वे वहां बैठे हुए हैं और वहां उनका मकान बन नहीं सकता है। वे मकान के लिए तरस रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं जो प्लाट ले लें।

दूसरा, जो आबादी भूमि के साथ चिपटी हुई जमीन है उनमें लोगों ने अपनी जमीनों में कालोनियां काट दीं और 100-100, 50-50 रुपये के स्टाम्प पर उन्होंने बेचान कर दिया। जब भी वे बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। पंचायत से जब रिपोर्ट मंगवाते हैं तो पंचायत यह कहती है कि यह आबादी भूमि के अन्दर नहीं है जिससे जो

(श्री गुरदीप सिंह)

लाभ है वह उनको नहीं मिल सकता और उन गरीब लोगों को एक्स्ट्रा पैसा भरकर कनेक्शन लेना पड़ता है। हमारे पंचायतों के अन्दर जो सड़कें और नालियां बनी हुई हैं उनकी सफाई के लिए जैसे नगरपालिका के अन्दर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है वैसे पंचायतों के अन्दर भी भर्ती की जाये ताकि उन नालियों और गलियों की सफाई हो सके।

ग्राम पंचायतों के अन्दर जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनकी बहुत भारी कमी है और एक-एक ग्राम विकास अधिकारी के पास 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों का चार्ज है जिससे लोगों के काम अटके रहते हैं इसलिए नई भर्ती करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम विकास अधिकारी होना चाहिए।

पंचायतों के अन्दर पक्के काम की जो टेंडर प्रथा है उसको बन्द किया जाये। हमारे इलाके में जो पक्के काम नरेगा के अन्दर होते हैं वे सिंचाई के लिए पक्के खालों के काम होते हैं उसके अन्दर ठेकेदार अपनी मनमर्जी करता है। जैसे अपनी टिब्बी पंचायत समिति है उसमें 30 पंचायतें हैं और उनमें से 28 पंचायतों का ठेका एक ही आदमी के पास है और कभी वह ईंट नहीं देता, कभी सीमेंट नहीं देता, कभी बजरी नहीं देता। इसलिए पंचायत को 5 लाख तक और पंचायत समिति को 10 लाख तक की स्वीकृति दी जाये।

प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान हमें मिलते हैं उनमें कुछ तो वोट के कारण सरपंचों ने काट दिये, कहीं अड़ंगा लगा दिया कि इसके पास मोटर साइकिल है, इसके पास फोन है और गलत रिपोर्ट करके उनके नाम काट दिये तो उनका सर्वे दुबारा कराकर जो पात्र आदमी हैं उनको मकान मिलने चाहिए। इसके लिए भी मैं आपसे मांग करता हूं।

मनरेगा के अन्दर जो काम हो रहे हैं उनको किसान के साथ जोड़कर उनको लाभ दिया जाये। हमारे सामने जो पी.सी. किशन जी बैठे हैं ये हमारे जिला कलेक्टर रहकर आये हुए हैं, इन्होंने नरेगा के अन्दर बहुत अच्छा काम किया था जिससे इनको अवार्ड भी मिला था। ये जानकार भी हैं और हमारे जिले के भी जानकार हैं। अब फसल आ गयी है तो कटाई के लिए आदमी हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। अगर इसको नरेगा के साथ में जोड़ दिया जाये तो उनको भी लाभ मिले, 400-500 रुपये की जो दिहाड़ी है वह मिले और कुछ नरेगा के जो 125-130 एवरेज पड़ रहे हैं वह भी मिले।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड कर लें अब, एक मिनट बचा है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): जो नरेगा के अन्दर पक्के काम हो रहे हैं उसमें हमारी श्मशान घाट की जमीन है उनकी हम चारदीवारी नहीं कर सकते तो पक्के काम के अन्दर वह चारदीवारी भी ली जाये। जो अभी नारायण जी बेनीवाल ने कहा है कि हम गांवों के अन्दर जाते हैं तो स्कूलों के भवन, आंगनबाड़ी के भवनों की रिपेयरिंग के लिए हम पैसे नहीं दे सकते तो इसमें बदलाव करके एमएलए का जो फण्ड है उसमें रिपेयरिंग के लिए भी मंजूरी दी जाये ताकि जो हमारे स्कूलों के कमरें हैं उनकी छत खराब हो रखी है या आंगनबाड़ी के कमरों की छत खराब हो रखी है, पंचायत घर की छत खराब हो रखी है तो हम उसमें पैसा दे सकें जिससे उसकी रिपेयरिंग हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजकुमार जी गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और मांग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, आज से ही नहीं, वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि भारत गांवों में बसता है। आजादी के बाद गांवों में निश्चित रूप से खूब विकास हुआ है और गत 15-20 वर्षों में गांवों की स्थिति काफी अच्छी हुई है पर जो इंटीरियर के गांव हैं उन गांवों में आज भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है चाहे हम बिजली की बात करें, स्वच्छ पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, चिकित्सालय की बात करें, स्कूल की बात करें, ये आम वे सुविधाएं हैं जो हर ग्रामवासी को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए। गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों का जो जाल राजस्थान में बिछाया जा रहा है चाहे पक्ष के साथी

(समय: 17.00 बजे)

हों, चाहे विपक्ष के साथी हों, सबने प्रशंसा की है कि गत वर्ष भी करीब 5 करोड़ की सड़कें गांवों में मिलीं। नगर परिषद् एरिया में 20 से 25 किलोमीटर सड़कें मिलीं और इस वर्ष भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में 10 करोड़ रुपये की घोषणा गांवों की सड़कों के लिये की है और 25 किलोमीटर सड़कों की नगर परिषद् एरिया में की है। निश्चित रूप से इससे हम लोगों को बैनेफिट मिलेगा, आम आदमी को सुविधा मिलेगी। इससे गांवों में बहुत फायदा हुआ, गांवों के लोग खुश हैं, सब विधायक के काम से खुश हैं और सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, इससे भी लोग खुश हैं।

(श्री राजकुमार गौड़)

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि गांवों के लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करें। पलायन तब नहीं करेंगे, जब उनको वहां पर रोजगार मिलेगा। आज गांवों में अगर रोजगार का कोई साधन है, तो केवल मात्र नरेगा है। जिसकी हम सब लोग बात कर रहे हैं, पर नरेगा में किस तरह से लोगों से काम लिया जाये। मेरे अनेक साथियों ने कहा कि किसान के साथ उसको जोड़ा जाये। भारत सरकार यह नियम बनाये, हम उन्हें बतायें कि किसान के साथ जोड़ने का मतलब है कि नरेगा में जितना उसको पैसा मिलना चाहिये, वह पैसा तो उस मजदूर को मिलेगा ही, किसान के साथ यदि वह अलग से काम करेगा, तो किसान भी अपनी तरफ से उसको जैसा भी सरकार तय करे, सौ रुपये, सवा सौ रुपये दें, तो उस मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी। उसको तीन सौ के बजाय तीन-साढ़े तीन सौ रुपये मिलेंगे और किसान जो बाहर से दूर-दूर से मजदूरों को लाता है, उसकी परेशानी दूर होगी।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है। नरेगा में जितना पैसा मजदूर को मिलना चाहिये, असल में उतना रुपया मजदूर को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? ये अधिकारी देखें। आम शिकायत आती है मस्टर-रोल में 100 आदमियों के नाम लिखे जाते हैं, काम 75 आदमी करते हैं। जो 25 आदमी काम नहीं करते हैं, उसका हक दूसरे को मिलता है। उसको उसका हक नहीं मिलता है। इस बात को हमें बहुत गम्भीरता से लेना चाहिये। नरेगा के मजदूर साथियों से हम काम लेना चाहते हैं, भाई-बहनों से काम लेना चाहते हैं तो हम उनको वन विभाग से जोड़ सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में वृक्षारोपण करवायें, वृक्षारोपण करवाने की आवश्यकता भी है। हम उन्हें गोशाला से जोड़ सकते हैं।

सर, आज गांवों में गौशालाओं की बहुत जरूरत है। आज जिस तरह से आवारा पशुओं के कारण किसान को नुकसान हो रहा है, जिस तरह से गरीब आदमियों को नुकसान हो रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश की बात करें तो सैकड़ों लोगों की जान केवल इन पशुओं की वजह से जा रही है।

अभी मेरे वाट्सएप पर एक मैसेज आया कि एक डाक्टर और दो आदमी केवल पशु को बचाने के लिये मर गये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस बात को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिये। गांवों में उन आवारा पशुओं की वजह से किसानों को नुकसान होता है। किसान पशु को

(श्री राजकुमार गौड़)

शहर में छोड़कर जाता है। किसी भी चौराहे पर चले जाइये, हाईवे पर चले जाइये, स्टेट हाईवे पर चले जाइये, जहां जायेंगे आपको पशुओं के झुण्ड के झुण्ड मिलेंगे। आप बच नहीं सकते हैं। कई सदस्य होंगे, जिनमें से मैं भी एक हूं, अनेक बार पशुओं ने, नील गाय ने गाड़ी को टक्कर मारी। वह तो भगवान की दया से बच गये। किशनगढ़ के मेरे साथी बैठे हैं, इनके साथ भी यह घटना हुई। इस पर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिये।

महात्मा गांधी जी चाहते थे कि गांवों में कुटीर उद्योग हों पर आज कुटीर उद्योग बन्द हो गये हैं। हमें वापस उस साइड में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गांवों में विकास हो, गांवों में काम हो, गांव के आदमी को रोजगार मिले तो कुटीर उद्योग से हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा।

महोदय, मेरे से पूर्व भी एक साथी ने जिक्र किया कि गांवों में जो जोहड़ हैं, तालाब हैं, अब हम कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश के कारण उन लोगों को हम बसा नहीं सकते हैं। आज उन जोहड़ के साथ जो जगह है, उसमें गरीब आदमी बैठा है। साहब, गांवों की बड़ी अजीब स्थिति है। 50 प्रतिशत लोगों के पास एक बीघा से डेढ़ बीघा जमीन में मकान है, 50 प्रतिशत केवल दो बीघा में रहते हैं। पंचायतों के पास सरकारी जमीन है नहीं, भूमि है नहीं, उनको सरकारी मकान मिल नहीं सकते, सरकारी मकान बन नहीं सकते। मेरा मंत्री महोदय को एक सुझाव है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिन पंचायतों में जगह नहीं है, जिन पंचायतों में सरकारी भूमि नहीं है, सरकार वहां पहले भूमि उपलब्ध करवाये और फिर उस गरीब आदमी को छत दे, उसको मकान दे। जब हम यह सोचेंगे, यह प्लान बनायेंगे, तब उन गांवों का विकास हो पायेगा। उस गरीब आदमी को लगेगा कि उसको भी एक मकान मिला है, एक कमरा मिला है, एक पानी की टूंटी मिली है।

आज पानी की बहुत दिक्कत है। मैं जिस जिले से आता हूं तीन-तीन हमारी स्कीम्स हैं, उसके बावजूद भी कई गांव हैं, जिनमें पानी नहीं है। हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में खारा पानी है। नीचे की भूमि से पानी आ नहीं सकता, तीन-तीन पेयजल योजनाएं हैं, आई.जी.एन.पी. है, गंग कैनाल है, भाखड़ा है, उसके बावजूद बहुत से ऐसे गांव हैं बहुत ऐसी ढाणियां हैं जहां पानी की आवश्यकता है।

जेजेएम मिशन पर अगर सरकार काम करेगी, अगर सरकार चाहेगी

(श्री राजकुमार गौड़)

कि घर-घर हम टूंटी देना चाहते हैं, घर-घर नल की योजना है तो यह बहुत आवश्यक है कि गांवों में अगर आप पानी पहुंचा देंगे, आप बिजली पहुंचा देंगे, आप चिकित्सा पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक समय था। सरकार के नियम थे कि पटवारी, डाक्टर, ए.एन.एम., जी.एन.एम. और आपने गावों में विकास अधिकारी बनाये हैं, ये लोग पंचायत हैडक्वार्टर पर रहेंगे, परन्तु धीरे-धीरे यह नियम खतम हो गया। इनमें से आपका कोई भी कर्मचारी, अधिकारी गांव में नहीं रहता है। 80 किलोमीटर तक, जो शहर के लोग रहते हैं, जहां उनकी ड्यूटी है, शाम को वे लोग अपने घर आ जायेंगे। अब रात को किसी को काम पड़ा, वह कहां जायेगा? पटवारी हलके पर नहीं हैं, आदमी काम करवाने कहां जायेगा? ए.एन.एम., जी.एन.एम. नहीं होंगे, डाक्टर नहीं होंगे तो कैसे होगा? सरकार को इस तरफ सख्ती से नियम बनाना चाहिये और सख्ती से सरकार को कोशिश करनी चाहिये। आप लोगों को गांवों में फायदा देना चाहते हो, अगर आप इन अधिकारियों को, आपके पास कम से कम बी.डी.ओ. है, ए.सी.ई.ओ. है, सी.ई.ओ. हैं, इनसे पूछिये कितनी बार जाते हैं आप? कितनी पंचायत हैडक्वार्टर पर आप गये, कितने गांवों में आपने जाकर देखा।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करिये।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, मेरा तो यह मानना है कि नरेगा के काम को आपका ग्रामीण विकास अधिकारी भी नहीं देखना चाहता है। वह केवल मैट पर निर्भर है। केवल मैट ही निर्णय करता है कि कितने की हाजिरी लगानी है, कितनों की हाजिरी नहीं लगानी है। वह मैट ही सब कुछ करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम गांवों में विकास चाहते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी की जो भावना है, उन भावनाओं को यदि हम सब लोग मिलकर पूरा करना चाहें तो गांधी जी का जो सपना था, भारत का जो सपना है, गांव के आदमी के लिये जो सपना है, बिना गांव के हम कुछ नहीं हैं। आज हर आदमी गांवों की तरफ देख रहा है। शहर में कितने लोग रहने लगे? कितनी जनसंख्या होगी? आदमी चाहता है कि मैं गांव में जाऊं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): इन सुविधाओं को अगर हम गांव में बनायेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फायदा होगा। महोदय, मैं कहना चाहूंगा सरपंचों की समस्याओं के बारे में, मेरे सभी साथियों ने कहा है, निश्चित रूप से सरकार को इस पर गौर करना चाहिये।

प्रशासन गांवों के संग, जो कोविड की वजह से बन्द हो गया था, इसको हम वापस चलायें। इससे लोगों को बहुत फायदा मिला और अब वापस लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह काम वापस शुरू हो। किसानों की जो उपज है, गांवों को हम मजबूत करना चाहते हैं, तो गांवों में जो किसान है, वह अपनी उपज लाता है। आज उसकी स्थिति नहीं है कि वह अपनी उपज को घर पर रखे सके। इसके लिये वेयरहाउस की हम लोगों को व्यवस्था करनी चाहिये, गोदाम की हम लोगों को व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उस किसान को अनाज सस्ता नहीं बेचना पड़े।

सर, आज भी गरीबों के लिये काम करने को बहुत कुछ है। अधिकारी दीर्घा में एक अधिकारी बैठे हैं, जो कभी हमारे कलेक्टर हुआ करते थे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): उन्होंने गांवों में जाकर काम किया, झोपड़ियों में जाकर काम किया। आज अगर हम सभी लोग इस तरह से मिल-जुलकर काम करेंगे और वाकई हमारे मन में अगर है कि हमें गरीबी हटानी है और गरीब आदमी की मदद करनी है तो इन तमाम सुविधाओं को, जो सरकार दे रही है, जिस पर अरबों रुपये का हमारा बजट है। वह बजट सही भावना से सही जगह लगे, तभी हम लोग कामयाब हो जायेंगे। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री कैलाशचन्द्र जी मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 41 एवं 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय जी, बांसवाड़ा जिला सम्पूर्ण जनजाति क्षेत्र है। वहां पर प्रत्येक जॉब कार्डधारी मजदूर को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाता है। इस कारण से मजदूरों को गुजरात पलायन करना पड़ता है इसलिए उसको रोकने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना बहुत आवश्यक है। इसके मापदण्ड भी तय होने चाहिये एवं सरकार ने मजदूरों की मजदूरी 236 रुपया निर्धारित कर रखी है, परन्तु टी.एस.पी. क्षेत्र में मजदूरों को मात्र 100 रुपया, 120 रुपया मासिक दिया जाता है।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाकर के मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 500 रुपया, मैट की 700 रुपया और कारीगर की 1000 रुपया करना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी जाये और मजदूरों के अलावा मैट, कारीगर को भुगतान, जो सामग्री मद से किया जाता है, उसके अन्दर स्थिति यह है कि सामग्री मद का एक-डेढ़ साल में भुगतान होता है। कारीगर और मैट को डेढ़ साल तक रुक नहीं सकता है तो नरेगा योजना के अन्तर्गत अलग से एक ऐसा नियम बनाया जाये। कारीगर और मैट का भुगतान सामग्री से हटा करके इनको समय पर मिले ताकि वह अपने घर का गुजारा कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि केन्द्र सरकार में मोदी जी ने व्यक्तिगत लाभ योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति, जनजाति एस.टी. परिवार को तीन लाख तक की व्यक्तिगत योजना देने की घोषणा कर रखी है और सामान्य और ओबीसी में बीपीएल परिवार को तीन लाख तक का व्यक्तिगत लाभ देने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को लाभ दिया जाना होता है जैसे कूप निर्माण है, पशु शैड है, कृषि कार्य है, बागवानी कार्य है, समतलीकरण है। ऐसे कार्य जो होने हैं पर टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्दर व्यक्तिगत लाभ योजना का एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ योजना के कार्य करवाये जायें। हमारे गुजरात नजदीक बोर्डर पड़ता है और यहां के मजदूर गुजरात पलायन करते हैं, उस पलायन को रोका जाये। इसके साथ-साथ महानरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य करते हुए अगर कोई मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको कम से कम दस लाख तक का बीमा दिया जाये। उसको दस लाख तक का सहयोग मिलना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे पंचायत समिति गढ़ी, अरथूना में एफएफसी, एसएफसी के तहत वर्ष 2020-21 और 2021-22 में केन्द्रीय मद और राज्य मद में सौर ऊर्जा चलित लाइटों की स्वीकृतियां जारी की हैं लेकिन उसकी बैटरी और सौर ऊर्जा की प्लेटें

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

वहां पर चोरी हो जाती हैं, नहीं रहती हैं और इसके अन्दर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे कार्य नहीं होने चाहिये जिससे सरकारी धन का भी दुरुपयोग होता है और आम जनता को भी उसका लाभ नहीं मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत निर्वाचित जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच इनका मासिक मानदेय निर्धारित होना चाहिये और उनकी राशि भी बढ़ानी चाहिये। विकास कार्य की जो स्वीकृतियां निकाली जाती हैं उसमें वो भी छोटे-मोटे जन प्रतिनिधि हैं उनका भी कोटा निर्धारित होना चाहिये एवं इनको भी पेंशन जैसी सुविधा मिलनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय एवं पंचायती राज मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे बांसवाड़ा जिले में टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत हम पांच विधायक आते हैं और हमारे पांच विधायकों का जो विधायक मद है, जिससे सामुदायिक विकास के कार्य कराने होते हैं, परन्तु 2018-19 के अन्दर विधायक मद का 562.50 लाख रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ है। 2019-20 के अन्दर भी 562.50 लाख की राशि बाकी है, 2020-21 में भी 562.50 लाख की राशि बाकी है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): एक मिनट साहब। मेरा आपसे निवेदन है कि 16 करोड़ 87 लाख हमारे पांच विधान सभा क्षेत्रों में जो विधायकों को विकास के लिए मिलने चाहिये वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं और अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि हमें कम से कम सरकार द्वारा विधायक मद जो हमें दिया जाता है वह हमें समय पर उपलब्ध हो ताकि हमारे उस क्षेत्र में विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे जैसे पंचायत समिति गढ़ी में गढ़ी, परतापुर, जोलाना, पालोदा ऐसी जो पी.एच.सी. बड़ी-बड़ी हैं ट्राइबल बैल्ट के अन्दर, वहां पर 108 गाड़ियां हैं वो भंगार हो चुकी हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर नयी गाड़ियां उपलब्ध करायी जायें।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे पंचायत समिति गढ़ी और अरथूना में विकास अधिकारी नहीं होने की वजह से लोगों के काम नहीं होते हैं। गढ़ी में जो विकास अधिकारी है उसने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि नरेगा योजना हो चाहे किसी और योजना का भी अगर अभी मार्च में भुगतान करना है तो पहले ठेकेदारों, सरपंचों से कमीशन राशि एडवांस मांग करके वह कार्य का बिल आगे बढ़ाते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि उसकी जांच हो, कार्यवाही हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, लोगों का पेमेन्ट नहीं हो रहा है और लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। अरथूना पंचायत समिति के अन्दर, वह पूरा एक ट्राइबल बैल्ट है और वहां हमारे विकास अधिकारी एक दिन भी कोई पद पर नहीं रहता है जिस कारण से वहां पर किसी तरह का काम नहीं होता। वहां कम्प्यूटर आपरेटर्स और जो भी कर्मचारी बैठे हैं वे बिना पैसे लिये किसी तरह का काम नहीं करते हैं जिससे आम गरीब परेशान हो रहा है।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 28 और 41 पर बोलने का मौका दिया। आज ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं दो-चार चीजों की तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अभी मेरे से पहले सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या कृष्णा जी पूनियॉ जो बोल रही थीं, मैं उसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हुए अपडेट करना चाहूंगा। मैंने पहले भी इस बात को रखा है और आज थोड़ा सा वापस अपडेट करूंगा क्योंकि ग्रामीण परिवेश का कार्यक्रम है यह और माननीय मंत्री महोदय आज यहां विराज रहे हैं। गांवों में हम सब चाहते हैं, हर सदस्य ने यह बात रखी है कि ग्रामीण जनजीवन सुधरे। इसके लिए जरूरी है कि वहां जितना भी कीचड़ गांवों में हो रहा है सबसे पहले वह समस्या खतम हो। आज भी रसूखदार लोग, भले ही नालियां बन गयी हैं पर नालियों को बंद कर देते हैं। नालियां गांवों में नहीं चल सकती हैं, कभी टूट जाती हैं, कभी किसी कारण से, कभी और वजह से, कभी कोई बंद कर देता है, कभी कचरा आ जाता है

(श्री सुरेश टाक)

क्योंकि सफाई नियमित रूप से वहां नहीं होती है इसलिये जरूरी है कि वहां पर एक नया नवाचार किया जाये और मैं इस नवाचार को माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख रखना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि एक सोकपिट बना दिया जाये हर घर के सामने। तीन से चार हजार रुपये का खर्चा है यह किसी भी योजना में खर्च हो सकता है चाहे नरेगा में हो सकता है किसी भी ग्रामीण योजना के अन्तर्गत हो सकता है या स्वच्छता मिशन में भी इसको लिया जा सकता है। तीन से चार हजार रुपया प्रति घर का खर्चा है और मुश्किल से सौ घर, सवा सौ घर, डेढ़ सौ घर हैं। कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है लेकिन एक प्रयोग से पूरा गांव कीचड़ रहित हो जायेगा और कीचड़ रहित होने के साथ-साथ गांव की सुन्दरता बढ़ेगी, वाटर लेवल बढ़ेगा, वहां के ट्यूबवैल, वहां के हैंडपंप रिचार्ज हो जायेंगे और गन्दगी से निजात मिल जायेगी। उससे हमारा ग्रामीण जनजीवन बिलकुल शानदार हो जायेगा। इसमें एक पांच फीट का पाइप डालना है, दो फीट का खड्ढा करके सात फीट गहरा करना है, पांच फीट का पाइप उसमें दो छेद करके डालने हैं। घर का जितना भी डिस्पोजल वाटर है, जितना भी पानी है वह सब उसमें एक सोकपिट बनाकर डाल दिया जाये, वाटर ऑब्जर्व हो जायेगा बिलकुल भी गन्दगी नहीं होगी। गांव में पानी इतना ही काम में लिया जाता है जितना वह सोकपिट एब्जोर्ब कर लेगा। मैं चाहूंगा कि यह नवाचार हमारा पंचायती राज मंत्रालय करे और गांवों की दशा सुधारने के लिए एक विशेष कदम इसकी ओर बढ़ाये।

इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान जो बहुत सफल रहा, मैं यह चाहूंगा कि इस सफल अभियान में और चार चांद लगे। अभी जो अभियान चला है करीब-करीब हर गांव में, हर पंचायत में हम लोग गये हैं। हर पंचायत में बीस-इक्कीस विभाग राजस्थान सरकार के गये और ग्रामीणों को बहुत सारे फायदे हुए हैं। पट्टों के साथसाथ और भी बहुत सारी समस्याएं थीं उनका निस्तारण हुआ, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं वहां पर, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि एक बार सरकार एक कैम्प और आयोजित करे जिसमें ज्यादा नहीं, तीन-तीन पंचायतों को क्लब करके एक पंचायत हैडक्वार्टर पर अभियान में कैम्प लगाया जाये। सारे विभाग वहां जायें और सबसे पहले जो पुरानी रजिस्टर्ड हुई हैं शिकायतें उनका निस्तारण करें और उसके बाद जिन गरीब और पीड़ित

(श्री सुरेश टाक)

किसानों को पट्टे नहीं मिले हैं उनका वापस चैक अप किया जाये। कई बार यह देखा गया है कि सरपंच और ग्रामीणों में छोटा-मोटा विरोध होने पर पट्टा नहीं दिया जाता है।

मैं एक आग्रह और करूंगा। इसी के साथ-साथ अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान भी साथ-साथ चला था। प्रशासन शहरों के संग में स्वायत्त शासन विभाग ने 17.9.2021 को डीएलबी/2021/158 का एक परिपत्र निकाला है, उस परिपत्र में यह निर्देशित किया गया है आयुक्त और अधिशासी अधिकारी को कि पट्टे की पत्रावली 15 दिन तक अगर आपने प्रस्तुत कर दी है चेयरमैन के सामने, सभापति के सामने निगम में और अगर सभापति साइन नहीं कर रहे हैं तो एकल पट्टे का अधिकार आयुक्त को, अधिशासी अधिकारी को दे दिया गया है। मैं ऐसा ही अधिकार चाहता हूं कि अगर आप सेकेट्री को दें तो ठीक है नहीं तो बी.डी.ओ. को जरूर दें ताकि कहीं भी कोई विरोध सरपंच का किसी व्यक्ति विशेष से है तो वह पट्टे से वंचित नहीं हो और सरकार की यह ग्रामीणों को फायदा देने की योजना धरातल पर उतरे। यह जरूरी है कि हमारी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए छोटे-छोटे इश्यूज हैं, अगर उन पर ध्यान दे दिया जाये तो यह अभियान पूरी तरह से सफल हो जाते हैं, पूरी तरह से सार्थक हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पर ध्यान दें कि एक परिपत्र पंचायती राज का भी निकले जिसमें सरपंच अगर पट्टा नहीं दे रहा है पन्द्रह दिन में तो उस पत्रावली को बी.डी.ओ. को अधिकार दे दिया जाये ताकि वो ग्रामीणों को पट्टा दे दे।

माननीय सभापति महोदय, एक सभी ने मांग की है और मैं भी यह चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच संघों द्वारा सरकार के साथ वार्ताएं की गयी हैं, लिखित समझौते भी हुए हैं। उनका एक 13 सूत्री मांग पत्र है, उस पर सरकार ने कमिटमेंट किया है पर अभी वह लागू नहीं हुआ है, उसको लागू किया जाय। वह भी हमारे पार्ट एण्ड पार्शल है, इसलिए उनकी 13 सूत्री मांगों पर विचार कर निर्णय करके सरपंचों को समर्थन दें ताकि सरपंच भी हमारी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। 14 मार्च, 2022 को प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत सांकेतिक ....

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 22 मार्च को कम से कम 11 हजार सरपंचों द्वारा विधान सभा का घेराव किया जा रहा है। मैं चाहता हूं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो और 21 तारीख को जब माननीय मुख्य मंत्री जी पूरक बजट घोषित करें, तब सरपंचों की मांगों पर एक सार्थक निर्देश जारी करें ताकि उनका विश्वास बने।

एक बड़ा मैटर है जो मैं सभी सदस्यों की तरफ से माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूं। विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत भारत के महान योद्धाओं, शूरवीरों, महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा, मूर्ति और सर्किल की स्थापना किये जाने की अनुमति होना आवश्यक है। अभी जब भी गांवों में जाते हैं, हमारे इन शूरवीर योद्धाओं की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगाने के लिये बहुत सारे ग्रामीण जन, शहरी लोग सर्किल बनाने की मांग करते हैं लेकिन हम मजबूर हैं कि विधायक निधि में यह अनुमत नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि पंचायती राज विभाग यह अमेंडमेंट करे और विधायक निधि से जो भी विधायक हमारे किसी भी योद्धा का जहां भी सर्किल बनाना चाहते हैं, यथा महाराणा प्रताप, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर या और भी कोई जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी और योद्धा हुए हैं उनकी मूर्ति लगाना चाहें तो विधायक कोष से उसको अनुमत किया जाय ताकि हमारी पीढ़ियां इन योद्धाओं को याद रख सके और हम इस काम को कर सकें।

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। गांवों में शादी समारोह स्थल नहीं हैं, इससे गांव के लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। अभी पंचायती राज का जो प्रशासन गांवों के संग अभियान लगा है, उसमें एक-एक, दो-दो बीघा कम्युनिटी सेंटर के लिये जमीन आरक्षित की गई है। जहां नहीं की गई है, वहां जरूर करवाएं और जहां कर दी गई है, वहां पर कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की जाय। इसमें कन्वर्जन के साथ विधायक निधि भी ले लें, मजदूरी नरेगा में जोड़ ली जाय ताकि गांवों में गरीब आदमी के घर में शादी हो तो उसको एक कम्युनिटी सेंटर अच्छी सुविधा के साथ उपलब्ध हो। हम सब तैयार हैं, जो विधायक करना चाहे वह कम्युनिटी सेंटर के लिये अपना योगदान दे सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के गरीब और किसान लोगों के लिये शादी समारोह स्थल बने और गांवों की भी जीवन शैली सुधरे। उनको भी यह लगे कि हमारे बच्चों की शादी अच्छे ढंग से हो रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक बात कहकर मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं। विधायक मद के कार्यों में संबंधित विभागों द्वारा देरी की जाती है। प्राय: देखा जाता है कि एक बार में क्वेरीज को कम्प्लीट नहीं किया जाता है। जिला परिषद् क्वेरीज को वापस डाक से भेजता है। उस डाक को 10-15 दिन पहुंचने में लग जाते हैं। क्वेरीज कम्प्लीट करके वापस जिला परिषद् जाती है और फिर 10-15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद एफ.एस. जारी होती है। एफ.एस. के बाद भी विभाग द्वारा टेंडर जारी नहीं किये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधायक निधि कोष के कामों के लिये समय सीमा निर्धारित की जाय ताकि निश्चित समय में विधायक निधि के काम जनता के लिये जल्दी से जल्दी जमीन पर आ सकें और उनको राहत मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, विकास के लिये ग्राम पंचायत ही सबसे बड़ा माध्यम है। ग्राम पंचायत मजबूत एवं क्रियाशील होगी तभी स्थानीय विकास के साथ-साथ स्वरोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, ग्राम के लोग सुविधा व विकास के अभाव में आज शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। वहां उनको वह सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, न ही गांवों का आज इतना विकास हुआ है और न ही वहां रोजगार है। इस पलायन को रोकने के लिये हमें वहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे और गांवों का सम्पूर्ण विकास करवाना होगा। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों का विकास तभी होगा जब ग्राम पंचायत की प्रत्येक समस्या का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर ही होगा।

अभी जो सभी सरपंच आंदोलन करने के लिये मजबूर हैं, उनकी मांगों को भी मैं आज सदन में रखना चाहूंगी। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जो पंचायत के मुखिया हैं, आज ऐसी क्या मजबूरी उनके सामने आई कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।

(श्रीमती संतोष)

ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिये प्रथम राज्य वित्त आयोग से पंचम राज्य वित्त आयोग तक सकल राजस्व का देय अनुदान प्रतिशत बढ़ते हुए क्रम में स्वीकृत किया जा रहा है लेकिन 30 वर्षों में पहली बार छठे वित्त आयोग में पांचवें राज्य वित्त आयोग के सकल राजस्व के 7.18 प्रतिशत अनुदान की तुलना में 6.75 प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश की गई है जिससे पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 200 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान हो रहा है। यह पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय हितों पर कुठाराघात है। अत: इसकी पुन: समीक्षा करते हुए अनुदान प्रतिशत को बढ़ाकर सकल राजस्व का 10 प्रतिशत किया जाय। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों के विकास की राज्य वित्त आयोग एवं 15वे वित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की शेष राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाय तथा मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रशासनिक मद में से ग्राम पंचायतों के हिस्से की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को दी जाय।

इसी के साथ ग्रामीण जनता को लाभान्वित करने के लिये ग्राम पंचायत निजी खातेदारी में विकसित आवासीय कालोनियों का विभिन्न विकास प्राधिकरण की भांति नियमितीकरण करते हुए ग्राम पंचायत से विक्रय विलेख जारी करने का पंचायती राज नियमों में प्रावधान किया जाय। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूमि विक्रय विलेख में त्रुटि होने पर सीधे ही पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने के स्थान पर अपीलीय प्रावधान भी किया जाय।

ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग समस्त कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से संपादित किये जा रहे हैं। पंचायतों के चुनाव हुए काफी समय हो गया है। अभी तक सरपंचों को केवल नाम मात्र का ही प्रशिक्षण दिया गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना अभी समय की आवश्यकता है। प्रदेश में सभी पंचायतों को चेकर व मेकर आईडी बनाकर दोनों को डिजिटल साइन ऑनलाइन कर रखे हैं। जो जानकार सरपंच हैं वह तो आईडी अपने पास रख लेते हैं लेकिन जो सरपंच सिर्फ विश्वास पर ही काम करते हैं, उनके खातों से कब पैसे निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलवाया जाय जिससे वह पंचायत के विकास में भागीदार बन सकें।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनाया जाना समय की आवश्यकता है जिससे ग्रामों में सर्वांगीण विकास के लिये उसी

(श्रीमती संतोष)

डाटा के आधार पर विकास की कार्ययोजना प्रस्तावित हो सके। ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान नहीं होने के कारण विकास में सहभागिता जाति, बाहुबल, निजी स्वार्थों के रूप में हो रही है। गांवों की सड़कों के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। पानी की निकासी के लिये समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गांवों में गंदगी एवं आये दिन झगड़े होते हैं। इनके निस्तारण के लिये ग्राम पंचायत क्षेत्र में नालियां एवं ग्रेवल सड़क बनाई जाय। गांवों के विकास के लिये आवश्यक है कि हमारे गांव स्वच्छ हों। गांवों में साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज भी नहीं है। सफाई की बात करें तो सभापति महोदय, आज गांवों में इतने बुरे हालात हैं और वहां से पलायन का एक यह भी कारण है कि वहां सफाई की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण ...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): गांवों में सफाई की समुचित व्यवस्था की जाय, सीवरेज की व्यवस्था की जाय ताकि लोग वहां आराम से रह पायें।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग अभियान में मात्र औपचारिकता ही निभाई गई है। कैम्प आयोजित तो कर दिये गये लेकिन पट्टे जारी करने से पूर्व सीमांकन भी आनन-फानन में किया गया है। ग्राम पंचायतों में आज भी ग्रामीण अपने पट्टों के लिये पंचायत घर के चक्कर लगा रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी मामला सामने आया है कि मात्र दो-चार पट्टे देकर फोटो खिचवाकर वह वापस ले लिये गये और अभी तक ग्रामीणों को वह पट्टे नहीं दिये गये हैं। यह प्रशासन गांवों के संग अभियान की स्थिति है।

प्रदेश में कुछ वाटर वर्क्स पंचायतों के द्वारा संचालित हैं जिनमें जनता जल योजना में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को रखकर योजना संचालित की जा रही है। इनका मानदेय बहुत कम है। इनको स्थायी किया जाय और मानदेय बढ़ाया जाय। इसी के साथ आज ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के इतने बुरे हालात हैं, गर्मी लगातार बढ़ने को है और विधायकों से जो 10 ट्यूबवैल और 40 हैंडपम्पों के प्रस्ताव लिये गये थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक वह प्रस्ताव मंजूर नहीं किये गये और एक भी हैंडपम्प और ट्यूबवैल नहीं लगा है। आगे आने वाले समय में पेयजल की बहुत भारी किल्लत हो सकती है और नहरबन्दी का भी समय आ रहा है, इसलिए पेयजल की सुचारु व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट। राज्य में नरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाये, ताकि रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने मेरी समस्याएं रखना चाहूंगी कि मेरा जो क्षेत्र है, उसमें कई लोग वन भूमि, जोहड़ पायतन, नर्सरी भूमि पर निवास कर रहे हैं। वे बहुत लम्बे से वहां पर निवास कर रहे हैं उनको वे पट्टे दिये जायें और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिले, क्योंकि वहां से उठाकर उनको उजाड़ना उचित नहीं है। उनको वहीं पट्टे दिये जायें।

इसी के साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है, ग्राम पंचायत दो-पीजीएम, जिसका गांव 5/8 अ है, जो कि लगभग 60 वर्षों से बसा हुआ है। इस गांव के लोगों का रिकार्ड 5/8 अ के नाम से दर्ज था, लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से उनके रिकार्ड में गड़बड़ी हुई और उनका नाम 5ए कर दिया गया। वहां के लोग रिकार्ड लेकर जिला मुख्यालय बीकानेर चक्कर लगा रहे हैं। उनका पूरा रिकार्ड 5/8 अ के नाम से है। मैं मांग करती हूं कि उसका नाम उसी रिकार्ड पर रखा जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पंचायतें हैं, 8पीएसडी रावला, 24एसी, 2एमएलडी और 3एसटीआर, जो मण्डी एरिये की जगह है। इस कारण उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगी कि उनको पंचायतों को सुपुर्द करके उन योजनाओं का लाभ दिलाया जाये। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय जी, आपने मांग संख्या 41 और मांग संख्या 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से संक्षिप्त में, बिना रिपीटिशन के कुछ मेरी बातें रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास से सम्बन्धित जितना भी बजट है, वह भारत सरकार से आता है और राज्य सरकार से आता है। उन सभी योजनाओं की क्रियान्विति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। योजनाओं की सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उनके पास

(श्री लक्ष्मण मीणा)

कितने संसाधन हैं, उनके पास कितना टेक्निकल स्टाफ है, उनके पास कितना प्रशासनिक स्टाफ है। माननीय सभापति महोदय, अभी जो स्थिति है, उसके अनुसार तो मेरे ख्याल से एक-एक पंचायत में और पूरे ही राजस्थान में यह स्थिति होगी कि एक ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से तीन, कहीं-कहीं तो चार ग्राम पंचायतें हैं, तो वह कहीं भी बैठकर काम नहीं कर सकता। इसी वजह से जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत देरी से उनकी क्रियान्विति होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका जितना भी स्टाफ सेंक्शन है, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये, पदों को भरा जाना चाहिये।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2019-20 के परिवर्तित बजट घोषणा में की है वह घोषणा संख्या 106 इस प्रकार है, 'नियोजित मास्टर प्लान की अहमियत को समझते हुए प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाये जायेंगे, जिसमें भविष्य के लिये क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं, पार्क, सरकारी भवनों, सड़क व विकास की अन्य आवश्यकताओं का आकलन करके भूमि का चिह्नीकरण पटवारियों के सहयोग से बनाने हेतु किया जायेगा'। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने गांवों में यह मास्टर प्लान बना लिया गया है? इन्होंने कितनी जमीन चिह्नित कर ली है। जब तक मास्टर प्लान बनाकर सुनियोजित तरीके से गांवों का विकास नहीं किया जायेगा, ग्रामीण विकास कतई सम्भव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों के पास भारत सरकार से और राज्य सरकार से जो एफ.एफ.सी. और एस.एफ.सी. का फंड मिलता है, अब तो थोड़ा कम कर दिया, दोनों ही सरकारों ने। जब तक इनके पास आय के अन्य स्रोत नहीं होंगे, ग्राम पंचायतें गांवों का विकास नहीं कर पायेंगी। इसके लिये मेरा एक ही सुझाव है कि जितनी भी प्राइवेट कालोनाइजर्स ने खातेदारी की जमीन लेकर कृषि भूमि पर कालोनियां बसा दी हैं, उनको नियमित कर पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाता है तो इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे अधिक विकास कर सकेंगे।

तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने मांग उठायी है कि हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं, जो ग्रामों की सरकारें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सरकारें हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके सामने यह परिस्थिति नहीं आनी चाहिये कि वे इस तरह से विधान सभा का घेराव करने

(श्री लक्ष्मण मीणा)

की घोषणा करें। वे माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास का घेराव करने की घोषणा करें। मेरी सरकार से यह मांग है कि समय रहते उनसे बात करे। मैंने उनकी मांगें पढ़ी हैं, वे बिलकुल वाजिब लगती हैं। उन पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिये और सकारात्मक निर्णय भी लिया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अभी गांवों में खातेदारी की जमीन के अलावा जो कुछ बची-खुची जमीन है, वह है चरागाह भूमि। चरागाह भूमि पर भी आपने रोड बनाने को प्रतिबन्धित कर दिया है तो फिर रास्ता कहां से मिलेगा? गांव के लोग आ-जा नहीं पायेंगे। सड़कें नहीं बनेंगी, नरेगा के काम नहीं चल पायेंगे तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चरागाह भूमि पर पहले जो रोड बनाने की अनुमति दी जाती थी, वह अभी भी दी जानी चाहिये, ताकि वहां पर नरेगा के काम भी चलेंगे और विकास के काम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों पर बहुत सारे काम लाद दिये हैं। जे.जे.एम. का काम है, उसमें भारत सरकार पैसा दे रही है, 50 परसेंट आप दे रहे हैं। उस काम को पी.एच.ई.डी. वाले एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सरपंचों के माथे मढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप बतायें कि सरपंच उनको किस तरह से चला पायेंगे? उनके पास कोई बजट नहीं, उनके पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जितनी भी पानी की योजनाएं हैं, वे पी.एच.ई.डी. को दे दी जायें। अगर मान लो, सारी ही इनको देते हैं तो पी.एच.ई.डी. को वाइंडअप कर दो और सारी पानी की योजनाएं आप पंचायत को ही दे दो, वरना यह डबल सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। अभी माननीय सदस्यों ने सदन को अवगत कराया कि बहुत सारे बिल पैंडिंग हैं। सरपंचों के पास पैसे नहीं हैं। गांवों के लोग, जिन्होंने उनको चुना, गालियां निकालते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं। वे पैसा जमा नहीं करा पाते हैं। जब वे जाकर ऊपर के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि यह तो आपका ही काम है, सरपंच ही करायेंगे। इसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, 2013 में करीबन 20 हजार कनिष्ठ लिपिक भर्ती किये थे, उनमें से 10 हजार लोग अभी भी इन्तजार कर रहे हैं। जब-जब चुनाव आता है तो उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति थोड़े दिनों में कर दी जायेगी। अभी भी जब पार्लियामेंट के इलेक्शन

(श्री लक्ष्मण मीणा)

थे तो यहां की सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपको जल्दी ही नियुक्ति दी जायेगी। वे 8 साल से इन्तजार कर रहे हैं। बूढ़े होते जा रहे हैं, ओवरएज होते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करें और उनको निश्चित रूप से नौकरी दें, ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें। यदि आपको ऐसा ही करना था तो बार-बार इस तरह के आश्वासन नहीं देने चाहिए थे।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आपने जो नरेगा के काम चला रखे हैं। कई स्कीम हैं, आवास योजना है, उसमें गलती हुई राजस्थान के डेढ़ लाख के करीब गरीब लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं। उसमें 1886 मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी हैं। कृपा करके उसके लिए भारत सरकार से निवेदन करें, वहां जायें और उनको स्वीकृत करायें।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): एक मिनट में करता हूं। माननीय सभापति महोदय, नरेगा में अभी भी 220 रुपये दिये जाते हैं, लेकिन 220 रुपये भी लोगों को नहीं मिलते हैं। इसमें ग्रामीण जनता और महिलाएं काम करती हैं, सात-सात घंटे काम करती हैं। मेरी सरकार से मांग है कि भारत सरकार दे या आप दें, लेकिन उनको न्यूनतम मजदूरी तो निश्चित रूप से दी जानी चाहिये, तभी अपन ग्रामीण विकास की बात करेंगे। इसके अलावा आप जो भी रोड्स बना रहे हैं, आप स्कूलों में कमरे बना रहे हैं, इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। उसका कारण है कि आपने जो जे.टी.ए. ले रखे हैं, वे संविदा पर हैं, उनको बहुत कम तनख्वाह देते हैं, तो उनकी भी तनख्वाह बढ़ाइये। ऐसे आदेश किये जाने चाहिए कि पी.एच.ई.डी. और पी.डब्ल्यू.डी., जितने भी टैक्निकल स्टाफ हैं, ग्राम पंचायतों की मांग पर उनको असिस्ट करें, उनकी मदद करें ताकि गुणवत्ता के काम गांव में कराये जा सकें वरना बहुत जमाने से पैसे खर्च किये जा रहे पर कहीं विकास ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: जहाजपुर वाले श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 41 व 28 सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया,

(श्री गोपी चन्द मीणा)

धन्यवाद। सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण विकास के लिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय पूर्व मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धरा राजे जी के समय मूलभूत सुविधाओं के लिए जो विकास हुआ, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के सराहनीय कार्य हुए।

ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण के कार्य जैसे गौरव पथ, सम्पूर्ण प्रदेश में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का कार्य, पेयजल के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य हुए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में कार्य हुए हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार के लिए एनिकट्स का निर्माण करना, किसानों को अनुदान देना, छोटे किसानों को अनुदान देना, भूमि समतलीकरण करना जिससे किसानों का जीवन स्तर में सुधार हुआ। सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण विकास की बात करें तो वर्तमान सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में बजट न के बराबर, ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। सरपंचों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि वर्ष 2019 से उनका राज्य वित्त आयोग व राज्य सरकार का रोका हुआ बजट उनको नहीं मिल पा रहा है जिससे ग्रामीण विकास कार्य सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में सम्पूर्ण प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सरपंचों के द्वारा ताले लगाए जा रहे हैं। माननीय सदस्यों को सरपंचों के द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सरपंचों के द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य नहीं होने के कारण आमजन में भारी रोष है। सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के बजट को ग्राम पंचायतों में हस्तांतरित कराया जावे।

माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना, जल जीवन मिशन योजना के बिजली के बिलों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों के बजट का शीघ्रातिशीघ्र बजट आबंटित करें ताकि विकास कार्य हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के द्वारा भ्रष्टाचार की जांच करने पर दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कनिष्ठ

(श्री गोपी चन्द मीणा)

अभियन्ता, कार्यवाहक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा फर्जी मूल्यांकन करने के बाद फर्जी तरीके से टेंडर जारी करने के बाद जांच हुई। उसमें दोषी पाए जाने पर भी वह अभी भी वहां जमे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। लम्बे समय से पंचायती राज विभाग के कर्मचारी ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, विकास अधिकारी, 7-8 साल से वहां जमे हुए हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिह्नित करके हटाया जावे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पद भरे जाएं व ग्राम विकास में पदस्थापित संविदाकर्मियों जैसे रोजगार सहायक, पंचायत सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर कम से कम 23 हजार किया जाये तथा इनके मानदेय वेतन का भुगतान ग्राम पंचायत, ठेकेदारों या एजेंसियों के माध्यम से न किया जाकर सीधे इनके खाते में हस्तांतरित किया जाये, जिससे उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना संचालन के लिए जलदाय विभाग को अधिकृत किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोग कर दिये हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि दुर्भावनावश अपात्र किए हुए लोगों को सर्वे कराकर पुन: पात्रता सूची में जोड़कर उनको लाभ दिलाया जावे। ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया का सरलीकरण करके सरपंच, सचिव को पूर्व की भांति अधिकार देना चाहिए ताकि विकास कार्य समय पर हो सके। माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति कोटड़ी व पंचायत समिति जहाजपुर में विगत डेढ़ साल से प्रधान बनने के बाद एक रुपये की भी विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी हैं। विकास अधिकारी ने सड़क, पानी, नाली ऐसे महत्वपूर्ण जो काम कराने हैं, उन कामों की स्वीकृति जारी नहीं की है। अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिला कलक्टर को सुपरविजन के लिए डायरेक्शन दें ताकि हमारे जो प्रधान बनने के बाद कार्य नहीं हो रहे हैं, वे कार्य हो जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की स्वीकृतियां जारी कराने के लिए निवेदन करता हूं कि ग्रामीण पंचायतों में आबादी में क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता से एक्शन

(श्री गोपी चन्द मीणा)

प्लान में जोड़कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, वहां एक-डेढ़ किलोमीटर की सी.सी. सड़क या गौरव पथ की तरह विकास पथ नरेगा योजना में स्वीकृत करावें ताकि कीचड़ की समस्या का समाधान हो सके। मेरी विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भवन रहित ग्राम पंचायत है, जो खण्डहर हो चुकी है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भवनविहीन ग्राम पंचायतों के लिए राशि स्वीकृत करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में नरेगा या अन्य योजना में सड़कों का निर्माण हो गया है लेकिन वह जमीनें खातेदारी या चरागाह या बिलानाम भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व रिकार्ड में उन सड़कों को दर्ज करने के आदेश प्रदान करायें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभावशाली माफिया लोग ग्राम पंचायतों में चरागाह, कीमती जमीनों में कब्जा कर लेते हैं। अत: मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाए ताकि चरागाह भूमि को, गोचर भूमि को बचाया जा सके। चारदीवारी निर्माण नरेगा योजना में अनुमत की जाये और यहां से डायरेक्शन जारी किये जाए ताकि चारदीवारी निर्माण हो सके। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग डायरेक्शन दे कि राजकीय विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण भी नरेगा में अनुमत की जाये। विद्यालय भूमि में, विद्यालय के खेल मैदानों में श्मशान भूमि में अतिक्रमण कर लिया जाता है। नरेगा में चारदीवारी अनुमत की जाये ताकि राजकीय विद्यालयों, चरागाह भूमि में अतिक्रमण नहीं हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीन किसानों को कैटल शैड या जिस तरह नरेगा में उनको सहायता राशि दी जाती है। अत: भूमिहीन किसानों को भी कैटल शैड या अन्य योजना में पशुघर बनाने के लिए उनको राशि स्वीकृत की जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में एक ही सैक्रेट्री को पांच-पांच

(श्री गोपी चन्द मीणा)

पंचायतों में पद दे रखा है। माननीय प्रिंसिपल सैक्रेट्री मैडम बैठी हैं, माननीय मंत्री महोदय से भी मिल चुका हूं। पांच पंचायतों में एक सचिव को काम दे रखा है, चार पंचायतों में होल्ड कर लेता है। मेरा निवेदन है कि समानीकरण से आप उनको पदस्थापित करें।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती इन्दिरा बावरी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मौका ही नहीं दिया, आप तो बोले तीन-तीन विधायक बोलते हैं तो आपको नहीं बुलायेंगे। सभापति महोदय, मैं तो थोड़ा ही बोलती हूं। एक मिनट तो बोलती हूं क्योंकि घर से सीखकर आती हूं और यहां आती हूं जब तक तो भूल जाती हूं।

श्री सभापति: मैंने तो नहीं बोला आपको ऐसा। मैंने ऐसा नहीं बोला आपको।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): एक मिनट ही तो बोलती हूं।

श्री सभापति: आप अपनी बात बोलिए प्लीज।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सरपंच लोग हैं, सबने ज्ञापन दिया है और कहा कि जो मांगें हैं, उनको आप पूरी करवाइए। मैं सरकार से मांग करती हूं कि जो भी सरपंचों ने मांगें की हैं तो मैं मंत्री से बताना चाहूंगी कि उनकी मांगें पूरी करें।

आज गांव के विकास की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर गांव में रोड तो दूर की बात है, गांव के अन्दर पीने के लिए पानी नहीं है। न ही नाली है, न ही सड़क है और न ही कोई विकास है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नाली और सड़क का अलग से बजट देकर नाली बनवाएं और पक्की रोड की भी आप घोषणा करें। मैं तो आपसे यही निवेदन करती हूं कि कि गरीब किसान, आज कई किसानों की फसल भी खराब हो गई, लेकिन पहले भी मुआवजा नहीं मिला और अभी तक कोई मुआवजे की उम्मीद नहीं है कि सबको मुआवजा मिल जाए। अभी हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत फसल खराबा हुआ है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि फसल का पूरा मुआवजा किसानों को मिले।

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कई गांवों के अन्दर ऐसी सड़कें हैं कि

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

गाड़ी तो बाद की बात है, पैदल आदमी नहीं चल सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हर गांव में गौरव पथ, विकास पथ की आपने घोषणा की है तो हर गांव के अन्दर विकास पथ होना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई कच्चे मकान भी हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कच्चे जो मकान हैं उनको पक्का करें। मैं आपसे यही निवेदन करती हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गिरधारीलाल जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 41 व 28 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आजादी के बाद गांवों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा विकास की बात होती है। विकास से ज्यादा गांवों में आये दिन रास्तों की, मार्गों की दिक्कत पैदा हो रही है। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक महीने से जनता अंडरब्रिज बनाने की मांग कर रही है। हज़ारों की संख्या में किसानों के खेत हैं। उस धरने पर मैं भी गया था मगर आज तक केन्द्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अंडरब्रिज बनाने की मांग को गम्भीरता से नहीं लिया गया। न तो वहां का लोकल प्रशासन गया, न कोई रेलवे गया। आज वहां ऐसी स्थिति बनी हुई है, खेत में धान खड़ा है, उस धान को मण्डी में ले जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। सभापति महोदय, यह पोजिशन एक महीने से है। मैं यह मांग करता हूं कि इस सदन में पंचायती राज व्यवस्था में, गांव की बात करते हैं पर गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान चार महीनों से नहीं हो रहा है। मैटों का भुगतान भी 8-9 महीने से नहीं हो रहा है। मनरेगा के मजदूरों व मैटों को जल्द से जल्द मजदूरी दी जाये।

सभापति महोदय, सरकार ने प्रदेश में केवल मनरेगा के कार्य दिवसों में बढ़ोतरी की है। मेरी सरकार से मांग है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार, मनेरगा में मजदूरी में बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन की जाये। सभापति महोदय, डूंगरगढ के भिन्न-भिन्न गांवों में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कराया जाये। ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में वर्ष भर गंदा पानी गांवों की गलियों में फैला रहता है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा मांग नहीं करते हुए यही कहूंगा कि अभी गांव में सबसे ज्यादा खतरा आवारा पशुओं से है। अगर आवारा पशु को अपन

(श्री गिरधारीलाल)

काबू में नहीं करेंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान खेती नहीं कर पाएंगे। सरकार ने बहुत सारे आयोग बनाये हैं, मैं चाहता हूं एक आवारा पशु मंत्रालय अलग से बनाया जाये। पशु मंत्रालय नहीं बनाया जाये, तो बहुत सारे आयोग बने हुए हैं एक आवारा पशु आयोग गठित करके सरकार उसकी जिम्मेदारी उसे सौंपे तो निश्चित रूप से आने वाली दुविधा से किसान को निजात मिलेगी।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि गांवों में सबसे ज्यादा समस्या बीजेपी के राज में भी थी और आज भी है। हमने गांवों में कैम्प भी चलाये। 300-300 गज के पट्टे भी दिये। गांव में जो बसता है, उसे कम से कम 1200 गज के पट्टे की जरूरत होती है। पशु रखने के लिये, बकरियां रखने के लिये 1200 गज के पट्टे होने चाहिये। 300 गज में तो खाली एक घर बनता है।

माननीय, यहां विपक्ष से है नहीं, जब पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र जी थे, मैं उस समय सरपंच था। वी.सी. में मैंने कहा, साहब गांव के अन्दर यह पट्टे छोटे पड़ते हैं तो उन्होंने कहा कि राजनीति मत करो। सभापति महोदय, राजनीति नहीं, हकीकत बात है। अगर सरकार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, गांव में कुछ विकास करना है, किसान को फायदा देना है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और निश्चित रूप से इससे संदेश जायेगा। 1200 गज के पट्टे देने के लिये ग्राम पंचायत को अधिकृत करें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 व मांग संख्या 28 पर आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, वैसे पूरे प्रदेश में ही बनी हुई हैं, जिनमें अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। पंचायत हैडक्वार्टर पर जो नई नवीन ग्राम पंचायतें हैं, उन पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये जायें। सरपंचों, गांव वालों के लिये बैठने के लिये जगह नहीं है।

प्रदेश में आवारा जानवर, पशु हैं उनसे किसानों को आये दिन परेशानी हो रही है। किसान खेतों में दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं।

(श्री गिर्राज सिंह)

किसानों को रात में गायों की, जानवरों की रखवाली करनी पड़ती है। इसके लिये मंत्री जी, नरेगा से या और किसी से, ऐसी कोई व्यवस्था कराई जाये। किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी है। वे रात-रात भर खेतों में जागते रहते हैं, तो उनके लिये कोई व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, पंचायती राज चुनाव नियम, 1995 लागू किया गया है। जिसके दो बच्चे हैं वह तो चुनाव लड़ सकता है, जिसके दो से अधिक बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस नियम को हटाया जाये। जब एमएल.ए. और एम.पी. के लिये यह कानून नहीं है तो यह कानून पंचायती राज और नगरपालिका में ही क्यों बना रखा है? एम.एल.ए., एम.पी. के लिये तो कोई कानून नहीं है। जो कानून बनाते हैं, वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज ही घोषणा करें। यह काला कानून बीजेपी के राज में बनाया गया है, इसको समाप्त किया जाये। जो शेष लोग रह गये हैं, उन्होंने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा की, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई जिला प्रमुख बनना चाहता है, कोई सदस्य बनना चाहता है, तो उन लोगों को मौका दिया जाये।

सभापति महोदय, विधायक निधि से जो कार्य होते हैं, उनके लिये जो पहले नियम था, बीच में बदलाव कर दिया है। नगरपालिका क्षेत्र में पहले पंचायत काम कराती थी, अब पंचायतों का नियम हटा दिया है। हमारा इतना पैसा लगता है, पहले पंचायत समिति में दें, फिर वह नगरपालिका में जाएंगे, नगरपालिका विज्ञप्ति निकालेगी, फिर उसमें टेंडर लगायेगी। उसमें भी दिक्कत यह आती है कि कहीं किसी जगह, एंटी चेयरमैन बैठा है तो वह काम नहीं होने देते हैं। वह काफी लेट कर देते हैं। सिटी के अन्दर जो काम कराना चाहते हैं, उस काम में बाधा आती है। मंत्री जी, इसको समाप्त किया जाये।

सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में हम जो हैण्डपम्प देते हैं, पी.एच.ई.डी. के नियम हैं उसके हिसाब से तो लगभग 1 लाख 25 हजार की हैण्डपम्प की स्वीकृति निकालते हैं जबकि एक्चुअल में, हमारे यहां जो हैण्डपम्प लगते हैं, वह 50 से 60 हजार रुपये में लग जाते हैं। पहले हमारे हैण्डपम्प 30 से 35 हजार में लग जाते थे, अब तो थोड़ी रेट बढ़ गयी है। जब पी.एच.ई.डी. की रेट 95-96 हजार रुपये ही थी। जब हमारा डबल पैसा जाता है

(श्री गिर्राज सिंह)

तो वह हमारे कोई काम तो आता नहीं है। उसका पूरा पैसा जाता है। मशीन वाला है, वह तो खुदाई का पूरा पैसा लेता है। कहीं तो पानी 80 फीट पर निकल आता है, कहीं 100 फीट पर निकलता है। सभापति महोदय, हमारा डबल पैसा लगता है। वह पैसा वैसे ही जाता है, अगर वह पैसा बचेगा तो हमारे और काम में आयेगा। हमारा पैसा तो उतना ही गया और हैण्डपम्प लग रहा है 60 हजार रुपये में और 1 लाख 25 हजार की रेट है।

सभापति महोदय, कोरोना काल में बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं। देश व प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। नरेगा में मजदूर हैं, पहले 100 दिन का रोजगार था, फिर 125 हो गया। अब मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसे 200 दिन का किया जाये। सभापति महोदय, नरेगा के कार्य में 60:40 का रेशो रखा है। इसमें भी थोड़ा संशोधन करें। 60:40 के अन्दर, यह काम नहीं हो पाते हैं, इसको 50:50 परसेंट किया जाये।

सभापति महोदय, स्कूलों के खेल मैदान और पक्की चारदीवारी के कार्य हैं। इनके लिये नरेगा के माध्यम से या किसी और से व्यवस्था कराई जाये। ग्राम स्मार्ट ग्रेवल के माध्यम से जो मशीन उपलब्ध कराई है, इनके लिये भी कराई जाये। सभापति महोदय, कार्य प्रगति पर आएंगे और समय रहते अगर कार्य हो जाएंगे तो इससे जनता को राहत मिलेगी।

(समयः 18.00 बजे)

कई जगह टेंडर हो जाते हैं तो वहां पर काम चालू नहीं होते हैं, हर जगह पर कोई न कोई समस्या आती रहती है तो मैं मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक यह जो काला कानून बना रखा है, यह डबल मार नहीं चलेगी। कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है कि जिन लोगों के लिए, 1995 के बाद में जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए भी यह छूट करी जाये जब एम.एल.ए. और एम.पी. लड़ सकते हैं। अपने लिए तो हमने यह कानून बना रखा है कि चाहे कितनी भी संतान हो, वह चुनाव लड़ेंगे और सरपंच के लिए, पंचायतों वालों के लिए, नगरपालिका वालों के लिए हमने यह कानून बनाया है तो इसको समाप्त किया जाये। एक ही कानून होना चाहिए देश के अन्दर, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कानून नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मांग संख्या 28, ग्रामीण विकास पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यह ग्रामीण विकास विभाग हमारे गरीब किसान और हमारे देश की जो धरोहर गांव है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है।

माननीय सभापति महोदय, इस विभाग पर चर्चा हो रही है, सभी अपनी-अपनी समस्या बता रहे हैं। गांव में क्या होना चाहिए, ग्रामीण विकास में क्या सुधार होना चाहिए, क्या समस्या आ रही है, मैं यह चाहूंगा कि इस विभाग में काम ऐसा हो कि गांवों का जो मूल स्वरूप है, गांवों का जो मूल भाव है, उसमें बदलाव नहीं हो। कहीं पर ऐसा न हो जाये, कहीं विकास के दौर में ऐसा न चल पड़े कि विभाग का नाम तो ग्रामीण विकास रहे लेकिन गांव नाम की कोई चीज ही नहीं रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में यह बताना चाहूंगा कि अभी चर्चा चल रही थी कि गांवों में यह होना चाहिए, गांवों में गौशाला होनी चाहिए, गांवों में आवारा पशु के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और कई बार हम डिमांड रखते हैं कि वृद्धालय, वृद्धास्थल होना चाहिए, अनाथालय होना चाहिए। गांव एक ऐसी चीज है, मेरी जो समझ में आता है और मैं उस इलाके से आता हूं, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं कि अगर वास्तविक गांव, जो मूल स्वरूप में है, तो वहां पर न तो वृद्धालय की जरूरत पड़ेगी, न अनाथालय की जरूरत पड़ेगी, न आवारा पशु के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और न ही गौशाला के लिए जरूरत पड़ेगी। जहां पर हमें यह लग रहा है कि यह जरूरत है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वह गांव हमारा वह गांव नहीं रहा है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसका जो मूल भाव है, उसमें परिवर्तन आ गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित और राज्य की विभागवाइज जो पालिसी बनती है, उस पर मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। हम राजस्थान लेवल पर कोई भी एक योजना लागू करते हैं तो एक समान दृष्टि से देखकर, राजस्थान को देखकर हम समान रूप से लागू कर देते हैं। राजस्थान एक भौगोलिक प्रदेश है, हर जगह अलग-अलग परिस्थितियां हैं। एक तरफ तो यहां पर रेगिस्तान है और एक तरफ पहाड़ी इलाका है तो दूसरी

(श्री राजकुमार रोत)

तरफ एक बीहड़ है। हर जगह पर परिस्थिति अलग-अलग है तो क्यों नहीं हम हमारी जो योजना बना रहे हैं, उसमें एरिया आइडेंटिफाई करके एरिया के हिसाब से हम योजना बनायें।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उस इलाके में हमेशा हर विधायक सदन में यह बताते हैं कि हमें कुओं की आवश्यकता रहती है लेकिन राज्य स्तर पर सोचा जाये तो यह दृष्टिकोण बनता है कि अभी तो बोरिंग हो गये, हैंडपम्प हो गये और वह चार सौ फीट, पांच सौ फीट पर पानी नहीं आता है तो कुओं का क्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, रेगिस्तान में हम कुआं करेंगे तो वहां पर पानी नहीं आयेगा लेकिन हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बीस-तीस फीट पर हमारा अच्छा पानी आ जायेगा। वह पानी पीने लायक भी रहेगा और सिंचाई के लिए भी काम में आयेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि नरेगा में कुओं का भी अनुमोदन हो और कुओं का कार्य भी हो।

माननीय सभापति महोदय, गांव का क्या होता है, वह कोरोना के समय हमें देखने को मिला। शहर से लोग गांवों की ओर भागे और जो सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं वह हमें गांवों में देखने को मिली।

माननीय सभापति महोदय, अभी नरेगा के तहत कैटल-शैड निकलते हैं, जो पशु घर के रूप में, तो इसमें हमारे इलाके में राजीविका के थ्रू कार्य होता है और विभाग भी करवाता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया नहीं है कि इस पंचायत में या इस पंचायत समिति में इतनी मात्रा में कैटल-शैड निकलेंगे, यह किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें कई बार जन-प्रतिनिधि और कर्मचारीगण इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत कार्य है। व्यक्तिगत कार्य में उनको एस्टिमेट बनाने में, सेंक्शन करवाने में परेशानी आती है। इससे आमजन भटकता है। हम यह चाहेंगे कि विभाग यह क्राइटेरिया करे कि इस साल के अन्दर इस ग्राम पंचायत में यह सौ कैटल-शैड अनिवार्य हो, इस तरह की व्यवस्था हो।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हम कम ही बोलेंगे। अभी यह मांग चल रही थी कि सरपंच लोग आन्दोलन कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के अन्दर पिछली सरकार ने पंचायत सहायक लगा दिये। यह

(श्री राजकुमार रोत)

पंचायत सहायक का पेमेंट कहां से होगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। अभी हम कोविड सहायक लगा रहे हैं। कोविड सहायक का भी पेमेंट ग्राम पंचायत पर थोप दिया। इसके अलावा जो सुरक्षा गार्ड लगाये हैं, उनका भुगतान भी वहां पर छोड़ दिया तो सरपंच की स्थिति को समझना पड़ेगा कि उस पर क्या बीतती होगी। उसका भुगतान दो-दो, तीन-तीन साल में आता है। उसको चार सौ, पांच सौ रुपये प्रति माह कोई भत्ता मिलता है और वह इतने कर्मचारियों को भुगतान करेगा तो पंचायत का विकास कहां से करेगा?

माननीय सभापति महोदय, अभी जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित जो तालाब हैं, उनको पंचायती राज को दे रखा है, 300 हैक्टेयर तक के तहत। यह इतनी खतरनाक विडम्बना है, मैं यह बताना चाहूंगा कि बजट घोषणा 2020-21 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा एक हमारे चिखली पंचायत समिति के आम्बा कुआं बांध के जीर्णोद्धार की घोषणा की गयी। अब संकट यह हुआ कि सी.एम. साहब ने यह घोषणा कर दी, लेकिन यह जो तालाब था, वह पंचायती राज विभाग के पास था। अब जल संसाधन विभाग ने यह कह दिया कि भले ही यह माननीय सी.एम. साहब की घोषणा है, लेकिन इसको हम नहीं करायेंगे और आज पंचायती राज विभाग यह कह रहा है कि इसकी जो लागत है, वह अधिक है, वह हम नहीं करा पायेंगे, तो यह एक धर्मसंकट है, इसका निस्तारण किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा जो निर्मित तालाब है 300 हैक्टेयर के नीचे, हमारे बिलपन नाका एक लघु सिंचाई परियोजना है, इसका और करावाड़ा दोनों को मिलाकर 554 हैक्टेयर के लम्प-सम यह होता है और उसको पंचायती राज को लिख दिया गया है कि इसको जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जाये, लेकिन आज तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी पंचायतों के अन्दर जो सचिव हैं, हमारे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में दस पंचायत समितियां हैं। दसों पंचायत समितियों में मेरे विधान सभा क्षेत्र की तीन पंचायत समितियां, एक पंचायत समिति में 32 ग्राम पंचायतें हैं और वहां पर तीन से चार सचिव लगे हुए हैं। अब एक तरफ तो यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि एल.डी.सी. को यह चार्ज नहीं देंगे, लेकिन कई बार अधिकारी देख लेगा अपनी

(श्री राजकुमार रोत)

इच्छा से यदि ठीक लग रहा है तो चार्ज दे देगा और कई बार हम लोग कहते हैं, निवेदन करते हैं, उसके बावजूद भी उनको चार्ज नहीं दिया जाता है और एक-एक सचिव को तीन-तीन, चार-चार पंचायतों का चार्ज दिया जाता है। इससे व्यवस्था बिगड़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, जे.टी.ओ. की जो चर्चा चल रही थी, एक संविदा पर लगे हुए लोग हैं और साथ में उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाये। यह जो कम्प्यूटर आपरेटर्स हैं, हम हर चीज को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन पंचायतों और पंचायत समितियों के अन्दर हमने कम्प्यूटर आपरेटर की स्थाई व्यवस्था नहीं की है एवं कम्प्यूटर आपरेटर की जो मांग है, उसको भी माना जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो ऑनलाइन का सिस्टम किया गया है, इस ऑनलाइन के सिस्टम में ग्रामीण इलाके में नेटवर्क की दिक्कत रहती है और नेटवर्क की दिक्कत के साथ-साथ जो मेट-कारीगर हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वे एंड्रायड फोन खरीद सकें। वहां पर नेटवर्क की भी समस्या है, उनके पास फोन की सुविधा नहीं रहती है और उनसे हम ऑनलाइन अटेंडेंस करवा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता, मेट और कारीगर यह कहते हैं, हमसे यह सवाल करते हैं कि आप विधान सभा में जाते हो तो क्या आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होती है या नहीं होती है? यह हमसे सवाल करते हैं। वे लोग यह कहते हैं कि पंचायत समिति के अन्दर जो कार्मिक हैं, उन कार्मिकों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो रही है तो हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों हो रही है? हालांकि, एक तरफ देखा जाये तो ठीक किया गया है, लेकिन इस स्थिति को समझना पड़ेगा। जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है वहां हमें दोनों आप्शन देने पड़ेंगे।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी, जहां पर स्थिति नहीं है, वहां पर ऑफलाइन भी अटेंडेंस की व्यवस्था हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, अभी पंचायत के अन्दर, कई पंचायतें हमारे इलाके में 2500 की जनसंख्या के आधार पर भी बनायी गयी हैं तो उनमें भी कई बार समस्या रहती है। माननीय सभापति

(श्री राजकुमार रोत)

महोदय, हमारे पंचायत समिति चिखली में अभी मेट और कारीगरों का एफ.टी.ओ. नहीं हो पाया, साल-डेढ़ साल हो गया। अभी त्योहार का सीजन है और अभी जो एफ.टी.ओ. हुआ, उसमें टैक्निकल दिक्कत, कर्मचारी की वजह से, कहीं न कहीं गलतियों की वजह से उनका एफ.टी.ओ. नहीं हो पाया है तो माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति, चिखली में जो मेट-कारीगर का एफ.टी.ओ. नहीं हुआ है, उसको किया जाये।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, बस एक मिनट का रहा है।

हमारे डूंगरपुर जिले में एक घटना हुई थी। सावला जो महिला प्रधान है। इस महिला प्रधान के द्वारा एक कर्मचारी से कैशबुक मांगा गया। कैशबुक मांगने पर उनके बीच में पता नहीं क्या हुआ और उस कर्मचारी ने प्रधान पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पूरी पंचायत समिति के सरपंच, सारे पंचायत समिति सदस्य और सारे जन-प्रतिनिधियों ने मिलकर सात दिन तक धरना दिया, उसके बावजूद भी उस कर्मचारी को नहीं हटाया गया। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि वह कर्मचारी हट जायेगा तो क्या पंचायत समिति बन्द हो जायेगी। क्या वह एक ही ऐसा कर्मचारी है, जिसकी वजह से पंचायत समिति चल रही है? माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप रिप्लाई दें, तब उसमें बतायें कि क्या वजह थी कि एक महिला प्रधान को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। एक अधिकारी, जो अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए हैं, उस इलाके में रहकर आये हैं। एस.सी. की महिला जो प्रधान बनती है, सरपंच बनती है, उसको साइड में बैठाया जाता है। आज भी उनके साथ अन्याय किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि इसका निस्तारण किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, एम.एल.ए. कोटे के अन्दर अभी हमने हैण्डपम्प दिये। जैसे कि मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए 24.01.2022 को अनुशंसा की थी। उसकी आज तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकली है और दो से तीन बार जिला परिषद् में जाकर कह दिया। जिला परिषद् कहता है कि विधायक के द्वारा जो हैण्डपम्प दिये गये थे, वहां के सरपंच से साइन करवायें।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प के लिए लिखा है, यह कौनसा नियम है कि हम अनुशंसा कर रहे हैं उसमें सरपंच की कौनसी सहमति चाहिए?

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): यह विडम्बना है। दो-दो, तीन-तीन महीने हो गये, विधायक कोटे के जो कार्य हैं, उनकी अनुशंसा की गयी थी। सभापति महोदय, हम मंत्री जी से चाहेंगे कि वह विधायक कोटे के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनायें। एक मापदण्ड बना हुआ है कि 15 दिन के अन्दर विधायक कोटे की एफ.एस. जारी होनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, नियम बना हुआ है, लेकिन तीन-तीन, चार-चार महीने हो जाते हैं।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): जो समय ज्यादा ले लेते हैं, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? इसके लिए भी सुनिश्चित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 28 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। ग्रामीण विकास की हम बात करें तो इसके लिए काफी चर्चा हुई लेकिन ग्रामीण विकास कैसे होगा? मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित रह रहे हैं। जैसे पहले पंडित दीनदयाल योजना में सब जगह बिजली दी जा रही थी और अभी कुछ ढाणियां बाकी हैं तो उनमें बिजली लगाने की आवश्यकता है, वह लगायी जाये। जिस प्रकार से पहले रमसा में स्कूलों में बजट आता था। उपलागढ़ के अन्दर एक स्कूल है राहड़ा, वहां पर पतड़े भी नहीं हैं। उस स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो ग्रामीण विकास कैसे होगा? सम्भव ही नहीं है। जिस प्रकार से आपने चुनावों से पहले घोषणा की थी कि पंचायत सहायक जो संविदा पर लगे हैं, उनको स्थायी करेंगे, तीन लाख नौकरियां देंगे तो वे वायदे कहां गये? अगर वह हो जाता तो थोड़ी-बहुत समस्या दूर होती।

ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पटवारी नहीं है। हमारे यहां पिण्डवाड़ा, आबू रोड पूरा ग्रामीण क्षेत्र लगता है, वहां बारिश बिलकुल नहीं हुई। पटवारी नहीं होने की वजह से गिरदावरी ढंग से नहीं हुई। गिरदावरी किसके दबाव में की?

(श्री समाराम गरासिया)

जो अकाल में उसको बिलकुल घोषित ही नहीं किया, जबकि पूरा आदिवासी और पिछड़ा हुआ एरिया है। शिवगंज और सिरोही में व्यापारी वर्ग है, वहां अकाल राहत घोषित किया। इतना अन्याय कम से कम ग्रामीणों के साथ तो नहीं करें। अगर किया है तो ऊपर वाला नहीं बख्शेगा।

सभापति महोदय, जहां ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगे हुए हैं, वहां उद्योगों के हिसाब से लोगों की जमीन चली जाती है। आप डी.एम.एफ.टी. की रोड्स की हालत देखो, डी.एम.एफ.टी. का पूरा पैसा आता है तो वह क्या शिवगंज सिरोही में ही लगाया जाता है? यह किसके दबाव से लगाया जाता है? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि डी.एम.एफ.टी. का फण्ड है, हमारे यहां ऐसे-ऐसे एरिया हैं, खिलाफली 5 किलोमीटर अन्दर है, अध्यापक भी नहीं जा पाता, वहां पर पहले वन अभयारण्य था, उसको खुलवा कर हमने वहां पर दो-तीन रोड निकलवाये हैं तो कम से कम पांच किलोमीटर वह रोड हो जाता। एक बालोरिया से उदयपुर की सीमा से लगता हुआ टीलिना खेतनाजी रोड जाता है। ये दो रोड हो जाते तो कम से कम हम भी कहते कि डी.एम.एफ.टी. का पैसा आया। मतलब उद्योग सारे पिण्डवाड़ा तहसील के अन्दर और बजट कहीं और चला जा रहा है, हमारे जनजाति क्षेत्र के लिए अन्याय हो रहा है। यह दु:ख की बात है।

पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य हैं, उनकी मीटिंग होती है, पंचायत समिति की बैठक के अन्दर तो मात्र एक कचोरी, समोसा और चाय खाकर आ जाते हैं। उनको भी सम्मान दिया जाये। सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उनको भी मानदेय दिया जाये। 2003 से 2008 तक मैं भी विधान सभा का सदस्य था, उस समय अनुशंसा से कुछ काम भी होते थे। उनको हम चुनावों में टिकट देते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे नहीं लड़ना। कम से कम उनको सम्मान तो दिया जाये, उनको भी मानदेय दिया जाये। आज पंचायतों के अन्दर हालात खराब हैं, जैसे विधवा पेंशन, पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप पंचायत विभाग पर दबाव दें कि ग्रामों के अन्दर जब अखबारों में आता है कि वहां विधवा है और इतने बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, तब जाकर मालूम होता है जबकि पंचायतों में सख्त नियम निकालें कि हर पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच तक की मॉनिटरिंग रहे ताकि कोई महिला विधवा पेंशन योजना और पालनहार योजना से वंचित न रहे। मैं समझता हूं कि फिर तो ग्रामीण विकास हो जायेगा। उनके खानेपीने की सुविधा नहीं है।

(श्री समाराम गरासिया)

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी आबादी के अन्दर सोलर लाइट लगायी गयी है। सोलर लाइट से इतने विस्फोट होते हैं और ग्रामीणों के झोंपड़पट्टी होती हैं, उनका सामान जल जाता है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाये ताकि उनको अपने कपड़े सारा सामान जो जलकर खाक हो जाता है, उनको सुविधा मिल सके। उनको आज दिन तक कोई सुविधा नहीं दी गयी। हमारा सारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के अन्दर बहुत सारी बैट्रियां विस्फोट हुई हैं। उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। पता नहीं कैसी बैटरी लगायी जाती है। सोलर बैट्रियों में पता नहीं किस प्रकार से नुकसान होता है। उसकी पूरी जांच करके कार्यवाही करेंगे तो मैं समझूंगा कि ग्रामीण विकास हो जायेगा।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक नहीं हैं। अध्यापक ग्रामीण एरिया में जाते ही नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान दें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पंचायती राज के अन्दर हास्पिटल जो ग्रामीण एरिया में हैं, उनमें डाक्टर नहीं है। पशु चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं। किसान के पास में सबसे ज्यादा पशु होते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर ग्रामीण विकास चाहते हो तो यह काम करो।

सभापति महोदय, पहले ग्रामीण एरिया में पूर्व सरकार में गौरव पथ दिये जाते थे। आपने एक-एक विकास पथ दे दिया है। आने वाले चुनाव में विकास पथ, विकास पथ के नाम से अच्छा मार्जिन लाओगे, नहीं तो यहां से जाते रहोगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करता हूं कि हर जगह विकास पथ हो। पूर्व सरकार में कितना सारा काम हुआ, उसकी तो लोग तारीफ भी करते हैं। बजट भाषण में तो सब कुछ बोल दिया, लेकिन धरातल पर जीरो। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गणेश घोघराजी।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 41 और 28, सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मनरेगा में

(श्री गणेश घोघरा)

100 दिन से बढ़ा कर 125 दिन किये। शहरी रोजगार के लिए इन्दिरा गांधी रोजगार योजना के 100 दिन का रोजगार दिवस दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, टी.एस.पी. की बात करूंगा। हमारे वहां पर जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहां कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। वहां पर नरेगा की मजदूरी पर निर्भर हैं। जो 125 दिन किये गये हैं, वह काफी तारीफ के काबिल हैं लेकिन मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से, कि हमारे टी.एस.पी. एरिया में भौगोलिक स्थिति, गरीबी को देखते हुए, लोग गुजरात पलायन नहीं करें, उसको देखते हुए 150 से 200 दिन नरेगा में कार्य दिवस किये जायें।

सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करूंगा कि मैट और कारीगर का भुगतान समय पर नहीं होता है। दो-दो, ढाई-ढाई साल हो जाते हैं लेकिन उनका समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो लेबर है, उनकी जो ऑनलाइन अटेंडेंस ली जा रही है, कहीं-कहीं तो नेटवर्क चलता है, लेकिन हमारे गांव में बात भी नहीं हो पाती है। जैसे पालीछोड़ा है, मालमाथा है, जींजवा है, ऐसे गांवों में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है तो वहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे होगी? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि टी.एस.पी. क्षेत्र में ऑनलाइन अटेंडेंस को बन्द किया जाये। उनकी ऑफलाइन अटेंडेंस ली जाए। यहां सिटी के आस-पास जो पंचायतें हैं, वहां नेटवर्क पकड़ता है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों अटेंडेंस के लिए व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, सामग्री भुगतान भी समय पर नहीं होता है। जो ठेकेदार होता है, वह समय पर सीमेंट, रेती और पत्थर डालता नहीं है। वह समझता है कि मेरे तो पहले वाले पैसे भी अभी तक आये नहीं हैं, तो इससे काफी विकास में दिक्कत आ रही है। पंचायत में सामग्री समय पर वह ठेकेदार डालता नहीं है तो विकास में बाधा आती है। मैं चाहूंगा कि समय पर सामग्री का भी भुगतान हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ पंचायतों में कई असामाजिक तत्व कहीं खिड़कियां तोड़ देते हैं, कहीं और सामान चोरी करके ले जाते हैं। कई पंचायतों में तो सुरक्षा गार्ड हैं और कई पंचायतों में सुरक्षा गार्ड नहीं हैं, वहां ऐसी स्थितियां बन रही हैं। जहां सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं उनका भी मानदेय

(श्री गणेश घोघरा)

बहुत कम है और वह भी प्लेसमेंट एजेन्सी वाले मानदेय बहुत समय बाद देते हैं और पैसा काटकर देते हैं। जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और जिन पंचायतों में सुरक्षा गार्ड नहीं लगे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ, हर पंचायत में पंचायत सहायक और कोविड हैल्थ सहायक लगाये हुए हैं, तो उनका भुगतान भी पंचायत पर है, सरपंच पर है। उस पंचायत में पैसा ही जनसंख्या के आधार पर एस.एफ.सी. का आता है, परन्तु वह भी इतना नहीं आता है कि इससे उनका भुगतान किया जा सके। इनके लिए, पंचायत सहायक और पंचायत कोविड सहायक के लिए अलग से बजट आबंटन की व्यवस्था की जाए। इन पंचायत सहायकों की काफी मांग भी है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इनको नियमित, स्थायी किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सभी साथियों ने बात कही कि सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर हमें ज्ञापन दिया। मैं भी इनका समर्थन करता हूं कि सरपंचों की जो भी मांग है, जो भी इनकी 12-13 सूत्री मांग है, उनको पूरा किया जाए। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, इनका मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही उसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे टी.एस.पी. एरिया में एक झाड़ ऐसा उगा है, उसमें लाल-पीले फूल आते हैं। हमारे वागड़ी में उसको घेवरा कहते हैं। वह गांवों में इतना फैल गया है, बंजर भूमि पर, पहाड़ पर, खेतों में, मेड़ पर, अगर उसको गाय खा जाए तो गाय की चमड़ी उखड़ जाती है। अगर भैंस खा जाए तो भैंस की भी चमड़ी गयी। बकरी खा जाए तो बकरी मर जाती है। क्यों नहीं नरेगा के माध्यम से, नरेगा की लेबर के माध्यम से उन झाड़ियों की साफ -सफाई की जावे। माननीय मंत्री महोदय जी, टी.एस.पी. एरिया में इसको नरेगा के माध्यम से वहां के प्रशासन को कहकर इनकी साफ-सफाई करायी जाए। ऐसा आप निर्देश दें।

श्री सभापति: कृपया आप कन्क्लूड करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): साहब, एक-दो मिनट तो और बोलने दो।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): हमारे वहां डूंगरपुर में बारिश ज्यादा होती है, लेकिन वह पूरा पानी बहकर गुजरात में चला जाता है। हमारे पहाड़ी और उबड़-खाबड़ जमीनें हैं। वहां एनिकट की भी आवश्यकता है, चैकडैम की आवश्यकता है। जो पुराने कुएं हैं, उनको नरेगा के माध्यम से गहरा कराया जाए और चारों तरफ पक्की मुंडेर करायी जाए। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति होता है, वह मेहनत करके पैसा लगाता है 25 हजार, 50 हजार, कुआं गहरा करता है, लेकिन बारिश आती है तो वह कुआं वापस धंस जाता है। वही की वही स्थिति उसकी हर साल होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से जो पुराने कुएं हैं उनके घेरे कराए जाएं और चारों तरफ पक्की मुंडेर की जाए, तो उससे कोई इंसान भी उस कुएं में नहीं गिर पाए और कोई जानवर भी नहीं गिर पाए। हर साल बारिश के वक्त गिर जाता है, धंस जाता है तो वह नहीं गिरे। यह मंत्री जी से मैं मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक यह भी मांग करना चाहूंगा कि अभी गर्मी आने वाली है और हैण्डपम्प मिस्त्रियों की काफी कमी है। एक-एक हैण्डपम्प मिस्त्री को चार-चार, पांच-पांच पंचायतें दे रखी हैं। हैण्डपम्प मिस्त्री को फोन करते हैं, वह कहता है कि मैं इस पंचायत में हूं। दूसरी पंचायत वाला कहता है तो वह कहता है कि मैं इस पंचायत में हूं। इस तरह से हैण्डपम्पों की स्थिति काफी खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हैण्डपम्प मिस्त्रियों की भर्ती की जाए या अंशकालीन, जो भी हों, वहां पर कर्मचारी लगाए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, 'प्रशासन गांवों के संग' शिविर लगा था। इसमें आदिवासी एरिया में एक इस पहाड़ी पर मकान है, दूसरा उस पहाड़ी पर मकान है। वह आबादी में नहीं है, वह बिखरी हुई आबादी में है। वह आबादी नहीं होने का कारण उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जितना उसका मकान है, उसको नापकर उतना पट्टा दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति डूंगरपुर हमारी काफी पुरानी पंचायत समिति है। वह बिलकुल जीर्णशीर्ण हो चुकी है और वहां इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि वहां व्हीकल भी खड़ा कर सकें, कमरे भी नहीं हैं, तो

(श्री गणेश घोघरा)

माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति, डूंगरपुर के लिए जमीन भी अलाट कर रखी है, पंचायत समिति का नया भवन बनाने के लिए आप आज यहां घोषणा करें। मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत के विकास की अवधारणा को धरातल पर लाने के लिए पंचायती राज की स्थापना हुई, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में पंचायती राज को कुछ लोगों ने राजनीतिक अखाड़ा बनाकर रख दिया है, मैं उसकी निन्दा करता हूं। यह निन्दनीय और चिन्तनीय है। लोकतंत्र में सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जिस तरह से पंचायती राज का चुनाव जीतने के लिए एक तरफ तो ढाई हजार वोटों का वार्ड बनाया, दूसरी तरफ दस हजार वोटों का पंचायत समिति का वार्ड बनाया, इससे बड़ा कोई राजनीतिक अपराध हो नहीं सकता। मैं इसकी पुन: निन्दा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, मेरे अजमेर जिले की और पुष्कर विधान सभा की कुछ समस्याएं हैं। लोक महत्व और नरेगा के श्रमिक मिलते रहते हैं और बताते रहते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मनरेगा के श्रमिकों के ठीक ढंग से काम करने के लिए मेट की नियुक्ति होती है। लेकिन मेटों का पिछले एक वर्ष से अधिक समय से भुगतान अटका हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, तुरन्त प्रभाव से मेटों का भुगतान करें और उनकी मजदूरी में भी बढ़ोतरी की जाए जिससे वह अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। मनरेगा में अच्छे कार्य करने वाले श्रमिकों को राज्य मद से अतिरिक्त बोनस की राशि देने से श्रमिकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी।

इसके साथ ही, सदन के काफी माननीय सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है कि वार्ड पंच, उप-सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के साथ ही इन जन-प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए विशेष बजट का आबंटन करें, जिससे कि उनके क्षेत्र का विकास हो सके।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

इसके साथ ही, मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन उप-खण्ड हैं। एक उप-खण्ड के अन्दर पंचायत समिति का निर्माण हो गया, नवगठित हो गयी, लेकिन दो उपखण्ड- रूपनगढ़ और पुष्कर उपखण्ड हैं, वहां पर नई पंचायत समिति खोलने से प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ अच्छे कार्य करने से लोगों को लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिये विशेष योजना बनाकर पंचायतों में बी.एस.आर. रेट की विसंगतियों को दूर करने के साथ ही टेण्डर प्रक्रिया पंचायत समिति के स्थान पर ग्राम पंचायत पर कराये जाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और कार्यों में गति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का आलम आप देखोगे कि हमारी पुष्कर विधान सभा के 118 गांव अजमेर विकास प्राधिकरण की जद में आते हैं और उन ग्राम पंचायतों में, उन गांवों में काम कराने के लिए, चाहे वह पंचायत समिति का मद हो, चाहे विधायक का मद हो, चाहे सांसद का मद हो, चाहे ग्राम पंचायतों का मद हो, उनको अजमेर विकास प्राधिकरण से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। हमने इसके लिए संघर्ष किया और 19 जून, 2016 को सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि इन गांवों में काम कराने के लिए कोई एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सरकारी दस्तावेज को वहां के अधिकारी नहीं मानते और मनमर्जी से एन.ओ.सी. के लिए लिखते हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण एन.ओ.सी. देता नहीं है और काम होता नहीं है। हमारे तो विधायक फण्ड का पैसा है। लगभग दो सालों से बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो स्वीकृत कर दिये, लेकिन अभी एन.ओ.सी. के कारण से और प्रशासनिक उदासीनता के कारण से आज तक वे धरातल पर नहीं उतरे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग है कि इसकी कोई विस्तृत योजना बनायें क्योंकि काफी विधायकों ने भी इस बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त की है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही हमारे यहां अजमेर ग्रामीण एक नई पंचायत समिति बनी। पंचायत समिति बने हुए लगभग 2 वर्ष हो गये। जब नवसृजित पंचायत समिति की घोषणा हुई और चुनाव का ऐलान

(श्री सुरेश सिंह रावत)

हुआ तो प्रशिक्षण केन्द्र में कहा कि जब तक नया भवन नहीं बनेगा तब तक यहां उसका संचालन करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खतम हुए और सामने वाले लोग पराजित हुए, पंचायत समिति का ऐसी जगह भवन आबंटित कर दिया, जहां टार्च लेकर भी अगर ढूंढें तो वह नहीं मिलता। ढूंढने से तो राम भी मिल जाता है, जैसे कि सामने वाले लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह पंचायत समिति का भवन नहीं मिलता। आसपास के गांव वाले लोग आते हैं तो परेशान होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि जल्दी ही वे कोई उचित स्थान देखकर भूमि का आबंटन करें। हमने इसके बारे में कई बार लिखा है। जल्दी ही उसके नये भवन का निर्माण हो।

इसके साथ ही हमारी अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की महिला प्रधान है, उसको प्रधान बने हुए लगभग 2 वर्ष हो गये।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): जिला कलक्टर से मिल लिये। जिला परिषद् के सी.ई.ओ. से मिल लिये। गाड़ी के लिये बार-बार निवेदन किया कि प्रधान हैं, आप उनको नियमानुसार गाड़ी आबंटित करिये या उनको आप भत्ता दीजिये। उन्होंने कहा कि आप विधायक मद से दे दीजिये। मैंने विधायक मद से स्वीकृत कर दी लेकिन डेढ़ साल से वह लैटर कभी जिला परिषद् से पंचायत समिति जाता है, कभी राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। राज्य सरकार कहती है कि ए.सी. वाली गाड़ी हम अलाउ नहीं करेंगे। नॉन ए.सी. कोई कंपनियां बनाती नहीं हैं। इसके लिए कोई नयी कंपनी तो ईजाद कर नहीं सकते। बाकी दूसरे सदस्यों ने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी 22 लाख रुपये तक की गाड़ियां खरीद करके दी हैं। इस तरह का राजनीतिक भेदभाव ठीक नहीं है। जल्दी ही हमारे यहां जो महिला प्रधान हैं, उनको गाड़ी का आबंटन हो।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही सरपंच संघ के कुछ लोग मिले। उन्होंने अपनी बात रखी। उनकी तरफ से मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश के सरपंच संघ द्वारा काफी समय से छठे राज्य वित्त आयोग में देय 6.75 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर सकल राजस्व का 10 प्रतिशत करने और 15वें वित्त आयोग, वर्ष 2021-22 की शेष राशि सहित महानरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के प्रशासनिक

(श्री सुरेश सिंह रावत)

मद में से ग्राम पंचायतों के हिस्से की राशि करने, सरपंच पद के अधिकारों में कटौती नहीं करने, मानदेय व बैठक भत्ता बढ़ाने, सीमित निविदा से सम्बन्धित आदेश 19.11.2021 को संशोधित करने, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में विभागीय त्रुटि से काटे 9.93 लाख नामों को पुन: जोड़ने, ऑनलाइन कार्य करने हेतु संसाधन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने आदि की मांग की जा रही है। इनका शीघ्र आप जन हित में निस्तारण करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, सामुदायिक विकास मांग संख्या 41 और ग्रामीण विकास मांग संख्या 28 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान गरीबों को मिलने हैं, के.सी.सी. की शर्त लगाकर उनको वंचित कर दिया। सबसे गम्भीर मुद्दा है कि जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जमीन है, के.सी.सी., किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने बना रखा है। मेरी सरकार से मांग है कि के.सी.सी. की शर्त के बिना पी.एम. आवास योजना का फायदा दिलाया जाये।

पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख का मानदेय बढ़ाया जाये। जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों का भी मानदेय बढ़ाया जाये। इससे बड़ी बात यह है कि पंचायती राज के जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, उनका विकास के लिये एक कोटा आरक्षित हो कि वे इतने पैसे विकास में खर्च कर सकते हैं। सरपंच संघ के साथ सरकार ने जो समझौता किया था, वह समझौता सरकार लागू करे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पंचायती राज में काम कर रहे कम्प्यूटर आपरेटरों की तरफ दिलाना चाहूंगा। प्लेसमेंट एजेंसी से उनका शोषण होता है। उनको 7 हजार रुपये महीने के मिलते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी उनका शोषण करती है। इस जमाने में संविदा कर्मी की बात भी चल जाये, फिर सरकार संविदा कर्मियों को आने वाले समय में स्थायी कर दे, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी से न सिर्फ कम्प्यूटर आपरेटर का, बल्कि जो सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड हैं, उनका इतना भारी शोषण होता है कि वे तिल-तिल करके रोते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी 4-4, 5-5 महीने, उनका जो 5 हजार रुपये, 7 हजार रुपये मानदेय मिलता है, वह देती नहीं है।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, नरेगा में डवटेल करके जो काम पंचायतें करती हैं, उसमें पंचायत के सिर पर एक चीज और बैठा दी, वह है ठेकेदार। पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, पंचायत सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर और एल.डी.सी. हैं। इतने होने के बावजूद भी उनके ऊपर एक ठेकेदार बैठा दिया। उसका सिर्फ एक काम है कि वह 2 परसेंट कमीशन लेता है और बिल देता है। जी.एस.टी. के बिल देता है। सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि इस ठेकेदार की कुप्रथा को बन्द किया जाये। पक्के काम में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को पावर हो कि वे काम करवायें। पंचायती राज के पास जे.ईएन., ए.ईएन. सारी टीम है। बीच में यह ठेकेदार वाली पंचायती कहां से आ गयी? मेरी सरकार से मांग है कि इस ठेकेदार की प्रथा को भी बन्द किया जाये।

सभापति महोदय, नरेगा में 125 दिन कर दिये। यह बात तो ठीक है, पर हमें इस बात पर गौर करना है कि आपने 100 दिन कितने लोगों के पूरे करवाये। 2005 से नरेगा शुरू हुई फार्म 6 आज तक भी प्रथा में नहीं आया है। आज भी मजदूर यह फोन करते हैं कि हमारे गांव में नरेगा चलाओ, जबकि नरेगा का कानून यह कहता है कि फार्म 6 अगर भरा गया तो वहां मजदूर बतायेगा कि मुझे इन 100 दिनों में काम चाहिए। यह एकमुश्त मजदूर लिखकर के दे देगा। सवा सौ दिन तो घोषित कर दिये, लेकिन सवा सौ दिनों के लिए फार्म 6 अगर हम प्रथा में नहीं लायेंगे और आवश्यक नहीं करेंगे तो नरेगा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि आज पालना कहां है? मां गयी हुई है, उसके साथ बच्चा है। वहां न पालना है, न टैंट है, न पीने का पानी है और न ही मेडिकल किट है। जब नरेगा राजस्थान में शुरू हुई तो उस समय मैं जिला परिषद् का मैम्बर था। एक साल तक ये सारी चीजें कार्य स्थल पर होती थीं। आज कार्य स्थल पर ये नहीं हैं। 5 किलोमीटर से ज्यादा 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर कार्यस्थल पर भेजे जाते हैं और अलग से कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। यह नरेगा के साथ अन्याय है।

सभापति महोदय, काम के बदले दाम की योजना, यह बात सही है। काम नरेगा ने किया भी था लेकिन नरेगा में जो घालमेल हुआ, इससे नरेगा की स्थिति खराब हो रही है। यह बहुत जोरदार योजना है। आजादी के बाद यह

(श्री बलवान पूनियां)

पहली ऐसी योजना आई थी जो किसी आदमी को बेरोजगारी की बजाय काम की गारंटी देती है। मेरा निवेदन है कि इसको गंभीरता से लागू किया जाये। काम करते ही कार्यस्थल छोड़ने का, अभी यह देखा है कि कई पंचायतों में लोग कार्य करते हैं, काम करने के बाद उनको घर नहीं जाने देते हैं। उनको कहते हैं कि शाम के 2 बजे तक रहो, 3 बजे तक रहो, 4 बजे तक रहो। सभापति महोदय, घरों में अगर एक ही महिला है काम करने वाली, उसके घर में 2 पशु हैं और 2 बच्चे हैं। उसको जल्दी घर आना होता है। वह काम करके घर जाये। यह सख्ताई से लागू किया जाये।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 2 मिनट में ही करता हूं। 2 मिनट दो, 2 मिनट में मैं मेरी सारी बात कह दूंगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बिजली की कटौती गांवों में ही क्यों होती है, शहर में क्यों नहीं होती? पूरी गर्मियों में जब भी बिजली का दबाव होता है गांवों में बिजली कटती है। यह भेदभाव है। लोग ढाणियों में चले गये। सरकार बनते ही खूब कनेक्शन हुए। आज ढाणियों के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। ढाणियों के कनेक्शन हों, यह हमारी सरकार से मांग है।

सभापति महोदय, कैटल शैड और घरों में कुण्ड, टांका बनाना अनिवार्य किया जाये। जल जीवन मिशन तो आ रहा है लेकिन जो यह एक इश्यू आया था कि पानी कहां से आयेगा। हर घर में कुण्ड हो। एन.ओ.सी. सरपंच हर काम की तब दे, जब घर में कुण्ड हो। वह कुण्ड भी बरसात के पानी से जुड़ा हुआ हो। कैटल शैड, जिन घरों में पशु है, वहां अनिवार्य रूप से दिया जाये। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं हो। हां, सीरियल बना लिया जाये कि इस क्रम से कैटल शैड देंगे जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की, जागरूकता की स्पेशल जरूरत है। आज ग्रामों को ऊंचा उठाने के लिये, साफ-सफाई के लिये जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। पंचायत सहायक जो विद्यार्थी मित्र थे, उनको पंचायती राज की ट्रेनिंग दी जाये और उनका मानदेय भी बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामों की

(श्री बलवान पूनियां)

सम्पर्क सड़कें टूटी हुई हैं। सम्पर्क सड़कों को सरकार दुबारा बनाये और गांवों का स्तर सुधारने का काम करे। आप इजाजत दो तो मैं 4-5 सड़कों के नाम बोल दूं। वे भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे गांव की सड़क टूटी हुई है। सड़क 8-8, 9-9 साल से टूटी हुई है। मैं एक मिनट में मेरी बात पूरी कर दूंगा। पचार वाली सम्पर्क सड़क है, वह जर्जर हालत में है। मोढसरा गांव की है, बीड़ भादरा से खचवाना सड़क है, बोजला से कालवास सड़क है, कुजी से कणाऊ होते हुए घेऊ की सड़क है, मुन्सरी बस स्टैंड से मुन्सरी होते हुए ढीलकी की सड़क है। भादरा से मेरे गांव मलखेड़ा तक की सड़क का चौड़ाईकरण का मामला है। निनाण से महराणा की सड़क है, बिराण से छानी बड़ी की सड़क है। ये ऐसी सड़कें हैं, जो बड़े-बड़े गांवों को एक से दूसरे तक जोड़ती हैं।

सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि तुरन्त इन सड़कों का निर्माण कराया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गोपाल लाल जी शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर बोलने का अवसर दिया, आपका हार्दिक आभार।

सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद हमारी सरकार ने जो मॉडल अपनाया, उसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा व चिकित्सा मानों सरकार के ही जिम्मे हो गया। आजादी के पहले शिक्षा व चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण कार्य अधिकांशत: समाज ही अपने स्तर पर संचालित करता था। माननीय सभापति महोदय, निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि आज का नागरिक पूरी तरह से सरकार पर ही आश्रित हो गया। मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति को उसके दायित्व का बोध कराया जाये तभी विकास का मार्ग खुलेगा। आज हम सामुदायिक विकास की बात कर रहे हैं। हमने नाली व सड़क निर्माण करने, फैक्ट्रियां लगाने के काम को विकास मान लिया है। मेरे विचार में व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का कार्य प्रमुख है। हम एक अबोध बालक को शिक्षित और संस्कारित नागरिक बनायें, सड़कें और फैक्ट्रियां तो वह अपने आप बना लेगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में समाज में व्यक्तित्व व चरित्र में गिरावट होने से सामुदायिक विकास अवरुद्ध हो रहा है और समस्याएं बढ़

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

रही हैं। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण ठीक नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को राजकीय सुविधा देकर हमने नीम चढ़ा करेला की कहावत को चरितार्थ किया है। हमने विकास के नाम पर गांव-गांव में, गली-गली में सामुदायिक भवन बना दिये, सामुदायिक भवनों को लोगों ने ठेके पर दे दिया, वे तो ठीक हैं पर जिसको सरकार सम्भाल रही हैं वे बिलकुल बेकार हो चुके हैं। जब तक समाज में सेवा और संस्कारों का जागरण नहीं होगा तब तक सामुदायिक विकास की योजनाएं सार्थक और अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती हैं। गांवों में खेल मैदान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ स्कूलों में तो खेल मैदान हैं कुछ में नहीं हैं। वहां पर शारीरिक शिक्षक तो लगा दिया पर वहां पर खेल सामग्री नहीं है, यह हमारे सोचने का विषय है। गांवों में जहां खेल मैदान है वहां पर मनरेगा के माध्यम से बाउंड्री निर्माण का आदेश सरकार से करायें तो वहां पर बाउंड्री हो जायेगी तो उस पर अतिक्रमण नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, संस्कार, स्वावलम्बन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास जैसे कई विषय हैं, जो सामुदायिक विकास से जुड़े हैं, पर ये सब कागजों में ही योजना बनाने से और भाषण देने से सम्भव नहीं होगा। जब तक समाज जाग्रत नहीं होगा, समाज संस्कारित और समर्पित नहीं होगा तब तक समाज के लिए योजनाएं भी कागजी ही रहेंगी। लक्ष्य फाइलों में दर्ज होंगे, लेकिन यथार्थ में समाज में उसका कोई परिणाम नहीं आयेगा। सरकार किसी भी दल की हो, हर सरकार जन कल्याणकारी नीति के आधार पर अपने कार्यक्रम और योजनाएं लागू करती है लेकिन काम करने वाली एजेंसी में हम अगर संस्कारित और समर्पित नागरिकों का चुनाव नहीं कर पाये तो हमारा विकास मॉडल ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जायेगा। जिम्मेदार इसके लिए आप और हम सब होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विभागों में काम करने के लिए ठेका प्रथा लागू है। आज पंचायत में भी सब ठेका प्रथा है। सरकार से दस से बारह हजार रुपये उठाते हैं, वे गरीब और मजदूर आदमी जो गांव में काम करते हैं उनको चार-चार हजार रुपये देते हैं, यह बहुत सोचने का विषय है। जितना पैसा सरकार देती है यदि उनको डाइरेक्ट दे तो उनकी आर्थिक प्रगति होगी और वह आराम से रहेगा, उसका परिवार आराम से रहेगा, बीच के बिचौलिये पूरे पैसे को खा जाते हैं।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, सरपंच संघ ने जो ज्ञापन दिये हैं, मैं उनके पक्ष में बात करता हूं। आज राजस्थान में ग्रामीण विकास की बातें तो बहुत हुईं पर आज कम्प्यूटर सहायक धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगें मानकर उनको स्थायी किया जाये। उनको साढ़े सात हजार रुपये तनख्वाह देते हैं। वह भी छह-छह महीने से नहीं मिलती है। उनको रेगुलर करने की घोषणा की थी सरकार ने चुनाव के समय, तो वो घोषणा पूरी की जाये।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में एसएफसी की प्रथम किस्त नहीं आयी है। मनरेगा में जो मजदूर और श्रमिक काम करते हैं, मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी भरी जा रही है। कर्मचारी और अधिकारियों की हाजिरी तो आसानी से हो जाती है, पर आज गरीब आदमी जो समझता नहीं है, गांवों में इंटरनेट नहीं है, वहां पर ऑनलाइन हाजिरी भरी जा रही है, यह सोचने का विषय है। जो पैसा विकास के लिए आता है, वह सभी पंचायत सहायक, कोरोना स्वास्थ्य सहायक और सुरक्षा गार्ड के वेतन में ही चला जाता है पंचायतों में और वहां की लाइट का बिल भी इतना होता है कि उसमें चला जाता है, वहां पर विकास के लिए तो बिलकुल पैसा बचता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज चार-चार पंचायतों में एक सचिव लगा रखा है और चार-चार पंचायतों में एक पटवारी लगा रखा है तो वहां पर विकास का काम बिलकुल भी नहीं होता है। कोई आदमी पंचायत में जाता है, पटवार भवन में जाता है तो कह देते हैं कि दूसरी पंचायत में गया तो यह उनको बहाना मिल गया और वो नौकरी नहीं करते हैं, कहीं आते-जाते नहीं हैं, यह सोचने का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, आज गांवों की समस्या बहुत बड़ी है। आज गांवों में चरागाह भूमि पर आबादी बस चुकी है क्योंकि आबादी भूमि बहुत कम हो चुकी है। यदि चरागाह और नहीं बनाया जा सके तो वहां पर सरकार आदेश करे और वहां पर चरागाह भूमि पर पट्टे बनाये जायें ताकि वहां की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विधायक मद से जो लिखकर देते हैं तो दो-दो, चार-चार, छह-छह महीने तक वहां काम नहीं होता है। हम गांव में जाते हैं तो वहां की आम जनता कहती है कि आपके विधायक मद का पैसा

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

कहां गया? यहां कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसका भी टाइम, दस दिन, पन्द्रह दिन, निश्चित किया जाये जिससे आने वाले समय में सभी विधायकों का काम टाइम पर होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय पर बसों के संचालन की आपने अपने बजट में घोषणा की थी। हर पंचायत मुख्यालय पर बस नहीं जाने से आम आदमी परेशान है। वहां पर बसें नहीं आने से आवागमन का साधन नहीं है, गरीब आदमी को जाने के लिए दस-दस किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तो ये भी शुरू की जाए तब जाकर गांव का विकास होगा। गांवों में अंधेरा रहता है, चोर चोरी करते हैं, इसलिए वहां पर हाई मास्ट लाइट लगायी जाये तो गांव के विकास का सपना जो सरकार के पास है, वह आगे बढ़ेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और पंचायती राज मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने पंचायत पुनर्गठन के अन्दर प्रतापगढ़ जिले के अन्दर 70 नई पंचायतें और 3 पंचायत समितियां बनायी हैं। चूंकि प्रतापगढ़ जिला एक आदिवासी क्षेत्र है जहां पर आबादी बिखरी हुई है, अलग-अलग दूर-दूर मकान बने हुए हैं, इसी वजह से पूरे राजस्थान में पंचायत बनाने का क्राइटेरिया चार हजार का रखा गया लेकिन प्रतापगढ़ और टी.एस.पी. क्षेत्र में पच्चीस सौ, चौबीस सौ, पन्द्रह सौ, चौदह सौ तक की पंचायतें बनी हैं। पंचायत समितियां भी कम जनसंख्या होने पर भी बनाकर क्षेत्र में विकास की एक नई परिपाटी को आपने लागू किया। मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पहले भी अवगत करवाया और अब भी अवगत कराना चाहता हूं कि 70 पंचायतों के पंचायत भवन और 3 पंचायत समितियों के लिए भवन निर्माण के लिए राज्य मद से राशि आबंटित करें। पंचायतें छोटी हैं और बिखरी आबादी है तो पांच-पांच, छह-छह लाख रुपये पंचायतों की किस्तें आती हैं जिससे भवन निर्माण नहीं हो पाता है और केन्द्र सरकार की उदासीनता से मनरेगा में मैटेरियल का पैसा काफी समय से, साल-डेढ़ साल से आता नहीं है, उसकी वजह से इसमें भी भवन बनाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि 70 पंचायतों और 3 पंचायत समितियों के भवन बनाने के लिए राशि आबंटित करवाने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की योजना में भी काम पूरा होने पर पंचायतों को सुपुर्द करने की बात की जा रही है और सुपुर्द की जा रही है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, पंचायत के पास एक तो राशि कम आती है और आज तो स्थिति यह बन गयी है कि केन्द्र से जो पैसा आता है वह साल भर से नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में एक तरफ कोविड सहायक का भुगतान करना पड़ता है, दूसरी तरफ पंचायत सहायक का भुगतान करना पड़ता है। उसके बाद में जल जीवन मिशन की योजना चालू करने की जिम्मेदारी भी अगर पंचायतों को दे दी जायेगी तो पंचायतों का विकास बिलकुल ठप हो जायेगा। इसलिए जल जीवन मिशन का जो काम है, वह पूरी जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, टी.एस.पी. क्षेत्र में सरकार की इतनी कई सारी महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका सदुपयोग, जिनका ध्यान, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उस क्षेत्र में नहीं हो पाता है तो इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वार्डवाइज एक या दो दसवीं या बारहवीं पढ़ेलिखे लड़के को, जो मोबाइल चला सकते हों उनको नामित करें और उनको पांच हजार, छह हजार या दस हजार तक तनख्वाह देकर, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाये, उसकी सुविधा की जाये।

माननीय सभापति महोदय, एल.डी.सी. भर्ती 2013 काफी समय से चल रही है और माननीय मंत्री महोदय ने सदन को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी भर्ती होगी और यदि यह भर्ती हो जायेगी तो पंचायत पुनर्गठन में जो नई पंचायत समितियां और पंचायतें बनी हैं वहां पर स्टाफ की जो कमी है वह भी दूर होगी और जहां पर सचिव नहीं है वहां पर एल.डी.सी. को चार्ज दिया जाये ताकि विकास में रोड़े नहीं अटकें।

माननीय सभापति महोदय, सरपंचों ने ज्ञापन दिया, मुझे भी ज्ञापन दिया, सारे माननीय सदस्यों को ज्ञापन दिया है। उनकी जो वाजिब मांगें हैं, उनको पूरा किया जाये। सरपंच का, प्रधान का और जिला प्रमुख का मानदेय

(श्री रामलाल मीणा)

बढ़ाया जाये। प्रतापगढ़ नवीन जिला बना था, उसके बाद से जिला प्रमुख का आवास नहीं है तो वहां जिला प्रमुख का आवास भी बनाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य सीसी सड़कों के लिए कह रहे थे, डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें बनायी जायें और उनके ऊपर डामर किया जाये। वास्तव में मनरेगा योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.बी.एम. तक का कार्य हो जाये उसके बाद में डामर किसी भी स्कीम पर उसके ऊपर हो जाये तो निश्चित रूप से सड़कों की जो समस्या आ रही है, वह दूर हो जायेगी और इससे वहां का कीचड़ भी समाप्त हो सकता है। मैं तो माननीय मंत्री जी से यह भी कहना करना चाह रहा हूं, जब सीसी रोड पंचायत कर सकती है तो डामर रोड पंचायत क्यों नहीं कर सकती है? क्वालिटी कंट्रोल के लिये भी सारी व्यवस्थाएं हो गयीं तो निश्चित रूप से डब्ल्यू.बी.एम. तक के कार्य...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): डब्ल्यू.बी.एम. तक के कार्य नरेगा में हो जाएं और बाकी के कार्य एस.एफ.सी. से डामर हो जाएं या फिर किसी अन्य स्कीम अथवा एम.एल.ए. मद से हो जाएं या सांसद मद से हो जाएं तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। आज जिला परिषद् के एक्स.ईएन. को सिर्फ 50 लाख का पावर है, जबकि उसी एक्स.ईएन. को पी.डब्ल्यू.डी. में 2 करोड़ का है। जल संसाधन विभाग, अन्य विभागों में 2 करोड़ का है। निश्चित रूप से ए.ईएन. का पावर 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाये और एक्स.ईएन. जिला परिषद् का पावर 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया जाये ताकि बड़े-बड़े जो काम होते हैं, उनके लिये फाइल जयपुर स्तर पर नहीं आये और समय का दुरुपयोग न हो।

हर जिला परिषद् के अन्दर एक वाटरशैड के एस.ई की नियुक्ति होती है और पूरे राजस्थान में सभी जगह वाटरशैड के एस.ई. बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की पंचायती राज की जो स्कीमें हैं, 50 लाख रुपये से अगर एक रुपया भी ज्यादा हुआ तो उसके लिये फाइल राज्य सरकार के पास आयेगी, यहां के एस.ई. के पास आयेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वॉटरशैड के एसई. हैं, उन्हें यह पावर दी जाये, उनकी आई.डी. मैपिंग करके एक करोड़ तक के पावर उन्हीं को दे दिये जाएं। आज कुएं जो खुद रहे हैं, व्यक्तिगत कुएं नरेगा में अनुमत हैं, लेकिन सार्वजनिक

(श्री रामलाल मीणा)

कुएं नरेगा में अनुमत नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा में सार्वजनिक कुएं भी अनुमत किये जाएं ताकि पेयजल की समस्या का निदान हो सके। दूसरा, नरेगा में जो कुएं खुदते हैं, उसमें ब्लास्टिंग की जो रेट है, वह सॉफ्टवेयर में नहीं दर्शायी गयी है, उसे भी दर्शाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज हम क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के सीसी रोड बनते हैं, उनके एस्टिमेट में 4 इंच तक पीसीसी और 4 इंच की सीसी ले रखी है। अगर एक बार ही उसके ऊपर कोई बड़ा साधन चला गया तो मामला गड़बड़ हो जायेगा, इसलिये इसे बढ़ाते हुए 6 इंच या 8 इंच सीसी की जाये और 6 इंच के आस-पास ही पीसीसी की जाये ताकि सीसी रोड क्वालिटी के साथ बने और क्षेत्र में ये सब काम बढ़िया तरीके से हों।

आज मैं माननीय सभापति जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये अभी जो शिविर लगे, इनमें सब जगह सरकार की मंशा के अनुरूप खूब पट्टे बंटे, लेकिन कहीं-कहीं विवाद की स्थिति बनी। मेरा आपसे और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सारे पटवारियों को निर्देशित करें कि आबादी भूमि जितनी भी है, उसका सीमांकन करके पंचायत को दिया जाये ताकि पट्टे पर बाद में लड़ाई-झगड़े नहीं हों।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि जो-जो पंचायती राज की कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर 8 बजे तक किया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 व 28 पर विचार

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और मांग संख्या 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन में आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जैसे गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, राजस्थान के 11,000 सरपंच आन्दोलन कर रहे हैं, आज वे सड़कों पर हैं और यहां पूरे दिन से चर्चा हुई है। सभी माननीय सदस्यों को सभी सरपंच संघ अध्यक्षों ने ज्ञापन दिये हैं और ज्ञापनों में अपनी मांगें रखी हैं। वास्तव में जो उनकी मांगें हैं, पीड़ा है, वे जायज हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी जायज मांगों को माना जाये।

सभापति महोदय, उन्होंने अपने आन्दोलन का जो कार्यक्रम तय किया है, वह इस प्रकार है- 9 मार्च, 2022 - प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं पंचायती राज मंत्री जी को आन्दोलन का ज्ञापन दिया गया; 13 मार्च, 2022 - सरपंच संघ के द्वारा समस्त 200 माननीय विधायकों को ज्ञापन दिया व घेराव किया; 14 मार्च, 2022 - प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों पर एक दिवसीय सांकेतिक तालाबन्दी एवं सरपंचों द्वारा जन हित के कार्यों के अतिरिक्त समस्त प्रशासनिक कार्यों का अनिश्चितकाल के लिये बहिष्कार किया गया; 22 मार्च, 2022 को प्रदेश के 11,000 सरपंचों द्वारा मुख्य मंत्री आवास व विधान सभा का घेराव किया जायेगा और अनिश्चितकालीन धरना दिया जायेगा। यह कार्यक्रम सरपंच संघों ने बनाया है। इनकी समस्या का समय रहते समाधान नहीं होता है तो ग्रामीणों के उत्थान की कई योजनाएं बाधित होंगी और इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सरपंच संघों की मांगें हैं आप उन्हें बैठाएं, उन्हें बुलाएं और उनकी जायज मांगों पर गौर करें और उन्हें मानें।

सभापति महोदय, साथ ही, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। पिछली भाजपा सरकार में पंचायतों में मॉडल तालाबों के विकास के कार्य हुए। मैं अपनी विधान सभा की बात करूंगा, इस सरकार के आने के बाद एक भी मॉडल तालाब का काम नहीं हुआ है। पिछले तीन सालों से मैंने यहां बारबार जिक्र किया और मांग भी की, मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में एक अन्तरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

है सवाई भोज मन्दिर, वहां एक प्रेम सागर तालाब है। मैंने सरकार से कई बार मांग भी की है और कई बार क्वेश्चन भी लगाये हैं और 295 के तहत मैंने यह मांग उठायी है, प्रेम सागर तालाब का जीर्णोद्धार हो। उसे माडल तालाब के रूप में विकसित करने हेतु मैंने सरकार से मांग की है। उसमें लगभग 4 या 5 करोड़ रुपये का खर्चा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि ग्रामीण विकास की चर्चा हम कर रहे हैं तो सवाई भोज एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का प्रख्यात मन्दिर है। वहां उस प्रेम सागर तालाब के विस्तार के लिये आप एक फंड जारी करें।

साथ ही, आसीन्द में ही बगड़ावतों की राजधानी गढ़ गोठां दड़ावट नाम से एक देवनारायण मन्दिर है, उस मन्दिर के लिये भी मैंने मांग की है और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है और पत्र दिया है। उसमें भी एक बहुत प्रख्यात मन्दिर है गोठां दड़ावट का, उसके विकास के लिये भी मैंने तीन करोड़ रुपये की मांग की है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस मन्दिर के लिये भी कुछ योजना बनाकर एक फंड दें।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें, दो मिनट में।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): साथ ही, ग्रामीण विकास की इस चर्चा में गांवों के गन्दे पानी की निकासी के लिये एक योजना बनाकर बड़ी-बड़ी जो पंचायतें हैं, उनमें सीवरेज लाइन डालने की व्यवस्था आप करेंगे तो गांवों के लिये बहुत अच्छा होगा। सभापति महोदय, मेरी कुछ मांगें और हैं। नयी ग्राम पंचायतें, जो सरकार में अभी बनी हैं, वहां बिल्डिंगें नहीं हैं, वहां बिल्डिंगों का निर्माण कराया जाये। पंचायतों में सचिव नहीं हैं और गांवों में पटवारी भी नहीं हैं। इनकी व्यवस्था भी सरकार करे। मगरा विकास बोर्ड में भी पिछले तीन वर्षों से किसी भी तरह की कोई फंडिंग की व्यवस्था नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरी 16-17 पंचायतें हैं, मगरा बैल्ट हैं, मगरा में आती हैं। मगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन अब बने हैं, सरकार ने बहुत लम्बे समय से अब व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि मगरा विकास बोर्ड से भी मेरी जो पंचायतें मगरा में आती हैं, उनमें फंडिंग की व्यवस्था की जाये। सभापति महोदय, सभी

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

पंचायत हैडक्वार्टर पर विकास पथ की सड़कें बनायी जाएं, यह भी मैं मांग करता हूं। गांवों में कई लोगों के मकान चरागाह व वन विभाग की भूमि पर बने हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप एक योजना बनाकर, क्योंकि गांवों के गरीब लोग समझते नहीं हैं, सर्वे करवाकर इन्हें पट्टे देने की व्यवस्था करेंगे तो गांवों के जो गरीब लोग हैं, उन्हें फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरपंच संघों की मांगों को पूरा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल जी नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी द्वारा कई वर्षों से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों में इनके पुनर्गठन के बारे में कई बार प्रस्ताव बनाये गये, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजस्थान में हजारों पंचायतें, पंचायत समितियां बनायीं। करीब-करीब सभी माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, सरपंच संघ के ज्ञापन के सम्बन्ध में भी चर्चा कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, सरपंच संघ के लिखित समझौते एवं मांग पत्र पर आदेश जारी करने के सम्बन्ध में। सरपंच संघों की ''प्रशासन गांवों के संग'' के दौरान हड़ताल हुई थी और अगर सरकार और सरपंच संघों के बीच कोई समझौता हुआ है तो मैं समझता हूं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उन्होंने करीब 13-14 बिन्दु बताये हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग से पंचम वित्त आयोग तक सकल राजस्व का देय अनुदान प्रतिशत बढ़ाते हुए स्वीकृत किया जाता था पर छठे वित्त आयोग में 7.18 प्रतिशत अनुदान की तुलना में 6.75 प्रतिशती अनुदान देने की सिफारिश की गयी है। आप तो जानते हो कि पंचायती राज इस देश में राजस्थान से शुरू हुआ और हम इन पंचायतों को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान मजबूत होगा।

(समय: 19.00 बजे)

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में जो मानदेयकर्मी हैं, स्वास्थ्य सहायक, सुरक्षा गार्ड, पम्प चालक हैं, इन सबका राज्य वित्त आयोग से कुछ

(श्री बाबूलाल नागर)

पैसा मिलता है, उससे वह इनका मानदेय देने में लग जाता है, जिससे विकास के काम धरे के धरे रह जाते हैं। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से आपरेटर, सुरक्षा गार्ड लगाये जाते हैं पर उनमें जो तय होता है उसके अनुसार उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। उनसे साइन ज्यादा पर कराया जाता है और पूरे राजस्थान में जो ठेकेदार हैं वे इनको कम पैसे देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। गरीब आदमी है, वैसे ही उसको बहुत कम पैसे दिये जाते हैं। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति की जो योजनाएं हैं इनकी अनुदान राशि भी बढ़ायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, यह जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन में पिछली सरकार में सेंक्शन हुए, उसी दौरान मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र में करीब 37 हजार शौचालय सेंक्शन होने के बाद निरस्त कर दिये गये, ओ.डी.एफ. करा लिया। न तो अधिकारी समझ पाया, न ग्राम पंचायत के जन-प्रतिनिधि समझ पाये। उन्होंने खुद ने ही सेंक्शन निकाल दी, ओ.डी.एफ. करा लिया तो कम्प्यूटर से उनकी सेंक्शन हट गयी और सेंक्शन हट गयी तो उनका भुगतान नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने दुबारा सर्वे कराया है लेकिन अब पोर्टल बन्द हो रहा है जबकि सर्वे भी हुआ है तो, सभापति महोदय, इस पोर्टल को चालू करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक परिपत्र 07.09.2017 को निकला था। यह परिपत्र इस बात का निकला था कि 01.01.2017 से तीन वर्ष की अवधि से पूर्व तक जो मकान बनाकर निवास कर रहे हैं उनका सर्वे किया जाये, आबादी में सैट-अपार्ट करने की बात की। इसके बाद एक परिपत्र और निकाला है, लेकिन, सभापति महोदय, अभी प्रशासन गांवों के संग में जो सिवायचक में बस रहे थे उनकी आबादी की गयी। इसमें जो शर्त लगा रखी है कि 146 में उल्लेखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा, अतिचारी भूमि को बाजार दर पर आबंटित करने का निश्चय कर सकेगी, मतलब डी.एल.सी. रेट पर। पंचायतों में सिवायचक को आपने आबादी कर दी। प्रशासन गांवों के संग में मेरे यहां भी बहुत जमीनें आबादी करायीं, लेकिन उनको हम पट्टा नहीं दे सकते क्योंकि डी.एल.सी. रेट पर कोई पट्टा लेता ही नहीं। सभापति महोदय, नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 (ए) के तहत पुरानी बसावट के लोगों को आज 501

(श्री बाबूलाल नागर)

रुपये में पट्टा दिया जा रहा है। नगरपालिका में जब 501 रुपये में पट्टा दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि हमारे जो सिवायचक से आबादी हुई है उसको भी सौ रुपये, डेढ़ सौ रुपये या नि:शुल्क पट्टा देना चाहिए। सभापति महोदय, दो परिपत्र इसके बारे में पिछली सरकार ने निकाले थे। उनमें एक तो 30.11.2017 को निकाला था जिसमें यह प्रावधान किया था और एक 07.09.2017 को निकाला था। ये दोनों परिपत्र हैं, लेकिन वही डी.एल.सी. रेट का प्रोविजन है, इसलिए सरकार को इसके बारे में फैसला करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पिछली बार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 27.02.2018 का आदेश है, जिसमें कोई राइडर लगा दिया कि अगर एक हजार की आबादी है तो एम.एल.ए. कोटे में एक सामुदायिक भवन दे सकते हो, ढाई हजार तक की आबादी है तो आप दो दे सकते हो। ढाई हजार से ज्यादा है और वह भी जब से देश आजाद हुआ तब से, तो मैं समझता हूं कि यह राइडर उचित नहीं है। यह पिछली सरकार ने लगाया था। वहां पर गरीबों की, दलितों की बस्तियां हैं, उनमें 50-60 घर रहते हैं, अलग-अलग छितरे हुए रहते हैं तो वहां अगर हम सामुदायिक भवन बना देंगे तो उनके ब्याह-शादी में उनको स्कूल तो मिलती नहीं है और ये काम आ सकते हैं। सभापति महोदय, यह राइडर हटाना चाहिए जो एम.एल.ए. कोटे में लगा रखा है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो पंचायती राज के मुख्यालय में पड़े हुए हैं। अनियमितताओं की वजह से कइयों की अभियोजन स्वीकृति मिल गयी पर उसके बाद वापस फिर उस पत्रावली को मंगाकर रोक लिया गया तथा कइयों के अभियोजन स्वीकृति नहीं दी।

सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग में बहुत ऐसे प्रकरण पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत हैं। मैं 60 पंचायतों में गया, मेरे 60 ग्राम पंचायतें हैं और जयपुर जिले में तीन पंचायत समिति मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र की हैं और ये तीनों फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड आयी हैं। 8-10 पंयाचतें ऐसी हैं जहां सरपंचों ने पट्टों पर साइन ही नहीं किये हैं। सभापति महोदय, जब साइन नहीं किये तो जिला परिषद् ने जांच भी करायी है और धारा 38 के

(श्री बाबूलाल नागर)

तहत उनको दोषी पाया है। अब दोषी पाया है तो ऐसे लोगों को सबक देना चाहिए जिससे कम से कम गांव के गरीब आदमी को प्रशासन गांवों के संग अभियान में सस्ती दर पर पट्टा मिलता और उनको पट्टा मिल जाये।

सभापति महोदय, ग्रेवल सड़क का जो मामला है, यह ग्रेवल सड़क पहले बहुत सेंक्शन होती थीं, अकाल में भी होती थीं और शुरू-शुरू में नरेगा में भी होती थीं। सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अब इसमें रास्ता कटा हुआ मानते हैं। सभापति महोदय, रास्ता कटा हुआ तो बहुत मुश्किल होता है। लोग खेतों में बसे हुए हैं, अपने खेत में जाने के लिए 15-15, 20-20 फीट जमीन की तो आराम से एन.ओ.सी. दे देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको नरेगा में ग्रेवल सड़क ज्यादा से ज्यादा बनानी चाहिए जिससे लोगों को उसका फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, नरेगा में जो ऑनलाइन का है, उस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह आपका मोबाइल नहीं चलता है। वे लोग काम करने जाते हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां जाने के बावजूद भी उनकी अटेंडेंस नहीं हो पाती। इसमें कुछ प्रावधान विभाग ने रखा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको काम में नहीं ले रहे हैं, इसलिए बहुत से लोगों को परेशानी आ रही है।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पंचायती राज में शिक्षा की आपने योग्यता रख दी थी पर अब यह योग्यता खतम कर दी। जब उनके खिलाफ केस बन गये, थाने में एफआईआर लॉज हो गयी, एफआईआर लॉज होने के बाद केस बन गये तो जब आपने योग्यता ही खतम कर दी तो उनके केस तो विदड्रा करने चाहिए। जब आपने अब योग्यता रखी ही नहीं और साक्षर आदमी भी अब सरपंच का चुनाव लड़ सकता है और अभी भी उनके प्रकरण चल रहे हैं, चालान पेश हो गये तो सरकार को इन मुकदमों को विदड्रा करना चाहिए। सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री पूराराम जी चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 28 पर चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के पहले भी भारत के

(श्री पूराराम चौधरी)

अन्दर पंचायती राज की सुविधा थी। मौर्य वंश के समय से इसकी सुविधा चली आ रही थी, लेकिन जैसे-जैसे इस देश में मुगलों के आक्रमण और मुगलों का शासन आने की वजह से धीरे-धीरे वह व्यवस्था खतम हो गयी। उसके बाद में अंग्रेजी शासन आया। अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया तो उसके बाद यह सारी जो व्यवस्था थी वह चौपट हो गयी। देश आजाद होने के बाद गांधी जी का सपना था कि भारत के अन्दर स्वराज आना चाहिए और उस स्वराज की स्थापना करने के लिए राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अन्दर 2 अक्टूबर, 1959 को एक अधिवेशन रखा गया और वहां उसकी स्थापना हुई।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद भी पंचायती राज इतना सुदृढ़ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था क्योंकि जो गांधी का सपना था वह पूरा नहीं हो रहा था। 1995 में जब इस बिल में संशोधन आया तो दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि उस समय शेर-ए-राजस्थान भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, परसराम जी मदेरणा प्रतिपक्ष के नेता थे। कई माननीय सदस्य, माननीय गुलाब जी भाईसाहब और कई उधर भी बैठे हैं, इस सदन में थे। उसमें आरक्षण रखा कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. को आरक्षण मिलना चाहिये। चाहे पंचायत हो, वार्ड पंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, नगरपालिका हो, सबमें आरक्षण मिलना चाहिये। महिला को भी आरक्षण मिलना चाहिये, लेकिन कांग्रेस पार्टी वालों ने विरोध किया था। मैं उस समय था, इसलिए मैं कह रहा हूं। एससी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग और विशेषकर महिला पढ़ी-लिखी नहीं होगी, अंगूठा छाप होगी, तो कैसे सरपंच का पद संभाल सकेगी। आज हमारी कई बहनें इस विधान सभा में मंत्री भी हैं। हमारी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या शकुन्तला जी उद्योग मंत्री हैं, अच्छी बात है।

देश के अन्दर यह व्यवस्था शुरू हुई। फिर भी, इस व्यवस्था में छोटी-मोटी कमी रह गयी है। पंचायत समिति, जिला परिषद् सदस्यों में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लोगों को आरक्षण मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला। आज मेरे भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत समितियां हैं और तीनों पंचायत समितियों में महिला है। एक एस.टी. की और दो एस.सी. की महिलाएं हैं और प्रमुख एस.टी. का है, क्योंकि वह ग्रेजुएट है। अगर भैरोंसिंह शेखावत

(श्री पूराराम चौधरी)

साहब रिजर्वेशन नहीं देते तो शायद ये लोग वहीं के वहीं पड़े रहते। इनके ऊपर आने की व्यवस्था नहीं थी। पंचायती राज को आगे बढ़ाने के लिये, जो भी पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद् के सदस्य हैं, वे जीतकर तो आ जाते हैं, नगरपालिका के पार्षद भी जीतकर आ जाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद उनका कोई अधिकार नहीं रहता है। हम खाली मैम्बर हैं, उनको वे अधिकार दिये जायें, जो पहले थे। पहले जब बीजेपी की सरकार आयी थी, तब यह था कि प्रत्येक पंचायत समिति के सदस्य को विकास के लिये 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। प्रत्येक जिला परिषद् के सदस्य को 20 लाख रुपये दिये जायेंगे, यह प्रथा थी, यह व्यवस्था थी, लेकिन यह व्यवस्था खतम हो गयी है। इस व्यवस्था को हमको लागू करना पड़ेगा। फिर और सुदृढ़ बनाने के लिये पिछली सरकार में एक संशोधन किया गया है कि 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होना तो जरूरी है पर कई ने तो फर्जी भी बना लिये। गुलाब जी भाई साहब के पास जाते, हम बोलते, भाई साहब, अपना कार्यकर्ता है, बोले कोई कार्यकर्ता नहीं चलेगा। जो गलत है, वह गलत है। हमको भी भगा देते थे कि जाओ, गलत सिफारिश लेकर मत आना, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। यह अच्छी व्यवस्था थी, 10वीं पास होना चाहिये। 10वीं पास सारे लोग मिले, सरपंच भी मिले, प्रधान भी मिले, प्रमुख भी मिले। कई जेल भी गये, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गये, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया वे जायेंगे, दूसरे तो जा नहीं सकते थे। फिर सरकार चैंज हो गयी और यह व्यवस्था भी खतम कर दी गयी, क्योंकि अपने साथ का कोई पढ़ा-लिखा नहीं है तो उसको व्यवस्था नहीं मिलेगी। विशेषकर पंचायत समिति और जिला परिषद् सदस्य हैं, उनका एक तो मानदेय बढ़ाया जाये और प्रत्येक पंचायत समिति के सदस्य को 10 लाख और जिला परिषद् के सदस्य को 20 लाख रुपये की राशि विकास के लिये दी जाये। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री पानाचन्द जी। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 28 और 41 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुशलगढ़ में 51 पंचायतें हैं और सज्जनगढ़ में 48 पंचायतें हैं। सभापति

(श्रीमती रमीला खड़िया)

महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, कुशलगढ़ में मात्र 13 और सज्जनगढ़ में 27 हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि एक-एक ग्राम विकास अधिकारी के पास चार-चार, पांच-पांच पंचायतें हैं जिससे वे सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्य चल रहा है, वह समय पर उस पंचायत में नहीं पहुंच पा रहा है। कार्यकर्ता जब पंचायत के अन्दर जाते हैं, उन्हें छोटे-मोटे कागज पर साइन करवाने होते हैं तो वहां ग्राम विकास अधिकारी नहीं मिलने पर उनको काफी परेशानी होती है और काफी परेशानी झेलकर, निराश होकर उनको घर वापस लौटना पड़ता है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो रिक्त पद हैं, उनको भरें और यदि अभी भर नहीं सकते हैं तो जो एल.डी.सी. हैं, एल.डी.सी. को पहले भी चार्ज दिया गया था, उन्होंने अच्छे से चलाया था और एल.डी.सी. बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि जो एल.डी.सी. हैं, उनको चार्ज दिया जाये। पंचायत में जो काम चल रहे हैं, वे व्यवस्थित चलें।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में भगतपुरा में एक तालाब पंचायत के थ्रू है। अभी महीने भर पहले सीपेज हो चुका है। पंचायत इस काम को करा नहीं पायेगी, इसको विभाग के थ्रू करा दें। उस काम को जल्द से जल्द किया जाये नहीं तो अनहोनी घटना घट जायेगी। कलक्टर साहब को और एस.डी.एम. को ग्राम पंचायत भगतपुरा ने ज्ञापन दिया है। विभाग से एक लैटर आया है कि यह काम हम नहीं करा सकते हैं। अगर यह समय पर नहीं होगा तो हमारी किरकिरी होगी। जल संसाधन मंत्री जी को भी दिया है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में सीसी सड़कें नहीं हैं। पहाड़ी इलाका है, इसमें छोटी-छोटी सड़कें दी जायें तो ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा होगी। पहले पंचायती राज में सीसी सड़कों के साथ नाला उपचार के काम दिये जाते थे। आज की तारीख में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने के लिये पानी भी नहीं है। आटन, हाथियादेली, कोटडा, ऐसी मेरी बहुत सारी छोटी-छोटी ढाणियों में आज भी पीने के लिये पानी नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि वहां हैण्डपम्प लगाकर उन लोगों को सुविधा दी जाये।

(श्रीमती रमीला खड़िया)

मेरी पंचायत समिति में बैठने के लिये पंचायत समिति की बिल्डिंग नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पंचायत समिति, कुशलगढ़ की बिल्डिंग नहीं होने के कारण वहां काफी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि नयी बिल्डिंग की इसी सदन में घोषणा की जाये। जो बिल्डिंग बनी हुई है, वह राजा-महाराजाओं के जमाने की थी, उस बिल्डिंग में आज भी पंचायत समिति चल रही है। उनके पास पर्याप्त जमीन है, पंचायत समिति के पास करीब 100 हैक्टेयर जमीन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इसकी बिल्डिंग की घोषणा की जाये मेरे कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में बहुत सी पंचायत समितियों में पद रिक्त पड़े हैं, ए.ईएन., जे.ईएन., तो ये पद भरे जायें। एजेन्सी के थ्रू जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है तो समय पर उनको भुगतान किया जाये। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वे विकास अधिकारी के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच बोलता है कि सैक्रेटरी करेगा या बी.डी.ओ. करेगा या कलक्टर साहब करेंगे। ऐसे उनको कहा जाता है तो बहुत परेशान होकर विधायकों के पास पहुंचते हैं या एस.डी.एम. साहब, कलक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इनकी जो भी राशि है उस राशि का समय पर भुगतान किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पुखराज जी। प्लीज, एक बात का ध्यान रखिये, वैसे भी इधर से चार बचे हैं, ज्यादा बचे हैं चार से तो, पांच-पांच मिनट का टाइम सचेतक महोदय के माध्यम से आया है। आप भी पांच मिनट में समाप्त कर देना।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो इसमें सारे विभाग चाहे लाइट हो, पानी हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, उन सबका एक सामूहिक विकास बहुत जरूरी है। मैं बात करना चाहूंगा मेरे क्षेत्र की। मेरे भोपालगढ़ के अन्दर सड़क की बात करें तो बहुत सारे राजस्व गांव आज भी सड़क से जुड़े हुए नहीं

(श्री पुखराज)

हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी विकास पथ बनाने की, वह भी भोपालगढ़ में एक विकास पथ बना है।

माननीय सभापति महोदय, पानी की बात करें तो जे.जे.वाई. की जो स्कीम है, जो सरपंचों को हैण्डओवर कर रखी है वह बिलकुल फेल्योर है, उनके पास न तो संसाधन हैं, न बजट है। न तो उस कर्मचारी को पेमेन्ट करने के लिए उनके पास पैसे हैं और न बिल भरने के पैसे हैं तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जे.जे.वाई. स्कीम को वापस पी.एच.ई.डी. को हैण्डओवर किया जाये तभी ग्रामीण क्षेत्र की पानी की व्यवस्था सुचारु रहेगी और हम सही विकास की कल्पना कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, गांव के विकास की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो, शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो। शिक्षा के अन्दर जिन स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं उनको मेंटीनेंस की जरूरत है और ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं जहां संकाय आर्ट्स है तो वहां साइंस के टीचर लगा रखे हैं, जहां संकाय साइंस है वहां आर्ट्स के टीचर लगा रखे हैं तो इस टाइप की जो असमानता है जो लैक्चरर लगा रखे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि संकाय के हिसाब से शिक्षकों की स्कूल में नियुक्ति की जाये। स्कूलों में लाइट के कनेक्शन नहीं हैं, पानी के कनेक्शन नहीं हैं। मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र के 55 से 60 गांव, जो जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में आ गये हैं, वहां तो हालत और भी खराब है। वहां न तो पानी का कनेक्शन हो रहा है स्कूलों के अन्दर, न लाइट का हो रहा है, न आम आदमी को पट्टा मिल रहा है। गांव के अन्दर गरीब को पट्टा भी नसीब नहीं होगा तो दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका परिलाभ भी उनको नहीं मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में जो गांव आ गये हैं उनको पट्टा देने, पानी के कनेक्शन, लाइट के कनेक्शन की एन.ओ.सी. के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका साथी बोल रहा है, कृपया सुनिये। आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): ...ग्राम पंचायत को अधिकृत किया जाये। माननीय सभापति महोदय, नरेगा की बात करें, गांव के विकास की बात करें तो कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कृषि देश की जीडीपी को भी प्रभावित करती है तो

(श्री पुखराज)

कृषि क्षेत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब तक गांव और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की कल्पना करना ही बेकार है। कृषि को सौर ऊर्जा से जोड़ना चाहिये और उसमें सब्सिडी बढ़ानी चाहिये। साथ ही कृषि के अन्दर नवीन संसाधन, आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध करावें, ...

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): ताकि किसानों की कृषि के मामले में प्रोग्रेस हो। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरपंच संघ का मांग पत्र है उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि उनकी जो भी वाजिब मांग है, उसको माने। पंचायती राज को मजबूत करना है तो सरपंच को सही पावर देनी चाहिये तभी पंचायती राज मजबूत होगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना में विभागीय गलती से, विभागीय त्रुटि से जो नाम कट गये हैं उन नामों को मैं वापस जोड़ने का आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। साथ ही ग्राम पंचायतों की बकाया किश्तें समय पर जारी करें और जो गांव के विकास की बात करते हैं, जो एम.एल.ए. लैड फंड है, जो ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके अन्दर भी समय पर जिला परिषद् में एम.एल.ए. लैड का फंड नहीं आ रहा है और न समय पर उनके आदेश हो रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला परिषद् सीईओ को डाइरेक्शन दें कि जो एमएल.ए. लैड से अनुशंसा जारी हुई है समय पर उनका निस्तारण करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 और 41 पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। भारत में पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर में हुई। महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और 75 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। गांवों में अभी भी पानी, बिजली, सड़क, स्कूल बिल्डिंग, चिकित्सा सबकी सुविधा नहीं है। कारण है कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया और वहां कोई डवलपमेंट कर नहीं पाये। छोटा-मोटा जो डवलपमेंट हुआ है वह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आज कभी सरपंच हड़ताल कर

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

रहे हैं, कभी बी.डी.ओ. हड़ताल कर रहे हैं, कभी ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल कर रहे हैं, कभी जे.ईएन. हड़ताल कर रहे हैं, कभी ए.ईएन. हड़ताल कर रहे हैं। यह सब हड़ताल करने के लिए सरकार कहीं न कहीं जिम्मेदार है। जो सरपंचों से बैठ कर सरकार ने चर्चा की थी, समझौते की बात की थी उसकी पालना अभी तक नहीं हुई। आज सभी सरपंच लोग रोड पर हैं उनकी जो भी मांगें हैं माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को कहें उसकी पालना करे क्योंकि सरपंच इस पंचायती राज का बहुत बड़ा तंत्र है। उनकी तनख्वाह वगैरह भी बढ़ायें, प्रधानों की तनख्वाह बढ़ायें, जिला प्रमुख की तनख्वाह बढ़ायें। जो पंचायत समिति और जिला परिषद् सदस्य हैं उनको वास्तव में पंचायत समिति फंड से पंचायत समिति सदस्य को दस लाख रुपये मिलने चाहिये, जिला परिषद् फंड से जिला परिषद् सदस्य को, क्योंकि वो नाममात्र के होते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है और उनको जितनी सरपंच को तनख्वाह मिले उतनी ही पंचायत समिति सदस्य को मिले और जितनी प्रधान को तनख्वाह मिले उतनी जिला परिषद् सदस्य को तनख्वाह मिले ऐसी सरकार की तरफ से आज मंत्री जी शायद घोषणा करेंगे। मन में इनके है क्योंकि ये भी पंचायती राज से काफी जुड़े हुए हैं और मेरा मन कह रहा है कि कुछ न कुछ घोषणा पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य के लिए जरूर करेंगे।

सभापति महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों की काफी किस्तें बाकी हैं और सरकार ने उनको दी नहीं है। पंचायतें कैसे चल रही हैं, गांवों का विकास पंचायतें करती हैं, पंचायत समिति करती है, जिला परिषद् करती है उनका पैसा जो सरकार की काटी हुई किस्तें है वह पूरा पैसा दें और उनका विकास करवायें।

सभापति महोदय, नरेगा में जो 40:60 का रेश्यो है उसको भी खतम करें। यहां से प्रस्ताव बनाकर भेजें केन्द्र सरकार को और जितने भी किसान के कृषि के काम होते हैं उनको नरेगा से जोड़ें, इसको भी आप देखें। एक निवेदन यह है कि शहरों में तो साफ सफाई हो जाती है, गांवों में साफ सफाई होती नहीं है तो सरकार अलग से ऐसा कोई फंड दे, ऐसा कोई पैसा दे कि उनमें साफ सफाई भी अच्छी हो जाये, वहां साधनों के अभाव में जो भी टेम्पो वगैरह जो साफ-सफाई की गाड़ियां चाहिये उसकी व्यवस्था सरकार अपने लेवल पर करे, उसके बारे में भी सोचें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

सभापति महोदय, कर्मचारियों की भी काफी कमी है। जहां एक-एक दो -दो ग्राम विकास अधिकारी लग रहे हैं तीन-तीन, चार-चार पंचायतों पर, जे.ईएन नहीं है, ए.ईएन नहीं है, और इस सरकार के कार्यकाल में वास्तव में कर्मचारियों की खूब कमी है। माननीय सभापति महोदय, आप तो कलेक्टर रहे हैं और आपको तो काफी नॉलेज है। इस सरकार को, अभी मंत्री जी बोलें उस टाइम आप कहें कि कर्मचारियों के लिए कुछ कर लें क्योंकि साल-डेढ़ साल बचा है, उसमें कुछ कर लेंगे तो सरकार के लिए थोड़ा अच्छा हो जायेगा।

प्रशासन गांवों के संग अभियान चले, सरकार ने खूब वाहवाही लूटी पर धरातल पर कुछ नहीं हुआ। पट्टे तो पंचायत ऐसे ही दे देती है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुए हैं। कोई विकास के लिये पैसा दो, इस तरह का काम करो तो अच्छा होगा। एम.एल.ए. और एम.पी फंड के पैसे धार्मिक मंदिर वगैरह में नहीं लगते हैं। सभापति महोदय, इन मंदिर-मस्जिदों में कहां से पैसा आयेगा, कहां से डवलपमेंट होगा? एम.एल.ए. एम.पी. फंड का पैसा मंदिरों में लगे, मंदिरों का अच्छा डवलपमेंट हो। चूंकि धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है और धार्मिक आस्था के कारण ही आज आप देखो यूपी में कितनी सीटें आई हैं, वह एक बड़ा कारण है।

सभापति महोदय, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र को बहुत कम पैसा मिल रहा है। उनको अच्छा पैसा मिले, उनका मानदेय बढ़ाये और उनको परमानेंट भी करें। चुनाव के समय तो आपने खूब वाहवाही ले ली, उन लोगों के वोट भी ले लिये कि आपको परमानेंट कर देंगे, वह कर देंगे और कागजों में कुछ हुआ नहीं है। उनको परमानेंट कर दो वरना आपकी दशा बहुत बुरी होगी। सभापति महोदय, इतनी बुरी होगी कि मैं कह नहीं पा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं भैरोंसिंह शेखावत जी को धन्यवाद दूंगा कि इस पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण लागू किया और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को भी पूरे देश में जाने का मौका मिला। आज एससी, एसटी का जुड़ना भैरोंसिंह जी शेखावत की देन है, उनके कारण यह जुड़े हैं। आप सब लोगों को ताली, मेजें बजानी चाहिये कि भैरोंसिंह शेखावत जी ने एक अच्छा काम किया।

सभापति महोदय, पंचायत समिति की, जिला परिषद् की बैठकें होती हैं, उनमें अधिकारी नहीं आते हैं। ऐसा कोई निर्देश दें कि वहां के अधिकारी उन पंचायत समिति, जिला परिषद् की बैठकों में आये। सभी अधिकारी वहां उपस्थित रहें। पंचायत समिति की बैठकों में उन्हें फोन करके बुलाया जाता है

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

और वह आते नहीं हैं। जो अधिकारी नहीं आये उनको पाबंद करें, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करें।

पंचायतों में जनता जल योजना और दूसरी लाइटों के बिल हैं, पंचायतों को जो पैसा आता है वह उन लाइटों के बिल में चला जाता है। वास्तव में पंचायतों की हालत खराब है। सरकार अपने लेवल पर यह बिल जमा कराये। जो भी सरकारी मोटर हैं, उसके बिल सरकार अपने लेवल पर माफ कर दें, यह घोषणा कराने की कृपा करें।

सभापति महोदय, जो हैण्डपम्प वगैरह खराब होते हैं, इनका गर्मी में पी.एच.ई.डी. द्वारा अभियान चलता है और उसके बाद साल भर कोई देखने वाला नहीं है। इनको गाड़ी वगैरह भी उपलब्ध करायें और रेगुलर कोई ऐसी चीज हो सकती है तो वह करें।

श्री सभापति: कृपया अब कन्क्लूड कर लें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, पुश्तैनी पट्टों की प्रक्रिया बहुत जटिल है, उसको ठीक करें। पेरीफेरी में जो पंचायत आती है, उनको पट्टा देने का अधिकार भी नहीं है, उनका विकास भी नहीं हो पाता है, नरेगा का काम नहीं कर पाते हैं। मंत्री महोदय भी चले गये, उन पेरीफेरी की पंचायतों को भी देखें कि पेरीफेरी की पंचायतों को कैसे डवलप कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचें। (व्यवधान) जाने में तो अभी साल डेढ़ साल बाकी है, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो?

श्री सभापति: प्लीज, अपनी बात कहें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों का कैडर रिव्यू विचाराधीन है, उसका भी निर्णय करें ताकि उनका प्रमोशन हो सके। पंचायती राज में ग्राम पंचायतों में ठेके होते हैं, ठेकेदार 2-5 परसेंट लेते हैं। सरपंच आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वहां ठेका पद्धति बन्द करें और वह काम सरपंचों के लेवल पर कराये, इसके बारे में भी सोचें।

शहरों में तो बिजली अच्छी आती है, रात-दिन आती है। शाम को काटा-कूटी गांवों में होती है। गांवों के लोग थके हुए रात को आते हैं और वहां उनको 7 से 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक मच्छर खाते हैं और गांव के लोग खूब परेशान होते हैं। शहरों जैसी बिजली गांवों में कैसे आये, सरकार इस बारे में भी सोचे, नहीं तो साल डेढ़ साल बाद जब बी.जे.पी. राज आयेगा, उसमें सोचेंगे।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

गौरव पथ तो बीजेपी के कार्यकाल में खूब बने। इन्होंने खूब तालियां बजाईं, खूब वाह वाही ली कि हम विकास पथ बनायेंगे। इनको पूछो, कांग्रेस के विधायक भी जब मिलते हैं तो वह दुःखी होते हैं कि इस सरकार में तो घोषणा नहीं हुई, चन्द्रभान जी आपकी सरकार बने तो विकास पथ जरूर बनवाना। यह बना दें तो ठीक है, नहीं तो साल डेढ़ साल बाकी है, वरना हम बनायेंगे।

सभापति महोदय, एम.एल.ए., एम.पी. के चुनाव में तो तीसरी संतान की कोई दिक्कत नहीं है, वह तो लड़ लेते हैं। उनके 3-3, 4-4 संतान भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरपंच, जो पंचायत समिति, जिला परिषद् का चुनाव लड़ता है, उसमें तीसरी संतान वाले पेच को भी निकाले। एक एम.एल.ए., एम.पी. के 3-4 संतान हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिये या कॉआपरेटिव में चुनाव लड़ने के लिये, भूमि विकास बैंक के चुनाव लड़ने के लिये, इन सब चुनावों में आप यह राइडर लगा देते हो कि तीसरी संतान है, चौथी संतान है, इसको हटायें। पढ़ाई वाला तो आपने हटा दिया, यह भी आप हटा दें।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि इन छोटी मोटी दिक्कतों को खतम करें और मुख्य मंत्री जी से घोषणा कराएं। 10-10 करोड़ की रोड की जो बात हो रही है, माननीय सभापति महोदय, फिर इनके जो 8-10 जीतेंगे, उनको भी हम नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, आप इसकी भी घोषणा कराये और यह पैसा एम.एल.ए. को दिलायें और विकास करायें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री छगनसिंह जी।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम एवं मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास पर सुबह से चर्चा हो रही है। काफी सारे विषय बता भी दिये गये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि कई वर्षों से ओरण और गोचर में बसे हुए परिवार हैं उनके विद्युत कनेक्शन भी हैं, पानी का कनेक्शन भी है लेकिन उनको आवासीय पट्टे अभी भी नहीं दिये जा रहे हैं। इसके लिये कोई प्रावधान बनाकर आवासीय पट्टे दिये जाये। चाहे ओरण के

(श्री छगनसिंह)

बदले कोई दूसरी जमीन दे दी जाये। 50 बीघा जमीन है तो उसके बदले दूसरी 50 बीघा जमीन देकर उन्हें भी आवासीय हक दिलाया जाये जिससे वह भी अपने हक में रहे। अभी किसी ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करवा दिया और इससे वहां 400 मकानों को तोड़ने का आदेश आ गया। वह 400 मकान तीन-तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। इससे पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि अब हम कहां जाएं। सबके छोटे-छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, सब परेशान हो रहे थे। माननीय सभापति महोदय, ऐसे 400 घर एक साथ तोड़ने के लिये हाई कोर्ट ने आदेश दे दिये। पूरे राजस्थान में ऐसे कई गांव हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ओरण में 40-50 साल से बसे हुए परिवार हैं, गांव हैं, उनको आबादी में लेकर उन्हें भी आवासीय पट्टे दिये जायें।

दूसरा विषय है, गांवों की मुख्य समस्या पानी निकासी की होती है। हर गांव में गंदगी फैली हुई होती है। गांव का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास में सबसे पहले पानी निकासी का प्रबंध किया जाये। पूरे गांव का अगर ड्रेनेज सिस्टम सही होगा तो गांव स्वच्छ और सुंदर लगेगा। दूसरा, गांव के बाहर निकलते ही गांव की मुख्य सड़क पर पूरे गांव का कचरा डाल देते हैं। गांव में एंट्री करते हैं तो पूरी गंदगी वहां फैली हुई होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सभी ग्राम विकास अधिकारियों से एक आदेश निकाले कि गांव के एंट्रेंस पर जो कचरा डाला जाता है, वह वहां नहीं डाला जाये। गांव के साइड में एक डंपिंग यार्ड बनाये और उसमें गांव का सारा कचरा डाला जाय। गांव के एंट्रेंस में ऐसी गंदगी नहीं फैले, ऐसा करेंगे तो वास्तव में गांव सुंदर लगेगा। बारिश के समय वही पूरा का पूरा कचरा गांव में आ जाता है और इतनी गंदगी फैल जाती है कि गांव में जाना भी दूभर हो जाता है।

मैं तीसरा विषय आपको निवेदन करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने मांग रखी है कि नरेगा में कृषि कार्य को भी जोड़ा जाये। यह वास्तव में जनता के हित में रहेगा, किसानों के हित में रहेगा और नरेगा में जो भी काम कर रहे हैं, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा कि वह किसानी कार्य कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्य सुबह से मांग कर रहे हैं कि नरेगा में कृषि कार्य को भी जोड़ना चाहिये, इसको जोड़ा जाय।

श्री सभापति: कृपया अब कन्क्लूड कर लें।

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि एम.एल.ए., एम.पी. फंड में कई तरह के राइडर लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी किसी भी जाति विशेष का छात्रावास बना हुआ है, एससी, एसटी के छात्रावास बने हुए हैं, वहां हम विधायक मद से पैसा देना चाहते हैं तो उसमें कोई न कोई अड़चन आती है। इसमें शिथिलता देकर छात्रावास निर्माण के लिये एम.एल.ए., एम.पी. फंड से दे सकें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। इसमें शिथिलता होगी तो छात्रावास निर्माण में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आहोर उपखण्ड में एक टाउन हॉल की सख्त आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के तहत देखें तो आहोर में अगर एक टाउन हॉल बन जाये तो वास्तव में यह बहुत बड़ा काम होगा। माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की एक ही मांग है।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री छगनसिंह (आहोर): एक मिनट में। सरपंच संघ द्वारा जो मांग की जा रही है। जब प्रशासन गांवों के संग शुरू होने वाला था, उस समय सरपंचों ने हड़ताल की तो उन्होंने एक मांग रखी थी, तब सरकार ने कहा था कि हम आपकी सभी मांगें मान लेंगे। 'प्रशासन गांवों के संग' में सरपंचों ने सहयोग किया था। अब जब 'प्रशासन गांवों के संग' पूर्ण हो गया है। उनकी मांगें as it is हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंचों का जो मांगपत्र सभी 200 विधायकों के पास है, मुख्य मंत्री जी के पास भी होगा। जो-जो मांगें रखी हैं, विशेषकर उनका भत्ता बढ़ाने की, उनकी ठेकेदारी प्रथा को बन्द करने की। उसके बाद में जो पंचायत सहायक संविदा पर लगाये गये हैं, उनके द्वारा मानदेय दिया जा रहा है, वह भी बन्द करें, नहीं तो उनको पूरा विकास का फंड उसी मानदेय में पूरा हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पंचायतों को मजबूत बनाने के लिये इधर-उधर पैसा खर्च करवा कर सिर्फ और सिर्फ विकास में करवाया जाये। मैं इतना ही निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, आज गांवों के विकास पर चर्चा हो रही है। गांवों के विकास में मनरेगा योजना जो कि दिल्ली में मनमोहन सिंह

(श्री हाकम अली खां)

जी के टाइम पर हमारी पूर्ववर्ती सरकार लायी थी, वह रामबाण बनकर साबित हुई थी लेकिन अब उसमें कुछ बाधायें आ रही हैं। बाधायें ये आ रही हैं कि जब भी सामने बैठे माननीय सदस्य जिला परिषद् की मीटिंग में या जिला कलक्टर के यहां मीटिंग में बैठते हैं तो मनरेगा की बात आती है तो सरपंचों और ग्राम सेवकों को कहा जाता है तथा मनरेगा में वी.डी.ओ. को कहा जाता है कि आप मजदूर बढ़ाओ और मनरेगा में काम कराओ, लेकिन सरपंच कहते हैं कि काम तो कराते हैं, लेकिन सामग्री के पैसे नहीं आते हैं। दो-दो साल तक बजट नहीं आता है। सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने जो 25 सांसद हैं, उन सबसे यह कहें कि मोदी जी, जो मनरेगा की सामग्री का पैसा है, वह इन सरपंचों को दें तो गांव में जाकर लोग काम तो करें। मनरेगा में लोगों को मजदूरी मिले। ..(व्यवधान).. बात मनरेगा की हो रही है। मनरेगा के पैसे दिलाओ, दिल्ली से रिलीज कराओ। ईमानदारी से बात करो, आपके सरपंच भी रो रहे हैं। आपके सरपंच भी यही कह रहे हैं।

श्री सभापति: मेरी बात सुनिये। आपका और हमारा कोई नहीं है, सारे सरपंच अपने हैं।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सारे सरपंच रो रहे हैं कि, साहब, बजट नहीं आ रहा है। सामग्री के पैसे नहीं मिल रहे हैं। कहां से सामग्री लायें? दो-दो साल तक पैसे नहीं आ रहे हैं। इसलिये मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप बात करें और वहां से पैसे रिलीज करायें।

हमारी सरकार घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन योजना का जो कार्य कर रही है, उसमें हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गांवों में इसी योजना की क्रियान्विति में स्वाभाविक रूप से समय भी लगेगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र लगभग रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसके कारण गांवों में पेयजल की समस्या बनी रहती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। गांवों में जो ट्यूबवैल लगे होते हैं जो पुराने कुएं हैं, वे ही पीने के पानी का सोर्स हैं। इसलिए वहां पर, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, एन.जी.ओ. के द्वारा जो आर.ओ. प्लांट लगाये गये थे, उन आर.ओ. प्लांट का पांच-सात साल का पीरियड खतम हो चुका है। वे आरओ प्लांट या तो बिजली के कनेक्शन की कटौती के कारण बन्द पड़े हैं या खराब होने की वजह से बन्द पड़े हैं। मैं

(श्री हाकम अली खां)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका सर्वे कराकर उन आरओ प्लांट को दुबारा चालू करायें ताकि गांवों के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके।

सभापति महोदय, प्रदेशवासियों द्वारा अपने परिजनों के अन्तिम संस्कार हेतु, चाहे कोई जाति या धर्म का हो, चाहे श्मशान घाट हो, चाहे कब्रिस्तान हो, बहुत सारे गांवों की यह समस्या है। वहां जो बने हैं, वे बहुत सालों से बने हुए हैं। 60-70 या 100 सालों से वे बने हुए हैं। जो बने हैं, वे या तो गोचर भूमि में आ गये, या कोई बंजर, जोहड़ में आ गये, या वन विभाग में आ गये। उनमें कोई भी सरकारी पैसा नहीं लग सकता। जब सैंक्शन निकलती है, इसमें सरकार शिथिलता दे। श्मशान भूमि, कब्रिस्तान, स्कूल, हास्पिटल, जो भी ऐसी संस्था है, उनके लिये सरकार शिथिलता दे कि इनके अन्दर सरकार कोई विकास करा सकती है। ऐसी मेरी भावना है, मैं अवगत कराना चाहूंगा।

गांवों में देश भर में बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है जिसमें चोरी की वारदातों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र इन अपराधों का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइटें होती हैं, शहर में पुलिस चौकसी करती रहती है, गश्त करती रहती है, लेकिन गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, गांव में गांव के लोग ही गश्त करते हैं। इसलिये गांव के अन्दर भी सरकार ऐसी कोई योजना लाये, जिससे स्ट्रीट लाइट लगायी जा सके। जैसे मैन-मैन चौपाल हैं वहां पर। सीसीटीवी कैमरे लगा दिये जायें। अगर कहीं चोरी होती है तो कैमरे में चोर आ जाता है। उसको पकड़ने में पुलिस को थोड़ी सहूलियत मिलेगी। गांवों में भी ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे कि चोर पकड़ा जाये और गांव वालों को इसके दंश से छुटकारा मिले।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, झुंझुनू जिले में, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, इनकी कांस्टीट्यूएंसी में सोती गांव है, उसमें डेढ़ सौ घर ऐसे हैं कि वे गोचर भूमि में बसे हैं और हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि इनको तोड़कर यह जगह खाली कराओ। सरकार से निवेदन है कि उनकी भी कोई व्यवस्था की जाये। उनको सरकार क्षतिपूर्ति नियम के अनुसार दूसरी जगह पर जमीन दे। 60-70 साल से लोग बसे हुए हैं, लेकिन उनको अब बेघर किया जा रहा है। उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे।

(श्री हाकम अली खां)

मेरे फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग की सबसे बड़ी प्रोब्लम है। तकरीबन 25-30 गांव ऐसे हैं, वे वन विभाग में बसे हुए हैं। उनके यहां पर न कोई पानी की लाइन डाल सकते हैं, न बिजली का कनेक्शन करा सकते हैं, न कोई रोड बना सकते हैं। ऐसे जो गांव हैं, जो वन विभाग के अन्दर बसे हुए हैं उन गांवों का सर्वे करवाकर सरकार उनकी समस्या का समाधान करे। मेरे खुद के यहां पर एक हॉस्पिटल है, जो तकरीबन 60 साल पुराना हॉस्पिटल है। हम उसका जीर्णोद्धार कराना चाहे, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहे, उसको उप जिला अस्पताल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनाया है। समस्या यह है कि वह वन विभाग में आ गया, इसलिये वहां बिल्डिंग नहीं बना सकते। ऐसी जो जगहें हैं, उनको चिह्नित करके सरकार और मंत्री महोदय ध्यान दें।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड कर लें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): ठीक है। सभापति महोदय, मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं अनुशासित आदमी हूं। आपने बोल दिया तो ओके, धन्यवाद।

श्री सभापति: नहीं, आप कन्क्लूड करें। आपकी कोई बात रह गयी है तो बोलिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): थैंक यू।

श्री सभापति: श्री जगसी राम जी।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास को देखें तो आज गांव के विकास को लेकर दिन भर से चर्चा हो रही है। मुझे भी बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका आभार। जब तक गांव को सड़कों और परिवहन से नहीं जोड़ेंगे तो गांव का विकास नहीं हो सकता। जब परिवहन के लिये पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक ग्रामीण बस रोडवेज बस के नाम से चलायी जा रही थी, सरकार बदलने के बाद उसको वापस बन्द कर दिया। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि गांव का विकास यदि चाहते हैं तो उन बसों को वापस चालू करवाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों के अन्दर किसानों को व्यक्तिगत लाभ देने की सरकार ने जो योजना बनायी है, मैं समझता हूं कि वह गांवों में सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गयी है। सरकार उसको लागू करे और नीचे के स्तर पर किसानों को फायदा मिले।

(श्री जगसी राम)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आबादी के बढ़ने के बाद गोचर भूमि में मकान बना रहे हैं, तो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को निर्देशित करे ताकि वहां पर प्रस्ताव लेकर आबादी भूमि करे, वहां पर रहने के लिये पट्टे आबंटित कराये।

ये जो टोल हैं, पंचायत सीमा के अन्दर आने वाले जो टोल रोड हैं, यदि ग्राम पंचायत को मजबूत करना है तो टोल रोड के अन्दर आने वाले जो परिवहन है, उनकी जो टोल वसूली की जाती है, इसका ग्राम पंचायतों को अधिकार देना चाहिए। इसी तरह जो खनन विभाग है, खनन विभाग जैसे बजरी की रॉयल्टी लेते हैं, वह भी यदि ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो, उनको अधिकार दिया जाये तो सरपंच मजबूत होगा और ग्राम पंचायत का विकास होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो शिविर चालू किये थे, शिविर के माध्यम से पट्टे जारी किये और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील के अन्दर जाना पड़ता है। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि उसी शिविर के अन्दर प्रशासन के सारे अधिकारी लोग बैठते हैं। राजस्व विभाग भी उसमें बैठता है। उसी समय उनको फायदा दिया जाना चाहिये। कई बार गांव के जो पट्टेधारी हैं जिनको पट्टा मिलता है, ले जाकर घर में रख लेते हैं और दो साल के बाद में जाते हैं तो वह तो निरस्त माना जाता है और उसके ऊपर दूसरे को पट्टा दिया जाता है। आदर्श गांव यदि बनाना है, पुराने समय के जो तालाब हैं, बावड़ियां हैं, उनका गांव के लोग, प्रतिष्ठित लोग मिलकर सौन्दर्यीकरण करते थे और बारिश आने से पहले साफ -सफाई करते थे। गांव की रौनक बढ़ती थी। चौराहे पर भी अच्छा लगता था। तालाब और बावड़ियों को आदर्श तालाब के नाम से सरकार पैसा दे रही है लेकिन मैं समझता हूं वह कागजों तक ही है। धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ग्राम पंचायत को विकास के लिए यात्री प्रतीक्षालय, क्योंकि अभी हम लोग सामुदायिक भवन विधायक कोष से या..

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): सांसद कोष से दे रहे हैं, उसके अन्दर कहीं

(श्री जगसी राम)

न कहीं रोड़ा लगाते हैं कि बना हुआ है, बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यात्री प्रतीक्षालय के नाम से प्रत्येक गांव के चौराहे पर, अभी विधायक कोष से भी यात्री प्रतीक्षालय जो बनता है तो आने वाले यात्री और गांव के मौजूद लोग वहां बैठकर कोई सभा भी कर सकते हैं।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना, मार्च महीना चल रहा है। ग्राम पंचायतों के अन्दर बजट नहीं होने की वजह से बिजली के कनेक्शन काटे जाते हैं और गांव के लोग 15-15, 20-20 दिन परेशान हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों के अन्दर जनता जल योजना का अलग से बजट प्रावधान करें ताकि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर उनका बिल भर सके। पहले के जो बिल पेंडिंग चल रहे हैं, वे वर्तमान सरपंच क्यों भरेंगे? लम्बे समय तक ये बिल नहीं भरे जाते, कनेक्शन कटे रहते हैं और वहां पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र का जो टी.एस.पी. एरिया है, वहां वन अधिकार के जो पट्टे जारी किये जाते थे, अब वे बन्द होने के बाद में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो चालू की है, उसके अन्दर अगर उनका वन अधिकार का पट्टा नहीं है तो वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका मकान नहीं बन सकता है। यह एक प्रकार की दुविधा खड़ी हो जाती है।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों के अन्दर जो स्टॉफ है, पंचायत समिति रेवदर और आबू रोड का, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर जो स्टॉफ है, ग्राम विकास अधिकारी मात्र गिने-चुने हैं। वहां के सरपंच लोग उनको फोन करते हैं तो कहते है कि उस पंचायत के अन्दर है, उधर फोन करते हैं तो कहते हैं इस पंचायत के अन्दर है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत समिति के अन्दर पर्याप्त स्टॉफ लगायें ताकि गांव का विकास हो और क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। मैं आज इस मौके पर बताना चाहूंगा, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य मीटिंग्स में जाते रहते हैं, उनके पास में अधिकार नहीं है। अगर अधिकार नहीं होगा और बैठकों में जायेंगे तो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पायेंगे। उनको अधिकार दिया जाये और उनको मानदेय भी दिया जाये जिससे सही तरीके से वह काम कर सकें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, विधायक कोष वितरण में, हम लोग डिजायर जब देते हैं तो उसका सरलीकरण होना चाहिए। हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह बात कहीं है कि विधायक कोष के अन्दर सीधा-सीधा कोई भी विकास का काम होगा तो वह होना चाहिये। यदि हम चाहें कि एक सुरक्षा दीवार हम बनाना चाहते हैं तो उसमें कई प्रकार के रोड़े अटकाते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। वर्तमान में कई प्रकार के जैसे जिला परिषदों से ऐसे पाइंट लगाकर आते हैं कि ये लाइए, वो लाइए तो सरपंच लोग वहां पर देते-देते थक जाते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): अभी एक पाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। गांवों के अन्दर जिसका पुराना पुश्तैनी मकान है, एक बाप के चार बेटे हैं, उसकी मृत्यु होने के बाद में चार बच्चे जो एक ही मकान में रहते हैं, बाद में एक मकान में वह नहीं रह पाते हैं तो सरकार उनके लिए भी पट्टे जारी कर उनके रहने के लिए व्यवस्था करे। वे इतने पूंजीपति नहीं होते हैं, सामान्य परिवार के होते हैं, जमीन खरीद नहीं सकते और वहां पर रहने की उनको दिक्कत आ रही है।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, माननीय सभी सदस्यों ने बात कहीं है। मैं भी सरकार से कहना चाहूंगा कि आप धन्यवाद साहब।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 व 28 पर विचार

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 28 पर सदन में बोलने का मौका दिया। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को आईना दिखाना चाहती हूं कि आपने गांवों को शहरों जैसी सुविधा देने का प्रदेश की देवतुल्य और भोली-भाली जनता को जो असत्य झांसा दिया है, वह विगत तीन वर्षों में दिखाई दे रहा है। प्रत्येक पंचायत में विकास पथ बनाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट घोषणा की थी, मुझे सोजत की 50 ग्राम पंचायतों में इस पथ को ढूंढना पड़ रहा है लेकिन मिल नहीं रही है। यह इनके ग्रामीण विकास का एक नमूना है। दूसरी ओर आपकी सरकारी मशीनरी जनता को धक्के खिला रही है। आपकी जानने की इच्छा है तो मैं बता देती हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं के फॉर्म भरने के लिये सर्वर के नाम पर गरीबों से पैसे वसूले जाते हैं। राजस्थान प्रदेश महिला उत्पीड़न, दलित अत्याचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों में तो प्रथम आ चुका है। आपने भ्रष्टाचार के मामले में भी प्रथम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। मेरे यहां मगरा क्षेत्र की हालत ये है कि बच्चे लाइट का स्विच तक नहीं जानते हैं। उनको शिक्षा नहीं मिल रही। उनके माता-पिता रोजगार के अभाव में भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मन दुःखी होता है जब मैं खरणीखेडा, साण्ड मगरा जैसे गांव के मार्गों से गुजरती हूं, जब पैदल महिलाएं सिर पर पानी लेकर आती है दो-दो किलोमीटर दूर से, यह मंजर देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं।

महोदय जी, मैं लोगों को ऐशो-आराम की सुविधा देने की बात नहीं कर रही हूं लेकिन मूलभूत आवश्यकता जैसे चिकित्सा, शिक्षा, भोजन, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो, उनकी मांग मंत्री जी से करती हूं। विगत तीन वर्षों से मांग कर रही हूं कि रोडावास, पोकरिया नाड़ी, खांखरा, भंवर बाटा, लाखारा खेत, खेजड़ी का बाला, सागर माला, गजनई जैसे कई राजस्व ग्राम हैं, जहां डामर सड़क तो दूर ग्रेवल सड़क भी नहीं बनी हुई है। इससे ज्यादा दुःख की बात ये है कि आज दिन तक इस वेंटीलेटर की सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि यहां रहने वाली जनता का दोष इतना ही है कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया है। महोदय, परेशानी मुझसे है, जनता से थोड़े ना

(श्रीमती शोभा चौहान)

है। मैं मांग रखती हूं कि इन गांवों में तत्काल सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये एवं पंचायत मुख्यालय से जोड़ा जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के छोटे गांव बरियाला में रपट बनाने की विगत तीन वर्षों से मैं मांग कर रही हूं। यह गांव बारिश में टापू बन जाता है। कई दिनों तक गांव का सम्पर्क टूट जाता है। सोजत की पश्चिम ग्राम पंचायतें सूखाग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। इन 16 ग्राम पंचायतों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, रोजगार के संसाधनों की कमी है। इसलिए राजोला, चोपड़ा, चारवास, रूपावास, मेव, खारिया नींव, रेपडावास, सरदार समंद, दुरासिनी, सुरायता, दुपेला, धाकड़ी, धीनावास और बिलावास, इन ग्राम पंचायतों हेतु विशेष बजट की मैं मांग रखती हूं ताकि इन ग्राम पंचायतों में भी सड़क पानी की व्यवस्था के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

महोदय जी, जल संरक्षण हेतु पंचायतों के माध्यम से छोटे-छोटे एनिकट बनाए जायें क्योंकि आपने तो भाजपा सरकार की जल स्वावलंबन योजना को बन्द कर दिया है। ये एकमात्र उपाय बचा था। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां पर कई छोटे-मोटे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, इन आयोजनों में इनकी आवश्यकता पड़ती है। मैं आपके माध्यम से छीतरिया, रूंदिया, भूटेला, नोख, सिंगला, हाजीवास ऐसे कई सोजत के राजस्व गांव हैं जहां भवन नहीं है, वहां भवन बनाने की मांग रखती हूं। आपकी सरकार ने पंचायत के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम तो चलाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आपने कभी जमीनी हकीकत जानी? पेड़-पौधों को पनपाने हेतु तारबंदी की आवश्यकता होती है। जल पिलाने की भी आवश्यकता होती है। अब आप ही बताएं कि विधान सभा क्षेत्र में जनता को पीने के लिए पखवाड़े में एक बार पानी आता है तो पेड़-पौधों को कहां से पिलायेंगे? इसीलिए आपकी ये योजना जमीनी स्तर पर शत-प्रतिशत फेल है। इस तरह जनता के पैसों की बरबादी मत कीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड कीजिए।

(समय: 20.00 बजे)

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): महोदय जी, जनता के पैसों की बरबादी मत करो। मगरा क्षेत्र की सात पंचायतों में सैकड़ों परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित है।इसके पीछे एक ही कारण है कि सरकारी महकमे को रिश्वत देने

(श्रीमती शोभा चौहान)

हेतु इनके पास पैसे नहीं हैं। ये ईमानदार लोग जंगल से लकड़ी काटकर, बरसात के पानी को पीकर, अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगी कि यहां विशेष अभियान चलाकर इनको पट्टे दिये जाये ताकि इनकी मूलभूत सुविधाओं में इनको लाभ मिल सके।

इस सरकार में अगर कोई दु:खी है तो वह गाय है। भूखी-प्यासी गाय मर रही है। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि मंत्री महोदय आप विधायक कोष से हमें चारा बांटने की अनुमति प्रदान करें।

सभापति महोदय जी, यह सरकार अगर वास्तव में ग्रामीण विकास कराना चाहती है तो सोजत विधान सभा के प्रत्येक गांव, आबादी क्षेत्र में, सीसी सड़कें, प्रत्येक राजस्व गांव में सामुदायिक भवन, ग्रेवल सड़कें, पंचायतों के माध्यम से बारिश के जल का संग्रहण हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाये, जिससे जनता का भला हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज साढ़े छह घंटों की चर्चा में, 41 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। करीब 175 कटमोशन आये, उनका जवाब 24 घंटे के अन्दर दे दिया जायेगा। चर्चा के दौरान जो सुझाव आये, उन माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूं।

मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर, आज बहुत बहुमूल्य चर्चा हुई। अपनी बात कहने से पहले मैं सभापति जी आपको और चर्चा में शामिल माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान जो विचार व्यक्त किये गये, निश्चित रूप से राजस्थान राज्य के लिये, इन चर्चाओं का परिणाम बड़ा सार्थक होगा। जनता के हित के लिये जो भी अच्छे सुझाव आये हैं, उनका समावेश करके, एक कार्य योजना बनाई जायेगी। आज पंचायती राज शहर के निकट से लेकर राज्य के अंतिम छोर पर, जहां पर हमारे आम जन, गरीब, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सभी समुदाय के लोग रहते हैं। पंचायती राज की हमारी जितनी भी योजना है, ग्रामीण विकास की, उस गरीब के घर तक, उस अंतिम

(श्री रमेश चन्द मीना)

छोर तक, हमारे विकास की योजना, उस तक पहुंचे। उसकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो। उसको वहां का स्थानीय रोजगार मिले, हम इसका प्रयास आप सभी के सहयोग से करेंगे। ऐसी कोशिश करेंगे कि वह आत्मनिर्भर बने।

मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज सदन में जो चर्चा हुई है, ग्राम स्वशासन की चर्चा हुई है, स्वराज की चर्चा हुई है। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा, हमारी जो प्राचीन परम्पराएं थी, उन प्राचीन परम्पराओं को हमारी कांग्रेस पार्टी ने कैसे निभाया है, उस बात के लिये मैं प्रयास करता हूं अपनी बात रखने का।

प्राचीन कालीन ऐतिहासिक परम्पराओं से प्रारम्भ कर वर्तमान स्थिति में जो हमारे पर्याय विकास के रहे, कांग्रेस में पर्याय रहे, वह बनाये और आगे भी हमने उसको बढ़ाया। भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, ग्राम स्वराज की परम्पराएं प्राचीन काल से चली आ रही है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध के समय लिच्छवि, चेदि, मल्ल, वज्जि आदि गणराज्य लोकतांत्रिक शासन पद्धति से शासित हो रहे थे। लिच्छवि गणराज्य, विश्व के इतिहास का प्रथम गणराज्य माना जाता है। मैं इस ओर सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिकाल में बौद्ध गणराज्य के दौरान ग्राम स्वशासन, ग्राम सभा संस्थागार, (मतदान) प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू थी। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है।

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रिय हितम्।।

प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिये। जो स्वयं को प्रिय लगे, उसमें राजा का हित नहीं है। उसका हित तो जो प्रजा को प्रिय लगे, उसमें है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार का काम है कि जनता के हित में कार्य करे। जनता सुखी तो सरकार सुखी। जनता दुःखी तो, हमारा जनसेवा का जो काम है वह करना व्यर्थ है। हमारी ऐतिहासिक परम्परा चोल साम्राज्य के समय, स्थानीय ग्राम स्वशासन का उल्लेख कांचीपुरम जिले के उत्तरमेरूर अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में ग्राम पंचायत के गठन, विभिन्न समितियों का निर्माण, सफाई कर, भूमि सिंचाई आदि विषयों का उल्लेख है। चोलों के अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सु-संगठित था।

(श्री रमेश चन्द मीना)

राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियां थी जिनके सदस्य अवैतनिक थे। मतलब है कि जनसेवक के रूप में काम करते थे। उनका कार्यकाल एक वर्ष का होता था। वह अपने शासन के लिये स्वतंत्र थे। सम्राट आदि भी उनकी कार्यवाही में, कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे।

कांग्रेस ने इसी ऐतिहासिक परम्परा को निभाते हुए ग्राम स्वशासन हेतु पंचायती राज व्यवस्था लागू की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक परम्परा को संरक्षित रखा है। हमारे देश को अंग्रेजों के राज से मुक्त कराने के लिये सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी कांग्रेस का एक अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में आयोजित हुआ जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाषचन्द्र बोस थे। वह भी एक कांग्रेसी थे। इस अधिवेशन के दौरान ग्राम स्वराज की व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श हुआ और एक संकल्प पारित किया गया।

संविधान सभा द्वारा, 26 नवम्बर, 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ जिसके अन्तर्गत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 40 में, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्रत इकाई के रूप में, कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक है, इसकी व्यवस्था की।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, इसकी भी व्यवस्था की। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगा। इसी के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन, रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ कर ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास का ढांचा तैयार किया। गरीब भूमिहीन परिवारों को पलायन से रोकने के लिये 100 दिन का रोजगार प्रारम्भ किया। कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना को मिलाकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की। गरीब परिवारों को सम्बल देने के लिये फूड फॉर वर्क

(श्री रमेश चन्द मीना)

कार्यक्रम चलाया, ताकि कोई गरीब व्यक्ति भूखा न सोये। इतने कार्यक्रम चलाने के बाद भी, जब कुछ लोग वंचित रह गये तो सभी पात्र लोगों को काम देने के लिये काम का अधिकार अधिनियम बनाया जिसमें प्रत्येक काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार मिल सके।।

भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के लिये, पंचायती राज व्यवस्था का श्रीगणेश, राजस्थान की पवित्र धरा से 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया गया जिसमें हमारे लिखमाराम चौधरी, नागौर के, देश के प्रथम जिला प्रमुख बने। वह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर था। लोकतंत्र का सही अर्थ अब्राहिम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के द्वारा, जनता के लिये शासन है। यह पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ही चरितार्थ होता है। इसे मूलभूत स्वरूप प्रदान करने का कार्य संविधान निर्माताओं ने किया है जिसको लागू करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा अग्रणी रही।

सन् 1993 में, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री, सम्माननीय नरसिम्हा राव जी द्वारा 73वां संविधान संशोधन किया। संविधान के भाग में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया जिसमें ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, चुनाव, आरक्षण, सदस्यों की योग्यता, विषयों के हस्तांतरण की व्यवस्था की गयी। माननीय सभापति महोदय, यह भी कांग्रेस द्वारा किया गया।

महात्मा गांधीजी यह कहा करते थे कि सच्ची आजादी ग्राम स्वराज की स्थापना करना ही है जिसकी शुरुआत कतार में लगे अन्तिम व्यक्ति से होनी चाहिए। हरेक गांव में पंचायत का राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता होगी, इसका मतलब यह है कि गांव का प्रत्येक नागरिक अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र हो। हमारी सरकार बापू के सपने को साकार करने के लिए निरन्तर यह कार्य कर रही है।

अभी हमारी सरकार में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। 57 नयी पंचायत समितियां बनायी गयीं। 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। यह पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। हमारे देश में देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इस

(श्री रमेश चन्द मीना)

बहुसंख्यक आबादी को सशक्त बनाना है तो मजबूत पंचायती राज व्यवस्था बनानी होगी।

देश में 02 अक्टूबर, 1952 से सामुदायिक विकास के कार्य हमने प्रारम्भ किये तो जहां बात आती है महात्मा गांधी नरेगा योजना की तो घनी आबादी वाले शहरों में, गांवों से लोग पलायन करने लगे तो वहां पर रोजगार की समस्या हो गयी। वहां सरकार ने एक निर्णय लिया कि काम के अधिकार के तहत एक अधिनियम बनाया जाये और इन लोगों को काम दिया जाये जिससे पलायन रोका जाये।

बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार काम का अधिकार अधिनियम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 लागू किया, जिसमें शारीरिक श्रम करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को पंजीकृत करवाकर अपनी इच्छा अनुरूप काम की मांग कर सकता है। सरकार उसको 15 दिन के भीतर काम पर नियोजित करने के लिए बाध्य होगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

हमारे माननीय जो विधान सभा के अध्यक्ष हैं, उनके समय में जब वे भारत सरकार में थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान थी, उस समय इस योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम किया गया। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ही थे जिनके निर्देशन में पंचायत समिति और प्रत्येक ग्राम पंचायत में आई.टी. सेंटर के रूप में राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण हुआ। राज्य में 247 पंचायत समिति, 8,747 ग्राम पंचायतों में यह केन्द्र बनाये गये लेकिन क्या हुआ? हमारी सत्ता चली गयी और विपक्ष को यह उपलब्धि रास नहीं आयी। उन्हें काम करते तो नहीं बना, 25 दिसम्बर, 2014 को इन भवनों का नाम परिवर्तित कर अटल सेवा केन्द्र कर दिया। यह नाम परिवर्तन माननीय न्यायालय एवं आमजन ने स्वीकार नहीं किया। बेहतर होता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटलजी के नाम जैसे ग्राम सड़क योजना थी, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में तत्कालीन सरकार अगर कोई योजना चलाती तो अच्छा होता।

मैं मेरी बात माननीय मुख्य मंत्री के दिशा-निर्देश के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 की बात करें तो 69 लाख 70 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। 40 करोड़ 2 लाख मानव दिवस सृजित किये

(श्री रमेश चन्द मीना)

गये। इस वित्तीय वर्ष में 42 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाना प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा राज्य इस योजना की क्रियान्विति में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान उत्तरप्रदेश जैसी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य से बराबरी करते हुए गत वर्ष 53 लाख लोगों को एक दिन में नियोजित किया, यह बहुत बड़ी बात है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10,192 करोड़ रुपये व्यय हुए जिसमें श्रम मद में 7,476 करोड़, सामग्री मद में 2,143 करोड़ और प्रशासनिक मद में 572 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

नरेगा योजना में अर्द्ध-कुशल, कुशल श्रमिकों, मेट्स, बी.एफ.टी. एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की मजदूरी, मानदेय का भुगतान सामग्री मद से किया जाता है, जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया था। सामग्री मद में राशि भारत सरकार से 12 महीने से, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इसका भुगतान समय पर नहीं हो पाता है तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता और हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि अब एक साल हो गया हमें, आपका उसका मैटिरियल कम्पोनेंट का पेमेंट नहीं मिला है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यावहारिक नहीं हैं। अर्द्ध-कुशल है, कुशल है, मेट है, इनको इस प्रशासनिक मद को, इसको इस आपके मैटिरियल कम्पोनेंट में जो समय पर नहीं मिल पा रहा है, उसको अलग करना चाहिए तो आप हमारी बात भारत सरकार में रखें और यह व्यवस्था में सुधार करें कि एक गरीब व्यक्ति जो कारीगर है, वह एक साल तक कैसे रहेगा? फिर उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो इस व्यवस्था को आप ठीक करायें। हमने यह पत्र भी लिखा है तो आप इसमें यह सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा।

योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य में सामग्री मद में 1,589 करोड़ रुपये का भुगतान अभी बकाया है। अभी हमारी राज्य सरकार से 144 करोड़ रुपये एडवांस लेकर इनका भुगतान किया। भारत सरकार से सामग्री मद का पैसा समय पर दिलवाने में, यह दुबारा मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसमें सहयोग करें। हमारी एक दूसरी, भारत सरकार के दिशा-निर्देश से हमने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से श्रमिकों के नियोजन कार्यों पर वर्तमान में राज्य की 8,940 ग्राम पंचायतों में मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें हम भारत में सैकण्ड स्थान पर रहे हैं।

(श्री रमेश चन्द मीना)

माननीय मुख्य मंत्री की मंशा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 6 लाख 79 हजार परिवारों ने 100 दिवस पूरे किये हैं और 81 से 89 दिवस पूरे करने वाले परिवारों की संख्या 14 लाख 60 हजार है। इनमें भी करीब लगभग 10 लाख परिवारों के 100 दिवस पूरे करने की सम्भावना है।

इसी बात को हम आगे वित्तीय व्यवस्था में जो हमारा नेक्स्ट टार्गेट है, उसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस का रोजगार देने का निर्णय, एक आम आदमी, एक गरीब को रोजगार मिलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और उसकी स्थानीय रोजगार की जो समस्या है, उसमें भी थोड़ा-बहुत उसको आर्थिक स्थिति में सपोर्ट मिलेगा।

गत सरकार के कार्यकाल में पांच वर्षों की प्रगति और वर्तमान सरकार के कार्य की प्रगति की तुलना करें, वैसे दे दिये हैं दो-तीन पाइंट, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता था पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं ज्यादा उस पर जाना नहीं चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो हमने जो काम किया है, पांच वर्ष की उपलब्धियों से तीस से चालीस परसेंट उपलब्धि हमने ज्यादा अर्जित की है नरेगा में। आपके कार्यकाल में 90 करोड़ 38 लाख मानव दिवस सृजित किये गये जबकि हम तीन साल में ही 132 करोड़ 59 लाख मानव दिवस सृजित कर चुके हैं। इसी प्रकार आपके द्वारा 21,333 करोड़ रुपये का व्यय पांच साल में किया गया जबकि हम 28,748 करोड़ रुपये का व्यय तीन साल में कर चुके हैं। आपके कार्यकाल में 8 लाख 89 हजार कार्य पूर्ण कराये गये जबकि हमारे द्वारा 11 लाख 98 हजार का कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करवाया गया।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विगत वर्ष में मानव दिवस सृजन के 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों में भी, जो मैंने बताया कि प्रथम स्थान पर रहे हैं। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में द्वितीय स्थान पर रहे हैं। हमने मनरेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रोजगार की मांग के लिए मतलब, टोल फ्री नम्बर दर्ज करवाने हेतु संचालित टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 का व्यापक प्रचार किया है कि उक्त टोल फ्री नम्बर पर कोई भी रोजगार की मांग के साथ जानकारी ले सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। यदि उसको काम नहीं मिलेगा तो 15 दिन में उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा और इस पर भी बेरोजगारी भत्ता जो स्टेट देता है, उसकी हमने फाइल

(श्री रमेश चन्द मीना)

चला दी है और आगे बढ़ा दिया है, उसके नियम बना रहे हैं क्योंकि यह काफी दिनों से, काफी लम्बे समय से यह काम, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा था। व्यक्तिगत कार्यों को बढ़ाया जायेगा, ये भी माननीय सदस्यों के विचार आये और हमारी कोशिश भी है कि व्यक्तिगत काम जो हमने किये हैं, 2020-21 में करीब 1 लाख 75 हजार लोगों को व्यक्तिगत लाभ के काम दिये हैं। 2021-22 में 1 लाख 91 हजार और 2022-23 में 10 लाख 92 हजार काम हमने दिये हैं। दूसरी बात आयी कि मैटों को रोटेशन के आधार पर लगाया जायेगा। हम एक आदेश निकालेंगे, मेटों को पाबन्द किया जायेगा कि किसी प्रकार की आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में आप लोगों से पहले भी चर्चा हो चुकी है, विधान सभा में प्रश्न भी लगे हैं, उनका जवाब भी हमने दिया है। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान 10 लाख 25 हजार आवासहीन परिवार थे। भारत सरकार से इन्दिरा आवास में प्रतिवर्ष 50 से 60 हजार के लक्ष्य प्राप्त हो रहे थे। इन लक्ष्यों के हिसाब से हम चलते तो 20 वर्षों में भी हम इन 10 लाख 25 हजार आवासहीन परिवारों को पक्का मकान नहीं उपलब्ध करवा सकते इसलिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक तीन साल में 10 लाख आवास के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री बीपीएल आवास फ्लैगशिप योजना लागू की जिसमें हुडको के द्वारा 3,700 करोड़ रु. का लोन लिया गया और 6 लाख 80 हजार एवं 3 लाख 20 हजार इन्दिरा आवास सहित कुल 10 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाये गये। ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन कच्चे मकान में निवास करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की इन्दिरा आवास योजना को शुद्धिकरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से वर्ष 2016-17 में लागू की गई। केग 2011 के आंकड़ों के आधार पर ग्राम सभाओं के सत्यापन, जिला स्तरीय अपीलाण्ट समिति के अनुमोदन के उपरान्त स्थायी वरीयता सूची बनाकर आवास सोफ्ट पर अपलोड की गई। हमारी वर्तमान सरकार ने जो काम किये हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 10 लाख 28 हजार आवास स्वीकृत किये गये। इनमें से 7.75 लाख आवास पूर्ण हो गये हैं। आवास योजना में गत सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में कुल 10 हजार 731 करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि हमने तीन वर्ष में 8 हजार 164 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

(श्री रमेश चन्द मीना)

पात्रता सूची में 47 हजार 320 भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा प्राथमिकता से आवासीय भूखण्ड उपलब्ध करवाये हैं। फिर बात आती है, आप लोगों ने भी चर्चा की है और प्रश्न भी किये हैं कि हमारे करीब 7 लाख 67 हजार अपलोड करने से शेष रह गये 23 लाख 57 हजार में से। उसके लिए हमने भारत सरकार को लैटर भी लिखा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी पत्र लिखा। उसके बावजूद भी हमारे पात्र जो जुड़ने चाहिए थे, वह नहीं जुड़ पाये। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से हमें परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद में उनको अपलोड कराया गया जो 15 लाख 90 हजार बचे हुए थे। उसमें उन कार्ड को इन्वाल्व किया गया और अपलोड किया गया तो 2 लाख 6 हजार 509 नाम अपात्र हो गये। ऑटो सिस्टम से रिजेक्ट हो गये। करीब हमारे 7 लाख 67 हजार और 55 के करीब ये हैं, 9 लाख 22 हजार नामों के लिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप भारत सरकार से जुड़वा दें। इसमें आप हमारा सहयोग करें क्योंकि बात आयी थी कि पूरे देश में एक साथ अपलोड हो रहे थे। सर्वर डाउन की समस्या थी या तकनीकी समस्या थी या स्टाफ की कमी थी, किसी कारण से ये नाम रह गये तो 9 लाख के करीब जो नाम हैं, भारत सरकार से हम आग्रह कर चुके हैं। इस सन्दर्भ में हमने करीब 11 पत्र भी लिखे हैं और माननीय केबिनेट मिनिस्टर गिर्राजजी से मैं पर्सनल भी मिला हूं कि हमें किश्त भी समय पर मिले और ये नाम भी जुड़ जायें और कुछ जैसे 1 लाख 55 हजार जो पात्र व्यक्ति पाये गये, वह सर्वे में हमें मिला तो यह अधिकार राज्य सरकार को दे दें। उसमें शिथिलता दे दें। यहां जो पात्र व्यक्ति हैं, उनके नाम हम जोड़ सकें। इस सन्दर्भ में मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता तथा सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा इसमें सहयोग करें तो करीब 9 लाख 22 हजार व्यक्ति वास्तव में वंचित रह गये हैं उनको जुड़वाने का प्रयास करें। 25 लोक सभा के माननीय सांसद महोदय हैं, 10 राज्य सभा के माननीय सदस्य हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इन गरीबों के आवास के लिए अगर पैसा समय पर मिलता है तो गरीब को लाभ होगा और उनकी दुआएं आपको मिलेंगी।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के माध्यम से यह राजीविका योजना 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था कि गरीब महिलाएं गरीबी के उस दुष्चक्र से कैसे आगे निकलें और उनको कैसे स्वरोजगार मिले। इसके लिए महिलाएं मुख्य धारा से कैसे जुड़ें,

(श्री रमेश चन्द मीना)

संगठित हों, समाज में अपनी भागीदारी निभायें। इसी के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद् द्वारा राज्य के समस्त 352 उपखण्डों में 2 लाख 48 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जिसमें 28 लाख 26 हजार ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। 19 हजार 472 ग्राम संगठन और 561 क्लस्टर फैडरेशन सीएलएफ गठित किये गये हैं। राज्य के 1 लाख 83 हजार स्वयं सहायता समूहों को 1 हजार 79 करोड़ 56 लाख राशि विभिन्न गतिविधियों में उपलब्ध करवायी गयी है। राज्य के स्वयं सहायता समूहों को 2 हजार 794 करोड़ रुपये का ऋण बैंकों से भी उपलब्ध करवाया गया है। ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, स्वाबलम्बी बनें, इसका प्रयास निरन्तर किया जा रहा है। राजीविका स्वयं सहायता समूहों का जो एनपी है, जो बैंक से लोन लेते हैं, मात्र 2 परसेंट है। वह अच्छा काम कर रही हैं और गरीब महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। स्वरोजगार के प्रति महिलाएं जागरूक हुई हैं। संगठित होकर समाज में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और कहीं कोई प्रोब्लम आती है, तो स्वयं सहायता समूहों के बीच सामूहिक चर्चा होती है। वहां महिलाएं इकट्ठी होती है। किसी भी तरह की कहीं भी सामाजिक समस्या है या प्रशासनिक समस्या है तो इकट्ठी होकर प्रशासन से मिलती हैं और अपनी समस्या का समाधान कराती हैं। उनमें आत्मविश्वास जागा। उसके परिणामस्वरूप एक जिला प्रमुख है अभी, चार पंचायत समितियों में प्रधान हैं, सात जिला परिषद् सदस्य हैं, 32 पंचायत समिति सदस्य हैं, 247 सरपंच हैं। इस तरह कुल 775 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में जन प्रतिनधि निर्वाचित हुई हैं। हमारी रूडीजा स्वयं सहायता समूह की श्रीमती बड़जी, भीलवाड़ा की जिला प्रमुख हैं। इसी तरह गजानन्द स्वामी समूह से श्रीमती ललिता देवी, पंचायत समिति सांवला, जिला डूंगरपुर और श्रीरामकन्या पंचायत समिति मनोहरथाना, झालावाड़, गुड्डी देवी, पंचायत समिति चामू, जिला जोधपुर और श्रीमती हकरी देवी, पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़ से प्रधान निर्वाचित हैं। राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। आपने भी किया और हमने भी किया। इस तरह से निर्धन महिलाएं, हम चाहते हैं, आप लोगों ने तो घोषणा की कि बैंक स्थापित हों लेकिन हमारा भी प्रयास है, हमने मुख्य मंत्री जी के सामने बात रखी है और शायद हमारी मांग पूरी हो जायेगी, अनुदान की मांग है, उसके जवाब में।

इसके अलावा राजीविका के माध्यम से हाड़ौती अंचल के कोटा, बारां,

(श्री रमेश चन्द मीना)

झालावाड़ जिले में 42 हजार परिवारों को आगामी 5 वर्षों में मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन कर लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सांगोद में मिल्क चिल्ड प्लान्ट लग गया है जिसमें करीब 7 हजार 200 परिवारों के द्वारा 9 हजार लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया जा रहा है।

इसी प्रकार 17 करोड़ 39 लाख की लागत से फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी के माध्यम से 18 हजार 346 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में निर्धारित किया गया है। ये परिवार हाड़ौती अंचल, कोटा-बारां जिले के होंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद को संरक्षण देने हेतु राज्य के विभागों को बिना निविदा के एक लाख तक के उत्पाद खरीदने का प्रावधान किया है और अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हाट बाजारों की घोषणा की थी, यह भी महिला स्वयं सहायता समूह, जिसमें नोन कृषि के काम करेंगी। कोई दुकान लगाए, कहीं अलग बकरी का काम करे, मुर्गी बेचने का काम करे, कोई उत्पाद है, कोई डिजाइन करे, कोई कशीदे का काम करे। विभिन्न प्रकार के जो वर्क हैं महिलाओं के, उनकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ाने के लिए हमें उनको बैंकों से लोन दिलाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी कुछ एड मिले तो एक निधि के रूप में बड़ा बैंक हो, आन्ध्रा में हमने जो देखा है, वहां से लोगों से जो जानकारी ली है, एक बड़ा सिस्टम डवलप हुआ है तो वहां की राजनीति में भी बड़ा उबाल आया है। महिलाओं पर लोग डिपेंड हो गए हैं कि स्वयं सहायता समूह किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, यह पॉवर-पोलिटिक्स वहां एक मजबूत हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं पंचायती राज के बारे में। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा तो बहुत की। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। अपनी पार्टी के बारे में भी बताया कि पंचायतों का सशक्तिकरण कैसे हो, ग्राम सभाओं का आयोजन कैसे होता है, यह भी आप जानते हो। मैं माननीय पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से, मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि विधायक तय कर ले कि इस पंचायती राज को सशक्त बनाना है, तो हम बना सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि जिसकी भी सरकार होती है, वह अपने पॉवर-पोलिटिक्स से गेम करता है। लेकिन जब गेम करता है और सही ध्यान नहीं देता तो जनता तक वह योजनाएं नहीं पहुंच पातीं, जो अन्तिम छोर पर व्यक्ति रहता है, उसको लाभ नहीं मिलता, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं

(श्री रमेश चन्द मीना)

होती तो उसका जवाब, जो आप लोग बैठे हैं सामने, आपको मिल चुका हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभा का आयोजन होता है, हमको कोई पता नहीं होता कि कैसे हो रही है या नहीं हो रही है। ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित प्लान बनता है। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वार्षिक योजना बनती है, जिला परिषद् में आती है। पंचायत समिति में हम विधायकों का क्या रोल है? कितनी मीटिंग अटेण्ड करते हैं, जिला परिषद् में हम कितनी मीटिंग अटेण्ड करते हैं और नरेगा है, वह तो एक तरह से ऐसा बन गया है कि राजनेताओं के लिए एक भीड़ लाने का एक सिस्टम बन गया है कि कहां से भीड़ आएगी, नरेगा से भीड़ आएगी। इस सिस्टम को अगर सुधारना है तो हमें जब भी पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग हो, जिला परिषद् की साधारण सभा की मीटिंग हो, तो वहां पर आप जाएंगे। गम्भीरता से विचार होगा, अधिकारी भी आएंगे और वह जवाब भी तय करेंगे कि अगली बार भी एम.एल.ए. साहब पधारेंगे, मंत्री जी पधारेंगे तो इसका जवाब देना होगा, इसका काम करना होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में आप सुधार कर सकते हो, तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, तो क्या हो रहा है कि सरपंचों की जो बात आप सभी ने कही, उसमें यह ध्यान नहीं दिया कि सरपंच ऐसी कौनसी मांग कर रहे हैं। ऐसा कोई विशेष गम्भीर विषय है तो हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जब से हमने सोशल आडिट शुरू की है, मोबाइल-मानिटरिंग सिस्टम को लागू किया है, तो धरातल पर गुणवत्ता चाहिए, हमें काम चाहिए। कोई कितना भी विरोध करे। हम ईमानदारी से काम करेंगे। आपको दिखाएंगे, आपका सहयोग होगा कि राजस्थान में पंचायती राज पहले से चल रहा था, अब चलाएंगे इसको। धरातल तक, वहां नीचे तक काम होगा। लोग कहेंगे कि अब काम हो रहा है। कोई अधिकारी और जन-प्रतिनिधि हो, यदि गलत काम करता है, अनियमितता करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल आडिट हो रही है। वर्ष में दो बार होगी और सभी पंचायत समिति में होगी, वह सब आप जानते हैं कि सोशल आडिट जाती है तो घर-घर जाती है, ग्राम सभाएं होती हैं, उसमें पढ़कर सुनाती हैं तो कुछ लोगों को डर पैदा हो गया कि हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी, लेकिन हम इसको रोकेंगे नहीं। जरूर

(श्री रमेश चन्द मीना)

होगी, गुणवत्ता आनी चाहिए और धरातल पर काम होना चाहिए। गरीब को काम मिलना चाहिए, यह हमारा प्रयास है। इस इकाई के अन्तर्गत लगभग हम 30 हजार पदों पर मानदेय आधार पर रोजगार देंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमने कोविड पीरियड में भी अच्छा काम किया। हमारे जन-प्रतिनिधियों ने भी अच्छा काम किया, कर्मचारियों ने भी अच्छा काम किया। कहीं कोई कमी नहीं आने दी। नरेगा के काम अच्छे हुए और उसके बाद में हमारे जो बचे हुए काम हैं जन-प्रतिनिधि चुनकर आए, उनको प्रशिक्षण नहीं करा पाए। उनकी संख्या करीब सवा लाख है, तो हमें अभी मौका मिलेगा तो उनको व्यावहारिक ज्ञान की, कानून की जानकारी, उनके नियम-कानून क्या हैं, यह सारी चीजें अब हम करवाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और आती है कि हमारी सरकार ने जो शिक्षा का राइडर था, उसको हटा दिया और जो अनुभवी लोग और कुशल लोग वंचित थे, क्योंकि एक सीमित दायरा हो गया था, जब लोक सभा में कोई शिक्षा का दायरा नहीं है, कोई पात्रता नहीं है तो एक ऐसी बात लग रही थी कि यह ठीक नहीं है तो इस निर्णय को हमने लिया और उसमें शिक्षा के राइडर को हटाया। आप लोग कह रहे थे कि बड़ी प्रॉब्लम हो गयी, अशिक्षित लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुल जन-प्रतिनिधियों की साक्षरता प्रतिशत 96.7 प्रतिशत है। जिला परिषद् सदस्यों की साक्षरता प्रतिशत 99.01 प्रतिशत है, पंचायत समिति सदस्यों की साक्षरता प्रतिशत 95.28 प्रतिशत है, सरपंचों की साक्षरता दर 96.47 प्रतिशत है। इसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिला परिषद् में ग्रेजुएट भी आए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल आए और इसी तरह पंचायत समिति में भी अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, सरपंचों में भी अच्छे लोग आए हैं, तो आप इस बात को कह रहे थे कि अब क्या होगा। उनकी अनियमितताएं तो यह बैठे हैं हमारे पूर्व दोनों मंत्री जी, इनके समय की भी फाइलें पड़ी हुई हैं अनियमितताएं हो रही हैं, तो उनके खिलाफ भी हमने श्रेणीवार उनको डिसाइड किया है कि इनकी जांच समय पर हो और जहां अभियोजन स्वीकृति देनी है, वहां देंगे लेकिन कहीं राजनीतिक कारण से कोई व्यक्ति फंसा है, तो उसको हम देखेंगे कि वास्तव में गलत फंसा है और रूल्स नियमानुसार सही है तो उसके लिए प्रयास करेंगे कि उसको कम-से-कम सज़ा मिले।

(श्री रमेश चन्द मीना)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा प्रकरण है कि कभी-कभी सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही होती है। पोलिटिकल या बिना पोलिटिकल या अनियमितताएं करता है तो वह आरोपी बनता है और सम्भागीय आयुक्त के द्वारा जो नियम बने हुए हैं, धारा 38 में सरपंच को घर बिठा दिया जाता है। अब हमने तय किया है कि उसमें एम.बी. किसने भरी, जे.टी.ए. ने भरी, उस पर साइन किसने किये, बी.डी.ओ. ने किये, लेखा शाखा के अधिकारी ने किये, सहायक अभियन्ता ने किये तो वह दोषी नहीं है क्या? वे भी दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी हम आगे कार्यवाही करेंगे और वे भी नहीं बच पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी 5 हजार 396 ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा माह दिसम्बर, 2021 में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और माह मई, 2022 में मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पद होने के कारण पंचायत कार्यालय में दिन में खुलने की शिकायतें हमें आती थीं, और ग्राम विकास अधिकारी के पास दो-दो, तीन-तीन ग्राम पंचायतें होती थीं, तो अब हमने एक काम किया है कि कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारी को लिंक आफिसर के रूप में हम उससे कार्य करवाएंगे, जिससे जगह खाली नहीं रहेगी। जहां ग्राम विकास अधिकारी नहीं है और वहां कनिष्ठ सहायक है तो उसको यह चार्ज दिया जाएगा और उससे काम कराएंगे। हम चाहते हैं कि पंचायती राज का सशक्तीकरण हो, पंचायती राज के राजीव गांधी केन्द्र पर तीन या चार हमारे आदमी बैठें, जो डिपार्टमेंट के हैं और वहां लोगों की समस्या का समाधान हो। वहां पर पता लगे बोर्ड पर कि आज कहां काम चल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वह सारी जानकारी उसको राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर मिले। इसके लिए मैन पॉवर की कमी है तो हमने कुछ डिसाइड किया है कि जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, रिटायर्ड अभियन्ता हैं, जो जे.टी.ए. 10 ग्राम पंचायतें सम्भाल रहा है, कहीं 5 सम्भाल रहा है। अब वहां पर बेरोजगार अभियन्ताओं को, रिटायर्ड अभियन्ता को जे.टी.ए. के पद पर जब तक भर्ती नहीं हो जाती है, तब तक इनसे हम अपना काम चलाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमने एक काम और किया है। हमारी जे.ईएन. की जो भर्ती है 2,100 पदों की, इसमें कुछ प्रक्रियाधीन हैं। वह भी हम शीघ्र भर्ती करेंगे।

(श्री रमेश चन्द मीना)

हमने ग्राम विकास अधिकारियों को सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी और विकास अधिकारी पर प्रमोट किया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने पूर्व के समय में पदों में पदोन्नति का 25 प्रतिशत प्रावधान किया था। अब हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने 25 से बढ़ाकर 50 परसेंट किया है। इससे क्या होगा कि हमें विकास अधिकारी मिलेंगे। आरआरडीए से ऊर्जावान मिलेंगे। इन दोनों को मिलाकर अनुभव मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो जो पद खाली रहते हैं, उनको हम भरेंगे। इससे पंचायत समिति में आपको विकास अधिकारी मिलेगा। इसी तरह से हर पंचायत समिति में आपको सहायक अभियन्ता मिलेगा। यह हमारी पूरी कोशिश है। जो ग्राम विकास अधिकारी सपने में भी नहीं सोचता था कि मैं एक विकास अधिकारी बनूंगा, बी.डी.ओ. बनूंगा, यह हमारी सोच है। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के दिशा-निर्देशों से ही हुआ है।

हमारी सरकार द्वारा 2019 में 57 नई पंचायत समितियां, 1,456 ग्राम पंचायतों के गठन के उपरान्त जिन पंचायत समितियों में, जिन ग्राम पंचायतों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, उनमें से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नवीन भवनों का निर्माण कराया जायेगा। 48 पंचायत समिति भवनों में एवं 1,368 ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है। 1,248 ग्राम पंचायत भवनों के कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। जिनमें से 1,058 कार्य प्रगति पर हैं तथा 161 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 15 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं 4 प्रगति पर हैं।

राजस्थान में पंचायती राज के कार्यों की सरल मानिटरिंग के लिये ई-पंचायत पोर्टल संचालित किया गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं को समन्वित करते हुए बीएसआर, लैब टेस्ट आदि की सुविधा विकसित की जायेगी। इसके अलावा अभी तक आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए पंचायत समितियों और जिला परिषदों में लैब तो बना दिये लेकिन यह क्रियान्वित नहीं थे। क्वालिटी मेंटेंन नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाता है कहीं से निकलकर रास्ते में तो उसको कह दो कि पंचायती राज का काम है तो वह कहेगा कि क्या देखेंगे पंचायत का काम है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन अब हम चाहते हैं क्योंकि इस क्वालिटी कंट्रोल की सेल स्टेट लेवल से जिला लेवल पर अलग से

(श्री रमेश चन्द मीना)

बनेगी, और नियमित रूप से इस क्वालिटी को चैक किया जायेगा जिससे गुणवत्ता में सुधार हो।

वैसे तो हमारे पास नई पंचायत समितियां हैं। पंचायतों का गठन हुआ हैं। नये पंचायत भवन हम बना रहे हैं। रिक्त पदों को भर रहे हैं। फिर भी हमारे पास कम ही लोग हैं। उन कम लोगों से ही हम अच्छा काम करें, यह हमारी सोच है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि, 'अपने लक्ष्य में असीम श्रद्धा रखने वाले मुट्ठी भर लोग भी इतिहास बदल देते हैं। इसी तरह से हमारा काम है कि हम इस काम को आगे बढ़ायें।

इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रशासन गांवों के संग अभियान जो चला, उनकी मंशा थी कि गरीब आदमी का काम ग्राम पंचायत के हैड क्वार्टर पर हो। वहां पर 19 से 22 विभागों के कर्मचारियों ने नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार काम किया। लोगों को पट्टे दिये, नामान्तरण खुलवाये, रास्ते बनवाये। विभिन्न विभागों के बहुत सारे ऐसे काम थे, जो वहां मौके पर किये। कुछ काम अभी अधूरे रह गये हैं। जैसे अभी पट्टों की बात आयी कि हमने 10 लाख 13 हजार पट्टे दिये। कुछ पट्टे अभी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी कारणवश प्रोसीजर में समय लग रहा है, वह अलग बात है। यदि वास्तव में इसमें यदि कोई कोताही बरत रहा है, लापरवाही बरत रहा है तो उस जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। इस तरह हमने राजस्थान में 10 लाख 13 हजार पट्टे दिये। प्रमाण पत्र 4,31,728 दिये। शौचालय निर्माण का भुगतान 87,055 को किया। अभियान में नामान्तरण, हस्तांतरण 23,827, भूमिहीन परिवारों को 16,453 पट्टे जारी किये। घुमक्कड़, भेड-पालक, गडरियों को 2,904 और आबादी विस्तार के प्रस्ताव 11,354 प्रस्ताव पारित किये। यह काम हमने किये।

उसके अलावा 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत 5,863 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 1,83,291 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 15वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत 3,794 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 1,05,261 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। राज्य वित्त आयोग पंचम योजनान्तर्गत 4,753 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 1,63,667 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। राज्य वित्त आयोग षष्ठम का गठन किया जाकर योजनान्तर्गत 674 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 10,301 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत 68 करोड़ रुपये की राशि

(श्री रमेश चन्द मीना)

व्यय कर 168 काम पूर्ण किये हैं। स्वच्छ भारत मिशन, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण 11,37,842, सामुदायिक शौचालय सीएचसी 17,961, ओडीएफ प्लस घोषित 1202, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण अन्तर्गत 2024-25 तक गांवों में नियमित शौचालय उपयोग एवं ठोस, तरल कचरा प्रबन्धन के कार्य सुनिश्चित कर सम्पूर्ण राजस्थान के गांवों को स्वच्छ, ओडीएफ प्लस गांवों के रूप में विकसित किया जायेगा।

यह हमारे अधिकारियों ने मुझे लिखकर के दिया है। लेकिन इस बात से मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ओडीएफ प्लस की परिभाषा या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ओडीएफ प्लस क्या है? मेरी समझ में यह है कि पूरा गांव स्वच्छ हो, ड्रेनेज सिस्टम सही हो, सड़कें स्वच्छ हों और वहां का वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ हो। इनका इसमें यह है कि मैजिक पिट बन गया। सोख्ता गढ़ढा बन गया। हम इसको चैक करवाएंगे कि वास्तव में वह ओडीएफ प्लस 1,202 हैं या नहीं हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के जो काम चल रहे हैं उनको भी हम देखेंगे कि पैसा बराबर जा रहा है कि नहीं? शौचालय बराबर बन रहे हैं क्या? हकीकत में 12 हजार में कितने शौचालय बन रहे हैं? एक ही परिवार में कितने शौचालय बने। इसकी भी विधायकों ने शिकायत की है, उसकी भी हम जांच करवायेंगे।

जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, यह प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना के अन्तर्गत वर्क होता है। उसका मुख्य उद्देश्य जो मैं समझ पाया हूं, वह यह है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रीचार्ज करना है। सैकण्ड, जो सतही पानी है उसको रोकना है। उसके माध्यम से कृषि योग्य भूमि बनानी है। किसानों के लिए सतही पानी को रोककर सिंचाई के साधन और वहां के आसपास का जो एरिया है, उसको सेचुरेटेड किस प्रकार से किया जाये लेकिन जो काम हो रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा आपसे करता हूं। आगे मैं मेरी बात कहूंगा कि दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 3 वर्षों में अब तक हमने 2,593 करोड़ के व्यय किये एवं 17 लाख हैक्टेयर भूमि को 1 लाख 20 हजार जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य करवाकर उपचारित किया गया है जिसमें 4,500 गांवों के डेढ़ लाख परिवारों को सीधा लाभ उनके खेतों में सिंचाई सुविधा होने से हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी जल संचीय योजना 2019 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रारम्भ की है। योजना का प्रथम चरण 4,029 गांवों में प्रारम्भ किया गया। उत्साहजनक परिणाम को देखकर

(श्री रमेश चन्द मीना)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 2022-23 के बजट में 2,600 करोड़ की घोषणा की है, जिसमें राज्य के सभी पंचायत समितियों में और 4,500 गांवों की 20 लाख हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया जायेगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 1,857 करोड़ रुपये की 145 परियोजना आगामी 3 से 5 वर्ष हेतु स्वीकृत की हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है।

यह अधिकारी हमें बता रहे हैं, लेकिन यह योजना पहले बन गयी। इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसमें कौनसे काम होने हैं, उस खेत की मेड़ को पलटना है, उस खेत में दुबारा काम होना है, सरफेस बैरियर बनना है या एनिकट बनना है, इसकी जानकारी हम करेंगे। हमने यह निर्णय लिया है कि अब जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुधार के लिए जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा कमेटी बनाकर कार्यों के भौतिक सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

जल ग्रहण परियोजनाओं की डी.पी.आर. का अनुमोदन एवं योजनान्तर्गत किये गये खर्चों की चर्चा हेतु जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों की बैठकों में जल ग्रहण विकास कार्यों पर चर्चा का एक स्थायी एजेंडा होगा। हमारे जो जन प्रतिनिधि हैं चाहे हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे जिला परिषद् के सदस्य हैं, प्रधान है, जिला प्रमुख है, विधायक है, उनको पता नहीं होता है कि काम कहां चल रहा है और क्या काम चल रहा है। अब वहां पर चर्चा होगी, एजेंडा बनेगा तो आप पता करेंगे कि काम अच्छा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, पैसा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। यह जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि इसका आप लोग ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी करवाया जायेगा। राज्य स्तर से प्रशासनिक, तकनीकी और लेखा अधिकारियों की टीम गठित कर उक्त विभाग द्वारा करवाये गये तीन वर्षों के कार्यों की भी जांच की जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी जल संचय योजना अन्तर्गत जो लाइन डिपार्टमेंट है, उसमें महात्मा गांधी नरेगा है, पी.डब्ल्यू.डी. है, पी.एच.ई.डी. है, जल संसाधन है, वन विभाग है, इन लाइन डिपार्टमेंटों में जो

(श्री रमेश चन्द मीना)

काम होता है उसमें सी.ई.ओ. और कलेक्टर दोनों चर्चा करते हैं, सी.ई.ओ. पेमेंट कर देता है। लाइन डिपार्टमेंट का भौतिक सत्यापन किसी ने नहीं किया। जैसे मैं वन विभाग की बात करूं, वहां पर टेंडर नहीं होता है, विभाग ही काम करता है तो हम चाहते हैं कि किसी विभाग में, लाइन डिपार्टमेंट में काम हो रहा है तो वो टेंडर के माध्यम से हो और जो टेंडर व्यवस्था देखी है अभी, मुझे समय कम मिला है, तो कामों का जो परसेंटेज आफ वर्क है, उन टेंडरों को देखा तो मैं देखकर दंग रह गया कि बीस परसेंट से लेकर बासठ परसेंट तक बिलो है। मैंने यह पाली में देखा है, पुष्पेन्द्रजी आपके वहां पर मैंने देखा है, कामों को चैक भी किया, वहां पर अधिशाषी अभियन्ता और एस.ई. को ए.पी.ओ. भी किया और जे.ईएन. को सस्पेंड भी किया। हम चाहते हैं कि जो पैसा भारत सरकार, राज्य सरकार के रेश्यो से पैसा लग रहा है वो धरातल पर आना चाहिए और जो ग्रामीण लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। वह लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आने वाले समय में ये टेंडर हो रहे हैं, इनको ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर क्लब करके, टेंडरों को इकट्ठा करवायेंगे, जिसमें टेक्निकल बिड होगी, फाइनेंशियल बिड होगी, तो कम से कम जो ठेकेदार है उसकी जिम्मेदारी तो बनेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे। छोटे-छोटे कामों, 50-50 हजार, 1-1 लाख के कामों को बांटकर, इतनी संख्या में काम हो जायेंगे। किसने किया किसने नहीं किया, यह पता ही नहीं लगेगा तो इस तरह से हम व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, इसमे सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की कुछ अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा मानना है हिम्मत मत हारो क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रति विधायक आबंटन राशि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सवा दो करोड़ से पांच करोड़ की उसके लिए उनका मैं आभार प्रकट करता हूं क्योंकि आप लोगों ने मांग रखी और उस मांग को उन्होंने पूरा किया। इस बात पर तो आप विपक्ष के नेताओं को ज्यादा बधाई देनी चाहिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने आपकी बात मानी और आपको पांच करोड़ रुपये राशि मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज रोड की भी चर्चा हो रही थी, 10

(श्री रमेश चन्द मीना)

किलोमीटर की रोड मिल रही है, दो-तीन सदस्यों ने इसके बारे में कहा। आपके समय में हमें क्या मिला? वो आपको ही पता है कि हैंडपम्प नहीं मिला है आज तक मुझे, आपने भी पांच साल तक देखा है।

माननीय सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष में 318.47 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसमें 7,666 स्थायी प्रकृति की अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया। सांसद कोष के माध्यम से दो वर्ष से हमें कोई पैसा नहीं मिला है। 2021-22 में 5 करोड़ के स्थान पर 2 करोड़ रुपये की राशि रिलीज हुई है इसमें 108.44 करोड़ रुपये व्यय कर 1,981 कार्य पूर्ण किये गये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष में विकास रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना प्रारम्भ की गयी। 2021-22 के दौरान 26.63 करोड़ रुपये का व्यय कर 208 विकास कार्य करवाये गये। मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत अलवर, भरतपुर जिले के 14 खण्डों में वर्ष 2021-22 में 12.95 करोड़ रुपये व्यय कर 347 कार्य पूर्ण किये गये। मगरा क्षेत्र में, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमन्द जिलों के 16 खण्डों में 5.41 करोड़ रुपये व्यय कर 92 कार्य पूर्ण किये गये। डांग क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 8 जिलों में 26 पंचायत समितियों में 2.88 करोड़ रुपये व्यय कर 110 कार्य पूर्ण किये गये। उक्त तीनों योजनाओं में आगामी वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 25-25 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, इसमें विकास के कार्य नहीं हुए क्योंकि इसकी गति मैंने अभी देखा है, जो चलनी चाहिए वो चल नहीं रही है। इसको हम देखेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि रोक दें तो मैं इसको रोक देता हूं। इसको देखकर वैसे हमारे जो कार्य हैं 180 करोड़ की राशि के विरुद्ध 143.83 करोड़ राशि व्यय की गयी है। कुल 6,563 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, 4,083 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में माननीय सांसदों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक 2019 से 2024 के दौरान कुल 175 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना है। केवल 69 ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदों द्वारा किया जाना है। इसी तरह से माननीय सांसदों की एक समिति बनी हुई है उसमें वो समीक्षा करने के लिए कम आते हैं तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जिला लेवल की कमेटी जो उनकी अध्यक्षता में होती है,

(श्री रमेश चन्द मीना)

उसमें वो आयेंगे और योजनाओं की समीक्षा होगी तो हमारी जो योजनाएं हैं सेंटर गवर्नमेंट की तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य के चार सीमावर्ती जिलों, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में योजना संचालित है। योजना में 64.97 करोड़ रुपये से 455 कार्य कराये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, बायोफ्यूल, डीजल को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सर्वप्रथम देश में बायो डीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का उद्घाटन, शुभारम्भ 07.11.2020 को किया। राज्य में विक्रय हेतु प्रतिदिन 6 लाख लीटर बायो डीजल का उत्पादन प्रारम्भ हुआ है एवं लगभग 150 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है तो ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने के लिए अखाद्य तेलीय पौधों का महात्मा गांधी नरेगा व विभागों द्वारा इसके लिए समुचित पौधारोपण किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की कुल 73 बजट घोषणाएं, जन घोषणाएं एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणाएं, मंत्रिमण्डलीय निर्णय में 59 पूरी की जा चुकी हैं, 11 प्रगति पर हैं, 3 का कार्य प्रारम्भ किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब घोषणा करूं? (व्यवधान) और भी है मेरे पास बोलने के लिये। (व्यवधान) घोषणाएं तो आप लोगों की ही होती हैं, मैं तो कोशिश करूंगा कि ये काम हो जायें समय पर उसके लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि जो बात मैं यहां पर कहूं तो वो काम पूरे हों।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं से कन्वर्जेंस कर चरणबद्ध रूप से गांधी विकास पथ का निर्माण करवाया जायेगा, जिसमें लगभग प्रथम चरण में 1,750 करोड़ रुपये व्यय कर 2,500 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा। इसमें आप सब विधायकों का सहयोग भी जरूरी है। आपको हम ऐसी सड़क बनाकर देंगे जैसी पी.डब्ल्यू.डी., मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनती है। उससे कम क्वालिटी की नहीं बनेगी पर इसमें आपका सहयोग होना चाहिए। जिन ग्राम पंचायतों में विधायक यह बनवाना चाहते हैं तो एवरेज अलग-अलग हो सकता

(श्री रमेश चन्द मीना)

है पर 15 से 20 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत में एक किलोमीटर रोड का खर्चा आयेगा। बाकी हम कन्वर्जेंस से कराकर देंगे और हमारी जो योजना है उसमें किसी प्रकार का गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। एम-30 की इंटरलाकिंग टाइल्स होंगी तो एम-30 की होगी, एम-25 की होगी तो एम-25 की ही होगी, उसके लिए हम अभियन्ताओं की एक कमेटी का गठन करेंगे। उसके द्वारा प्रस्ताव पास होगा, फिर साइट पर लगेंगी। यदि कहीं कोताही बरती जाती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी उन अभियन्ताओं की होगी। हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग मिले तो हम कुछ रोड्स प्रथम चरण में बनाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर उसे आगे बढ़ायेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के प्रारम्भ में नागौर जिले की भूमिका एवं इसके ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए नागौर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज केन्द्र की स्थापना की जायेगी। आधारभूत संरचनाओं के विकास में पचास ग्राम पंचायतों में नवीन भवन निर्माण पर 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, पुराने 200 पंचायत भवनों की मरम्मत करायी जायेगी। इस पर करीब 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(समय: 21.00 बजे)

200 ग्राम पंचायतों में 8 करोड़ रुपये की लागत से कामन सर्विस सेंटर बनाये जायेंगे। पंचायती राज नियमों के तहत जिला परिषद् की साधारण सभा, जो तीन महीनों में होती है, एक बार बुलाने का प्रावधान है। आम जनता की समस्याओं और आप लोगों के फीडबैक के आधार पर समस्याओं का समय पर निवारण नहीं होता है तो अब हम जिला परिषद् साधारण सभा की बैठक 90 दिवस के स्थान पर 45 दिवस में बुलाने के नियमों में संशोधन करेंगे। साथ ही, जिलास्तरीय समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में कभी-कभी हमारे प्रभारी सचिव, वे भी जब साल भर में अपने जिलों में जाते हैं तो वे भी एक साधारण सभा में, जिला परिषद् में जाएं और राज्यस्तरीय अधिकारियों को भी भाग लेने हेतु हम पाबन्द करेंगे।

हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जब जिले के दौरे पर जाएं तो ऐसा समय देख लें, जब जिला परिषद् की मीटिंग तय हो। प्रभारी मंत्री जायेंगे तो उस मीटिंग में गम्भीरता आयेगी, उसके परिणाम आयेंगे और लोगों के काम होंगे। तकनीकी विकास को देखते हुए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को कम्प्यूटर मय प्रिंटर उपलब्ध करवाये जायेंगे। तकनीकी

(श्री रमेश चन्द मीना)

अधिकारियों के रिक्त पदों पर जब तक भर्ती नहीं होती, वैसे मैंने इसके बारे में पहले बोल दिया, बेरोजगार अभियन्ताओं, सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को जिलेवार पैनल तैयार कर तकनीकी सेवाएं ली जायेंगी।

जन प्रतिनिधि, जो अच्छा काम करते हैं, उन्हें पुरस्कार दिये जायेंगे। पंचायतों की पहले की अलग व्यवस्था है, यह जन प्रतिनिधियों और कार्मिकों के पुरस्कार की बात है। जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें हम पुरस्कार देंगे और सम्मानित करेंगे। ग्राम पंचायतों को भूमि का रिकार्ड संधारित कर लैंड बैंक बनाया जायेगा, जिससे हमारी पंचायतों की निजी आय हो। काफी जगह चरागाह हैं, कहीं कृषि भूमि है, कहीं किसी इंडस्ट्री ने उस पर एन्क्रोचमेंट कर रखा है, कहीं हाईवे पर आ रही हैं तो जहां कहीं अच्छी जमीन होगी, वहां पर हम कहीं हमारे महिला समूह के लिये कोई मॉल बना दें या कोई ऐसी व्यवस्था कर दें या कोई इस तरह का कमाई का साधन, तो पहले हम लैंड बैंक बना रहे हैं कि हमारी कितनी भूमि है, उसके बनने के बाद हम तय करेंगे।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में जल ग्रहण विकास योजनाओं को समन्वित कर कृषकों की आय बढ़ाने के लिये आगामी दो वर्षों में 50 हजार फार्म पॉण्ड, डिग्गी, टांकों का निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से कराया जायेगा। इससे लगभग 10 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। योजना में पात्र लाभार्थियों की भूमि पर लगभग 5 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण किया जायेगा, जिस पर साढ़े सात करोड़ रुपये व्यय होंगे।

ग्रामीण विकास राजीविका में 2 लाख परिवारों को कृषि एवं पशु गतिविधियों से लाभान्वित किया जायेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 100 पंचायत समिति मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से राजीविका स्टोर, राजीविका कैफे खोले जायेंगे। राजीविका में 3 शिल्पकारी क्लस्टर खोले जायेंगे, जिनमें दौसा, टोंक में चमड़े के बैग, जूते, मोचड़ी का निर्माण होगा, चूरू, बीकानेर, बून्दी में बन्धेज का कार्य होगा, बाड़मेर और बीकानेर जिले में कशीदाकारी के लिये क्लस्टर की स्थापना की जायेगी। इससे इन समूहों की महिलाओं को आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसी तरह राजीविका द्वारा 1,300 लघु उद्योगों की स्थापना की जायेगी।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अन्य योजनाओं से अभिसरण से 2 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में सुलभ शौचालय की तर्ज पर 4 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण करवाया जायेगा। जल ग्रहण

(श्री रमेश चन्द मीना)

विकास के माध्यम से राज्य की समस्त 352 पंचायत समितियों में ब्लाक स्तरीय में हरित केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक ही स्थान पर पंचायत की चरागाह भूमि पर चरागाह विकास का कार्य, वानिकी पौधारोपण कार्य, हरित ऊर्जा, बर्मी/बायो कम्पोस्ट, नवीन सिंचाई तकनीक का प्रयोग एवं जल संरक्षण की पारम्परिक व नवीनतम गतिविधियों का प्रयोग किया जायेगा और प्रत्येक केन्द्र पर 35 से 40 लाख रुपये की लागत आयेगी। इन्दिरा गांधी पंचायती राज को सशक्त किया जायेगा और इसमें विभिन्न योजनाओं के हमारे अलग-अलग जगह कार्यालय हैं, उनका एक ही जगह भवन इन्दिरा गांधी पंचायती राज में निर्माण कर एक ही स्थान पर संचालित किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास एवं अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पारित की जाएं।

मांग संख्या 41 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 99,09,97,78,000/- (निन्यानवे अरब नौ करोड़ सतानवे लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,39,04,76,000/- (अठारह अरब उनतालीस करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.07 बजे बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सायरा का तहसील में क्रमोन्नयन

317. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया है?

(2) क्या सरकार गोगुन्दा तहसील की उप-तहसील सायरा को तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन तहसील/उप तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने हेतु भी उक्त मापदण्डों अनुसार ही कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

(2) जी नहीं। उप तहसील सायरा में कुल 16 पटवार मण्डल हैं।

उप तहसील सायरा को तहसील में क्रमोन्नत किया जाना राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा नवीन तहसील/उप तहसील के सृजन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस मेडल के लिए नामित अधिकारी

318. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पुलिस मेडल के लिए विगत दो वर्षों में किन-किन आर.पी.एस. अधिकारियों के नाम पुलिस मुख्यालय ने विभाग को भिजवाए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग ने किन-किन अधिकारियों के नाम नामित व रिजेक्ट किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस मेडल के लिए पिछले दो वर्षो में जिन-जिन आर.पी.एस. अधिकारियों के नाम पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भिजवाये हैं, उनकी वर्षवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गृह विभाग में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा नामित एवं अनामित अधिकारियों की सूची क्रमश: परिशिष्ट-ब एवं "स" पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

पत्रकारों को रियायती दर पर प्लाट का आबंटन

319. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सूचना एवं जन संपर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पत्रकारों को रियायती दर पर मकान व अन्य लाभ देने की घोषणाएं की गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विगत तीन वर्षों में पत्रकारों को सम्मानित कर रियायती दर पर प्लाट दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में पत्रकार कल्याण के बिन्दु संख्या 182 पर राज्य भर में पत्रकारों, साहित्यकारों एवं लेखकों को स्थानीय निकायों के माध्यम से रिहायशी कालोनी में भूखण्ड आबंटन किए जाने की घोषणा की

(सूचना एवं जन संपर्क मंत्री)

गई है। जनघोषणा के बिन्दु संख्या 26.5 मे हाउसिंग बोर्ड एवं विकास प्राधिकरण की योजनाओं में पत्रकारों के आवास हेतु आरक्षण तथा पूर्व लंबित आवासीय योजना के समाधान हेतु सकारात्मक कदम के क्रम में पत्रकार आवासीय समस्या समाधान समिति का गठन किया गया है।

पत्रकारों को अन्य लाभों में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना मार्च, 2020 से आरम्भ की गयी। योजना के तहत मार्च, 2020 से 5,000/- रुपये प्रतिमाह, जनवरी, 2021 से 10,000/- रुपये प्रतिमाह एवं अप्रैल, 2021 से 15,000/- रुपये प्रतिमाह दिये जाने की घोषणा की गई है।

कोविड-19 के अंतर्गत कार्य के दौरान पत्रकारों के संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु पर 50.00 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5.00 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने की घोषणा की गई है। बजट वर्ष 2022-23 में इस राशि को बढ़ाकर 10.00 लाख कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। गत तीन वर्षों में पत्रकारों को सम्मानित कर रियायती दर पर कोई प्लाट नहीं दिये गये हैं।

शिक्षा से वंचित बच्चों का सर्वे

320. श्री कालूराम (डग): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सर्वे के उपरान्त कितने बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये? वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ में शिक्षा से वंचित बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रवेशोत्सव अभियान के अन्तर्गत सर्वे कार्य करवाया जाता है। सर्वे में शिक्षकों द्वारा डोर-टू-डोर जाकर शिक्षा से वंचित बच्चों को राजकीय विद्यालयों से जोड़ने हेतु उनके अभिभावकों को विद्यालय में मिलने/संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं की

(शिक्षा मंत्री)

जानकारी दी जाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। प्रवेशोत्सव अभियान के समय सर्वे का कार्य राज्य के समस्त जिलों में किया जाता है।

(2) वर्ष 2021-22 में सर्वे के उपरान्त 2,29,481 बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, मिड-डे-मील योजना, शैक्षिक भ्रमण, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा, प्रवेशोत्सव, छात्रवृत्ति, ट्रांसपोर्ट वाउचर, बैक टू स्कूल, विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं आवासीय विद्यालय व छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई में समायोजित राजकीय विद्यालय

321. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समायोजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय को अलग कर पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मर्ज (समन्वित) किये गये राजकीय विद्यालयों में से आरटीई नोर्म्स के अनुसार पुन: संचालन योग्य विद्यालयों के प्रस्ताव, पत्र दिनांक 22.01.2019 के माध्यम से समस्त जिला शिक्षाधिकारियों से चाहे गये थे। निदेशालय स्तर पर समीक्षा उपरांत प्राप्त प्रस्तावों मे से विधान सभा क्षेत्र नदबई के निम्नांकित 08 विद्यालयों को डी-मर्ज किया जा चुका है-

1. राप्रावि, मनोहरपुर
2. राप्रावि, नगला माली
3. राप्रावि, चितारी
4. राप्रावि, नगला तोता
5. राप्रावि, गिलगिलिया पट्टी
6. राप्रावि, अजान का मंदिर
7. राप्रावि, नगला मीना पिगौरा
8. राप्रावि, नगला कबई

मुण्डावर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

322. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक कितने राजकीय विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों के क्रमोन्नति के कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? उक्त को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक निम्नांकित राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है-

1. राप्रावि उमर खान का बास, अगवानी - उप्रावि स्तर में (2020-21)
2. राउप्रावि, नंगली ओझा - मावि स्तर में (2019-20)
3. राउप्रावि, नांगल संतोकडा- मावि स्तर में (2021-22)
4. रामावि, कालूका - उमावि स्तर में (2021-22)

(2) राज्य में स्थानीय समुदाय/क्षेत्र की मांग/आवश्यकता के आधार पर क्रमोन्नति के मापदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यालयों के प्रस्ताव निदेशालय के पत्रांक-25 दिनांक 08.02.2022 द्वारा समस्त जिला शिक्षाधिकारियों से चाहे गये हैं, निदेशालय स्तर से समेकित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विद्यालयों को वित्तीय उपलब्धता एवं निर्धारित मानदण्डों तथा समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात् क्रमोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी।

राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों का पुन: संचालन

323. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजकीय विद्यालयों में पूर्व में संचालित कक्षा 1 से 5 तक अतिरिक्त विषय के रूप में अल्पभाषा उर्दू, सिंधी, गुजराती व पंजाबी को सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रफीक खान)

(2) क्या सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पूर्व में संचालित अतिरिक्त विषयों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टाफिंग पैटर्न 2016 से पूर्व शिक्षा विभाग अन्तर्गत कुछ राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 05 तक अतिरिक्त विषय के रूप में अल्प भाषा (उर्दू/पंजाबी/सिन्धी/गुजराती) पढ़ायी जाती थी। आर टी ई अधिनियम, 2009 के नियम-2011 लागू होने के पश्चात् तद्नुसार प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में क्रमश: दिनांक 21.04.2016 तथा 30.04.2015 से स्टाफिंग पैटर्न लागू किया। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही विषय पढ़ाये जा रहे हैं।

(2) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 01 के अनुसार।

सरकारी शिक्षकों के ट्यूशन पढ़ाने पर शिकायतें

324. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के राजकीय शिक्षक सरकारी स्कूलों के अलावा कोचिंग व ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? संबंधित नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय शिक्षक कोचिंग और ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2019 से 2021 तक प्रदेश में ऐसा कर रहे कितने सरकारी शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोचिंग व ट्यूशन पढ़ाने वाले राजकीय शिक्षकों पर मॉनिटरिंग रखने के लिए सरकार ने कोई कमेटी बना रखी है? यदि हां, तो उक्त कमेटी द्वारा वर्ष 2019 से 2021 तक कितनी शिकायतों पर कितने शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार कोई कमेटी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नही। यद्यपि विभाग द्वारा इस संबंध में वैयक्तिक ट्यूशन देने का अधिकार संलग्न परिपत्र के अनुसार संस्था प्रधान का रहेगा। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नही। यद्यपि विभाग द्वारा इस संबंध में वैयक्तिक ट्यूशन देने का अधिकार संलग्न परिपत्र के अनुसार संस्था प्रधान का रहेगा। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शिक्षकों द्वारा ट्यूशन/कोचिंग करवाये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट- "ख" पर संलग्न है।

(3) विभाग स्तर पर वैयक्तिक अध्यापन की मॉनिटरिग हेतु विद्यालय स्तर पर मोनिटर रजिस्टर संधारित किये जाने के निर्देश परिशिष्ट "क" के अनुसार प्रसारित किये जा चुके हैं। शेष भाग प्रश्नोत्तर 02 के अनुसार।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर में कनकपुरा रेलवे स्टेशन से निवारू तक सड़क सेक्टर प्लान

325. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर शहर में कनकपुरा रेलवे स्टेशन से निवारू लालचंदपुरा आर्मी कंटोनमेंट तक 120 फुट चौड़ी सड़क सेक्टर प्लान योजना प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण सम्पर्क सड़क के अवरोधों को शीघ्रता से खुलवाकर चालू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में कनकपुरा रेलवे स्टेशन से निवारू लालचंदपुरा आर्मी कंटोनमेंट तक 120 फुट चौड़ी सड़क जोनल विकास योजना-11बी में प्रस्तावित है।

(2) उक्त संबंधित सम्पर्क सड़क में अधिकांश भूमि खातेदारों की है। खातेदारों द्वारा राज्य हित में समर्पण करने पर या जविप्रा द्वारा अधिनियम की धारा-44 के तहत समझौते से भूमि लिये जाने के पश्चात् सड़क के अवरोधों को खुलवाया जा सकेगा।

बाड़ी नगरपालिका का क्रमोन्नयन

326. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गिर्राज सिंह)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की नगरपालिका "सी" श्रेणी में है तथा उक्त की जनसंख्या लगभग 80,000 है? इतनी जनसंख्या होने के उपरान्त भी उक्त नगरपालिका को अब तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को "बी" श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। नगरपालिका, बाड़ी तृतीय श्रेणी की नगरपालिका है। नगरपालिका, बाड़ी की सीमा क्षेत्र की जनगणना 2011 के आधार पर कुल जनसंख्या 62,721 है। नगरीय निकाय को क्रमोन्नत किये जाने हेतु संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से कुल जनसंख्या, नगरपालिका जो जिला मुख्यालय पर है, नगरपालिका क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्र के विकास हेतु वर्तमान आय-व्यय स्थिति, आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि से स्पष्ट राय, अभिशंसायुक्त वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगरीय निकाय को क्रमोन्नत किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

बाड़मेर में व्यावसायिक काम्प्लेक्स

327. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या नगर परिषद् क्षेत्र बाड़मेर में पुराने तिलक बस स्टैण्ड की जमीन पर व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त भूमि का मास्टर प्लान-2031 में आरक्षित उपयोग बस स्टैण्ड दर्शाया गया है। बस स्टैण्ड से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की दिनांक 07.11.2016 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। पत्र दिनांक 13.01.2017 के द्वारा उक्त भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाई गई। विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2018 में तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में प्रावधान किये गये हैं कि रेलवे सीमा से लगती हुई 30 मीटर (100 फीट) क्षेत्र में भूमि पर निर्माण से पूर्व रेलवे प्राधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक है न कि 100 फीट भूमि छोड़कर निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसके अनुरूप उक्त योजना का भवन मानचित्र तैयार कर दिया गया है एवं उक्त योजना की डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रानीवाड़ा का सुन्धा अभयारण्य

328. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा स्थित सुन्धा माता वन क्षेत्र में बड़ी तादाद में भालू विचरण करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वन क्षेत्र को संरक्षित कर भालू अभयारण्य घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सुन्धा माता वन क्षेत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.07.2010 के द्वारा वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 36 ए के तहत "सुन्धा माता कन्जर्वेशन रिजर्व" के नाम से घोषित किया गया है। सुन्धा माता वन क्षेत्र में भालू अभयारण्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि दिनांक 20.07.2010 की अधिसूचना द्वारा कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है।

चौसिंगा हिरण का संरक्षण

329. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने प्रकार के हिरण पाये जाते हैं तथा यह किस-किस जिले में पाये जाते हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में चौसिंगा हिरण की कुल संख्या कितनी है तथा यह किस अभयारण में देखे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त हिरण की घटती संख्या को देखकर उक्त के संरक्षण हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है? यदि नहीं तो क्या अब विभाग उक्त के संरक्षण की कार्ययोजना बनाने का विचार रखता है?

(4) क्या सरकार की अत्यन्त कम संख्या में पाये जाने वाले उक्त हिरणों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए इनकी नर्सरी बनाने की कोई कार्ययोजना है?

उत्तर

(1) प्रदेश में वन एवं संरक्षित क्षेत्रों में पाये जाने वाले हिरणों की विभिन्न जिलों में उपस्थिति की सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(वन मंत्री)

(2) प्रदेश में चौसिंगा हिरण की अनुमानित संख्या 487 है। प्रदेश में चौसिंगा हिरण पाये जाने वाले अभयारण्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।

(3) वन विभाग द्वारा राज्य के वन्यजीवों के संरक्षण हेतु राज्य में 15 कन्जर्वेशन रिजर्व, 27 वन्यजीव अभयारण्य, 03 नेशनल पार्क व 03 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें वन्यजीव संरक्षण के लिए जल स्रोत, जल संरचनाएं, एनिकट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, फायर लाइन्स, सुरक्षा दीवार, सुरक्षा मार्ग, पेट्रोलिंग ट्रेक्स का निर्माण करवाया जाता है। पृथक से चौसिंगा हिरण के संरक्षण हेतु कार्ययोजना नहीं है।

(4) जी नहीं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मुकुन्दरा टाइगर हिल्स में वाहन प्रवेश शुल्क

330. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला कोटा में मुकुन्दरा टाइगर हिल्स योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् गडरिया महादेव मंदिर जाने के लिये आमजन को 105 रुपये एवं वाहन के लिए 250 रुपये देने पड़ते हैं? क्या सरकार उक्त राशि को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की मुकुन्दरा टाइगर हिल्स योजना, कोटा को चालू करने की क्या योजना है? उक्त योजना में क्या-क्या सम्मिलित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गडरिया महादेव मंदिर मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में स्थित है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीव (सुरक्षा) (राजस्थान) (संशोधन) नियम, 2015 के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.04.2016 के द्वारा राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं क्रिटिकल टाइगर हैबीटाट बाघ परियोजना क्षेत्रों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रवेश शुल्क/पर्यटन वाहन शुल्क/कैमरा फीस का निर्धारण होता है। वर्तमान प्रचलित दरों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार है। उक्त राशि को कम करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(वन मंत्री)

(2) मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व की अधिसूचना 09.04.2013 में जारी की जा चुकी है। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व का वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक की अवधि हेतु प्रस्तावित टाइगर कन्जर्वेशन प्लान (टी.सी.पी.) के अनुसार सरकार द्वारा इसमें बाघों के पुनर्वास, संरक्षण एवं बढ़ोतरी के साथ साथ वन एवं वन्यजीवों का संवर्धन एवं संरक्षण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर व कोटडी उपखण्ड में दर्ज राजस्व परिवाद

331. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अंतर्गत उपखण्ड कार्यालय जहाजपुर एवं कोटडी में राजस्व संबंधी कितने परिवाद विगत तीन वर्षों में दर्ज किए गए? ग्रामवार दर्ज परिवादों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज परिवादों में से कितने परिवादों का निस्तारण हो चुका है? क्या सरकार शेष रहे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर आमजन को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में गत 03 वर्षों में उपखण्ड कार्यालय जहाजपुर में कुल 508 राजस्व संबंधी परिवाद दर्ज किये गये तथा उपखण्ड कार्यालय कोटडी में कुल 281 राजस्व संबंधी परिवाद दर्ज किये गये।

उपखण्ड कार्यालय जहाजपुर में दर्ज प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उपखण्ड कार्यालय कोटडी में दर्ज प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा जिले के उपखण्ड कार्यालय जहाजपुर तथा उपखण्ड कार्यालय कोटडी में परिवादों की सूचना निम्नलिखित है-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	**उपखण्ड कर्यालय का नाम**	**03 वर्षों में कुल दर्ज प्रकरण**	**कुल निस्तारण प्रकरण**	**शेष प्रकरण**
1	जहाजपुर	508	506	02
2	कोटडी	281	278	03

शेष 05 परिवादों पर कार्यवाही जैरकार है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

घमोतर में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

332. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय घमोतर में उपखंड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में घमोतर न तो उप तहसील है और न ही तहसील कार्यालय है। घमोतर केवल पंचायत समिति कार्यालय है।

वर्तमान में घमोतर पर उपखण्ड कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

भीलवाड़ा में पटवारियों के रिक्त पद

333. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में कुल कितने पटवार सर्कल हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में कुल कितने पटवारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में उक्त पटवारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में कुल 466 पटवार सर्किल हैं। विधान सभा क्षेत्रवार पटवार सर्किलों का विवरण निम्नानुसार है-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	पटवार सर्किलों की संख्या
1	आसीन्द	84
2	माण्डल	82
3	सहाड़ा	75
4	भीलवाड़ा	06
5	शाहपुरा	85
6	जहाजपुर	66
7	माण्डलगढ़	68
योग		**466**

(2) वर्तमान में जिला भीलवाड़ा में कुल 207 पटवारी कार्यरत हैं, जिनमें से 201 पटवारी जिला कार्यालय सहित जिले की तहसीलों में कार्यरत हैं तथा 01 पटवारी नगर विकास न्यास में प्रतिनियुक्ति पर है एवं 05 पटवारी निलम्बित हैं।

(3) भीलवाड़ा जिले में पटवारी के 531 पदों में से 324 पद रिक्त हैं।

जी हां। पटवारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 5,610 (4,792 राजस्व+116 उपनिवेशन+702 भू-प्रबन्ध) पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा-2019 का आयोजन किया जाकर परिणाम दिनांक 25.01.2022 को जारी किया जाकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी तथा प्रशिक्षण उपरान्त पदों को भरा जा सकेगा।

पर्यटन विकास कोष से विकास कार्य

334. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन को गति देने एवं आधारभूत संरचना के लिए वर्ष 2021-22 में 500 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में उक्त कोष से प्रदेश के किस-किस पर्यटन स्थल पर कितनी-कितनी धनराशि के कौन -कौन से विकास कार्य करवाये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन हेतु पुष्कर (अजमेर) स्थित होकरा में 90 हैक्टेयर तथा सूरजकुण्ड में 150

(श्रीमती अनिता भदेल)

हैक्टेयर में Tourism Complex हेतु बहुउद्देश्यीय योजना बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना में कितनी धनराशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य बजट वर्ष 2021-22 में पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ का प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है।

उक्त के क्रम में सर्वधर्म सम्भाव को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थलों का विकास, शेखावाटी पर्यटन सर्किट एवं गोडवाड पर्यटन सर्किट के अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत विकास कार्यों एवं व्यय हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम फेज में पुष्कर, अजमेर स्थित होकरा में 19.79 हैक्टेयर क्षेत्रफल में एवं सूरजकुण्ड में 86.08 हैक्टेयर क्षेत्रफल में योजनाओं के मानचित्र स्वीकृत कर, कुल राशि रु. 633.6 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धार्मिक पर्यटन सर्किट

335. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त योजना क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त योजना के लिए बजट का प्रावधान किया था? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में अब तक कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य बजट वर्ष 2021-22 में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाये जाने की घोषणा की गई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(पर्यटन मंत्री)

(2) जी हां। उक्त बजट घोषणा में धार्मिक पर्यटन सर्किट पर 100 करोड़ रुपये की लागत का प्रावधान किया गया। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त घोषणा के अन्तर्गत 89.33 करोड़ रु. की स्वीकृति जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10.50 करोड़ रुपये की राशि व्यय हेतु उपलब्ध करवाई गई है। विवरण निम्नानुसार है-

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	कुल स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु उपलब्ध राशि
1.	हिन्दू तीर्थ स्थलों का विकास	19.31	3.00
2.	जैन तीर्थ स्थलों का विकास	27.99	2.50
3.	सिख तीर्थ स्थलों का विकास	16.15	2.50
4.	मुस्लिम तीर्थ स्थलों का विकास	25.88	2.50
कुल		89.33	10.50

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

होमस्टे पालिसी में बदलाव

336. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रिसोर्ट व होमस्टे पॉलिसी में बदलाव किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पालिसी में क्या-क्या बदलाव किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला पाली में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या कार्ययोजना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो में सोजत शहर के किले के जीर्णोद्धार हेतु क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पेइंग गैस्ट हाउस स्कीम, 2012 एवं होमस्टे (पेइंग गैस्ट हाउस) स्कीम, 2021 का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(पर्यटन मंत्री)

(2) राज्य बजट वर्ष 2021-22 अन्तर्गत पाली जिले में निम्नलिखित पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं-

(राशि रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि
1	सोनाणा खेतलियाजी मंदिर, पाली	89.76
2	जवाई क्षेत्र, पाली	203.85
3	बाली दुर्ग, पाली	296.65
4	रणकपुर जैन तीर्थ स्थल, पाली	293.50

(3) जी नहीं। विगत तीन वर्षों में सोजत शहर के किले के जीर्णोद्धार हेतु कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाडपुरा में फसल खराबे का मुआवजा

337. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष 2021 में खरीफ एवं रबी की फसल में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से कितने प्रतिशत नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नुकसान का सर्वे उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में हुआ है? यदि हां, तो गांव का नाम व खराबे के प्रतिशत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि का सर्वे सरकार द्वारा पटवारियों के माध्यम से कितने समय में पूर्ण किया गया एवं कितनों को फसल खराबे का मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि किसानों को प्राकृतिक आपदा में खराब हुई अपनी फसलों के मुआवजे के लिए आवेदन तय समय सीमा में करने पड़ते हैं? यदि हां, तो कितने समय में? किसानों की भांति कार्मिकों को भी आवेदनों पर कार्यवाही करने की समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष 2021 में खरीफ एवं रबी की फसल में अनावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ है।

खरीफ फसल 2021 में बाढ़ से ग्रामवार फसल खराबे के प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) खरीफ फसल वर्ष 2021 में बाढ़ से फसल खराबा होने पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2021 को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किये। उक्त आदेश की अनुपालना में लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण गांवों में गिरदावरी करवाई गई। खरीफ फसल 2021 में बाढ़ से ग्रामवार फसल खराबे के प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 06.08.2021 की पालना में बाढ़ से खरीफ फसल खराबे की लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में विशेष गिरदावरी करवाई गई। लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक नहीं होने के कारण एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार सहायता देय नहीं है।

(4) राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से विभिन्न आपदाओं में फसल खराब होने पर किसानों के डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर डाटा अपलोड करने एवं अन्य राहत गतिविधियों/क्षति होने पर सहायता प्राप्त करने हेतु डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर आवेदन करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गई है:-

गतिविधि का नाम	**अन्तिम तिथि**
खरीफ फसल में खराबा होने पर देय कृषि आदान अनुदान राशि	उसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक
रबी फसल में खराबा होने पर देय कृषि आदान अनुदान राशि	अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर तक
खरीफ में अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित पशु संरक्षण गतिविधियां एवं पेयजल परिवहन व्यवस्था	जिस वर्ष में गतिविधियां संचालित की गई उस वर्ष की 31 दिसम्बर तक
अन्य आपदाओं में देय राहत सहायता	आपदा घटित होने की दिनांक से 6 माह तक

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अन्तर्गत कार्मिकों को सहायता दिये जाने हेतु अलग से नियम नहीं बने हुए हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स में कवर होने पर नियमानुसार निर्धारित अवधि में आवेदन करना होता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जायल, नागौर, मूण्डवा में अकालग्रस्त गांव

338. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल, नागौर, मूण्डवा में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कितने ग्राम अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अकालग्रस्त गांवों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 2020-21 में सूखे से फसल खराबा नहीं होने के कारण अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

वर्ष 2021 में खरीफ फसल में सूखे से फसल खराबा होने पर नागौर तहसील को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। नागौर तहसील में 08 ग्राम सूखे से प्रभावित हैं।

(2) खरीफ फसल वर्ष 2021 में सूखे से प्रभावित ग्रामों के किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान करने हेतु दिनांक 09.12.2021 को दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पचेवर (मालपुरा) में नवीन कृषि मण्डी

339. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत पचेवर में नवीन कृषि मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कृषि उपज मण्डी समिति मालपुरा के अधीन ग्राम पंचायत पचेवर गौणमण्डी यार्ड घोषित है। गौणमण्डी यार्ड पचेवर की गत 3 वर्षों की वार्षिक आय निम्नानुसार है-

वर्ष	**वार्षिक आय (लाख रु. में)**
2018-19	1.11
2019-20	0.54
2020-21	0.87
2021-22 (जनवरी 22 तक)	0.00

राज्य सरकार द्वारा नवीन मण्डी गठन हेतु आदेश दिनांक 20.03.2012 द्वारा 40 लाख रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त मानदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने के कारण पचेवर में नवीन मण्डी का गठन किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले की नवीन पंचायत समितियों में आई.टी.आई. केन्द्र

340. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला प्रतापगढ़ के नवीन पंचायत समिति दलोट, सुहागपुरा, धमोतर में आई.टी.आई. केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुणों के आधार पर आई.टी.आई. खोले जाने का निर्णय किया जाता है।

कौशल नियोजन विभाग में पदोन्नतियां

341. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति कितनी अवधि से लम्बित है व इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदोन्नतियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है विभाग में निदेशक के रिक्त पद पर

(श्री सुरेश टाक)

सेवानिवृत्त सहायक निदेशक की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों व नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निदेशक के पद पर पे-माइनस पेंशन पर लगाने से पूर्व अधिसूचना जारी की गई थी? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पद पर नियम विरुद्ध लगाये गये व्यक्ति को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रोजगार विभाग में संयुक्त निदेशक पद की पदोन्नति वर्ष 2008-09 से 2021-22 तक, उप निदेशक पद की पदोन्नति वर्ष 2009-10 से 2021-22 तक तथा सहायक निदेशक पद की पदोन्नति वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लंबित है। वरिष्ठता सूची का निर्धारण नहीं होने के कारण संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पदों की डी.पी.सी. समय पर सम्भव नहीं हो सकी।

रोजगार विभाग में प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (दो वर्ष) की पदोन्नति लम्बित है। वरिष्ठता सूची पर आक्षेप के कारण उक्त वर्षों की डी.पी.सी. नहीं हो सकी है।

(2) जी हां। उक्त वर्षों की डी.पी.सी. हेतु संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पदों के प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दिये हैं। आयोग से तिथि एवं समय निर्धारित होने पर डी.पी.सी. की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठता सूची जारी कर डी पी सी की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र पदोन्नति कर ली जायेगी।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आदेश क्रमांक प.स.(13)श्र.नि./2009 दिनांक 09-06-2021 द्वारा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी (सहायक निदेशक) को निदेशक के रिक्त पद के विरुद्ध पे-माइनस पेंशन पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्रदान की गई है। नियुक्ति आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) राजस्थान सेवा नियमों में पे-माइनस पेंशन पर लगाने से पूर्व

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

अधिसूचना जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित अधिकारी विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पे-माइनस पेंशन पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर के गांवों में खेल मैदान

342. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं, जहां खेल मैदान स्वीकृत नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में खेल मैदान स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/ खेल विभाग द्वारा किसी भी गांव में कोई भी खेल मैदान स्वीकृत नहीं है।

(2) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल मैदान निर्माण का विचार किया जाता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिये समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least One Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

आसपुर में महाविद्यालय की स्थापना

343. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की विधान सभा क्षेत्र आसपुर के उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है? यदि हां, तो वर्तमान

(श्री गोपीचंद मीणा)

वित्तीय वर्ष में खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला मुख्यालय डूंगरपुर पर स्थित भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय में कालेज व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में आसपुर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। जिला मुख्यालय डूंगरपुर के भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय में सह/सहायक आचार्य के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-**01** पर संलग्न है।

विभिन्न विषयों के सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के स्तर पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना के महाविद्यालयों में संचालित संकाय

344. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के महाविद्यालयों में कौन-कौनसे संकाय संचालित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना में स्नातकोत्तर हेतु कला संकाय में राजनीति विज्ञान व विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र व वनस्पति शास्त्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना व राजकीय कन्या महाविद्यालय डीडवाना संचालित है। उक्त महाविद्यालयों में संचालित संकायों का महाविद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक/ स्नातकोत्तर	संचालित संकाय
1	राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना	स्नातकोत्तर	कला, विज्ञान व वाणिज्य
2	राजकीय कन्या महाविद्यालय, डीडवाना	स्नातक	कला

(2) वर्तमान में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना में स्नातकोत्तर हेतु कला संकाय में राजनीति विज्ञान व विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र स्वीकृत किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बाली के महाविद्यालयों में विज्ञान-वाणिज्य संकाय

345. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में उपखंड स्तर पर कहां-कहां राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं तथा उक्त महाविद्यालयों में कुल कितने नामांकन वर्तमान में हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संचालित महाविद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाली के देसूरी उपखण्ड पर नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में उपखण्ड स्तर पर एक ही राजकीय महाविद्यालय बाली संचालित है। उक्त महाविद्यालय में सत्र 2021-22 में 250 छात्र व 299 छात्राएं कुल 549 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय बाली में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बाली के देसूरी उपखण्ड पर नया राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झालावाड़ में श्रमिक कार्ड

346. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में वर्तमान में कितने श्रमिक कार्ड बने हुए हैं? विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए उक्त में से कितने श्रमिक कार्ड बन गये हैं व कितने बनने शेष हैं? उक्त के अब तक नहीं बनने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत तीन वर्षों में श्रमिक कार्ड से कितने लोगों को लाभ मिला व कितने लाभ से वंचित हैं? सदस्यवार लाभान्वित राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में वर्तमान (दिनांक 05.03.2022 तक) में 65,862 श्रमिक कार्ड बने हुए हैं। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में 27,427 पंजीयन आवेदन स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु 36,146 पंजीयन आवेदन प्राप्त हुए। उक्त में से 11,588 आवेदन स्वीकृत तथा 2,464 आवेदन विभागीय स्तर पर व 2,167 आवेदन आक्षेपपूर्ति हेतु हिताधिकारी के स्तर पर लम्बित हैं।

मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जाते हैं।

आवेदनों का जिला स्तर पर वरीयतानुसार प्राप्त आवेदनों का "पहले आओ पहले पाओ" (FIFO) पद्धति से यथाशीघ्र निस्तारण किया जाता है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत 3 वर्षों (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021) में 7,885 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है, वर्तमान में 14,156 योजनाओं के आवेदन लम्बित हैं। लाभान्वितों का मय राशि विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट 01

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 - **सामुदायिक विकास** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के ग्रामों में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

2. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

3. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर टाउन हाल का निर्माण करवाये जाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

4. विधान सभा क्षेत्र कपासन की ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, पेयजल एवं सफाई के संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिये लोगों में जन जागरण तथा नवाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

6. बाड़मेर के कारेली नाड़ी, बेणेश्वर नाड़ी के विकास एवं निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

7. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के जनजाति क्षेत्र के समुदाय के उत्थान के लिये सामुदायिक विकास की योजनाएं लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

8. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायतों द्वारा नियोजित कार्यक्रम के तहत सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की तीन पंचायत समितियों में शौचालय से वंचित परिवारों को लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्रामीण क्षेत्र पेयजल को लेकर हर घर नल योजना के तहत लाभान्वित किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

12. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के रानीवाड़ा, बडगांव, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सांकड़, करड़ा, सरनाऊ एवं पावूली में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

13. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

14. विधान सभा क्षेत्र आदर्शनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिये जनोपयोगी भवन बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

15. विधान सभा क्षेत्र लूणी के नव सृजित पंचायत समिति के भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

16. विधान सभा क्षेत्र लोहावट की नवसृजित पंचायत समिति के भवन हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

17. विधान सभा क्षेत्र मावली के गांवों में सामुदायिक भवन व संस्कार केन्द्रों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

18. विधान सभा क्षेत्र महवा के मण्डावर को पंचायत समिति बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

19. चूरू जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की बकाया राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत चूरू जिला परिषद्/पंचायत समिति को वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में देय अनुदान राशि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. चूरू जिले में नवसृजित ग्राम पंचायत भवन का निर्माण नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पूर्व में संचालित सामुदायिक विकास केन्द्र जीर्ण-शीर्ण होने पर भी मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

23. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक सेवा केन्द्रों का विकास करने तथा नये सामुदायिक सेवा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

24. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्रामों में अनुसूचित जाति के मौहल्लों में सामुदायिक भवन, नालियां एवं स्ट्रीट लाइटें लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

25. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में सामुदायिक भवनों, सामुदायिक तालाब, खेल मैदान बनाने एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर लाइब्रेरी खोलने आदि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं अन्य समाज कल्याण के कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत गांव के समस्त परिवारों का सर्वांगीण विकास करना तथा दलित वर्गों को ऊंचा उठाने के लिये विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामुदायिक विकास कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

31. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को रिहायशी भवनों के पट्टों में सरलीकरण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

32. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विख्यात पशु मैदान स्थल तिलवाड़ा, कनाना एवं नागाणा मंदिर पर सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में महिला सशक्तिकरण हेतु सामुदायिक विकास हेतु संगठन का गठन करने एवं ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिलाये जाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में सांभरामाता मंदिर, खेड मंदिर, जसोल राणी, भटियाणी मंदिर, मेधनाथ जी का धुणा एवं समाधि स्थल पर यात्री विश्राम गृह के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की पेन्डेंसी को खतम करने के लिए आवश्यक बजट आबंटित कर लाभार्थियों को भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

36. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के भिनाय पंचायत समिति के भवन का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की पंचायत समिति भवन एवं पुरानी ग्राम पंचायत के भवन का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

38. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

40. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के गांवों में यात्रियों के लिये विश्रामगृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सार्वजनिक भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

43. प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की चर्चा के संबंध में।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

44. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार कर सामुदायिक विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश में जनता जल योजना संधारण हेतु देय मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों की समय पर आडिट नहीं करने एवं अन्य बकायों की वसूली नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की नवसृजित पंचायतों में नये भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूर-दूर बसे ग्राम एवं ढाणियों का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

49. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामों में मुख्यमंत्री नवाचार निधि योजना के अन्तर्गत बुहाना पंचायत समिति में नवाचार किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता के निर्धारण के उपरान्त भी आवास नहीं बनवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के जनता जल योजना के ट्यूबवैलों के सुगम संचालन एवं बिलों के भुगतान के लिए बजट आबंटित करने पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जनता जल योजना से वंचित गांवों को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

54. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के ग्रामों में नियमित साफ-सफाई व्यवस्था एवं कचरा निस्तारण हेतु वाहन, उपकरण एवं संयंत्रों की उपलब्धता के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति भवनों का आवश्यकतानुसार निर्माण, पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य के संपादन एवं कम्प्यूटर तथा अन्य आवश्यक तकनीकी सामग्री हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा की जा रही उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. कोटा जिले में विगत 3 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि को उपयोग में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. पंचायत समिति सुल्तानपुर (कोटा) में खराब हैण्डपम्पों को दुरुस्त करने वाले हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कमी से खराब पड़े हैण्डपम्प समय पर ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के ग्रामों में विभिन्न सामाजिक आयोजन के लिये उपयोग हेतु सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

59. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ढाणियों में सामुदायिक विकास हेतु विद्युत कनेक्शन देने के लिए शिथिलता प्रदान करने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सभी राजस्व गांवों में शमशान का विकास करने एवं उनमें टीनशैड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्रामों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विधायक मद से छात्रावास निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

62. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त कर स्वच्छता का प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश में विधायक स्थानीय विकास निधि में पिछले तीन वर्षों में जिला परिषदों को धन का आबंटन समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिये अधिक धन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

66. प्रदेश में ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता एवं उसके उपयोग पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की ग्राम पंचायतों को सामुदायिक विकास हेतु ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि का समय पर आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति में शिथिलता प्रदान करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में विगत 2 वर्षों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सामुदायिक सेवा के एक भी कार्य स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

70. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

71. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव में वाटर शैड जैसी योजनाएं क्रियान्वित किये जाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यों को विकसित करने एवं उनको जीवकोपार्जन के लिए संसाधन उपलब्ध करवाये जाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

75. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत छुआछूत को मिटाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाने एवं इन कार्यक्रमों पर बजट को बढ़ाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रोजगार की वृद्धि हेतु कुटीर व लघु उद्योग-धंधों का विकास करने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश के गांवों में प्राथमिक, माध्यमिक, बुनियादी तकनीकी शिक्षा एवं

प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा प्रसार पर और अधिक प्रयास करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कला एवं संस्कृति आधारित सामुदायिक मनोरंजन की व्यवस्था करते हुए मनोरंजन, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान के लिये मेलों, खेलकूदों एवं मंचीय नाटकों का आयोजन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

79. प्रदेश में ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में ग्रामीण समुदाय में कृषि कार्यों में आधुनिक व वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना व उसके महत्व को समझाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

81. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सम्मिलित किये जाने और उसमें विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की हिस्सेदारी रखी जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुरुषों एवं स्त्रियों के लिये पृथक-पृथक शौचालय एवं स्नानगृह बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित विकास कार्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुकूल भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विकास कार्यक्रमों से लाभान्वितों का नियमित आंकलन कर, उनमें सुधारात्मक कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

85. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत के विरुद्ध लगातार नियमित एवं प्रभावी अभियान एवं कार्यक्रमों के संचालन पर विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

86. विधान सभा क्षेत्र जालौर की समस्त ग्राम पंचायतों में नए मापदण्डों के अनुसार भवन निर्माण एवं विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में कार्यरत विभिन्न स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों को नियत समय पर पदोन्नति देने एवं समस्त रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र जालौर के प्रत्येक गांव में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जल मल निकासी ढांचा निर्माण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र जालौर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वाचनालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पुश्तैनी मकानों को पट्टा उपलब्ध करवाए जाने हेतु जटिल प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

91. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न गांवों में लगने वाले 36 कौम के मेला स्थल पर सामुदायिक भवन, टीनशैड, शौचालय फर्श निर्माण, पानी की सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र सुमरेपुर के विभिन्न गांवों में सामाजिक गतिविधियों को सम्पन्न कराने हेतु सामुदायिक भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में विभिन्न समाज के विद्यार्थियों के लिये पढ़ने हेतु विभिन्न गांवों में वाचनालय निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न गांवों में सामुदायिक विकास हेतु सांस्कृतिक सेवा केन्द्र भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

95. प्रदेश में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र नोखा के उपखण्ड मुख्यालय पर टाउन हाल का निर्माण कार्य कराने के लिये विभागीय पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र नोखा के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिये लोगों में जन जागरण तथा नवाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में सामुदायिक विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. प्रदेश में सामुदायिक विकास हेतु ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने के लिये विभागीय पहले करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

100. श्रीगंगानगर जिले के गांवों में स्थायी रूप से सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 02

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28 - **ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि:-

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

1. प्रदेश में जनता जल योजना में सिंगल फेज तथा अन्य योजनाओं का ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

2. प्रदेश में मनरेगा मजदूरों और मेटों को मजदूरी का समय पर भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांवों में गौरव पथ बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की ग्राम पंचायत टेऊ, सूडसर, गुसाईसर, बड़ा मोमासर, लिखमीसर उतरादा तथा बधनू में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में मनरेगा में श्रमिकों को 250 दिन कार्य तथा 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

7. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में विधायक कोष से करवाये जाने वाले कार्यों का अभियंताओं द्वारा लागत से बहुत अधिक राशि के एस्टीमेट्स बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में विधायक कोष से करवाये गये कार्यों में घटिया/निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग कर घटिया निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

9. प्रदेश के T.S.P. क्षेत्र में कुएं गहरे कराये जाने तथा मुण्डेर विहीन कुओं पर पक्की मुण्डेर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
10. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से गश्त हेतु चौकीदार लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।
11. प्रदेश के T.S.P. क्षेत्र में मनरेगा के अन्तर्गत 150 से 200 दिवस रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. डूंगरपुर जिले में मनरेगा में मेट कारीगर को समय पर भुगतान करने तथा ऑनलाइन उपस्थिति के स्थान पर पूर्ववत हाजिरी व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
13. प्रदेश में पंचायत सहायकों को नियमित करने तथा मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

14. प्रदेश के पंचायत सहायकों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना का संचालन ग्राम पंचायतों के स्थान पर जलदाय विभाग से ही कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
16. प्रदेश के T.S.P. क्षेत्र के सभी जिलों में नरेगा मजदूरों को प्रति जोबकार्ड 150 से 200 दिन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. प्रतापगढ़ जिले की भवन विहीन पंचायतों व पंचायत समितियों के भवनों की निर्माण की राशि स्वीकृत कर भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

18. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

19. प्रदेश में ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रमों में नयी योजनाएं सम्मिलित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

20. प्रदेश में गांवों के विकास के लिए जन सहभागिता योजना प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. प्रदेश की नरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली सी.सी. सड़क को वाल-टू-वाल तक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. प्रदेश के गांवों में कृषि आधारित लघु उद्योग लगाकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. प्रदेश के गांवों में पेयजल, रोशनी, सफाई, सड़क तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. प्रदेश में ग्राम पंचायत के विकास के लिए राज्य मद की राशि ग्राम पंचायतों को देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

25. प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित सी.सी. रोड को वाल-टू-वाल तक स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

26. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौरव पथ शीघ्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

27. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की पंचायत समिति बागोड़ा के नवीन भवन निर्माण हेतु राशि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

28. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की ग्राम पंचायतों में जनजाति वर्ग तथा अन्य वर्गों के विकास एवं उन्नयन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

29. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सड़क विहीन ग्रामों में सड़कें बनवाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित परिवहन बसों की व्यवस्था के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

31. प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार

द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने एवं बकाया किश्तों के भुगतान के संबंध में चर्चा के लिए।

32. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शौचालय निर्माण योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाने एवं वंचित परिवारों को अनुदान राशि के भुगतान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत जनता जल योजना के संचालन, पंचायत सहायक मानदेय, कोविड सहायक मानदेय आदि के भुगतान में आने वाली समस्या के निराकरण हेतु अतिरिक्त अनुदान राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत ग्राम पंचायतों के सौन्दर्यीकरण के लिए वृक्षारोपण, खाली निर्माण एवं सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सभी ग्राम पंचायतों में आजीविका योजना लागू करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

36. प्रदेश में ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त करने हेतु नवीन योजनाएं प्रारम्भ करने तथा कृषि कार्यों को भी मनरेगा में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

37. विधान सभा क्षेत्र डेगाना की प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौरव पथ बनाने तथा मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र डेगाना की नव सृजित पंचायतों को गांवों की सड़कों से जोड़ने तथा क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

39. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में ग्रामीण विकास के लिये गांवों में सफाई व्यवस्था, नालियों एवं सी.सी. रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम संबंधी सुझावों के संबंध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं एवं किसानों की शिक्षा जैसे कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. प्रदेश में गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

43. प्रदेश में मनरेगा में पंचायत मुख्यालयों पर गोशाला निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

44. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्रामों में रोडवेज बसों के संचालन हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्रामों में साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं चरागाह विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्रामों में पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के सभी राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

48. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

49. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभिन्न गांवों के एपीएल, बीपीएल एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

50. प्रदेश में मनरेगा के कार्यों के अन्तर्गत सामग्री मद 60 प्रतिशत और श्रम भाग 40 प्रतिशत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद एवं झल्लारा में मनरेगा के अन्तर्गत नवीन कुएं खोदना, कुएं गहरे करना, समतलीकरण और पशु शैड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद एवं झल्लारा में नदी-नालों पर रपट और पुलिया मनरेगा में बनाने तथा सी.सी. सड़कें इन्टरलॉकिंग और ग्रेवल सड़कें नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

53. विधान सभा क्षेत्र मावली में बाई जी राज की बावड़ी की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र मावली में विशन जी का छापर की चारदीवारी बनाकर उसके संरक्षण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र मावली में 250 व उससे कम जनसंख्या के गांवों में पानी, बिजली एवं सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

56. चूरू जिले में नवगठित ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

57. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार की भूलवश वंचित पात्र नामों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

59. चूरू पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. चूरू जिला परिषद् द्वारा 100 से अधिक सरपंचों के विरुद्ध बिना किसी आधार जांच प्रारम्भ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

61. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के पंचायत क्षेत्र के गांवों को ग्रेवल रोड, खरंजा रोड (छोटा टुकड़ा) से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की प्रत्येक पंचायत में सड़क निर्माण, वर्षा एवं गन्दे पानी की निकासी के लिए उचित कार्ययोजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गांवों में आबादी के नजदीक हड्डा रोड़ी को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गांवों के विकास के लिए सामुदायिक भवन, धर्मशाला एवं चौपाल पार्क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

65. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के घनी आबादी वाले गांवों में सड़क बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

66. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सभी गांवों के विकास के लिए एक विशेष टीम बनाकर विशेष कार्यक्रम व कैम्प तथा अभियान चलाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की ग्राम पंचायतों में ग्रामों के विकास किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्रामों में मूलभूत आवश्यक निर्माण कार्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

69. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मजदूरों को नरेगा में कम से कम 8 माह रोजगार देने व इनको मजदूरी का भुगतान यथा समय कराये जाने तथा इनका समय 7 घंटे करने हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

70. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा में बीपीएल परिवारों का नाम जोड़ने, इन्दिरा आवास योजना आदि कार्य चालू कर मुफ्त अनाज वितरण योजना शीघ्र चालू करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

71. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गांवों में आवासों का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिये स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करायी जा रही सरकारी सहायता के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए कराये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की चर्चा के लिए।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

75. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत रिहायशी गांवों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य का वन विभाग द्वारा विरोध करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

76. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना में पूंजीगत व्यय मद की बकाया राशि का आबंटन कर बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में गौरव पथ निर्माण से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आबादी क्षेत्र में सड़कों एवं पानी निकासी हेतु नालियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

78. प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत गोशालाओं के विकास कार्यों को भी शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु एक विशेष कार्ययोजना बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में विधायक कोष से स्वीकृत ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

81. प्रदेश की ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनाकर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

82. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में ग्रामीण इलाकों में खेतों में जाने हेतु रास्ते का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

85. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत हरजी व काम्बा में गंदे पानी की निकासी के लिए नाली एवं सीवरेज सिस्टम स्वीकृत कराकर गन्दगी दूर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

86. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की सभी ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध करवाने तथा सफाईकर्मियों की स्थायी नियुक्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों के पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की सभी ग्राम पंचायतों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी गांवों में रोड लाइट लगवाने तथा पंचायत मुख्यालय के चौराहों पर आवश्यकता अनुसार हाई मास्ट लाइट लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के प्रत्येक ग्राम में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक (खण्डार):

91. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की लम्बित शिकायतों की शीघ्र जांच कराकर उचित कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

92. प्रदेश में पंचायत समितियों में कार्यरत अस्थाई कनिष्ठ अभियंताओं को हटाकर योग्य एवं अनुभवी अभियंताओं की शीघ्र नियमित भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं 1000 की आबादी से ज्यादा के गांवों में मुख्य मार्गों में इन्टर लॉकिंग सड़कें एवं नाली निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

94. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष योजना बनाकर पंचायतों में बीएसआर रेट की विसंगति को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार योजना बनाकर स्थानीय आवश्यकता अनुसार कला केन्द्र एवं लोक कलाओं के साथ खेलों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए क्लस्टर बनाकर स्वरोजगार व स्थानीय लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगर व पुष्कर उपखण्ड में नवीन पंचायत समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. प्रदेश में पंचायती राज से जुड़े जन प्रतिनिधियों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

99. प्रदेश में नरेगा कार्यक्रम में कृषि कार्यों को शामिल करने एवं मनरेगा कर्मियों को समय पर भुगतान करने के साथ जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को अनुदान राशि में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

100. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक नोहरों का निर्माण करवाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायतों में शीघ्र गौरव पथ बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की नई ग्राम पंचायत बनाये जाने एवं पंचायतों में पंचायत भवन बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

103. प्रदेश में नरेगा के अन्तर्गत ग्रामों में सफाई हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. प्रदेश के ग्रामों में व्याप्त गन्दगी की समस्या पर विशेष सुझाव को स्वच्छता मिशन या नरेगा में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग अभियान के कैम्प पुन: लगाये जाकर ग्रामीणों को अधिक राहत देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

106. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के तहत आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं पर हुए व्यय का अंकेक्षण (ऑडिट) समयबद्ध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण के उपरान्त भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में षष्ठ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान राशि का वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

111. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की पंचायत समितियों में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किश्त का भुगतान शीघ्र किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की तीनों पंचायत समितियों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की ग्राम पंचायतों में कच्चे रास्तों पर ग्रेवल सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

115. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना के तहत कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर में महिलाओं तथा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गतिविधियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास इकाइयों द्वारा स्वीकृत श्मशान स्थल के विकास कार्य कराने में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिए।

117. कोटा जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत विधायक द्वारा सुझाये गये जनहित के कार्यों की स्वीकृति एवं करवाये जाने में हो रहे विलम्ब एवं अन्य योजनाओं/मद की राशि से कन्वर्जेन्स का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. पंचायत समिति बून्दी एवं क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न सामग्री आदि खरीद में बरती गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बाबत सघन जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

119. प्रदेश में 14वें व 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सहयोग राशि समय पर एवं पूरी नहीं दिये जाने के कारण ग्रामीण विकास के कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

120. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये सामूहिक जलोत्थान योजना पर अधिक व्यय करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कराये जा रहे विकास कार्यों से सभी परिवारों को लाभ नहीं मिलने एवं कुछ व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाने से उत्फन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

122. प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर नहीं कराने एवं संविधान के 73वें संशोधन का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

123. प्रदेश के ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये मास्टर प्लान बनाने तथा अगले दस वर्षों में विकास का प्रारूप बनाकर प्रत्येक पंचायत स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

124. जिला परिषद् राजसमन्द में विकास कार्यों के उपयोग प्रमाण-पत्रों का एक वर्ष से समायोजन नहीं होने पर चर्चा के लिए।

125. प्रदेश की गांवों की ढ़ाणियों, उप बस्तियों, अनुसूचित जाति और जनजाति मोहल्लों में विधायक विकास निधि कार्य के मानदण्डों में शिथिलता देने एवं गांवों में आवश्यकतानुसार एक से अधिक सामुदायिक भवन निर्माण की अनुमति पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में ग्रामीण रोजगार योजना में कारीगर, मेट एवं सामग्री का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण विकास कार्यों में आ रही बाधा पर चर्चा के लिए।

128. प्रदेश में स्मार्ट शहरों की तरह ही प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समग्र विकसित गांव (स्मार्ट गांव) के रूप में गांवों के विकास पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

129. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था हेतु संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव के चरागाह/ सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. प्रदेश में ग्राम पंचायतों में जलाशय/तालाब किनारे पेड़ों की प्राकृतिक उपज लूम पातड़ी को नीलाम करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को देने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

133. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की सभी ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति एवं संविदाकर्मी लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

134. विधान सभा क्षेत्र नदबई में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र नदबई में गरीबों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

136. प्रदेश में मनरेगा को प्रत्येक किसान के खेत से जोड़े जाने से खेतों पर व्यापक सुधार संबंधी चर्चा के लिए।

137. प्रदेश में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देश 2018 के 15.1 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार धर्मशाला, विश्राम गृह, वाल्मीकि भवन, पंचायत भवन, सभा भवन आदि को सामुदायिक भवन माना गया है, को अलग-अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र नोखा के गांवों में चौराहों पर हाई मास्ट लाइट एवं सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. प्रधानमंत्री आवास योजना में बकाया किस्तों का भुगतान करने एवं वंचित पात्र लोगों को योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. प्रदेश में विधायक कोष से प्रति हजार आबादी पर एक सामुदायिक भवन तथा आठ हजार आबादी पर 8 सामुदायिक भवन बनाने की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

141. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के प्रमुख गांवों में लघु, कृषि तथा अन्य उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुस्तकालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

143. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गांवों में सोलर रोड लाइट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्रत्येक गांव के आबादी क्षेत्र से गुजरने वाली मुख्य सड़कों को सी.सी. सड़क बनाये जाने तथा गन्दे पानी एवं बरसात के पानी की निकासी के लिए नाले बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

147. वर्ष 2019 में चयनित महात्मा गांधी आदर्श ग्रामों में खोली गई शराब की दुकानों को बंद कराए जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजयसर, खरेकडी, काजीपुरा इत्यादि गांवों में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समय पर क्रियान्वित कर उनका लाभ ग्रामीणों को दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. अजमेर सहित प्रदेश के समस्त चयनित स्मार्ट विलेज में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त बजट दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अन्तर्गत आने वाले अजयसर, खरेकडी, काजीपुरा सहित दर्जनभर गांवों को नशामुक्त कराने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अतिरिक्त बजट दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. अजमेर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में मनरेगा के दौरान धड़ल्ले से हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

152. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित किये जाने तथा ग्रामीण समुदाय को रोजगार के नये अवसर प्रदान कराने संबंधी योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

153. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के वंचित परिवारों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. प्रदेश में ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर जन-भागीदारी विकास योजनाओं में प्राथमिकताओं के निर्धारण और उनकी त्वरित गति से स्वीकृतियां जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति शाहपुरा एवं पंचायत समिति बनेड़ा के प्रशासकीय भवनों का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विकास कार्यों हेतु देय अनुदान राशि पंचायतों को शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

157. प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के उचित संपादन हेतु प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर कम से कम एक J.T.A. उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

158. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के समस्त रिक्त पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र जालौर की समस्त ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि नियत समय पर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. जालौर एवं सायला पंचायत समितियों के ग्रामीणों के उपयोग हेतु एक-एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में गौरव पथ निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

162. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए।

163. प्रदेश में मनरेगा में सामग्री के लिए बजट में राशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

164. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न गांवों में वंचित गलियों में पानी निकासी हेतु नाले, नालियां, सी.सी. सड़कें निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न गांवों के विद्यालयों में ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत प्रार्थना स्थल पर टीन शैड निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी गांवों में श्मशानघाट हेतु भूमि आबंटन करवाकर श्मशानघाट का विकास करने एवं वहां पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रेवल सड़कें व पुल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

168. श्रीगंगानगर जिले के समस्त गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. प्रदेश के गांवों में सड़कों के साथ नालियों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. प्रदेश के गांवों में आवारा पशुओं के लिए गोशालाएं बनाये जाने की योजना सम्मिलित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. श्रीगंगानगर जिले के ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि न होने के कारण गरीब आदमी को आवास उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

172. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पंचायत समितियों के पुनर्गठन के पश्चात् सांभरलेक एवं किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समितियों में स्टाफ एवं संसाधनों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. प्रदेश में मनरेगा अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।